खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-01) अंक-71

सोमवार 23 मार्च, 2018 02 चैत्र, 1940

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-01) में अंक 66 से अंक 81 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–07 भाग (01) शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/02 चैत्र, 1940 (शक) अंक–71

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	शोक संवेदना	3–4
3.	ताराँकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (81–82, 84 से 90)	5–57
4.	ताराँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (83, 91–95, 97–100)	58–80
5.	अताराांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (225 से 279 (276, 277 एवं 278 को छोड़कर))	81–226
6.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	227–276
7.	ध्यानाकर्षण (नियम–54)	277–307
8.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)	308–329
9.	गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प (नियम–89)	330–350

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–07 भाग (01) शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 / 02 चैत्र, 1940 (शक) अंक–71

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री रामचन्द्र
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री संदीप कुमार
11. श्री रघुविन्द्र शौकीन
12. श्रीमती बंदना कुमारी
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
16. श्री सोमदत्त
17. सुश्री अलका लाम्बा
18. श्री आसिम अहमद खान

19. श्री विशेष रवि
20. श्री हजारी लाल चौहान
21. श्री शिव चरण गोयल
22. श्री गिरीश सोनी
23. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
24. श्री जरनैल सिंह
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री महेन्द्र यादव
27. श्री नरेश बाल्यान
28. श्री आदर्श शास्त्री
29. श्री गुलाब सिंह
30. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
31. श्री सुरेन्द्र सिंह
32. श्री विजेन्द्र गर्ग
33. श्री प्रवीण कुमार
34. श्री मदन लाल
35. श्री सोमनाथ भारती
36. श्रीमती प्रमिला टोकस
37. श्री नरेश यादव
38. श्री करतार सिंह तंवर
39. श्री प्रकाश
40. श्री दिनेश मोहनिया
41. श्री सौरभ भारद्वाज
42. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
43. श्री सही राम
44. श्री नारायण दत्त शर्मा
45. श्री अमानतुल्लाह खान
46. श्री राजू धिंगान
47. श्री मनोज कुमार
48. श्री नितिन त्यागी
49. श्री एस.के. बग्गा
50. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
51. श्रीमती सरिता सिंह
52. मो. इशराक
53. श्री श्रीदत्त शर्मा
54. चौ. फतेह सिंह
55. श्री जगदीश प्रधान
56. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र–07 भाग (01) शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 / 02 चैत्र, 1940 (शक) अंक–71

सदन अपराह्न 2.07 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

(शहीदों को श्रद्धांजलि)

अध्यक्ष महोदयः सभी माननीय सदस्यों का स्वागत।

माननीय सदस्यगण, आज शहीदी दिवस है। महान् स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरू एवं शहीद सुखदेव को मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से नमन करता हूँ। साथ ही देश के उन सभी शहीदों को भी सादर नमन, जिनके बलिदान और साहस के कारण ही आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं।

देश की आजादी के लिए शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरू एवं शहीद सुखदेव ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और हंसते–हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। 23 मार्च 1931 की रात को अंग्रेजी सरकार ने इन तीनों देशभक्तों को फाँसी पर लटका दिया और इन क्रांतिवीरों की जीवन लीला समाप्त हो गई। इसके बावजूद ये आज भी भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और अपने जोश और जज्बे के कारण सभी भारतीयों के दिलों में जिंदा हैं।

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध

हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश की उन्नति और समृद्धि में अपना योगदान देना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि शहीदों के सम्मान में सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जाएगा।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

अध्यक्ष महोदयः ओम शांति, शांति शांति!

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा ...(व्यवधान) आज प्राइवेट मेंबर बिल रेजल्यूशन भी है और मैं देख रहा हूँ लगातार इस सदन में फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर रेजल्यूशन को जानबूझकर के चर्चा में नहीं आने देना चाहता।

अध्यक्ष महोदयः नहीं मैंने कब कहा नहीं आएगा, चर्चा में?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः देखिये, ये जो प्राइवेट मेंबर रेजल्यूशन है, ये सबसे पहले होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेंड विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आज डे है, हमारा। अगर आज भी 89 नहीं डिस्कस होगा तो कब होगा आप बताइए।

अध्यक्ष महोदयः मैं चाहे सदन का कितना ही समय बढ़ाना पड़े, मैं चर्चा में लूँगा, बस।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा ये कहा है कि आप इसके बाद ये जो 280 है, उसके तुरंत बाद आप ले लीजिए। उसके बाद आपको जो लेना है, ले लीजिए। आज तो डे ही प्राइवेट मेंबर का है। तो फिर आप बताइए हर बार ये कौन सा तरीका हुआ?

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, ये व्यवस्था देना मेरा अपना अधिकार है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आप प्राइवेट मेंबर रेजल्यूशन बिल को इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं?

अध्यक्ष महोदयः बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा हूँ मैं आपने कहा है

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये पार्लियामेंट हो, राज्य सभा हो, लोक सभा हो, देश की किसी भी विधान सभा में प्राईवेट मैम्बर विपक्ष... पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था।

अध्यक्ष महोदयः देखिये विजेन्द्र जी, ऐसा नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला, जिसका खुलासा विपक्ष करना चाहता है...

अध्यक्ष महोदयः मैने कहा है ना, मैं पूरी चर्चा...

... (व्यवधान)

ताराँकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदयः श्री रघुविन्द्र शौकीन जी। मैने एशोरेंस दिया है आपको... मैने कहा है कि जो बिजनेस लगा हुआ है, उसके अनुसार, चाहे मुझे कितना ही समय बढ़ाना पड़े, मैं इस पर चर्चा करवाऊँगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लेकिन आप उसको समय पर लीजिए ना।

अध्यक्ष महोदयः भई विजेन्द्र, फिर वो ही बात हो गई।

श्री रघुविन्द्र शौकीनः धन्यवाद अध्यक्ष जी आदरणीय उप मुख्य मंत्री कृपया प्रश्न संख्या 81 का उत्तर देने की कृपा करें;

क) क्या सरकार की नांगलोई विधान सभा में नई उच्च शिक्षा संस्थाएं (कॉलेज/यूनिवर्सिटी/तकनीकी/वोकेशनल इत्यादि) खोलने की कोई योजना है;

ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है; और

ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 81 प्रस्तुत हैः

क) जी हाँ;

ख) नांगलोई विधान सभा क्षेत्र में बक्करवाला व रनहोला में आई.टी.आई सह डब्यूसीएससी खोलने का प्रस्ताव है। जिसके लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय मंजूरी जून,2017 में जारी की जा चुकी है। पीडब्लूडी से प्राप्त सूचना अनुसार परियोजना के पूरा करने का लक्ष्य 30/6/2018 निर्धारित किया है; और

ग) उपरोक्त।

अध्यक्ष महोदयः हाँ सप्लीमैंटरी। शौकीन जी।

श्री रघुविन्द्र शौकीनः अध्यक्ष जी, बक्करवाला और रणहौला, दोनों नांगलोई विधान सभा में नहीं पड़ते हैं। सर, इसलिए ये जवाब बिल्कुल ही गलत है। ये दोनों गाँव विकास पुरी क्षेत्र में पड़ते हैं, नांगलोई में नहीं पड़ते।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, ये बक्करवाला कौन सी विधान सभा में पड़ता है, रणहौला बक्करवाला?

श्री रघुविन्द्र शौकीनः विकास पुरी में। महेन्द्र यादव जी के।

उप मुख्य मंत्रीः जो भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो भी सैंटर खोले जाते हैं, उनका विधान सभा के हिसाब से लोकेशन नहीं होता है। लेकिन फैक्चूअल जो भी कैरेक्शन होगा, वो मैं ठीक करके इसको दोबारा से कैरेक्ट करके आंसर दे देंगे। क्योंकि इसका लौकेशन बक्करवाला और रणहौला में आईटीआई की जो मुझे दी गई, हो सकता है, ये उसमें न हो। जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं। इसमें कैरेक्शन हो जाएगा।

श्री रघुविन्द्र शौकीनः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक और चीज पिछले सेशन में पीडब्लयूडी ने एक आंसर दिया था कि मेरे यहाँ एक नेशनल हाई वे पर ब्रिज का काम जनवरी, 2018 में शुरू हो जाएगा और वो रिटन रिप्लाई के बाद भी आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ है। तो...

अध्यक्ष महोदयः भई, इस क्वेश्चन से रिलेटिड नहीं है। माननीय मंत्री जी के पास उत्तर नहीं होगा इसका। प्लीज। चौ. फतेह सिंह जी।

चौ. फतेह सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वो प्रश्न संख्या 82 का उत्तर देने का कष्ट करें:

क) गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा प्लॉन एवं नॉन प्लान हेड के अंतर्गत वर्श 2015 से लेकर अब तक कौन–कौन से कार्य किए गए है;

ख) इन कार्यों पर विभाग द्वारा प्रत्येक वर्श कितनी राशि खर्च की गई है; और

ग) आगामी वर्ष में विभाग द्वारा गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में कौन–कौन से कार्य करने की योजना है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

विकास मंत्री (श्री गोपाल राय): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 82 का उत्तर निम्न प्रकार से हैः

क) गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा प्लॉन एवं नॉन प्लॉन हैड के अन्तर्गत वर्ष 2015 से लेकर अब तक किये गये कार्यो का वर्षवार ब्यौरा संलग्न सूची 'क' मे दर्शाया गया है।[2]

ख) इन कार्यो पर विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष खर्च की गयी राशि का ब्यौरा भी उपरोक्त सूची 'क' में दर्शाया गया है।[3]

ग) आगामी वर्ष में विभाग द्वारा गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं का विवरण भी संलग्न सूची 'ख' में दर्शाया गया है।

अध्यक्ष महोदयः सप्लीमैंटरी ।

चौ. फतेह सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरा ये जो क्षेत्र है, बार्डर एरिया, उस बार्डर एरिये में तीन बड़े नाले हमारे इधर से गुरजते हैं। क्या इन नालों पर स्ट्रीट लाइट लगाने की विभाग द्वारा कोई योजना है?

विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस तरह की स्ट्रीट लाइट विभाग लगाता रहा है। लेकिन अभी जो दिक्कत आ रही है स्ट्रीट लाइट कई जगह लगी है लेकिन उसकी जो मेन्टेनेन्स को लेकर के दिक्कत आ रही है कि इसको ले करके डिपार्टमेंट, कई विधान सभाओं में इस तरह के दिक्कतें हैं, इस पर चर्चा कर रहा है कि लगाने के बाद उसका कोई ऑनरशिप ले और जिसके आधार

2. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध

सूची 'क'

तारांकित प्रश्न संख्या – 82 सिविल खण्ड – 4

उत्तर (क) एवं (ख) गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा प्लॉन एवं नॉन प्लॉन हैड के अन्तर्गत वर्ष 2015 से अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा व व्यय की गयी राशि।

योजना मद (प्लान हैड)

वर्ष		कार्य	व्यय की राशि (रू0 लाख में)
2015-16	1	Construction of inspection road on right side of existing storm water drain along Ganga Vihar H-Block between Escape Drain No. 2 to Gokalpur bridge at RD 10510m of Trunk drain No. I	4.67
		TOTAL	**4.67**
2016-17		-----NIL-----	
2017-18	1	Construction of Boundary wall on right bank /left bank between RD 10700m to RD 11270/RD 10330m to RD 10700m repectively at Trunk Drain No.1	104.17
	2	Demolishing of existing RR masonry wall and replacing with RCC wall on left side bank of Escape drain no.II	30.37
		TOTAL	**134.54**

अयोजना मद (नान–प्लान हैड)

वर्ष		कार्य	व्यय की राशि (रू0 लाख में)
2015-16	1	Desilting of T.D. NO.1 between RD 11270m to RD 13387m.	21.91
		TOTAL	**21.91**
2016-17	1	Desilting of T.D. NO.1 by deploying of Pocklain machine between Pipeline Bridge (RD 11270m) to Johripur Bridge (RD 12230m).	10.77
	2	Desilting of T.D. NO.1 by deploying of Pocklain machine between Johripur Bridge (RD 12230m) to Delhi-UP Border (RD 13387m).	10.77
		TOTAL	**21.54**
2017-18	1	Deployment of 15m long boom pocklain machine on the both bank of TD No.1 between Johripur bridge (RD 12230m) to Delhi U.P. Border (RD 13387m) for removal of garbage, silt, malba, and floating material etc.	0.00
	2	Deployment of 15m long boom pocklain machine on the both bank of T.D. No.1 between RD 11300m to RD 12230m for removal of garbage, silt, malba and gloating material etc.	0.00
	3	Cartage of desilting excavated earth/malba/silt and other unhygnic deposited etc between foot bridge (Ganga Vihar) to Gokulpur Bridge RD 11100m to RD 10700m on both bank of Trunk Drain no.1	6.00
	4	Cartage of desilting excavated earth/malba/silt and other unhygnic deposited etc between RD. 11300m to RD 12230m (pipe line to Johripur Bridge) of Trunk Drain	5.94
	5	Cartage of desilting excavated earth/malba/silt and other unhygnic deposited etc between Pipe Line bridge to Foot bridge (i.e. RD 11270m to RD 11100m) on both bank of Trunk Drain No.1	2.95
	6	Cartage of desilting excavated earth/malba/silt and other unhygnic deposited etc between RD 12230m to RD 13387m (Johripur bridge to Delhi U.P. Border) of Trunk drain no.1	23.21
	7	Cartage of desilting excavated earth/malba/silt and other unhygnic deposited etc U/S drain of pipe line bridge at RD 11270m of Trunk Drain No.1	14.36
	8	Construction of boundary wall on left side between RD 11605m to RD 11585m, RD 11740m to RD 11861m of T.D. No.1	23.00
	9	Construction of boundary wall on Right side between RD 10800m to RD 10880m, RD 12114m to RD 12215m of T.D. No.1	36.34
	10	Improvement of service road on the left side of Escape rain no.1 between RD 0m (outfall) to RD 982m (Bridgepuri bridge)	18.22
	11	Improvement of service road on the left side of Trunk Drain No.1 between RD 11300m to RD 12230m.	52.90
	12	Improvement of service road on the left side of TD No.1 between RD.10700m(Gokulpuri Bridge) to RD 11270m (pipe line Bridge).	44.85
		TOTAL	**227.77**

EXECUTIVE ENGINEER - CD-IV

सूची 'ख'

तारांकित प्रश्न संख्या – 82 सिविल खण्ड – 4

उत्तर (ग) आगामी वर्ष में विभाग द्वारा गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में कार्य करने की योजना।

योजना मद (प्लान हैड)			
वर्ष		कार्य	अनुमानित राशि (रू0 लाख में)
2018-19	**TYADB**		
	1	Improvement of Jail Road from Jail Boundary of (Bank Colony) to Tulsi Niketan (Wazirabad Road) including side drains in Harsh Vihar of Gokalpur Constituency (AC-68)	447.18
		TOTAL	**447.18**
	DVDB		
	1	Construction of double storey Chaupal at maharishi Dayanand Marg Johripur Extn. (Jeevanpur) in Gokalpur Constituency (AC-68)	75.01
	2	Demolishing and Re-construction of double storey Chaupal at maharishi Balmiki Chaupal in 80 Gaj Plot Colony of Mandoli Village in Gokalpur Constituency (AC-68)	61.91
	3	Improvement of Mandoli Village Kabristan at Sewadham Road in Gokalpur Constituency (AC-68)	99.15
		TOTAL	**236.07**
	MLALAD		
	1	Improvement of gali No. 17 and link gali in E-Block, East Gokalpur of Gokalpur Constituency (AC-68).	15.5
	2	Suppling and fixing of RCC bench in different places at Gokalpur Constituency (AC-68).	25.55
	3	Improvement of side drains and some portion of road between Khajani Nagar to Kardam farm area from Johripur main Road to U.P. Colony attached Kardam Farm Colony of Gokalpur Constituency (AC-68).	59.98
	4	Improvement of Badi Mata mandir wali gali in Saboli Village (near Fannekha mode) of Gokalpur Constituency (AC-68).	0.69
	5	Improvement of Johripur main road (some portion) with RCC side drain from Loni Road side to Johripur Extn. Colony in Gokalpur Constituency (AC-68).	88.4
	6	Improvement of gali No. 1,2,3,4,5,6 and 7 with side drains including its link gali of Khajani Nagar Colony in Gokalpur Constituency (AC-68).	85.11
	7	Improvement of gali No. 20, 21 and link gali with side drains of E-Block, East Gokalpur of Gokalpur Constituency (AC-68).	41.63
	8	Improvement of gali No. 1,2,3,4 and 5 with side drains including its link gali of Kardam Farm Colony in Gokalpur Constituency (AC-68).	48.41
		TOTAL	**365.27**

EXECUTIVE ENGINEER - CD-IV

पर इसका मेन्टेनेन्स हो सके। तो इसको एक नियम, एक पॉलिसी बनने बाद फिर उसको लागे बढ़ा दिया जाएगा।

चौ. फतेह सिंहः स्ट्रीट लाइट के संबंध में बीएसईएस के साथ कोऑर्डिनेशन करके और जो लाइटें खराब पड़ी हैं, उनको ठीक कराने के बारे में और जो भी उसका खर्चा हो, विभाग द्वारा दिया जाए, ऐसी व्यवस्था हो सकती है?

विकास मंत्रीः इस पर, जैसा हमने कहा कई विधायकों का आया है, तो उस पर एक पॉलिसी बना करके और फिर उस पर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री जगदीश जी।

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि कि फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा जो फ्लड के नाले पर या एमएलए हैड से फ्लड के द्वारा जो हाई मास्ट लाइटें लगाई थीं, वो सब बंद पड़ी हैं। क्या उनको चालू करने का, रिपेयर करने का कोई है। और दूसरा एक और पूछ लेता हूँ कि मंत्री महोदय से मैं यह भी जानना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार द्वारा अनऑथोराईज्ड कालोनियों में फ्लड डिपार्टमेंट को जो काम करने के लिए दिये गए थे, उनमें से कितने टेंडर अब तक उनमें से हुए हैं या नहीं हुए हैं?

अध्यक्ष महोदयः जगदीश जी, इस क्वेश्चन में से कहाँ निकलेगा ये?

श्री जगदीश प्रधानः चलो सर, एक का दे दें।

अध्यक्ष महोदयः लाइट का उत्तर दे देंगे आपको।

विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, जैसा मैने पहले ही कहा कि लाइटों को ले करके लाइटें अलग–अलग एमएलए फंड से अलग–अलग चूंकि ये इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, तो लाइटें तो लगाई लेकिन जो उसकी ओनरशिप है, उसका मेनटेनेंस जो

है, कई जगह पर खराब है। तो उसको लेकर एक नीतिगत निर्णय लेने के बाद ही इस पर कार्रवाई हो पाएगी। दूसरा, जो विकास कामों के लिए अभी चर्चा किया, उसको लेकर के इरिगेशन फ्ल्ड डिपार्टमेंट ने बहुत सारी जगहों पर जो है, एस्टीमेट का काम कर लिया है, जिस पर जल्दी टेंडर का काम शुरू हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 84 प्रमिला जी।

श्रीमती प्रमिला टोकसः माननीय मंत्री जी प्रश्न संख्या 84 का उत्तर देने की कृपा करें:

क) क्या यह सत्य है कि सरकार की राजस्व विभाग के कार्यालयों जैसे डीएम,एसडीएम, सब रजिस्ट्रार इत्यादि के नवीनीकरण/ आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापित करने की कोई योजना है;

ख) यदि हाँ, तो नाम व वर्णन, लोकेशन, आबंटित फण्ड, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि एवं वर्तमान स्थिति सहित इनका पूर्ण विवरण क्या है;

ग) क्या यह भी सत्य है कि इन परियोजनाओं में देरी हुई है और ये शैड्यूल के अनुसार प्रगति नहीं कर रही है;

घ) जिन परियोजनाओं में देरी हुई है, उनका विवरण क्या है;

ङ) इस देरी के क्या कारण है तथा इसके लिए कौन से व्यक्ति जिम्मेदार है; और

च) इन परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जनता इन सेवाओं को जल्द से जल्द प्राप्त कर सके?

राजस्व मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 84 का जवाब इस प्रकार हैः

क) डी.एम.एस.डी.एम व सब रजिस्टार कार्यालय में आवश्यकता के आधार पर नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा नए भवन में स्थानान्तरण किया जाता है;

ख) उत्तर इस प्रकार है:

क्र. सं	जिला	कार्य का नाम	लागत	वर्तमान स्थिति
1.	दक्षिण	सकेत एस.डी.एम कार्यालय में भौड का निर्माण	3.20 लाख रूपये	पूरा हो गया
2.	दक्षिण	डी.एम.(दक्षिण) के कार्यालय में बगीचे का विकास	5.40लाख रूपये	–वही–
3.	उत्तर –पश्चिम	रास्ते का उन्नतिकरण एवं केबिन का निर्माण	12.54 लाख रूपये	–वही–
4.	उत्तर पश्चिम	7 एयरकंडीशनर की स्थापना	4.49 लाख रूपये	–वही–
5	उत्तर पश्चिम	जिला भवन की छत की मरम्मत	6.86 लाख रूपये	–वही–
6	पूर्वी	पूर्वी जिला कार्यालय भवन की मरम्मत	29.77 लाख रूपये	92 प्रतिशत कार्य हुआ।
7	–वही–	दो कमरों का जीर्णोद्वार	6.69 लाख रूपये	85 प्रतिशत कार्य हुआ।
8	उत्तर पश्चिम	डीएम ऑफिस में बैडमिटन कोर्ट का निर्माण	7.95 लाख रूपये	60 प्रतिशत कार्य हुआ।

9	उत्तर पश्चिम	कमरों का निर्माण	38.10 लाख रूपये	30 प्रतिशत कार्य हुआ
10	मध्य जिला	एस.डी.एम. (जिला करोलबाग) कार्यालय का जीर्णाद्वार	141.25 लाख रूपये	कार्य भाुरू होना है
11	दक्षिण पश्चिम	जिला कार्यालय में 3 कोर्ट रूम का निर्माण	331.45 लाख रूपये	कार्य पूरा हो गया
12	उत्तर पश्चिम	जिला कार्यालय में टॉयलेट का निर्माण	6.02 लाख रूपये	वही
13	पश्चिम जिला	राजा गार्डन में डीसी(पश्चिम) के ऑफिस का निर्माण	35.82 करोड	95 प्रतिशत कार्य हुआ
14	दक्षिण पूर्व	महरौली में एस.आर ऑफिस का जीर्णोद्वार	444.00 लाख	50 प्रतिशत कार्य हुआ।

राजस्व विभाग में नये कार्यालय भवनों के बनाने एवं पुर्नस्थापित करने की योजना से संबंधित विवरणः—

1. जिला पूर्व का नया कार्यालय मंडावली फाजलपुर दिल्ली में प्रस्तावित है और अभी भवन निर्माण की योजना अनुमोदन स्तर पर विचाराधीन है। प्रस्तावित कार्यालय के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लगभग 6600 वर्ग मीटर भूमि आबंटित की है। यह भूमि दिल्ली पुलिस के उपर्युक्त कार्यालय के साथ मंडावली फाजलपुर दिल्ली—110092 में स्थित है। इस कार्यालय के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रारम्भिक अनुमान में 73.5 करोड़ रूपये लागत बताई गयी है।

2. जिला मध्य में डीएम आफिस तथा एसडीएम आफिस (करोलबाग) के आफिस का नवीनीकरण करने का कार्य प्रस्तावित है तथा इसमें एसडीएम (करोलबाग) कार्यालय के लिए रुपये 7062300/– का फण्ड लोक निर्माण विभाग को जारी कर दिया है तथा डीएम कार्यालय के लिए विभाग द्वारा 5,01,11,558/–आबंटित किया गया है तथा शीघ्र ही 50 प्रतिशत राशि डीएसआईडीसी को जारी की जा रही है।

3. उत्तर पूर्व में डीएम ऑफिस को शास्त्री पार्क में पुनःर्स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे 2020 तक स्थानान्तरण कर दिया जाएगा। इस कार्य को लोक निर्माण विभाग को आबंटित किया गया है तथा वर्तमान में चारदीवारी का कार्य प्रगति पर है।

4. जिला दक्षिण पश्चिम में एसडीएम व तहसीलदार (कापसहेड़ा) के कार्यालयों के पुनःर्स्थापन करने के लिए उपयुक्त जमीन तय करने पर जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

   तहसीलदार व संबंधित कर्मचारी बी.डी.ओ. (दक्षिण पश्चिम) कार्यालय नजफ़गढ़ सप्ताह में एक दिन प्रत्येक बुधवार को बैठते हैं, जिससे कि संबंधित ग्रामवासियों को परेशानी न हो।

   एसडीएम ऑफिस तूरा मंडी नज़फगढ़ 2017 में स्थानांतरण हो चुका है।

   जनता की सुविधाओं हेतु द्वारका एसडीएम कार्यालय, सेक्टर 10 द्वारका में स्थानांतरण मई, 2018 तक स्थानांतरण कर दिया जायेगा।

5. जिला पश्चिम के ऑफिस का स्थानातंरण नई बिल्डिंग में किया जायेगा। नयी बिल्डिंग राजा गार्डन में स्थित है, आबंटित फण्ड लगभग 35 करोड़ है। अप्रैल 2018 में अग्निशमन विभाग के एनओसी मिलने की संभावना

है। तत्पश्चात उक्त कार्यालय का स्थानान्तरण नये भवन में कर दिया जायेगा।

वित्त विभाग द्वारा राजस्व विभाग के कार्यालय भवनों आदि के नवीनीकरण/आधुनिकरण आदि के लिए हर वर्ष राजस्व विभाग को इकट्ठा फण्ड दिया जाता है जो वर्ष विशेष में इस्तेमाल न होने पर वित्त विभाग को वापिस चला जाता है। विभिन्न जिलों द्वारा विभिन्न आधुनिकीकरण/नवीनीकरण के कार्यो के लिए उनकी प्रारम्भिक अनुमानित व्यय राशि के मुताबिक उन्हें फंड दिया जाता है। इन परियोजनाओं का कोई निर्धारित शेडयूल नहीं है। उपरोक्त 14 कार्यो में से सात तो पूरे हो चुके हैं। दो लगभग पूरे होने वाले हैं। शेष कार्य आने वाले वित्त वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे;

ग) राजस्व विभाग का इन परियोजनाओं के लिए कोई निर्धारित शेडयूल नहीं है तथापि परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने की कोशिश की जाती है;

घ) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं होता;

ङ) उपरोक्त के अनुसार; और

च) परियोजना को जल्द से पूर्ण करने हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदयः हां, सप्लीमेंटरी।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जो अभी नहीं हुआ ये कार्य, कोई ऐसी योजनाएं हैं, जो उस पे हम टाइम या डेट बता सकें कि कब तक पूरा हो पाएगा, जो भी शैड्यूल है?

राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा किसी स्पेसिफिक उसके बारे मे सवाल है या...

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष महोदय, जो भाग छ) है, इन परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जनता इन सेवाओं को जल्द से जल्द प्राप्त कर सके, तो आपने लिखा है परियोजना को जल्द से पूर्ण करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। क्या ऐसी कोई टाइम बता सकें, जो परियोजनाएं हैं, वो टाइम पर लागू हो सकें?

राजस्व मंत्रीः नहीं, वो तो इसमें अध्यक्ष महोदय, मतलब ऐप्रोक्सिसमेट कितना परसेंट काम पूरा हुआ है, वो आलरेड्डी बता दिया गया है। उसके फर्दर अगर आप जानना चाहते हैं, स्पेसिफिक है, तो मैं आपको पूछ के बता दूँगा।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी, इसका (क) देखिए। इन्होंने पर्टीकूलर एक जनकपुरी के इंसटीट्यूशनल एरिया, ब्लॉक डी में एक बहुमंजिला भवन का निर्माण हुआ, (क), उसका उत्तर दे रहे हैं; सूचना एकत्रित की जा रही है, आते ही उपलब्ध करा दी जाएगी। केवल एक भवन के लिए पूछा है, पर्टिकूलर जनकपुरी में... ये है क्वेश्चन 83 का (क)। उसके लिए भी अगर विभाग ये लिखकर भेजता है...

.... (व्यवधान)

राजस्व मंत्रीः नहीं, 84 है, ये जगदीप का है जी।

अध्यक्ष महोदयः अच्छा सॉरी। ये जगदीप जी का है, सॉरी। ठीक है, ठीक है। सप्लीमेंटरी। हाँ, सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारतीः सर, ये जो सवाल था कि आधुनिकीकरण, नवीनीकरण व नए पुनर्स्थापित करने की क्या योजना है, मुझे लगता है कि

इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स की तरफ ज्यादा झुकाव था, जिन्होंने प्रश्न किया है। जवाब में आ रहा है कि बगीचे का विकास हो रहा है, जवाब में आ रहा है कि बैटमिंटन कोर्ट का निर्माण होना है, जनता वहाँ पर त्रस्त है, अधिकारी मस्त है और वहाँ पर लाइनें लग रही हैं। जनता सवेरे जाकर बैठती है पाँच बजे से। न तो कोई कम्पयूटराइजेशन का कोई रिकॉर्ड दिया गया है, न कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म से कोई रिकार्ड दिया गया है, ये पब्लिक की सहूलियत के लिए कौन सा रिकॉर्ड दिया गया है इसके अंदर? इस आंसर में तो this is an evasive answer. इस आंसर के अंदर अधिकारी बच के निकल गया चुपके से और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही गैर–जिम्मेदाराना हरकत है क्योंकि हमें ये जानना है...

अध्यक्ष महोदयः क्वेश्चन सोमनाथ जी, देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए...

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कम्पयूटराइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स में ऐसी कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, वो जानना चाहता हूँ?

अध्यक्ष महोदयः हाँ, माननीय मंत्री जी।

राजस्व मंत्रीः ये अध्यक्ष महोदय, सवाल जो पूछा गया, क्या यह सत्य है कि सरकार के राजस्व विभाग के कार्यालय जैसे– डीएम, एसडीएम, सब–रजिस्ट्रार के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापित करने की कोई योजना है, तो कम्पयूटराइजेशन तो is a continuous process और इसमें जहाँ–जहाँ...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई ऐसे नहीं, सौरभ जी प्लीज। हाँ।

राजस्व मंत्रीः तो इसमें जहाँ–जहाँ न्यू ऑफीसिज खोले जा रहे हैं या किसी का रेनोवेशन हो रहा है, उसकी सारी डिटेल्स इसमें बाकायदा हर, इनफैक्ट आई हैव एन्श्योर्ड कि अगर आप इसका पार्ट–2 पढ़ें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला पूर्व में, जिला मध्य, जिला उत्तर–पूर्व में, जिला दक्षिण–पश्चिम में, जिला पश्चिम में, वो सारी डिटेल्स दी हुई है आगे।

श्री सोमनाथ भारतीः देखिए, रेवन्यू ऑफिस के अंदर जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है...

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, देखिए, न तो इजाजत ले रहे हैं...

श्री सोमनाथ भारतीः बहुत ही सीरियस मामला है।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, ठीक है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, इसको क्वेश्चन रेफरेंस कमिटी को भेज सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार इसको मुझे समझने तो दीजिए ना जी।

... (व्यवधान)

राजस्व मंत्रीः अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक इंफोर्मेशन चाहते है तो वो पूछ लें उसको।

अध्यक्ष महोदयः विशेष रवि जी, आपका क्या कहना है?

श्री विशेष रविः सर धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि इसमें बताया गया है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जो एसडीएम ऑफिस है, उसको 70 लाख रुपये का सैंक्शन हुआ है काम होने के लिए। मेरी माननीय मंत्री जी के यहाँ उनके चैम्बर में मीटिंग हुई थी कि इसी ऑफिस के अंदर लाइसेंस एथोरिटी बनाया जाए और

सर ने कहा था कि इस पर हम विचार करेंगे लेकिन जैसा इसमें बताया गया है कि वहाँ एसडीएम ऑफिस के अपग्रेडेशन के लिए 70 लाख रुपये सैंक्शन हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो ऑफिस नहीं खुलेगा। तो मेरी चिट्ठी का, उस बैठक का जो डिप्कॉम को सर ने कहा था कि वो इसको देख के बताएं, उस पर मेरे पास जवाब नहीं आया और आज ये 70 लाख का सैंक्शन इसमें इन्होंने कर दिया है। सर, इसमें अगर जवाब दे दें मंत्री जी।

अध्यक्ष महोदयः हाँ, माननीय मंत्री जी।

राजस्व मंत्रीः नहीं, ये बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, बात सच है कि विशेष रवि जी आए थे और मैंने डिवीजनल कमिश्नर को फोन भी किया था, बताया था कि ऐसे–ऐसे विधायक जी की रिक्वेस्ट है। but I do not recall exactly... उसके बाद, उसके फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये डिवीजनल कमिश्नर का कहना है कि एथोरिटी ऑफिस के लिए जगह काफी नहीं थी तो probably I think उसकी वजह से ये प्रपोजल has not gone thorough और मैं माननीय विधायक को ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर उनका है कि लाइसेंस ऑफिस के लिए एप्रोप्रिएट जगह हो तो अगर कोई भी, दूसरी कोई सरकारी बिल्डिंग या कोई सरकारी आफिस या अगर कोई खाली जगह है तो उसमें वो प्रपोजल मूव कर सकते है and I will ensure it is done.

... (व्यवधान)

श्री विशेष रविः उस बैठक में ये तय हुआ था कि अधिकारी जब वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तो हमें अवगत कराएंगे, हमें बताएंगे कि हम इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं और ये जगह हमें इतनी चाहिए, इतनी नहीं है... लेकिन हर बार की तरह अधिकारी अपने हिसाब से देख लिया, सर्वे कर लिया और तय भी

कर दिया और आज तक हमें बताया भी नहीं। आज यहाँ हम प्रश्न उठा रहे हैं तो हमें बताया जा रहा है कि वो जगह जो है, वो उपयुक्त नहीं थी। तो ये तो ठीक नहीं है। अगर जन–प्रतिनिधि की भी चिट्ठी का जवाब, अगर वो जवाब ही नहीं देंगे अगर समय से...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, विशेष जी एक सैकेंड।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः क्या उस मीटिंग के मिनटस है?

श्री विशेष रविः बिल्कुल होंगे, सर।

अध्यक्ष महोदयः मिनटस हैं?

श्री विशेष रविः हाँ, बिल्कुल।

अध्यक्ष महोदयः चलिए बैठिए। सौरभ जी बताइए ...(व्यवधान)

श्री विशेष रविः सर, मंत्री जी ने...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बस हो गया, मैं बात समझ रहा हूँ। बैठिए आप, प्लीज। बैठिए, अभी निर्णय ले रहे हैं, अभी निर्णय ले रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री विशेष रविः जवाब भी नहीं देना और बुलाना भी नहीं...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, प्लीज बैठिए। हाँ।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः सर, मेरा एक छोटा सा निवेदन ये है कि विधान सभा के अंदर प्रश्न लगते हैं तो एचओडी जो होता है विभाग का, उसकी जिम्मेदारी होती है और एचओडी के इसके ऊपर दस्तखत होने चाहिए। अब इसके अंदर एसडीएम, हैड–क्वार्टर जो जवाब दे रहे हैं, कल को ये सैक्शन ऑफीसर देगा फिर यूडीसी देगा, फिर एलडीसी विधान सभा को जवाब देंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर पर भी होना चाहिए कि जो एचओडी है, हैड ऑफ दा डिपार्टमेंट है, वो दस्तखत करके विधान सभा के अंदर जवाब दे ताकि पूरी जवाबदेही तय हो सके।

श्री विशेष रविः सर, अधिकारियों के द्वारा चिट्ठियों पर जवाब न मिलना एक बहुत ही आम जो है, परम्परा हो गई है। हम लोग लिखते रहते हैं, समस्याएं उठाते रहते हैं लेकिन कभी भी जवाब नहीं आता।

अध्यक्ष महोदयः विशेष जी, बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

श्री विशेष रविः सर, इस पर संज्ञान लिया जाए कि चिट्ठियों पर जवाब न आना ये गंभीर समस्या है।

अध्यक्ष महोदयः भई, वो अलग विषय है। इस क्वेश्चन पर हम एक बार बात कर लें।

... (व्यवधान)

राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल सहमत हूँ।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई अजय दत्त जी, तीन से ज्यादा सप्लीमेंटरी एलाउड नहीं हैं, प्लीज।

श्री अजय दत्तः बहुत संगीन है सर।

अध्यक्ष महोदयः न, कुछ भी संगीन है, बैठिए।

... (व्यवधान)

राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोय, माननीय विधायक जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर चर्चा दौरान ये निश्चित हुआ कि जब भी ऑफीसर जाएंगे एलएमल को प्रोपरली इन्फोर्म किया जाएगा and MLA has to accompany अगर ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल गलत हुआ है and I think the department must take responsibility of this.

... (व्यवधान)

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, दक्षिणी जिला में...

अध्यक्ष महोदयः भई अजय दत्त जी, मैं इस पर और कोई सप्लीमेंटरी...

... (व्यवधान)

श्री अजय दत्तः सर, ये बहुत संगीन है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में, पहले मैं डीडीसी का चेयरमैन हुआ करता था तो वहाँ एक ऑफिस था हमारा, छोटा सा। पूरे ऑफिसों का उन्होंने रैनोवेशन कर दिया। उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ, उसमें चार लाख रुपए, पाँच लाख रुपए बगीचे पर खर्च कर दिए और तीन लाख रुपए इन्होंने शेड पे डाल दिया। तीन टेन्योर हो गए, हमारे तीन डीडीसी के चेयरमेन चेंज हो गए, वो छोटा सा ऑफिस इन्होंने रैनोवेट नहीं किया। इसी के लिए इसका एक प्रिवलेज में मुद्दा आया था और वहाँ पे उन्होंने

कमिट किया था कि वो ऑफिस को बनाएंगे। तो ये फिजूलखर्ची कर करके सारे काम हो रहे हैं और एक बहुत संगीन है, वो जो नई इमारत बनी थी, उसका उद्घाटन वहाँ के डीएम ने ही कर दिया। वहाँ पर न तो मंत्री जी को बुलाया गया, न मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया और न वहाँ के एमएलए को।

अध्यक्ष महोदयः भई क्वेश्चन क्या है, अजय दत्त जी?

श्री अजय दत्तः देखिये, अपनी मनमानी अगर सारे अधिकारी ऐसे करते रहेंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे हम लोग? न मंत्री साहब को, न मुख्यमंत्री साहब को...

अध्यक्ष महोदयः अब मेरी बात सुनिए। कई कण्ट्रोवर्सियाँ खड़ी हो रही हैं, मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन एण्ड रेफरैंस कमिटी को सौंप रहा हूँ।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, ये बहुत संगीन है। इसकी हम जांच चाहते हैं, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, मैंने निर्णय ले लिया। मैंने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन एण्ड रेफरैंस कमेटी को सौंप दिया।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्लीज बैठिए। मैंने बोल दिया ना। क्वेश्चन एण्ड रेफरैंस कमिटी को दे दिया मैंने। देखिए, एक सेकेंड मेरी बात सुनिए। नारायण दत्त जी मेरी बात सुनिए, आपकी व्यक्तिगत विधान सभा की कुछ समस्याएं, कुछ अगर हैं, इसी क्वेश्चन से रिलेटिड, डीसी ऑफिस से रिलेटिड या किसी ओर से रिलेटिड आप लिख के दीजिए। वो उसके साथ ही जोड़ देंगे।

प्रश्न संख्या—85 श्री सुरेंद्र सिंह।

श्री सुरेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–85 प्रस्तुत हैः

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि बिजली के लोड फैक्टर का निर्धारण बिजली कंपनियों द्वारा घर में लगे प्वाईंटस के आधार पर किया जाता है;

ख) क्या यह भी सत्य है कि बिजली की वास्तविक खपत, सैंक्भान किए गए लोड से कम होने की संभावना रहती है;

ग) क्या यह भी सत्य है कि वास्तविक खपत का इस्तेमाल सैंक्शन किए गए लोड की गणना के लिए किया जा सकता है ताकि उपभोक्ता को ऊँची दर पर भाुल्क न देना पड़े; और

घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अध्यक्ष महोदयः एक सैकेंड जैन साहब, कल का लंच गहलोत जी की ओर से करवा लें, सब सदस्यों को? अरे भई हाँ भरो, कमाल है! मंडे का लंच कैलाश गहलोत की ओर से रहेगा।

परिवहन मंत्रीः बिल्कुल सर।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, चलिए। हाँ, जैन साहब।

श्री सत्येन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या–85 का उत्तर इस प्रकार देना चाहता हूँः

क) लोड फैक्टर प्वाइंट के हिसाब से नहीं किया जाता है;

ख) बिजली की वास्तविक खपत सैंक्शन किये गये लोड से कम ही रहनी चाहिए। अगर यह उससे ज्यादा जाता है तो सैक्शन लौड बढा दिया जाता

है। इसके लिए दिल्ली विद्युत विनियामिक आयोग ने (आपूर्ति कोड एवं प्रदर्शन के मानक) विनिमय 2017 में प्रावधान किए हैं;

ग व घ)

''दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन के मानक) विनिमय 2017 के प्रावधानों के अनुसार बिलिंग चक्र में, 30 मिनट की लगातार अवधि के दौरान मीटर द्वारा दर्ज की जाने वाली अधिकतम माँग का उपयोग उपभोक्ता के स्वीकृत लोड को उच्च तरफ या निचले तरफ, के रूप में देखने के लिए किया जाता है।''

अध्यक्ष महोदयः हाँ जी, सप्लीमेंटरी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब भी बिजली कंपनियाँ रेड करती हैं या जब भी किसी का मीटर उतार के ले जाती हैं या मीटर में कोई कमजोरी या खराबी होती है तो वो घर में जितने भी प्वाइंट लगे हैं या जैसे भी उन प्वाइंटों के आधार पर उनका बिल बना देते हैं, लाखों रुपए का बिल बना देते हैं और वो कहते हैं कि इनके घर में इतने प्वाइंट बने हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ अगर ऐसा केस संज्ञान में आते हैं तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई करते हैं आप लोग?

ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): अध्यक्ष महोदय, पहले मैं लोड के बारे में क्लेरिफाई कर देता हूँ। अगर किसी के पास मान लीजिएगा चार किलोवाट का कनैक्शन है और पिछले एक साल के अंदर अधिकतम कंसीक्वैंटली चार मंथ में... चार मंथ में रीडिंग ली जाती है। उसका भी मिनिमम लिया जाता है। अगर वो मिनिमम जो है चार किलोवाट, पाँच किलोवाट और 6 किलोवाट है तो उसको 4 किलोवाट कर दिया जाएगा, मिनिमम वाला कर दिया जाएगा। अगर वो छः

किलोवाट, सात किलोवाट और आठ किलोवाट है तो उसको छः किलोवाट कर दिया जाएगा। तो अब जो पहले होता था कि अचानक एक बार रीडिंग अप गई तो वो लोड बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है, इसको हमने ठीक करा दिया है। पिछले साल के अंदर... पिछले साल में अगर तीन कंजीक्यूटिव रीडिंगस लगातार में, उसमें सबसे कम वाली रिडिंग को लिया जाता है। तो लोड फैक्टर नम्बर ऑफ कनैक्शन से नहीं है, आप लोड यूज कितना कर रहे हो, उससे है। अगर आपका कनैक्शन पाँच किलोवाट तक का है और आपका लोड पिछले साल के अंदर तीन किलोवाट से ऊपर गया ही नही ंतो वो ओटोमैटिकली उसको तीन किलोवाट का कर देंगे। परन्तु पाँच किलोवाट से ऊपर वाले कनैक्शन में अगर आपका लोड कम होता है तो आपको वो एक नोटिस भेजेंगे कि अगर आप एग्री करते हैं तो उसको वो कम कर देंगे, अगर बढ़ता है तो वो बढ़ाने के लिए एक नोटिस देंगे और उसको वो बढ़ाएंगे। तो ये सिस्टम है। इसको बड़ा ट्रांस्परेंट इसको कर दिया गया है। अब जहाँ तक बात रही प्वाइंट गिनने की बात वो सिर्फ उन्हीं केसों के अंदर जहां डायरेक्ट थैप्ट होती है, जहाँ पर मीटर नहीं लगा हुआ जिसके अंदर लोड फैक्टर नहीं है, वहीं पर गिनती होती है, बाकी जो जगह पर लोड जो, सैंक्शंड लोड है, वही माना जाता है जो कि पिछले साल के हिसाब से होता है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है जी। एनी सप्लीमेंटरी? हाँ सही राम जी।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले साल तक अगर कोई गरीब आदमी, फुटपाथ पर कोई छोटी सी दुकान करता है और वो नए मीटर के लिए कनैक्शन अप्लाई करता था तो मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ उसमें चार से साढ़े चार हजार रुपए बीएसईएस लेती थी लेकिन पिछले महीने से मैंने अपने यहाँ देखा है कि वो गरीब आदमी, वही गरीब आदमी फुटपाथ पर जब क्नैक्शन लेने के लिए अप्लाई

करता है तो उससे 21 से 22 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। तो ये कब से हुआ है, क्यों हुआ है, इसका कारण बताएंगे मंत्री जी?

ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): अध्यक्ष जी, जो लोड कनैक्शन लेने के सिक्योरिटी डिपोजिटस हैं उनको डीईआरसी ने रिवाईज किया है। मुझे लगता है, इसके अंदर ही होगा, परन्तु इतना फर्क नहीं है कि चार हजार की बजाए 21 हजार हो जाए। शायद 15 सौ रुपए किलोवाट या कुछ ऐसे है। तो 21 हजार रुपए के लिए तो कम से कम 14–15 किलोवाट का कनैक्शन लगता है और जैसा एमएलए साहब ने बताया कि सड़क, फुटपाथ पर तो वो एक किलोवाट या दो किलोवाट का लेगा, अगर एक किलोवाट का लेगा तो तीन हजार रुपए लगेंगे ये 21 हजार रुपए तो जिसका 14–15 किलोवाट का कनैक्शन है, तभी बनता है।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, उसमें थोड़ा सा सही राम जी समझा नहीं पाए हैं, जिनके कमर्शियल कनैक्शन हैं अगर लोड मैंने जिससे खरीदी, वो जगह या मकान, वो जब अपने नाम करवाता है तो इतना ज्यादा चार्जिज उसपे कर दिया है।

श्री सही रामः ये मेरे यहाँ हो रहा है अध्यक्ष जी। मैं बिल लाके मंत्री जी को दे सकता हूँ।

ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ऑ हैण्ड एकदम से मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, जो विधायक जी बताएंगे...

अध्यक्ष महोदयः आप लिख के दीजिएगा एक बार, माननीय मंत्री जी को लिख के दीजिए। हाँ, ठीक है। प्रश्न संख्या–86 श्री दत्त भार्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्माः प्रश्न संख्या–86 प्रस्तुत हैः

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) जिओस्पेशल दिल्ली लिमिटेड (जीएसडीएल) की स्थापना कब हुई;

ख) इन वर्षों में जीएसडीएल को ग्रांट–इन–एड के रूप में आबंटित फंड की राशि का वर्षवार विवरण क्या है;

ग) इन वर्षों में जीएसडीएल द्वारा कमाए गए राजस्व का वर्षवार विवरण क्या है;

घ) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के लिए जीएसडीएल द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाओं/जीआईएस एप्लीकेशन परियोजनाओं का वर्षवार विवरण क्या है;

ङ) जीएसडीएल द्वारा पूर्ण की गई एवं पब्लिक डोमेन में डाली गई जीआईएस एप्लीकेशंस का वर्षवार विवरण क्या है; और

च) इन एप्लीकेशंस द्वारा विटनेस किए गए वैब ट्रैफिक का वर्षवार एवं एप्लीकेशन वार विवरण क्या है?

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–86 का जवाब इस प्रकार हैः

क) जिओस्पेशल दिल्ली लि. (जीएसडीएल) की स्थापना 19/5/2008 को हुई;

ख) जीएसडीएल ने स्थापना के वर्ष से सहायता में कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है;

ग) जीएसडीएल द्वारा कमाए गए राजस्व का वर्षवार विवरण (इसके स्थापना वर्ष 2008 से 2017 तक) इस प्रकार हैः

वर्ष	राशि
2008—2009	शून्य
2009—2010	50,000
2010—2011	50,000
2011—2012	6,00,000
2012—2013	3.78 करोड़
2013—2014	4.64 करोड़
2014—2015	4.24 करोड़
2015—2016	6.64 करोड़
2016—2017	3.02 करोड़

घ) जीएसडीएल द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाओं/जीआईएस एप्लीकेशन परियोजनाओं का वर्षवार विवरण अनुलग्नक—1 में दिया गया है;

ङ) जीएसडीएल द्वारा पूर्ण की गई एवं पब्लिक डोमेन में डाली गई जीआईएस एप्लीकेशंस का विवरण इस प्रकार हैः—

1. सिटीजन इनफार्मेशन सिस्टम—2015
2. प्लान डिग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम—2016
3. एजुकेशन जीओ पोर्टल 2014

च) जीएसडीएल द्वारा विभागों के लिए विकसित वेब एप्लीकेशनस में प्राप्त वेब ट्रैफिक का उपलब्ध विवरण इस प्रकार हैः—

क्र.सं.	विभाग का नाम	व्यूज की संख्या
1.	डीडीएमए	262
2.	शिक्षा	305
3.	डीजेबी	112
4.	एक्साइज	56
5.	वन	96
6.	स्वास्थ्य	81
7.	राजस्व	470
8.	पीडब्लूडी (पीडीएम)	122276
9.	सिटीजन इनफार्मेशन सिस्टम	900
10.	स्वास्थ्य	81

वर्षवार विवरण एकत्रित किया जा रहा है।

Annexure - I

Sub: Vidhan Sabha Starred Question No: 86 by Sh. Shridutt Sharma.

Question 1/d : The year wise details amount of projects/GIS applications projects executed by GSDL for various department of the Govt. of NCT of Delhi

Reply: The details of following projects are initiated in the year 2014 for data mapping and software development.

S.No.	Name of Project	Description	Department
1	Plan Dig and Monitoring (2016)	**PDM** (Plan Dig and Monitoring) system is single window system for facilitating permissions for road cutting and restoration for road owning and road cutting agencies respectively.	PWD,SDMC,EDMC,NDMC and DJB
2	Geoportal for Forest Regulatory System (2015)	Application provides the Authority to view the land under the Forest Department in Delhi. It also provides the tool to identify and location of interest and find out if it falls inside forest land for the purpose of grant of construction permits.	Forest Department
3	GIS Tool Planning (2015)	**GIS Planning Tool** is designed to assist all the Delhi Govt. departments to easily access, analyse and interpret the data related to their respective departments as well as other related departments. Moreover, it will also enable the departments to carry out planning, measurement of distance, shortest path routing, buffer analysis, etc. with ease	All Line Departments
4	Delhi Jal Board Geo-Portal (2017)	DJB Geoportal is designed to assist the Utility Network for Planning, Structuring and Maintenance.	DJB
5	Revenue Geo-Portal (2015)	**"Computerization of Land Record"** to get the information of land record/mutation by the owners with the khasra/khata records	Department of Revenue
6	State Election Commission Geo-Portal (2015)	**State Election Commission** Geo-portal is designed for delineation of state election boundaries.	State Election Commission
7	Education Geo-Portal (2014)	Providing the facility to identify the nearest location of the school and its details.	Directorate of Education
8	Health Geo-Portal (2015)	Application developed for facilitating the medical health facilities in near by locations and also department to carry out planning, measurement of distance, buffer analysis etc. with ease	Department of Health
9	Urban Development (2014)	Data preparation of Unauthorized Colonies.	Urban Development
10	DDMA (2017)	Application developed for emergency response system with route navigation system.	DDMA
11	Irrigation and Floor Department (2016)	Mapping of all assets of Irrigation and Flood control department.	I&FC

e). The year wise details of GIS applications completed by GSDL for citizens and put out in public domain.

Reply 1/e: The details of following applications are available for citizens in the public:

i. Citizen Information System (2015)
ii. Plan Dig and Monitoring System (2016)
iii. Education Geo-Portal (2014)

f) The year-wise and application wise details of web traffic witnessed by these applications.

Reply 1/f : Following applications have been developed for the departments as per the following details :-

S. No.	Name of Departments	No. of Views
1	DDMA	262
2	Education	305
3	DJB	112
4	Excise	56
5	Forest	96
6	Health	81
7	Revenue	470
8	PWD (PDM)	122276
9	Citizen Information System	900
10	Health	81

(संजय कुमार सूर्या)
उप–सचिव (आई.टी.)

अध्यक्ष महोदयः एनी सप्लीमेंटरी श्रीदत्त जी? प्रश्न संख्या–87 पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः अब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय प्रश्न संख्या–87 का उत्तर देने की कृपा करेंः

क) दिल्ली के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी–शिक्षक का वास्तविक अनुपात क्या है;

ख) क्या विद्यार्थी–शिक्षक का अनुपात आरटीई एक्ट में निर्धारित अनुपात के अनुसार है;

ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी–शिक्षक का वास्तविक अनुपात क्या है;

घ) दिल्ली सरकार अथवा दिल्ली नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त दिल्ली के निजी स्कूलों में विद्यार्थी–शिक्षक का निर्धारित अनुपात क्या है;

ङ) इन स्कूलों में विद्यार्थी–शिक्षक का वास्तविक अनुपात क्या है; और

च) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन आरटीई एक्ट के अनुसार किया गया है, वास्तविक स्थिति एवं पूर्ण विवरण दें।

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–87 का उत्तर इस प्रकार हैः

क) प्राथमिक विद्यालय नगर निगमों द्वारा संचालित किये जाते हैं। दिल्ली सरकार प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं करती है।

ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में यह अनुपात 40.1 है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में यह अनुपात 41.1 है। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में अनुपात 37:1 है।

घ) निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 की अनूसूची में प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों के बारे में विद्यार्थी – शिक्षक अनुपात को निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार हैः–

प्रवेश किये गये बालक	**शिक्षकों की संख्या**
60 तक	2
61 से 90 के मध्य	3
91 से 120 के मध्य	4
121 से 200 के मध्य	5
150 बालकों से अधिक	5 व एक प्रधान शिक्षक
200 बालकों से अधिक छात्र	छात्र शिक्षक अनुपात (प्रधानध्यापक को छोडकर) 40 से अधिक नहीं होगा।

छठी से आठवी कक्षा के लिएः–

1. कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए एक शिक्षक हो।

   1. विज्ञान और गणित,
   2. सामजिक अध्ययन,
   3. भाषा,

2. प्रत्येक 35 बालकों के लिए एक शिक्षक

3. जहाँ 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है, वहाँ :–

   1. एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक,

   2. निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक,

   3. कला शिक्षा

   ब) स्वास्थ्य और शारिरिक शिक्षा

   स) कार्य शिक्षा।

ङ) दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में विद्यार्थी–शिक्षक का अनुपात यूडीआईएसई आनलााईन डाटाबेस के अनुसार निम्न हैः–

एम.सी.डी –38.1

शिक्षा निदेशालय 30.1

च) नगर निगमों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसारः–

''पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे प्रत्येक विद्यालय में स्कूल प्रंबधन समितियों का गठन आरटीई एक्ट के अनुसार किया गया है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों मे स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन आरटीई एक्ट के अनुसार रखने का भरसक प्रयत्न किया जाता है तथा स्कूल प्रबंधन समिति के गठन के नियम की प्रतिलिपी संलग्न है''

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
OLD SECRETARIAT: DELHI -110054

(87) Annexure

No.F.23 (6)/DE/RTE/2011/ 520-533 Date: 25/3/13

CIRCULAR

Subject: - Guidelines for composition of School Management Committee (SMC) under the RTE Act and its functions.

In pursuance of powers conferred by Rule 26 of Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 following guidelines are issued regarding School Management Committees envisaged under Section 21 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 as amended up to date and Rule 3 of the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules 2011. All the Heads of schools of Delhi except of those specified in sub-clause (iv) of clause (n) of Section 2 are hereby directed to constitute School Management Committee in their respective schools consisting of 16 members as under :-

Sl.No.	Actual Designation	Status in the Committee	No. of Members
1.	Principal/HOS	Member / Ex-officio Chairperson of SMC	One
2.	Parents/Guardians of Children	Members	Twelve
3.	Elected Representative of the Local Authority	Member	One
4.	Teacher of the School	Member /Convener	One
5.	Social worker involved in the field of Education	Member	One

Note: - 1. One Social Science Teacher, One Math Teacher and One Science Teacher shall be special invitees.
2. Fifty percent of the members of this committee shall be women.
3. There shall be a proportionate representation of parents/guardians of children belonging to disadvantaged group and weaker sections.
4. Vice Chairperson shall be from amongst the parent members.

The School Management Committee so constituted shall follow the following guidelines:-

Selection of Vice Chairperson

The Vice-Chairperson shall be elected by parent members of SMC from amongst themselves.

''क्षेत्रीय उप–निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सभी विद्यालयों में स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन आरटीई एक्ट के अनुसार किया गया हैं।

अध्यक्ष महोदयः हाँ, सप्लीमेंटरी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं सदन में ये रखना चाह रहा हूँ कि पूरा विपक्ष अनुपस्थित है। ये बहुत गंभीर मामला है और धन्यवाद, प्रधान जी आ गए हैं। लेकिन नेता विपक्ष जो है दरअसल अब कारण या तो ये है कि जब एमसीडी से जुड़ा हुआ सवाल आए तो वो छोड़कर चले जाएं मैदान को।

अध्यक्ष महोदयः भई जगदीश जी को नेता विपक्ष मान लो, अच्छा है।

श्री पंकज पुष्करः मैं माननीय नवनियुक्त नेता विपक्ष की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कि...

अध्यक्ष महोदयः अब विजेन्द्र जी को डर लग गया कहीं घोषित न कर दें, जगदीश जी को नेता विपक्ष न घोषित कर दें, तुरंत आ गए। चलिए।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न इसमें ये है कि दरअसल दिल्ली विधानसभा दिल्ली की जनता के प्रति उत्तरदायी है। उसके नाते निगम भी क्योंकि साधन एक है, राजस्व एक है तो ये जो 'ग' भाग का उत्तर आया है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में ये अनुपात 41.1 है। जबकि नीचे दे रखा है कि आरटीई के अनुसार 40 से अधिक ये नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में। अगर 41 कुल एवरेज है तो कुछ स्कूलों में बहुत ज्यादा होगा। तो मेरा पूरक प्रश्न ये है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय इस सदन में जो लोकतांत्रिक वैधता है, उसको प्रयोग करते हुए क्या दिल्ली नगर निगम

को उत्तरदायी बनाने के संदर्भ में कोई आश्वासन देंगे कि वो आरटीई का घनघोर उल्लंघन नगर निगमों के विद्यालयों में न हो। पूरक प्रश्न नंबर एक है। सर, दूसरा पूरक प्रश्न मेरा ये एसएमसी के संदर्भ में है। प्रश्न सर, ये था कि वास्तविक स्थिति का पूर्ण विवरण दें। तो एक तो संलग्न में, मुझको नगर निगम के किसी कमिश्नर का किसी अधिकारी का कोई संलग्नक दिखाई नहीं दिया। उनकी तरफ से कोई उत्तर दिखाई नहीं दिया, वो न जाने किस कारण से। लेकिन उत्तर ये दिया गया है कि आरटीई एक्ट के अनुसार ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों का गठन किया गया है व ये सत्य है तो या तो मैं अपनी आँखों से तो देख रहा हूँ, वो बिल्कुल झूठ है या फिर ये कथन झूठ है। एसएमसी कहीं भी निगम विद्यालयों में नहीं है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री से पूरक प्रश्न संख्या दो ये है कि क्या इसकी भी दिल्ली विधानसभा की वैधता का, एक लोकतंत्र के पक्ष में सदुपयोग करते हुए वो नगर निगम को उत्तरदायी बनाने के संदर्भ में कोई आश्वासन देना चाहेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के निर्माण के संदर्भ में वो आरटीई का अनुपालन करें, धन्यवाद।

उप मुख्यमंत्रीः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय मैं माननीय विधायक सदस्य का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो सूचना उपलब्ध कराई है, मुझे लगता है कि उनके संज्ञान में कुछ कमी है, मतलब कमी की सूचना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 'ग' के संदर्भ में उन्होंने पूछा है कि 41.1 का अनुपात का मतलब है कि इसका अगर हम स्कूलवाइज जायेंगे तो हो सकता है किसी स्कूल में आरटीई एक्ट के हिसाब से वॉयलेशन में हो। तो मैं नगर निगम से सूचना मंगा लूँगा इस बारे में और अगर आवश्यक होगा तो उसके बाद में उनको स्पष्ट दिशा–निर्देश देंगे और इसका अनुपालन कराने के लिए जो भी जरूरी होगा, वो कदम उठाने के लिए कहेंगे। साथ–साथ इसी तरह जो इन्होंने संदर्भ दिया है, एसएमसीज का जो सूचना मिली है जैसे पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा, तो

वो कह रहे हैं कि आरटीई एक्ट के अनुसार किया गया है। यहाँ थोड़ा सा वीकनेस है उस उत्तर में कि भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। मैं नगर निगम से एक–एक स्कूल के बारे में सूचना मंगा के और उनसे पूछकर कि किसमें गठन हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करा देंगे और अगर आपके संज्ञान में भी कहीं है, वो भी सूचना मुझे दे दें हम उसके बारे में भी उन्हें दिशा–निर्देश जारी करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, इसी विषय पर?

श्रीमती प्रमिला टोकसः माननीय शिक्षा मंत्री से मैं ये जानना चाहती हूँ कि देश के उज्जवल भविष्य की बात है। क्या एमसीडी के स्कूलों को दिल्ली सरकार अपने अंदर लेने की कोई योजना है और दूसरा है मेरा कि द्वारका सैक्टर–21 में विश्वविद्यालय की जगह है, क्या वहाँ विश्वविद्यालय बनाने की योजना है तो कब से शुरू करेंगे, ये बताइए?

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सैक्टर–21 के बारे में तो मुझे ऐसी सूचना नहीं है। मैं माननीय विधायक से...

अध्यक्ष महोदयः इस प्रश्न से रिलेटिड नहीं है।

उप मुख्यमंत्रीः कि वो मुझे स्पष्ट अलग से सूचना दे दें किस जगह के बारे में बात कर रही है। उसके बारे में मैं अलग से उनको सूचना दे दूँगा। जहां तक नगर निगमों के स्कूल का सवाल है, व्यक्तिगत रूप से मैं कई बार कह भी चुका है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो भी होगा, वो व्यवस्था के तहत ही हो सकता है और अभी वर्तमान व्यवस्था में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसको हम लोग यहाँ इस तरह से तय नहीं कर पायेंगे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या–88 धिंगान जी।

श्री राजू धिंगानः धन्यवाद सर, मैं माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से प्रश्न संख्या–88 का उत्तर चाहूँगाः

क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं डीईजीएस द्वारा कितने मोबाईल एप्लीकेशंस विकसित किए गए है;

ख) कितने विभाग ई–ऑफिस एप्लीकेशन प्रयोग कर रहे है;

ग) प्रत्येक विभाग में कितने कर्मचारी ई–ऑफिस एप्लीकेशन प्रयोग कर रहे है; और

घ) ई–ऑफिस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कितनी फाईलों को अपलोड किया गया है?

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब इस प्रकार हैः

क) आई.टी. विभाग द्वारा कोई भी मोबाइल एप्प का, आई.टी. विभाग कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनाया गया है। हालाँकि डीईजीएस द्वारा कुल दो मोबाइल एप्लीकेशंस विकसित किये गये हैं; स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के लिए, शहरी विकास विभाग के लिए;

ख) ई. आफिस के रिकार्ड के अनुसार 177 विभाग निकाय पंजीकृत हैं। विभागों के नाम अनुलग्नक–1 में लिखित हैं;

ग) ई. आफिस के रिकॉर्ड के अनुसार कुल 11125 कर्मचारी विभिन्न विभागों में पंजीकृत हैं, विवरण अनुलग्नक–2 में दिया गया है; और

घ) ई. आफिस के रिकॉर्ड के अनुसार विभागों/निकायों द्वारा 77269, फाईल अब तक ई. आफिस में अपलोड की गयी है, धन्यवाद।

अनुलग्नक - ।
इ-ऑफिस में रजिस्टर विभागों के नाम

क्र. सं.	विभाग	क्र. सं.	विभाग
1	दिल्ली जल बोर्ड	46	रओ तुला राम मेमोरियल हॉस्पिटल
2	ट्रेड एंड टैक्सेज डिपार्टमेंट	47	इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट
3	नई दलेही म्युनिसिपल कौंसिल	48	डीएम (नार्थ)
4	हेल्थ सर्विसेज	49	डीएम (नार्थ-वेस्ट)
5	फूड सप्लाइज कंस्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट	50	मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज
6	इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट	51	लेबर डिपार्टमेंट
7	दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रस्टरक्चरे डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	52	नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज & हॉस्पिटल
8	एजुकेशन डायरेक्टरेट	53	इंद्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी
9	दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन	54	पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल
10	वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट	55	चाचा नेहरू बल चिकित्सालय हॉस्पिटल
11	सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट	56	जी-बी- पंत इंजीनियरिंग कॉलेज
12	अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट	57	इनफार्मेशन एंड पब्लिसिटी डायरेक्टरेट
13	ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टरेट	58	हिंदी अकादमी
14	दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी	59	पी-डब्लू-डी - सेक्रेटेरिएट
15	पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट	60	आर्यभट्ट इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी
16	लोक नायक हॉस्पिटल	61	दिल्ली स्टेट एड्स कण्ट्रोल सोसाइटी
17	रजिस्ट्रार ऑफ़ कोआपरेटिव सोसाइटीज	62	कस्तूरबा इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी
18	रेवेनुए डिपार्टमेंट	63	दिल्ली विधान सभा
19	ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट	64	डॉ बी- आर- सुर होमिओपेथिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल & रिसर्च सेंटर
20	सर्विसेज डिपार्टमेंट	65	पब्लिक ग्रिएवान्सेस कमीशन
21	दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन	66	लॉ जस्टिव & लेजिस्लेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट
22	हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट	67	डायरेक्टरेट ऑफ़ फॅमिली वेलफेयर
23	फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट	68	डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल
24	जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट	69	अम्ब्रेड़कर इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च
25	एक्साइज , एंटरटेनमेंट एंड लक्ज़री टैक्स डिपार्टमेंट	70	आम्बेडकर इंस्टीटुए ऑफ़ टेक्नोलॉजी
26	इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स डायरेक्टरेट	71	गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल
27	जी.बी. पंत हॉस्पिटल	72	डिपार्टमेंट ऑफ़ लैंड एंड बिल्डिंग
28	सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट	73	मौलाना आज़ाद इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेंटल साइंसेज
29	डिप्टी कमिश्नर (वेस्ट)	74	डीएम. (साउथ)
30	डी.ऍम. (साउथ ईस्ट)	75	यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विसेज दिल्ली
31	प्लानिंग डिपार्टमेंट	76	डीएम. (शाहदरा)
32	दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट	77	एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टरेट
33	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	78	अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल
34	दिल्ली फाइनेंस कारपोरेशन (डी. एफ. सी.)	79	आयुष
35	ड्रग्स कण्ट्रोल डिपार्टमेंट	80	गुरु नानक ऑय सेंटर
36	फाइनेंस डिपार्टमेंट	81	भगवन महावीर हॉस्पिटल
37	डीएम. (ईस्ट)	82	चौधरी ब्रह्म प्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जफ्फरपुर
38	गुरु नानक देव इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी	83	डॉ- हेडगेवार आरोग्य संसथान
39	होम डिपार्टमेंट	84	लेफ्ट- गवर्नर सेक्रेटेरिएट
40	दिल्ली पोल्लुशण कण्ट्रोल कमिटी	85	गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल
41	डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस	86	आई-टी-आई- जेल रोड
42	प्रिंसिपल एकाउंट्स ऑफिस	87	आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेज डिपार्टमेंट
43	जी-बी. पंत इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी	88	डीप चाँद बंधू हॉस्पिटल
44	पावर डिपार्टमेंट	89	ऐश-सी-/ऐश-टी-/ओह-बी-सी- डिपार्टमेंट
45	इंस्टिट्यूट ऑफ़ ह्यूमन बेहेवियर & अलाइड साइंस (इहबास)	90	भाई परमानन्द इंस्टिट्यूट ऑफ़ बिज़नेस स्टडीज

(SANJAY KUMAR SURYA)
Dy. Secretary
Deptt. of Information Technology
Govt. of NCT of Delhi
New Delhi

-2-

91	डॉ- एन -सी- जोशी मेमोरियल हॉस्पिटल	141	ऑफिस ऑफ़ मिनिस्टर फूड & सप्लाई एनवायरनमेंट एंड फारेस्ट इलेक्शन
92	इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट	142	ऑफिस ऑफ़ मिनिस्टर वीमेन एंड चाइल्ड, सोशल वेलफेयर, ऐश-टी-, लैंग्वेज
93	जी इ-ओ स्पाटिअल दिल्ली लिमिटेड	143	आई-टी-आई-, मालवीय नगर
94	साहित्य कला परिषद्	144	आई-टी-आई-, विवेक विहार
95	चीफ मिनिस्टर ऑफिस	145	सावित्री बाई पहले आई-टी-आई-, मोरी गेट,
96	एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स	146	आई-टी-आई- नरेला
97	दिल्ली आर्काइव्ज	147	ऐन-आई-सी- दिल्ली स्टेट यूनिट
98	दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	148	रजोकरी इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी
99	डिपार्टमेंट ऑफ़ एनवायरनमेंट	149	दी-वाई- अप्रेंटिसशिप एडवाइजर
100	जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल	150	गुरुद्वारा इलेक्शन डायरेक्टरेट
101	आचार्य श्री भिक्षु गवर्नमेंट हॉस्पिटल	151	सत्यवादी राजा हरीश चंद्र हॉस्पिटल
102	बोर्ड ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन	152	सिंधी अकादमी
103	दिल्ली स्टेट सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड	153	वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, विवेक विहार
104	फारेस्ट एंड वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट	154	बोर्ड ऑफ़ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ़ मेडिसिन
105	हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट	155	ऑफिस ऑफ़ थे कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज
106	इंस्टिट्यूट ऑफ़ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज	156	श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
107	टूरिज्म डिपार्टमेंट	157	डॉ- बाबा साहेब आंबेडकर कॉलेज
108	उर्दू अकादमी	158	जीजा बाई आई-टी-आई- फॉर वीमेन
109	सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट & ट्रामा सर्विसेज	159	संजय गाँधी मेमोरियल हॉस्पिटल
110	दिल्ली संस्कृत अकादमी	160	डॉ- गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्या विद्या प्रतिस्थानम
111	ऑफिस ऑफ़ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, लेबर, ट्रांसपोर्ट, जी-ए-डी-, आई-ऍफ़-सी-	161	मैथिलि भोजपुरी अकादमी
112	पंजाबी अकादमी	162	मीरा बाई इन्सिटटे ऑफ़ टेक्नोलॉजी महारानी बाघ
113	आयुर्वेदिक & ुननि तिब्बिए कॉलेज & हॉस्पिटल	163	पूसा इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी
114	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	164	राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
115	डेवलपमेंट डिपार्टमेंट	165	इंद्रप्रस्थ व्यावसायिक एवं पर्यावरणीय स्वस्थ्य समिति
116	जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल	166	इंस्टिट्यूट ऑफ़ बेसिक बिज़नेस स्टडीज पूसा
117	ऑफिस ऑफ़ चीफ सेक्रेटरी	167	लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल
118	ऑफिस ऑफ़ मिनिस्टर टूरिज्म, आर्ट, कल्चर & लैंग्वेजेज, गुरुद्वारा एलेक्शंस, वाटर	168	चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संसथान
119	महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल	169	दिल्ली ऐश-सी-/ऐश-टी-/ओह-बी-सी-/मीन-/हैंडीकैप्ड फाइनेंस & डेवलपमेंट कारपोरेशन
120	सर सी-वी- रमन, आई-टी-आई-, धीरपुर	170	होम्योपैथिक विंग ऑफ़ डायरेक्टरेट ऑफ़ आई-ऐश-ऍम- & होमियोपैथी
121	अर्चयोलोग्य डिपार्टमेंट	171	इंटीग्रेटेड इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, द्वारका
122	अत्तार साइन जैन ऑय & जनरल हॉस्पिटल	172	चीफ मिनिस्टर दिल्ली
123	आई-टी-आई-, पूसा	173	सी-ओह-इ-एच-
124	ऑफिस ऑफ़ मिनिस्टर हेल्थ, इंडस्ट्रीज, होम, पी-डब्लू-डी-, पावर	174	दिल्ली मेडिकल कौंसिल
125	सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल	175	गवर्नमेंट ऑफ़ ऐन-सी-टी- ऑफ़ दिल्ली
126	एच-जे- भाभा आई-टी-आई- मयूर विहार	176	हेल्थ सेंटर कम मैटरनिटी हॉस्पिटल
127	आई-टी-आई- फॉर वीमेन, तिलक नगर	177	सुश्रुता ट्रामा सेंटर
128	नेताजी सुभाष इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी		
129	आई-टी-आई- जहांगीर पूरी		
130	डायलाग एंड डेवेलोपेन्ट कमीशन दिल्ली		
131	आई-टी-आई- नंदनगरी		
132	चौ- ब्रह्म प्रकाश आई-टी-आई-, जफ्फरपुर		
133	आई-टी-आई-, मंगोलपुरी		
134	आई-टी-आई- शाहदरा		
135	ऑफिस ऑफ़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर		
136	वीर सावरकर आई-टी-आई- बी-टी-सी- पूसा		
137	बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल		
138	दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट & सी-टी-		
139	दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ़ टूल इंजीनियरिंग		
140	आई-टी-आई-, अरब की सारे		

(SANJAY KUMAR SURYA)
Dy. Secretary
Deptt. of Information Technology
Govt. of NCT of Delhi
New Delhi

अनुलग्नक - II
इ-ऑफिस एप्लीकेशन प्रयोग कर रहे कर्मचारी की संख्या

क्र. सं.	विभाग	कुल कर्मचारी	क्र. सं.	विभाग	कुल कर्मचारी
1	दिल्ली जल बोर्ड	2317	46	इंस्टिट्यूट ऑफ़ ह्यूमन बेहेवियर & अलाइड साइंस (इहबास)	50
2	ट्रेड एंड टैक्सेज डिपार्टमेंट	650	47	रओ तुला राम मेमोरियल हॉस्पिटल	50
3	नई दलेही म्युनिसिपल कौंसिल	540	48	इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट	49
4	हेल्थ सर्विसेज	476	49	डीएम (नार्थ)	48
5	फ़ूड सप्लाइज कंस्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट	339	50	डीएम (नार्थ-वेस्ट)	47
6	इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट	335	51	मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज	45
7	दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रस्टरक्चरे डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	254	52	लेबर डिपार्टमेंट	44
8	एजुकेशन डायरेक्टरेट	197	53	नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज & हॉस्पिटल	44
9	दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन	180	54	इंद्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी	42
10	वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट	177	55	पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल	42
11	सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट	174	56	चाचा नेहरू बल चिकित्सालय हॉस्पिटल	41
12	अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट	128	57	जी-बी- पंत इंजीनियरिंग कॉलेज	41
13	दींन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल	124	58	इनफार्मेशन एंड पब्लिसिटी डायरेक्टरेट	41
14	ट्रेनिंग एड टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टरेट	123	59	हिंदी अकादमी	40
15	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी	121	60	पी-डब्लू-डी - सेक्रेटेरिएट	40
16	पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट	111	61	आर्यभट्ट इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी	39
17	लोक नायक हॉस्पिटल	109	62	दिल्ली स्टेट एड्स कण्ट्रोल सोसाइटी	39
18	रजिस्ट्रार ऑफ़ कोआपरेटिव सोसाइटीज	108	63	कस्तूरबा इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी	39
19	रेवेनुए डिपार्टमेंट	106	64	दिल्ली विधान सभा	38
20	ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट	105	65	डॉ बी- आर- सुर होमिओपेथिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल & रिसर्च सेंटर	38
21	सर्विसेज डिपार्टमेंट	103	66	पब्लिक ग्रिएवान्सेस कमीशन	38
22	दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन	97	67	लॉ जस्टिव & लेजिस्लेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट	37
23	हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट	93	68	डायरेक्टरेट ऑफ़ फॅमिली वेलफेयर	36
24	फ़ूड सेफ्टी डिपार्टमेंट	86	69	डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल	35
25	जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट	84	70	अम्ब्रेड़कर इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च	34
26	एक्साइज , एंटरटेनमेंट एंड लक्ज़री टैक्स डिपार्टमेंट	78	71	आम्बेडकर इंस्टीटुए ऑफ़ टेक्नोलॉजी	34
27	इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स डायरेक्टरेट	77	72	गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल	34
28	जी.बी. पंत हॉस्पिटल	73	73	डिपार्टमेंट ऑफ़ लैंड एंड बिल्डिंग	33
29	सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट	67	74	मौलाना आज़ाद इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेंटल साइंसेज	33
30	डिप्टी कमिश्नर (वेस्ट)	67	75	डीएम. (साउथ)	32
31	डी.ऍम. (साउथ ईस्ट)	67	76	यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विसेज दिल्ली	32
32	प्लानिंग डिपार्टमेंट	64	77	डीएम. (शाहदरा)	31
33	दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट	63	78	एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टरेट	31
34	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	62	79	अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल	30
35	दिल्ली फाइनेंस कारपोरेशन (डी. एफ. सी.)	61	80	आयुष	30
36	ड्रग्स कण्ट्रोल डिपार्टमेंट	60	81	गुरु नानक ऑय सेंटर	30
37	फाइनेंस डिपार्टमेंट	60	82	भगवन महावीर हॉस्पिटल	29
38	डीएम. (ईस्ट)	57	83	चौधरी ब्रह्म प्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जफ्फरपुर	29
39	गुरु नानक देव इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी	57	84	डॉ- हेडगेवार आरोग्य संसथान	29
40	होम डिपार्टमेंट	55	85	लेफ्ट- गवर्नर सेक्रेटेरिएट	29
41	दिल्ली पोल्लुशण कण्ट्रोल कमिटी	54	86	गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल	28
42	डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस	53	87	आई-टी-आई- जेल रोड	28
43	प्रिंसिपल एकाउंट्स ऑफिस	53	88	आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेज डिपार्टमेंट	27
44	जी-बी. पंत इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी	52	89	डीप चाँद बंधू हॉस्पिटल	27
45	पावर डिपार्टमेंट	51	90	ऐश-सी-/ऐश-टी-/ओह-बी-सी- डिपार्टमेंट	27

(SANJAY KUMAR SURYA)
Dy. Secretary
Deptt. of Information Technology
Govt. of NCT of Delhi
New Delhi

-2-

91	भाई परमानन्द ईंस्टिट्यूट ऑफ़ बिज़नेस स्टडीज	26	141	आई-टी-आई-, अरब की सारे	11
92	डॉ- एन -सी- जोशी मेमोरियल हॉस्पिटल	26	142	ऑफिस ऑफ़ मिनिस्टर फूड & सप्लाई एनवायरनमेंट एंड फारेस्ट इलेक्शन	11
93	इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट	26	143	ऑफिस ऑफ़ मिनिस्टर वीमेन एंड चाइल्ड, सोशल वेलफेयर, ऐश-टी-, लैंग्वेज	11
94	जी इ-ओ स्पाटिअल दिल्ली लिमिटेड	25	144	आई-टी-आई-, मालवीय नगर	10
95	साहित्य कला परिषद्	25	145	आई-टी-आई-, विवेक विहार	10
96	चीफ मिनिस्टर ऑफिस	24	146	सावित्री बाई पहले आई-टी-आई-, मोरी गेट,	10
97	एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स	23	147	आई-टी-आई- नरेला	9
98	दिल्ली आर्काइव्ज़	23	148	ऐन-आई-सी- दिल्ली स्टेट यूनिट	9
99	दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	23	149	रजोकरी इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी	9
100	डिपार्टमेंट ऑफ़ एनवायरनमेंट	23	150	दी-वाई- अप्रेंटिसशिप एडवाइजर	7
101	जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल	23	151	गुरुद्वारा इलेक्शन डायरेक्टरेट	7
102	आचार्य श्री भिक्षु गवर्नमेंट हॉस्पिटल	22	152	सत्यवादी राजा हरीश चंद्र हॉस्पिटल	7
103	बोर्ड ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन	22	153	सिंधी अकादमी	7
104	दिल्ली स्टेट सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड	22	154	वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, विवेक विहार	7
105	फारेस्ट एंड वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट	22	155	बोर्ड ऑफ़ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ़ मेडिसिन	6
106	हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट	22	156	ऑफिस ऑफ़ थे कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसैबिलिटीज	6
107	ईंस्टिट्यूट ऑफ़ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज	22	157	श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय	6
108	टूरिज्म डिपार्टमेंट	22	158	डॉ- बाबा साहेब आंबेडकर कॉलेज	5
109	उर्दू अकादमी	21	159	जीजा बाई आई-टी-आई- फॉर वीमेन	5
110	सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट & ट्रामा सर्विसेज	20	160	संजय गाँधी मेमोरियल हॉस्पिटल	5
111	दिल्ली संस्कृत अकादमी	20	161	डॉ- गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्या विद्या प्रतिस्थानम	4
112	ऑफिस ऑफ़ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, लेबर, ट्रांसपोर्ट, जी-ए-डी-, आई-ऍफ़-सी-	20	162	मैथिलि भोजपुरी अकादमी	4
113	पंजाबी अकादमी	20	163	मीरा बाई इन्सिटटे ऑफ़ टेक्नोलॉजी महारानी बाघ	4
114	आयुर्वेदिक & ूननि तिब्बिए कॉलेज & हॉस्पिटल	19	164	पूसा इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी	4
115	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	19	165	राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल	4
116	डेवलपमेंट डिपार्टमेंट	19	166	इंद्रप्रस्थ व्यावसायिक एवं पर्यावरणीय स्वस्थ्य समिति	3
117	जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल	18	167	इंस्टिट्यूट ऑफ़ बेसिक बिज़नेस स्टडीज पूसा	3
118	ऑफिस ऑफ़ चीफ सेक्रेटरी	18	168	लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल	3
119	ऑफिस ऑफ़ मिनिस्टर टूरिज्म, आर्ट, कल्चर & लैंग्वेजेज, गुरुद्वारा एलेक्शंस, वाटर	18	169	चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संसथान	2
120	महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल	17	170	दिल्ली ऐश-सी-/ऐश-टी-/ओह-बी-सी-/मीन-/हैंडीकैप्ड फाइनेंस & डेवलपमेंट कारपोरेशन	1
121	सर सी-वी- रमन, आई-टी-आई-, धीरपुर	17	171	होम्योपैथिक विंग ऑफ़ डायरेक्टरेट ऑफ़ आई-ऐश-ऍम- & होमियोपैथी	1
122	अर्चयोलोग्य डिपार्टमेंट	16	172	इंटीग्रेटेड इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, द्वारका	1
123	अत्तार साइन जैन ऑय & जनरल हॉस्पिटल	16	173	चीफ मिनिस्टर दिल्ली	0
124	आई-टी-आई-, पूसा	16	174	सी-ओह-इ-एच-	0
125	ऑफिस ऑफ़ मिनिस्टर हेल्थ, इंडस्ट्रीज, होम, पी-डब्लू-डी-, पावर	16	175	दिल्ली मेडिकल कौंसिल	0
126	सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल	16	176	गवर्नमेंट ऑफ़ ऐन-सी-टी- ऑफ़ दिल्ली	0
127	एच-जे- भाभा आई-टी-आई- मयूर विहार	15	177	हेल्थ सेंटर कम मैटरनिटी हॉस्पिटल	0
128	आई-टी-आई- फॉर वीमेन, तिलक नगर	15	178	सुश्रुता ट्रामा सेंटर	0
129	नेताजी सुभाष इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी	15			
130	आई-टी-आई- जहांगीर पूरी	14			
131	डायलाग एंड डेवेलोपेन्ट कमीशन दिल्ली	13			
132	आई-टी-आई- नंदनगरी	13			
133	चौ- ब्रह्म प्रकाश आई-टी-आई-, जफ्फरपुर	12			
134	आई-टी-आई-, मंगोलपुरी	12			
135	आई-टी-आई- शाहदरा	12			
136	ऑफिस ऑफ़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर	12			
137	वीर सावरकर आई-टी-आई- बी-टी-सी- पूसा	12			
138	बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल	11			
139	दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट & सी-टी-	11			
140	दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ़ टूल इंजीनियरिंग	11			

(SANJAY KUMAR SURYA)
Dy. Secretary
Deptt. of Information Technology
Govt. of NCT of Delhi
New Delhi

अध्यक्ष महोदयः सप्लीमेंट्री, धिंगान जी। एनी सप्लीमेंट्री? नहीं, श्री बग्गा जी 89।

श्री एस.के. बग्गाः उप मुख्यमंत्री क्वेश्चन नं.89 का उत्तर देने का कष्ट करें।

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) पिछले तीन वर्षों में स्कूलों में कितने नए कमरे बनाए गए हैं;

ख) पिछले तीन वर्षों में कितने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए हैं;

ग) दिल्ली सरकार के विद्यालयों में कितनी स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन निर्वाचन से किया गया है;

घ) सरकारी विद्यालयों में कितने स्थाई अध्यापक है; और

ङ) सरकारी विद्यालयों में कितने गैस्ट टीचर्स है?

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–89 के संदर्भ में मुझे जवाब देना है किः

क) पिछले तीन वर्षों में लगभग 8000 नये कमरे स्कूलों में बनाये जा रहे हैं। इनमें से 7394 कमरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है;

ख) पिछले तीन वर्षों में कुल 296 शिक्षक विदेश भेजे गये हैं;

ग) शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्कूलों (1019) में स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है;

घ) सरकारी विद्यालय में कितने स्थायी अध्यापक हैं, उसकी जानकारी इस प्रकार हैः–

सहायक शिक्षक, नर्सरी	414
सहायक शिक्षक, प्राथमिक	2551
पुस्तकालय अध्यक्ष	741
शारीरिक शिक्षा अध्यापक	798
गृह विज्ञान शिक्षक	323
ड्राइंग शिक्षक	743
संगीत शिक्षक	211
टीजीटी/टीजीटी (एमआईएल)	19163
पीजीटी	7809

कंप्यूटर साइंस टीचरः– दिनांक 19.3.2018 में 673 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है जिनमें से 358 अध्यापकों ने ज्वाइन कर लिया है, तो इस तरह से कुल 33525 स्थायी अध्यापक हैं।

अध्यक्ष महोदयः ङ) भाग का रह गया है।

उप मुख्यमंत्रीः ङ) 19/3/2018 की स्थिति के अनुसार सरकारी विद्यालयों में 20027 गेस्ट टीचर्स कार्यरत हैं।

अध्यक्ष महोदयः सप्लीमेंट्री?

श्री एस.के. बग्गाः अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे कब तक लगाने की संभावना है?

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसका संदर्भ इस प्रश्न से नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदयः ये प्रश्न से रिलेटेड नहीं है।

श्री एस.के बग्गाः दूसरा सर सरकारी स्कूलों में एसएनसी को कितना फंड दिया जाता है, अगर हाँ, तो कैसे खर्च कर सकते हैं हम?

उप मुख्यमंत्रीः इसका संदर्भ भी इस प्रश्न से नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदयः कल डिक्लेयर किया डिप्टी सीएम साहब ने पांच लाख रुपये एसएससी को दिया जायेगा, कल ही डिक्लेयर हुआ, धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंहः मेरा प्वाइंट।

अध्यक्ष महोदयः इसी से?

श्री सुरेन्द्र सिंहः इसी से संबंधित है सर।

अध्यक्ष महोदयः इसी क्वेश्चन पर?

श्री सुरेन्द्र सिंहः हाँ सर।

अध्यक्ष महोदयः हाँ।

श्री सुरेन्द्र सिंहः जो नई दिल्ली का क्षेत्र है, उसको डेवलपमेंट करने के नाम पे एनबीसीसी है, वो पूरे क्षेत्र को तोड़ रही है, जिसमें काफी सारे स्कूल जो है न, तोड़े जा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार के स्कूल भी हैं, एनडीएमसी के स्कूल भी हैं और उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको कहाँ पे सेट किया जायेगा और जो जमीन है, पहले एक स्कूल बनाया एनबीसीसी ने, उसका लोकेशन और जो जमीन है, कम जमीन दी, उसका मैंने कमेटी में भी ये मुद्दा उठाया था, जब कमेटी की मीटिंग हुई, मुझे उसके बारे में पूर्ण रूप से कोई जानकारी नहीं है। कहाँ पे स्कूल बनाया जायेगा, किस नक्शे के आधार पर बनाया जायेगा, कौन से कौन से स्कूल वहाँ से तोड़े जा रहे हैं? दो स्कूल हमारे वहाँ पे नये अभी बनाये थे दिल्ली सरकार ने, जिनका अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ, मैं उनके बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ का डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसके ऊपर आपके संज्ञान में ये चीजें हैं या नहीं है, आप मुझे जरूर बताइयेगा।

उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, ये पूरक प्रश्न भी संबद्ध जो प्रश्न था, उससे संबंधित नहीं हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है, मेरे संज्ञान में भी ये सारी चीजें हैं कि वहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी स्कूल में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैं खुद भी विजिट करता रहा हूँ। अगर माननीय सदस्य चाहें तो अलग से इनके कोई कंसर्न हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं उनको एड्रेस करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः माननीय उप मुख्यमंत्री को लिख के दे दीजिए आप।

उप मुख्यमंत्री: इससे संदर्भ में नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 90 श्री सही राम जी।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय प्रश्न संख्या 90 का उत्तर देने का कश्ट करेंगे किः

क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को विभिन्न विभागों से वेबसाइट अथवा वेब–बेस्ड एप्लीकेशंस विकसित करने हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

ख) जिन प्रस्तावों पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रस्ताव/आरएफपी डाक्यूमेंट बनाया और संबंधित विभाग को दिया, उनका वर्शवार विवरण क्या है;

ग) इन्हें बनाने और सबमिट करने का औसतन समय क्या है;

घ) जिन प्रस्तावों की परिणति विकसित होने एवं वेब–साइट एप्लीकेशन लाँच होने में हुई, उनका वर्षवार एवं विभाग वार विवरण क्या है; और

ङ) इन प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में औसतन कितना समय लगता है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब इस प्रकार हैः

क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आधारित प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत 2008 से दिल्ली सरकार के अधीन विभागों की वेबसाइट (लाईब्रेरी) बना रहा है और प्रबंधन कर रहा है। अब तक 180 वेबसाइट (लाईब्रेरी) बन चुकी हैं जो कि http//delhi.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। दिल्ली सरकार के विभागों के अनुरोध पर वेबसाइट (लाईब्रेरी) बनाई जाती है। इस वर्ष– 1) महात्मा गांधी इंस्टिूयूट फॉर कॉम्बेंटिंग क्लाईमेट चेंज 2) विश्वस्तरीय कौशल संस्थान, दिल्ली (वर्ल्ड क्लास स्किल सैंटर) एवं 3) मीराबाई इंस्टियूट ऑफ टेक्नोलॉली की वेबसाइट (लाईब्रेरी) बनाई गई है,

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को वेब–बेस्ट एप्लीकेशन विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है,

हालाँकि, डेग्स (दिल्ली ई–गवर्नेस सोसाइटी) द्वारा 33 वेब–बेस्ट एप्लीकेशन का डेवेलपमेंट किया गया है। जिसकी सूची संलग्न –1 में उपलब्ध है,

ख) पिछले तीन वर्षो में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के 25 परियोजनाओं के आरएफपी प्रस्ताव प्राप्त हुए और इनकी आरएफॅपी व तकनीकी प्रपोजल तैयार करने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सहायता दी। वर्षवार विवरण संलग्नक–2 में है।

ग) आरपीएफ को बनाने एवं उसकी प्रत्येक परिवर्तनों एवं संशोधित संस्करण में लिया गया समय का मूल्यांकन करना मुश्किल है।

विभाग से स्कोप ऑफ वर्क एवं एसएलए के प्राप्त होने के बाद आरएफपी के प्रथम संस्करण को बनाने में लगभग 2–6 सप्ताह का समय लगता हैः

क्र. स.	विभाग	प्रस्ताव का नाम	वर्ष
1.	प्रशासनिक सुधार विभाग	ऑटोमेशन ऑफ आर.टी.आई	2017
2.	व्यापार और कर विभाग	मेंटेंनन्स ऑफ डी–वैट एप्लीकेशन	2017
3.	सामान्य प्रशासनिक विभाग	ई–गैजेट	2016
4.	स्वास्थ्य विभाग	केन्द्रीयकृत दुर्घटना और ट्रॅामा सर्विसेज	2016
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	दिल्ली सरकार के आवेदन की वेबसाइट सुरक्षा ऑडिट	2015–18
6.	व्यापार और कर विभाग	डीवीएट नेटवर्क का रखरखाव	2017
7.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	दिल्ली सरकार की वेबसाइट के लिए सामग्री प्रंबधन प्रणाली(सीएमएस)	2008 से 2018

इसके अलावा डेग्स (दिल्ली इ–गवर्नेस सोसाइटी) द्वारा 33 वेब–बेस्ट एप्लीकेशन का डेवेलपमेंट किया गया है; और

ङ) वेब एप्लीकेशन को बनाने में एवं उसकी परिवर्तनों एवं संशोधित संस्करण में लिया गया समय का मूल्यांकन करना मुश्किल है।

विभाग से स्कोप ऑफ वर्क के प्राप्त होने के बाद औसतन एक वेब एप्लीकेशन के प्रथम संस्करण को विकसित करने में लगभग एक महीना का समय लगता है।

संलग्नक -I

Projects developed by DeGS

S. No.	Project Name	Department Name
Apr 2013 - March 2014		
1	MLALAD	Revenue
2	Psara - Registration of Security Agencies	Home Department
3	Capacity Development Progaram	IT
4	Delhi Celebrates	Art and Culture
5	DIP (Registration of press accreditation)	DIP
6	Gov vault	DeGS, IT
7	DJB SLA	DJB
8	AUA/SRDH	DeGS
Apr 2015 - March 2016		
1	Drug & Control	Drugs & Control
2	Web Application for eLicensing	Legal and Metrology Dept.
3	PUCC Report	Transport Department
4	PUCC Client for PUCC Centres	Transport Department
Apr 2016 - March 2017		
1	Swachh Delhi	Urban Development
2	Urban Leadership	CM Office
3	Reading Mela	Department of Education
4	Education Fellowship	CM Office
5	Bed & Breakfast(Approval of Restaurant)	Torism Department
6	DeGS Website	DeGS, IT
7	Integration with e-Taal	IT
8	DDA Website	DDA
Apr 2017 - March 2018		
1	Web Interface for Integration with SBI e-Pay	DeGS, IT
2	SCERT	Education
3	RCS	RCS
4	Job Fair	Directorate of Dmployment
5	Shaheedkosh	GAD
6	DSSSB	DSSSB
7	LG Feedback Monitoring System	LG
8	DIP Images Publicity	DIP
9	Anganwadi	Women and Child Development Department
10	DSSSB (Application for Court Cases)	DSSSB
11	PV System	Power Departemnt
12	DTC Online Buses Pass	DTC
13	DTTE	Education

(SANJAY KUMAR SURYA)
Dy. Secretary
Deptt. of Information Technology
Govt. of NCT of Delhi
New Delhi

संलग्नक -II

आरएफपी / तकनीकी प्रस्ताव की सूची जिसमें आईटी विभाग शामिल था

अप्रैल 2015- मार्च 2016

आरएफपी / प्रस्ताव का नाम	संबंधित विभाग का नाम
1. आरटीआई का स्वचालन	प्रशासनिक सुधार विभाग
2. सीसीटीवी गुणवत्ता विश्लेषण प्रणाली	शिक्षा विभाग
3. ईमांडी	दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (विकास आयुक्त के अधीन)
4. फोरेंसिक विज्ञान और प्रयोगशालाओं का स्वचालन	फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (गृह विभाग के अधीन)
5. केंद्रीय दुर्घटना और आघात सेवा	स्वास्थ्य विभाग
6. दिल्ली ई-हेल्थ सर्विसेज	स्वास्थ्य विभाग
7. वाईफाई आरएफपी	सूचना तकनीकी विभाग

Apr 2016-Mar 2017

आरएफपी / प्रस्ताव का नाम	संबंधित विभाग का नाम
1. दिल्ली फायर सर्विसेज का स्वचालन	दिल्ली अग्निशमन सेवा (गृह विभाग के अधीन)
2. कॉल ब्रिजिंग सिस्टम	मुख्यमंत्री कार्यालय
3. निवासी कल्याण संघ के लिए सीसीटीवी	शहरी विकास विभाग
4. सीसीटीवी ड्यूडा	जिला शहरी विकास एजेंसी
5. डीसीडब्ल्यू सीआरएम और कॉल सेंटर	महिलाओं के लिए दिल्ली आयोग
6. ईपीडीएस पीओएस	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
7. DVAT अनुप्रयोग का रखरखाव	व्यापार और कर विभाग
8. eGazette	सामान्य प्रशासनिक विभाग

Apr 2017-Mar 2018

आरएफपी / प्रस्ताव का नाम	संबंधित विभाग का नाम
1. स्कूलों के लिए सीसीटीवी	शिक्षा विभाग
2. डीजीएस साइबर सुरक्षा	दिल्ली ई-गवर्नेंस सोसायटी (आईटी विभाग के तहत)
3. लेनदेन सलाहकार वाई-फाई	सूचना तकनीकी विभाग
4. डीएसएसएसबी ऑनलाइन परीक्षा प्रस्ताव मूल्यांकन	दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड
5. शिक्षा स्मार्ट बोर्ड प्रस्ताव मूल्यांकन	शिक्षा विभाग
6. परिणाम बजट आवेदन आरएफपी	योजना विभाग
7. दिल्ली.gov.in आरएफपी के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम	सूचना तकनीकी विभाग
8. भूमि एवं भवन दस्तावेज अंकन और दस्तावेज प्रबंधन आवेदन	भूमि एवं भवन विभाग
9. डीवीएट नेटवर्क का रखरखाव	व्यापार और कर विभाग
10. वित्तीय प्रबंधन प्रणाली आरएफपी	दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड

निम्नलिखित आईटी विभाग समर्थित परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

1. आरटीआई का स्वचालन
2. DVAT अनुप्रयोग का रखरखाव
3. इ-गैज़ेट
4. केंद्रीय दुर्घटना और आघात सेवा
5. दिल्ली सरकार के आवेदनों की सुरक्षा लेखा परीक्षा
6. डीवीएट नेटवर्क का रखरखाव
7. दिल्ली सरकार की वेबसाइट के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम

(SANJAY KUMAR SURYA)
Dy. Secretary
Deptt. of Information Technology
Govt. of NCT of Delhi
New Delhi

अध्यक्ष महोदयः सही राम जी, ठीक है? यह अंतिम प्रश्न है। श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा। आज मैं आपकी भूमिका समझता हूँ जैसे किसी पिता का बेटा कोमा में चला जाता है और आपके तो 20—20 बेटे कोमा के अंदर चले गये थे, जो आज कोमा से बाहर आ गये, उसके लिए आपको धन्यवाद और आपसे आग्रह करके दो लाइने कहना चाहूँगाः

मेहनत से उठे हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं,
आसमान से ज्यादा जमीन की कदर जानते हैं।
लचीले पेड़ हैं, जो सह जाते हैं आँधियाँ,
वरना मगरूर दरख्तों का हश्र जानते हैं।
हम बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देते हैं,
अरे! आधी दुनिया को तो यूँ ही हराना जानते हैं,
आधी दुनिया को तो यूँ ही हराना जानते हैं।

अध्यक्ष महोदयः चलिये।

श्री महेन्द्र गोयलः आज अध्यक्ष जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मुझे आज इस सदन के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं करना और कोई जवाब नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपसे आग्रह करूँगा। कि आज जैसे भारत—पाकिस्तान के मैच के अन्दर छुट्टी, जीत हो जाती है तो बच्चों के स्कूल की छुट्टी कर देते हैं, वैसे आज भी छुट्टी कर दें और जो आपने पार्टी के लिए कैलाश गहलौत जी को कहा था, मेरी तरफ से इस सदन के सभी सदस्यों को, सभी आफिसर्स को और सभी कर्मचारियों को, दिन आप नियुक्त कर लें। कल का कर लें,

परसों का कर ले, आज का कर लें। यहीं पर सभी मिलजुल के, भाईचारे के साथ विपक्ष के साथियों सहित यही पर खाना मिलजुल के खाएंगे। जैसा भी आप कर लें।

अध्यक्ष महोदयः सोमवार को हो गया। गहलौत जी।

श्री महेन्द्र गोयलः उनका तो हो गया। एक मेरी तरफ से भी खाने का तो है स्पेशल।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी कुछ कह रहे हैं। अभी ये प्रश्न।

श्री महेन्द्र गोयलः तेरे को भी न्यौता दे रहा हूँ । क्यों बन्द कर रहे हो इसको?

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, महेन्द्र जी को पूरा कर लेने दीजिए। सिरसा जी, एक बार महेन्द्र जी को पूरा कर लेने दीजिए।

श्री महेन्द्र गोयलः तो?

अध्यक्ष महोदयः दो मिनट। महेन्द्र जी को पूरा करने दीजिए।

श्री महेन्द्र गोयलः मैंने कहा है आज खुशी का मौका है। आज का कुछ नहीं पूछना मुझे। अपना तो हो गया। सिरसा जी, ठीक है न? खुश हैं न? शाबास! खुशी मिलजुल के बाँटनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र जी, आज बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस लगे हुए हैं। प्लीज बैठिए। सिरसा जी। धन्यवाद आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं भी बहुत बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः ये महेन्द्र जी छुट्टी मांगने का बहाना ढूँढ़ते रहते हैं। ये शायद स्कूल में भी ऐसा करते रहते होंगे।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं भी बहुत बधाई देता हूँ स्पीकर साहब। हमारे बीस साथियों को और विशेष तौर पर माननीय गहलौत जी को। वो हमारा हक है, वो मचाएंगे। उससे पीछे हटेंगे नहीं। देखिए, ये एक डेमोक्रेसी का पिलर है और हम लोग एक परिवार हैं। जैसे कि अभी महेन्द्र जी ने बहुत सुन्दर अल्फाजों में कहा कि स्पीकर साहब जो हैं, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। हम इस बात की बधाई देतें हैं और अगर मैं भी यहाँ चुनके आया तो पक्ष की तरफ से मनीष सिसौदिया जी ने सब लोगों ने बधाई दी। देखिए, ये एक प्रक्रिया है और कोर्ट हो, कचहरी हों। जो डेमोक्रेसी के नियम हैं, उस पर हम अपनी बात रखेंगे। हमारा फर्ज है। हम अपनी फर्ज की अदायगी करते है यहाँ पर। पर ये भी हमारा फर्ज है कि वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और इस सदन के सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं। आज उनको अगर कोर्ट ने रिलीफ दिया तो वे बधाई के पात्र हैं और हमारी तरफ से हम भी चाहेंगे, विपक्ष भी उनको मिठाई के डिब्बे भेजेगा। इस बात की हमें खुशी है। ऐसा नहीं है। ये निजी लड़ाई नहीं है हमारी और मैं इस बात के लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। हमारा प्यार, हमारा स्नेह है और मेरे एक तो पड़ोसी हैं। जरनैल सिंह जी तो मेरे पड़ोसी विधान सभा से हैं। तो मैं आप सबको बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। सारे सत्ता पक्ष को बधाई देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी को, अरविन्द केजरीवाल जी को और आप सभी एमएलए साहिबानों को बधाई देता हूँ। हमारे साथी हैं और हम उनके लिए हमेशा शुभकामना ही करेंगे और मैं ये बड़े विश्वास से ये कह सकता हूँ कि हमने अगर गुरूद्वारे में अगर अरदास करी है तो कभी किसी के बाहर जाने की अरदास नहीं करी है। करी है कि हमारे दोस्त किसी तरह बने रहें। ये हमारी अरदास होगी। बेईमानी हम कभी नहीं कर सकते, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः माननीय उप मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

उप मुख्यमंत्रीः इसी सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सिरसा जी ने बात रख दी। उनका शुक्रगुजार हूँ। सच्चे दिल से ही की होगी। तभी गुरूद्वारे पर

अरदास सुनी गयी। मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए ये बहुत इम्पार्टेन्ट था। बात बीस विधायकों की नहीं है। बात ये है कि क्या इस देश में किसी के ऊपर कोई आरोप लगे और उसकी सुनवाई किये बिना उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। उसके लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया जाए कि उसको हाउस से निकाल दिया जाए। हाउस में बैठने के अयोग्य ठहरा दिया जाए! सवाल ये खड़ा हो गया था। बात बीस की थी नहीं। बात बीस की तो थी, थी पर ट्रेडिशनली लोकतंत्र में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा कि नहीं होगा। इसका सवाल था हमारे लिए। और ये अच्छी बात है कि जो भी सूचनाएं मिली हैं। माननीय हाईकोर्ट ने बीस विधायकों को योग्य ठहराते हुए ये कहा कि वो विधान सभा में बैठें और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया है कि इनकी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत सुनवाई करें और उसके बाद जो भी होगा, कार्रवाई करें। तो मैं जो बीस विधायक औपचारिक रूप से आएंगे, उस वक्त भी बधाई दूँगा लेकिन आज सभी साथियों को और उसी भावना के साथ जिसके साथ सिरसा जी ने कहा, राजनीतिक लाईनों से ऊपर उठ के, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये जस्टिस के प्रिंसिपल्स इम्पार्टेन्ट हैं। कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ नहीं बैठा है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ इस पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए कि सत्य की जीत है, लोकतंत्र की जीत है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं विधिवत एक अपोजिशन की तरफ से बयान देना चाहता हूँ। जो अदालत का फैसला आया है, उसका हम सम्मान करते हैं। ये देश कानून से चलता है। कानून का राज है और यही हम हमेशा कहते हैं कि कानून सर्वोपरि है। इसलिए आज अदालत से जो रिलीफ है, वो नेचुरल जस्टिस के तौर पर उनको सुनवाई का जो प्रोसेस है, वो फिर से शुरू होगा और विधिवत जो भी कमी सुनवाई में रही। अदालत के अनुसार, हालाँकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाएगा या क्या करेगा, ये अलग विषय है।

क्योंकि कोर्ट और कचहरी में सबको बराबर का मौका मिलता है, अपनी बात कहने का। और कल को फैसला क्या रहेगा मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन आज जो कुछ घटित हुआ है। एक सेकेण्ड, एक सेकेण्ड। आज जो घटित हुआ है, हम न्यायालय के आदेश के प्रति, पूरे सम्मान से उसको स्वीकार करते हैं और कानून हमेशा इस देश में सर्वोपरि रहना चाहिए और जैसे नेचुरल जस्टिस की बात यहाँ मनीष सिसोदिया जी ने की है और अदालत ने की है, वही नेचुरल जस्टिस सदन के अन्दर विपक्ष के साथ भी होना चाहिए। ओमप्रकाश शर्मा जी को जिस तरह से सदन से बाहर किया गया...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब इसके साथ विजेन्द्र जी, नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद। चलिए, माननीय मंत्री श्री गहलौत जी तारांकित प्रश्न जो 23 तारीख को लगे थे उसमें 41 प्रश्न संख्या 48, 49 और 52 इनका आज आपको उत्तर देना था। अभी 280 के बाद लें लें? गहलौत जी, ठीक है, आप तैयारी कर लीजिए।

परिवहन मंत्रीः 280 के बाद। मेरे पास किसी कारण से वो लिस्ट नहीं है। in the meantime I will procure the list.

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

81. श्री रघुविन्द्र शौकीन **उच्च शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार की नांगलोई विधान सभा में नई उच्च शिक्षा संस्थाएं; कॉलेज/यूनिवर्सिटी/तकनीकी/वोकेशनल इत्यादि, खोलने की कोई योजना है,

ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है, और

ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है?

उपमुख्यमंत्री क) जी हाँ

ख) नांगलोई विधान सभा क्षेत्र में बक्करवाला व रनहोला में आई.टी.आई. सह WCSC खोलने का प्रस्ताव है। जिसके लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय मंजूरी जून, 2017 में जारी की जा चुकी है। पी.डब्ल्यू.डी. से प्राप्त सूचना अनुसार परियोजना के पूरा करने का लक्ष्य 30.06.2018 निर्धारित है।

ग) उपरोक्त।

83. श्री जगदीप सिंह **विधि न्याय एवं विधायी कार्य**

क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा फैमिली कोर्ट हेतू प्रयोग के उद्देश्य से जनकपुरी के इन्सीट्यूशनल एरिया ब्लॉक–डी में एक बहुमंजिला भवन का निर्माण किया गया था,

ख) क्या यह भी सत्य है कि इस भवन में कोई भी कोर्ट शिफ्‌ट नहीं हुई है,

ग) इस भवन में अभी तक किसी भी कोर्ट के शिफ्‌ट न होने तथा इस देरी के लिए कौन से व्यक्ति अथवा एजेंसी जिम्मेदार है, और

घ) इस नये भवन में कोर्ट के कब तक शिफ्‌ट हो जाने की संभावना है?

विधि मंत्री

क) सूचना एकत्रित की जा रही है आते ही उपलब्ध कर दी जाएगी।

ख) उपरोक्त

ग) उपरोक्त

घ) उरोक्त

91. श्री महेन्द्र गोयल **राजस्व**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि पीजीएमएस के अंतर्गत राजस्व विभाग को 11863 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 672 शिकायतें अभी भी लंबित है,

ख) 438 शिकायतों के निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी निवारण न होने का क्या कारण है,

ग) क्या यह भी सत्य है कि 2880 शिकायतों के संबंध में विभाग द्वारा दिया गया उत्तर/कार्रवाई संतोषजनक नहीं थी,

घ) यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई,

च) क्या यह भी सत्य है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव द्वारा विभागीय अधिकारियों को समय–समय पर निर्देश जारी किए गए,

छ) निर्धारित अवधि में इन शिकायतों के निवारण हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए,

ज) कब और किन अधिकारियों को ये शिकायतें भेजी गई, तिथियों सहित पूर्ण विवरण दें,

झ) इन शिकायतों के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए गए, और

ट) इन शिकायतों का संतोषजनक निवारण कब तक हो जाएगा?

राजस्व मंत्री

क) प्रशासनिक सुधार विभाग, दिल्ली सचिवालय से इस विभाग को प्राप्त पत्र सं. F.2(5)/2017/AR(PGMS)/7901-8010 दिनांक 19.09.17 द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार 11 जिलों में 8137 शिकायतें PGMS पोर्टल पर पंजीकृत हुई जिनमें से 753 शिकायतें लंबित/overdue थी। राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार 11256 शिकायतें प्राप्त हुईं है और 20 मार्च 2018 तक इन पर समुचित कार्यवाही उपरान्त केवल 556 मामले लंबित है,

ख) शिकायत प्राप्त होना और उनका निवारण एक सतत् प्रक्रिया है। किसी भी समय कुछ शिकयतें लंबित रहेंगी,

ग,घ) विभाग शिकायतों का निवारण निर्धारित नियमों और कानूनों के अन्तर्गत करता है। जो मामले नियमों और कानूनों के अनुसार नहीं होते हैं उनके संदर्भ में शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हो पाते इसके अतिरिक्त कई शिकायतों में पूर्ण विवरण तथा स्पष्ट शिकायत नहीं होती कि प्रार्थी को विभाग से क्या अपेक्षा है। ऐसी स्थिति में भी उनका निवारण संभव नहीं हो पाता फिर भी विभाग द्वारा पूर्ण प्रयास किया जाता है कि उनका निवारण हो जाये।

च) जी हाँ।

छ) विभाग द्वारा समय–समय पर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है तथा उनके समय पर निष्पादन हेतु निर्देश भी जारी करता है।

ज) PGMS पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को संबंधित अधिकारियों/राजस्व जिलों को तुरंत ऑनलाइन प्रेषित कर दिया जाता है। विवरण संलग्न 'सी.डी.' में उपलब्ध है[1]।

ट) PGMS पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त होना और उनका निवारण एक सतत् प्रक्रिया है। संबंधित अधिकारी प्राप्त शिकायतों का निवारण निर्धारित नियमों और कानूनों को ध्यान में रखकर करते रहते हैं।

92. श्री गुलाब सिंह **सूचना प्रौद्योगिकी**

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में सलाहकारों को अनुबंधित किया गया,

ख) यदि हाँ, तो कितने सलाहकारों को अनुबंधित किया गया एवं उन्हें कितनी राशि पारिश्रमिक के रूप में भुगतान की गई है,

ग) इन सलाहकारों द्वारा कितनी परियोजनाओं का उत्तरदायित्व लिया गया और प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि खर्च की गई,

घ) क्या DEGS ने भी वर्ष 2017–18 में सलाहकारों को अनुबंधित किया है,

---

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

च) यदि हाँ, तो DEGS द्वारा कितने सलाहकार अनुबंधित किए और उन्हें पारिश्रमिक के रूप में कितनी राशि अदा की गई, और

छ) इन सलाहकारों द्वारा जिन परियोजनाओं का उत्तरदायित्व लिया गया तथा DeGS द्वारा प्रत्येक परियोजना पर अदा की गई राशि का विवरण क्या है?

प्रोद्योगिकी मंत्री

क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वर्ष 2017–18 में कोई सलाहकार अनुबंधित नहीं किया है।

ख) लागू नहीं है।

ग) लागू नहीं है।

घ) जी नहीं। इस अवधि में M/s Deloitte पूर्व अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत था। जिसका विवरण (अनुलंगनक–क) में दिया गया है।

च) लागू नहीं है।

छ) लागू नहीं है।

अनुलंग्नक – ''क''

दिल्ली ई–गर्वनेंस सोसाइटी (DeGS) ने M/s Deloitte को 29–07–2015 को अनुबंधित किया गया था। दिल्ली ई–गर्वनेंस सोसाइटी (DeGS) और M/s Deloitte के बीच समझौता (Agreement) 27–01–2018 को समाप्त हो गया था।

वर्ष 2017–2018 में पारिश्रमिक के रूप में कुल राशि 21,24,000/– (इक्कीस लाख चौबीस हजार रूपये मात्र) अदा की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। शेष भुगतान प्रक्रिया में है। सलाहकार द्वारा कुल 67 विभागों/निकायों का सुरक्षा लेखापरीक्षा किया गया है।

क्रमांक	अवधि	राशि (रूपये)
1	29–01–2017 से 28–04–2017	10,62,000/–
2	29–04–2017 से 28–07–2017	10,62,000/–

(SANJAY KUMAR SURYA)
Dy. Secretary
Deptt. of Information Technology
Govt. of NCT of Delhi
New Delhi

93. श्री ओमप्रकाश शर्मा **ऊर्जा**

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली के बिल कम करने की घोषणा की थी,

ख) क्या यह भी सत्य है कि उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 2015–16 के अपने बजट में इस प्रस्ताव की पुनरावृति की थी,

मांग संख्या 11-शहरी विकास तथा लोक निर्माण
DEMAND No.11-URBAN DEVELOPMENT PUBLIC WORKS

अनुदानों की मांगें 2015-2016
DEMANDS FOR GRANTS 2015-2016

अनुलग्नक 'क'

(हजार रुपयों में)
(RUPEES IN THOUSANDS)

वास्तविक ACTUALS 2013-2014 आयोजना PLAN	आयोजना भिन्न NON-PLAN	बजट अनुमान BUDGET ESTIMATES 2014-2015 आयोजना PLAN	आयोजना भिन्न NON-PLAN	संशोधित अनुमान REVISED ESTIMATES 2014-2015 आयोजना PLAN	आयोजना भिन्न NON-PLAN				बजट अनुमान BUDGET ESTIMATES 2015-2016 आयोजना PLAN	आयोजना भिन्न NON-PLAN	जोड़ TOTAL
						ऊर्जा विभाग		POWER DEPARTMENT			
						राजस्व भाग :		REVENUE SECTION :			
						मुख्य शीर्ष "2052"		MAJOR HEAD "2052"			
						सचिवालय सामान्य सेवायें (मुख्य शीर्ष)	2052	Secretariat General Services (Major Head)			
						सचिवालय (लघु शीर्ष)	00.090	Secretariat General Services (Minor Head)			
						उर्जा विभाग (उप शीर्ष)	47	Power Department (Sub Head)			
..	5323	.	7500	..	7500	वेतन	47 00 01	Salaries	..	8327	8327
..	38	..	300	..	350	चिकित्सा उपचार	47 00 06	Medical Treatment	..	400	400
..	16781	..	20000	..	10000	कार्यालय व्यय	47 00 13	Office Expenses	..	22000	22000
..	1749	..	3000	..	2950	व्यावसायिक सेवायें	47 00 28	Professional Services	..	3500	3500
..	23891	..	30800	..	20800	जोड़-उर्जा विभाग (उप शीर्ष)		Total-Power Department (Sub Head)	..	34227	34227
..	23891	..	30800	..	20800	जोड़-मुख्य शीर्ष "2052"		TOTAL - MAJOR HEAD "2052"	..	34227	34227
						मुख्य शीर्ष "2801"		MAJOR HEAD "2801"			
						उर्जा (मुख्य शीर्ष)	2801	Power (Major Head)			
						प्रेषण और वितरण (उप मुख्य शीर्ष)	05	Transmission and Distribution (Sub Major Head)			
						अन्य व्यय (लघु शीर्ष)	800	Other Expenditure (Minor Head)			
..	6220000	..	2600000	..	3300700	वितरण कम्पनियों के माध्यम से उपभोक्ताओं (उप शीर्ष)	88 00 33	Subsidy to consumers through DISCOMS (Sub Head)	..	14400000	14400000
						दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को सहायता (उप शीर्ष)	87	Grant-in-aid to DERC (Sub Head)			
..	38999	..	57950	..	45550	सहायता अनुदान-सामान्य	87 00 31	Grants-in-aid-General	..	57950	57950
..	2000	..	2050	..	1650	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	87 00 35	Grants for creation of capital assets	..	2050	2050
..	38833	..	65000	..	51100	सहायता अनुदान-वेतन	87 00 36	Grants-in-aid-Salaries	..	65000	65000
..	79832	..	125000	..	98300	जोड़- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को सहायता (उप शीर्ष)		TOTAL - Grant-in-aid to DERC (Sub Head)	..	125000	125000
						स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाभों के लिए इं.प्र.ग.को. को सहायता अनुदान (उप शीर्ष)	86	Grant-in-aid to IPGCL for VRS benefits (Sub Head)			
	40000	..	50000	..	50000	सहायता अनुदान-सामान्य	86 00 31	Grants-in-aid-General	..	50000	50000

ग) क्या यह भी घोषणा की गई थी कि बिना पूर्व घोषणा के बिजली कटोती नहीं की जाएगी और यदि ऐसा हुआ तो बिजली कंपनियों को दंडित किया जाएगा,

घ) क्या यह भी सत्य है कि बिजली वितरण कंपनियों ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों की बकाया पेंशन राशि को क्लीयर करने के लिए उपभोक्ताओं पर प्रभार डालना शुरू कर दिया है,

च) क्या यह भी सत्य है कि उपभोक्ताओं पर डाला गया यह अतिरिक्त भार सरकार द्वारा दिए गए वचन के विपरीत नहीं है,

छ) क्या यह भी सत्य है कि यह अतिरिक्त भार डीईआरसी की अनुशंसाओं के विपरीत इकट्ठा किया जा रहा है, और

ज) वर्तमान वित्त वर्ष में इस हैड के अंतर्गत अनुमानतः कितनी राशि इकट्ठी होने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्री

क) जी हाँ।

ख) वर्ष 2015–16 के बजट में इसकार्य के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। बजट की प्रति संलग्न है (अनुलग्नक 'क')।

ग) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार हैः

''आयोग ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2017 में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पालन किए

जाने वाले प्रदर्शन के मानकों को अधिसूचित किया है, जिसमें बिजली की कटौती के मामले में, बिजली की आपूर्ति बहाल करने के लिए यदि लाइसेंसधारी प्रदर्शन के मानकों को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए, देय मुआवजे विनियम में निर्धारित किया है।''

घ) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार हैः

''टैरिफ आर्डर 31.08.2017 के अनुसार, पेंशन ट्रस्ट के कारण अतिरिक्त अधिभार लगाया जा रहा है।''

यह कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं है, इससे पहले यह प्रभार वर्ष 2010–11 से ट्रांसमिशन टैरिफ में लिया जाता था। उपरोक्त प्रभार बिजली बिल में लगाने के बाद यह अब ट्रांसमिशन टैरिफ से हटा लिया गया है।

च) उपभोक्ताओं पर डाला गया यह अतिरिक्त सरकार द्वारा दिए गए वचन के विपरीत नहीं है।

छ) जी नहीं।

ज) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार हैः

''वित्त–वर्ष टैरिफ 2017–18 के लिए, GNCTD द्वारा अनुशंसित, पूर्व डी.वी.बी. कर्मचारियों/पेंशनरों के पेंशन के वित पोषण के लिए, पेंशन ट्रस्ट अधिभार के कारण, अनुमानित संग्रहण रूपए 695 करोड़ है।''

94. श्री अजेश यादव **ऊर्जा**

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि स्वरूप नगर क्षेत्र में 66 केवी की हाई टैंशन लाइनों को शिफ्ट करने के मुद्दे पर संबंधित मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें हुई है,

ख) क्या यह भी सत्य है कि बार–बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद इन लाइनों को शिफ्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए है,

ग) क्या यह भी सत्य है कि बहुत से क्षेत्रों में लाइनें अंडर ग्राउंड शिफ्ट कर दी गई है परन्तु टावर अभी भी खड़े हैं, और

घ) इन टावरों को कब तक शिफ्ट कर दिया जाएगा,

ऊर्जा मंत्री

क) जी हाँ

ख) एचटी लाइन को भूमिगत शिफ्ट करने के लिए फंड का आवंटन ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या नं. एफ.11 (09)/3007/पावर/4040 दिनांक 27.11.2009 के अनुसार होता है इस नीति में केवल 33के.वी., 11 के.वी. और 400 वोल्ट की लानों को शिफ्ट करने का ही प्रावधान है। नीति की प्रति सलंग्न है (संलग्नक 'क')। 66 के.वी. की हाई टैंशन लाइनों/टावरों को शिफ्ट करने की कोई नीति ऊर्जा विभाग में नहीं है।

ग) जी हाँ, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा बताया गया है कि टावरों पर लगे अन्य उपकरण अभी इस्तेमाल में हैं।

घ) उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नही होता।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT, 8TH LEVEL, B-WING
NEW DELHI – 110002.

2/c

No.F.11(09)/2007/Power/ 4040 Dated : the 27 Nov., 2009

To

The Pr. Secretary (UD),
Urban Development Deptt.,
Govt. of NCT of Delhi,
Delhi

The Secretary,
DERC, Vinyamak Bhawan,
Shivalik, Malviya Nagar,
Delhi – 110017.

The C.E.O.,
BSES Rajdhani Power Ltd.,
BSES Bhawan, Nehru Place,
Delhi.

The C.E.O.,
BSES Yamuna Power Ltd.,
Karkardooma,
Delhi.

The C.E.O.,
NDPL, Hudson Lines,
Kingsway Camp,
Delhi.

Sub.: Policy of Shifting of HT (11000V & 33000V) / LT(400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives – Modification of Cabinet decision no. 1310 dated 20.11.2007 thereof.

Sir,

I am directed to convey the approval of the Cabinet of Govt. of NCT of Delhi vide cabinet decision no. 1588 dated 09.11.2009 on the subject cited above. The Cabinet has considered and approved the proposal of Power Department for partial modification of the existing policy on shifting of HT/LT lines. The new modified Policy on Shifting of HT (11000V & 33000V) / LT(400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives is framed as under:

(i) In case of colonies set up under 20 point programme in the rural areas, the shifting of HT/LT lines would be done through the MLALAD funds, which would provide for 100% of the cost of shifting.

(ii) In respect of other rural areas, like Lal Dora areas and extended Lal Dora areas, the cost of shifting of HT/LT lines would also be made from the MLALAD funds, which would provide for 100% of the cost of shifting.

(iii) In respect of farmhouses, the entire cost of shifting will be borne by the affected consumers. In case of farmers other than farmhouse owners, 50% of the estimated cost of shifting is to be borne by the affected consumers and other 50% would be borne from the MLALAD funds.

(iv) In respect of regularized unauthorized colonies including urbanized villages and resettlement colonies, 50% of the cost of shifting will be borne from the MLALAD funds and the balance 50% would be borne by the Government from the budget of the Power Department.

(v) In case of HT/LT lines passing through Government institutions, Public Authority building, schools, hospitals, colleges of Public nature and which are owned by the Government, 100% of the funding would be met by the concerned department / agency for shifting of the lines.

(vi) In case of private institutions of a Public nature like educational and health institutions etc., 20% of the cost of shifting would be borne by the agency concerned and 80% by the concerned department in whose jurisdiction the agency functions.

(vii) Scope of the HT/LT lines to be covered will include the HT Transmission lines of 11 KV as well as 33 KV and LT lines of 400 V associated with the HT network.

This is for your kind information and necessary action please.

Yours faithfully,

(S.M. Ali)
Dy. Secretary (Power)

Copy for information to : -

1. All Hon'ble MLAs, Govt. of NCT of Delhi.
2. Pr. Secretary to C.M., Delhi.
3. Pr. Secretary (Finance), GNCTD.
4. C.M.D., Delhi Transco Limited.
5. OSD to C.S., Delhi.
6. PA to Secretary (Power), GNCTD.

95. सुश्री राखी बिड़ला **ऊर्जा**

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि मंगोलपुरी विधान सभा में स्थापित ट्रांसफारमर्स अत्यंत दयनीय स्थिति में है और वहां की जनता एवं संपत्ति के लिए एक गंभीर खतरा है,

ख) क्या इन ट्रांसफार्मर्स को बदले जाने का कोई प्रस्ताव है जैसा की दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है,

ग) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है और यह प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी, और

घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ऊर्जा मंत्री

क) मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र टीपीडीडीएल के लाईसेंस क्षेत्र में आता है इसलिए प्रश्न को टीपीडीडीएल को भेजा गया था। टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि क्षेत्र में सभी 11 के.वी./440 वोल्ट के सबस्टेशन व उससे जुडें सभी ट्रांसफार्मर्स सुरक्षित अवस्था में हैं तथा सभी ट्रांसफार्मर्स के आसपास सुरक्षा के लिए जरूरी बाड़ लगी हुई है।

ख से घ) टी.पी.डी.डी.एल. की उपरोक्त सूचना के अनुसार क्षेत्र के ट्रांसफार्मर्स को बदलने की आवश्यकता नहीं है।

96. श्री पवन कुमार शर्मा **सतर्कता**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) वर्ष 2006–07 से लेकर अब तक सतर्कता विभाग को शिक्षा विभाग से संबंधित कितने मामले प्राप्त हुए, और

ख) इन मामलों का वर्षवार विवरण क्या है?

(प्रश्न का उत्तर विभाग से प्राप्त नहीं हुआ)

97. श्री अजय दत्त **उच्च शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि पीजीएमएस के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग को 1879 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें से 54 शिकायतें अभी भी लंबित है,

ख) निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी 29 शिकायतों का निवारण न होने के क्या कारण है,

ग) क्या यह भी सत्य है कि 698 शिकायतों के निवारण हेतु विभागीय उत्तर/ कार्रवाई संतोषजनक नहीं थी,

घ) यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है,

ङ) क्या यह भी सत्य है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव द्वारा विभागीय अधिकारियों को समय–समय पर निर्देश जारी किए गए,

च) निर्धारित समयावधि के भीतर इन शिकायतों के समय पर निवारण हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए है,

छ) कब और किन अधिकारियों को ये शिकायतें भेजी गई, तिथियों सहित पूर्ण विवरण दें,

ज) इन शिकायतों के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए गए है, और

झ) इन शिकायतों का संतोषजनक निवारण कब तक कर दिया जाएगा?

उपमुख्यमंत्री

क) पीजीएमएस के पोर्टल के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित 12.03. 2018 तक 515 ाकायतें दर्ज पाई गई है, जिनमें से 10 शिकायतें अभी लंबित है।

ख) निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद कोई शिकायत लंबित नहीं है।

ग) पीजीएमएस के पोर्टल के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित 179 शिकायतों के विभागीय उत्तर/कार्रवाई संतोषजनक नहीं थी।

घ) जिन 179 शिकायतों का निवारण असंतोषजनक है वे शिकायतें केन्द्रीय/मानित विश्वविद्यालयों/भारत सरकार के विभागों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व निजी संस्थानों से संबंधित है। जो उच्च शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार के अधेन नहीं है। अतः इन शिकायतों को संबंधित विभागों/विश्वविद्यालयों/अनुदान आयोग इत्यादि को निवारण हेतु भेजा जा चुकाहै। जिन शिकायतों का निवारण इस विभाग द्वारा दूसरे विभागों के सहयोग से करना होता है, उनका निस्तारणकर दिया है।

इन 179 असंतोषजनक शिकायतों में से 104 शिकायतें केन्द्रीय/मानित विश्वविद्यालयों, भारत सरकार के विभागों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व निजी संस्थानों इत्यादि से संबंधित थी अतः उन शिकायतों के निवारण हेतू संबंधित केन्द्रीय/मानित विश्वविद्यालयों/भारत सरकार के विभागों व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादिको भेज दिया गया था।

17 शिकायतों का निस्तारण दूसरे विभागों के सहयोग से कर दिया गया है। 58 शिकायतों की स्थिति शिकायतकर्ता को सूचित कर दी गई है।

ङ) जी, हाँ।

च) जिन शिकायतों का निवारण इस विभग से संभव होता है उस शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध कर दिया जाता है। अन्य शिकायतें जो भारत सरकार के विभागों व केन्द्रीय/मानित विश्वविद्यालयों से संबंधित होती है उन शिकायतों को भारत सरकार के विभागों व केन्द्रीय/मानित विश्वविद्यालयों को निस्तारण हेतु भेज दिया जाता है।

छ) विस्तृत जानकारी पीजीएमएस के पोर्टल पर उपलब्ध है।

ज व झ) शिकायतों के निवारण हेतु संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता से टेलिफोन पर बात करके, उस शिकायत का संतोषजनक निस्तारण करने का प्रयास करता है व संबंधित शिकायतकर्ता को पत्र लिखकर भी सूचित किया जाता है।

98. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा **शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में पंजाबी टीचर्स नियुक्त करने की घोषणा की थी,

ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य के लिए कितने अतिरिक्त पद सृजित किए गए,

ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई नया विभाग खोला गया है,

घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है,

ङ) इस घोषणा के बाद कितने पंजाबी अध्यापक नियुक्त किए गए है,

च) कितने अध्यापक अभी नियुक्त किए जाने बाकी है,

छ) क्या इस उद्देश्य के लिए समुचित स्तर की यथोचित पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है,

ज) कितने बच्चों को पंजाबी भाषा पढ़ाई जा रही है, और

झ) सरकारी स्कूलों में पंजाबी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

उपमुख्यमंत्री

क) जी हाँ।

ख) टी.जी.टी. पंजाबी के 769 पदों का सृजन दिल्ली मंत्रीमंडल के निर्णय संख्या 2380 निांक 24.06.2016 के आदेश से उप राज्यपाल की पूर्वानुमति से किया गया। इससे पहले टी.जी.टी. पंजाबी के 255 पूर्व स्वीकृत पद थे। जिनको मिलाकर टी.जी.टी. पंजाबी के 255 पूर्व स्वीकृत पद थे। जिनको मिलाकर टी.जी.टी. पंजाबी के कुल 1024 स्वीकृत पद वभाग के पास उपलब्ध है।

ग) जी नहीं।

घ) इसके लिए अलग से वित्त मद का सृजन नहीं किया गया है। इसके लिए उपलब्ध वित्त मदों में पर्याप्त धन का प्रावधान है।

ङ) वर्तमान में टी.जी.टी. पंजाबी के 1018 पद शिक्षा निदेशालय संस्वीकृत है जिसमें से भर्ती नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत (254) पद सीधी भर्ती व 75 प्रतिशत (764) पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इस निदेशालय में कार्यरत टी.जी.टी. पंजाबी का विवरण एम.आई.एस. डाटा के अनुसार इस प्रकार हैः—

क्र.	संस्वीकृत	नियमित	गेस्ट	एसएसए	एकेडमी	कुल भरे पद	रिक्त पद
1	1018	123	116	3	90	332	686

इस घोषणा से पहले डीएसएसएसबी को 90 टी.जी.टी. पंजाबी अध्यापक के पदों को भरने हेतु मांग पत्र भेजे जा चुके थे। जिसके संदर्भ में 09 डोजियर नवम्बर 2016 से पहले प्राप्त हुये। जिनमें से 04 नियमित टी.जी.टी. पंजाबी अध्यापक इस घोषणा से पहले व 04 नियमित टी.जी.टी. पंजाबी अध्यापक इस घोषणा के बाद नियुक्त किये गये एवं 01 नियमित टी.जी.टी. पंजाबी अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत है। इनके अतिरिक्त, इस घोषणा के बाद 72 अनुबंधित अतिथि शिक्षकों की भर्ती भी की गई।

च) 214 टी.जी.टी. पंजाबी अध्यापक मदों के लिये मांग को सीधी भर्ती और 682 टी.जी.टी. पंजाबी अध्यापक के पद विभागीय पदोन्नति के तहत भरे जाने हैं।

1. 214 टी.जी.टी. पंजाबी अध्यापक पदों के लिये मांग को सीधी भर्ती के तहत डीएसएसएसबी को भेज दिया गया है इसके बारे में डीएसएसएसबी द्वारा विज्ञापन संख्या 4/17 दिनांक 20.12.2017 को विज्ञापित किया गया है।

2. 682 टी.जी.टी. पंजाबी अध्यापक के पदों को विभागीय पदोन्नति के तहत भरने के लिये सहायक शिक्षक एम.सी.डी. और सहायक शिक्षक/लेब सहायकों (DOE) से आवेदन मांगे गये हैं। जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.03.2018 है।

छ) 29056 बच्चों ने पंजाबी भाषा का तृतीय भाषा के रूप में चयन किया है। इस उद्देश्य के लिये समुचित स्तर की यथोचित पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। कक्षा छः से लेकर आठ तक पंजाबी की एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा रचित पुस्तकें दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, दिल्ली द्वारा प्रकाशित की जाती हैं तथा दिल्ली सरकार के विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाती है।

ज) विभाग ने उत्तर नहीं दिया,

झ) सत्र 2018–19 में सभी सरकारी विद्यालयों में, बच्चों की पंजाबी भाषा के प्रति रूचि बढ़ाने हेतु ''पंजाबी भाषा क्लब'' बनाया जायेगा। जिसमें अध्यापक/अध्यापिकाओं एवं छात्र/छात्राओं की सहभागिता रहेगी। इसके माध्यम से पंजाबी भाषा में विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताऐं विद्यालय, क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर आयोजित होंगी। इसके लिए 2018–19 के बजट में भी प्रावधान किया गया है।

99. हाजी इशराक **राजस्व**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार का दिल्ली में लैंड रिकॉर्डस को कम्प्यूटरीकृत करने का कोई प्रस्ताव है,

ख) कितने गांवों में लैंड रिकार्डस को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है,

ग) क्या यह परियोजना शैड्यूल के मुताबिक है,

घ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण है, और

ङ) लैंड रिकार्डस के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना के कब तक पूर्ण होने का प्रस्ताव है?

राजस्व मंत्री

क) जी हाँ, 224 गांव के लैंड रिकॉर्डस के कम्प्यूटाराइजेशन का कार्य जारी है।

ख) दिल्ली के 192 ग्रामीण गांवों के लैंड रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण पूरा कर दिया गया है। कुल 224 गांवों में से बचे हुए 32 गांवों का रिकॉर्ड निम्नलिखित कारणों से डिजिटाइज्ड नहीं हो पाया हैः—

गाँवों की संख्या	गाँवों के नाम	डिजिटाइज्ड न होने के कारण
16	घरौंडा नीमका खादर, चिल्ला सरोंडा खादर, कोटला, खिचड़ीपुर, शक्करपुर खास, शकरपुर बरामद, मण्डावली फैजलपुर, गाजीपुर, खुरैजी खास, हसनपुर, घोण्डा गुजरान बांगर, घोण्डा गुजरान खादर, घोण्डा चौहान खादर, घोण्डा चौहान बांगर, समयपुर, बादली	शहरीकृत होने के कारण
2	झरौंडा माजरा बुराड़ी, मुकंदपुर	पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट लागू होने के कारण
6	दरियापुर कलां, पूठ खुर्द, नंगली पूना, अलीपुर, खेड़ा कलां, सिंघोला	चकबन्दी जारी होने के कारण
1	सभापुर शाहदरा	विरूप्त रिकॉर्ड के कारण

3	मोलड़बंद, आली, चकचिल्ला	भाग के विभाजन में विसंगति के कारण
1	असोला	मामला जाँच में होने के कारण
3	भाटी, देवली, याकूत	सत्यापन की प्रक्रिया में होने के कारण

ग) लैंड रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण व अधतिकरण एक सतत् प्रक्रिया है, इसके लिए कोई शेड्यूल या समय सीमा निर्धारित नहीं है।

घ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं होता।

ङ) बाधाओं के दूर होते ही शेष ग्रामीण गाँवों के लैंड रिकॉर्डस के शीघ्रातिशीघ्र कम्प्यूटरीकरण के प्रति विभाग प्रतिबद्ध है इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर पाना संभव नहीं है।

100. श्री विजेन्द्र गुप्ता **शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार ने 500 नये स्कूल खोलने की घोषणा की थी,

ख) इस सरकार के कार्यकाल में कितनी जमीन अधिगृहीत की गई और कितने स्कूल खोले गए, पूर्ण विवरण दें,

ग) पिछली सरकारों द्वारा अधिगृहीत जमीन पर कितने स्कूल खोले गए,

घ) स्कूलों के लिए उपलब्ध जमीनों एवं उनकी लोकेशंस का विवरण क्या है, और

ङ) इन जमीनों पर निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

उप मुख्यमंत्री

क) जी हाँ। दिल्ली में यथा संभव अधिक से अधिक स्कूल खोलने की जरूरत है और सरकार ने 500 स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा था। दिल्ली में कई कालोनियाँ ऐसी भी हैं, जहाँ आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार ने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने हेतु जरूरतमंद इलाकों में ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में, जहाँ जगह उपलब्ध थीं वहाँ अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कराने का भी लक्ष्य रखा। सरकार का लक्ष्य स्कूल की संख्या गिनाना नहीं बल्कि हरेक बचचे को आवश्यकतानुसार और नियमानुसार शिक्षा उपलब्ध कराना है।

ख) इस सरकार के कार्यकाल में 35 प्लाट अधिग्रहित किये गये हैं और 14 नई आवंटित जमीनों को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया चल रही है।

2015 से अब तक कुल 16 नये विद्यालय दिल्ली सरकार के अधीन खोले गये।

ग) पिछली सरकारों द्वारा अधिग्रहीत जमीनों पर 2015 से अब तक कुल 16 नये विद्यालय खोले गये।

घ) स्कूलों के लिये उपलब्ध जमीनों एवं उनकी लोकेशंस के विवरण की सूची संलग्न है।

ङ) 28 अधिग्रहित जमीनों पर पक्का स्कूल भवन बनाने के लये लोक निर्माण विभाग को 2015 में पत्रा प्रेषित कर दिया गया था। अभी लोक निर्माण विभाग में 30 जमीनों पर स्कूल भवनों के नक्शे बनाने की प्रक्रिया जारी है। बाकी जमीनों पर अगले चरण में स्कूल भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

List of vacant land taken over by DoE w.e.f.2015 till date

	Vacant Sites	Area of land	Date of Possession	Land owing agency	District
	Geeta Colony	4050 Sq. Mtr	23.02.2017	DDA	East
2	2nd Pusta, New Usmanpur	3014 Sq. Yds	16.04.2015	Gaon Sabha	NE
3	Shiv Vihar, Karawal Nagar	1000 Sq Yads	29.02.2016	Gaon Sabha	NE
4	Karawal Nagar	362 Sqm.	12.05.2017	Gaon Sabha	NE
5	Nand Nagri	988.2 Sqm	05.06.2017	DUSIB	NE
6	New Seema Puri	463.5 Sqm	05.06.2017	DUSIB	NE
7	Sri Ram colony ,Khajuri chowk, near Sonia Vihar WTP	7.5 acre	Jan, 2017	Gaon Sabha	NE
8	Kadipur	62 Bigha 06 Biswa	16.07.2015	Gaon Sabha	NW-A
9	Kadipur	05 Bigha 08 Biswa	06.10.2015	Gaon Sabha	NW-A
10	Kadipur	04 Bigha 16 Biswa	06.10.2015	Gaon Sabha	NW-A
11	Kadipur	24 Bigha	06.10.2015	Gaon Sabha	NW-A
12	Kadipur	09 Bigha 12	06.10.2015	Gaon Sabha	NW-A
13	Bankner	08 Bigha 01 Biswa	06.10.2015	Gaon Sabha	NW-A
14	Ibrahimpur	05 Bigha	06.10.2015	Gaon Sabha	NW-A
15	Bhalaswa, JJ Colony	6000 Sqm.	25.05.2017	DUSIB	NW-A
16	Bhalaswa, JJ Colony	7288 Sqm	25.05.2017	DUSIB	NW-A
17	Bhalaswa, JJ Colony	1275.91 Sqm	25.05.2017	DUSIB	NW-A
18	Bhalaswa, JJ Colony	2160 sqm.	25.05.2017	DUSIB	NW-A
19	Village Jaunti	15 Bigha 16 Biswa	06.06.2016	Gaon Sabha	NW-B
20	Jaunapur	39 Bigha 08 Biswa	20.08.2015	Gaon Sabha	South
21		06 Bigha 09 Biswa	20.08.2015	Gaon Sabha	South
22	Dakshin Puri Extn., Block-8	755 sqm.	23.05.2017	DUSIB	South
23	Dakshin Puri, Block-Z	2579.38 sqm.	23.05.2017	DUSIB	South
24	Dakshin Puri, Block-E	2114 sqm.	23.05.2017	DUSIB	South
25	Dakshin Puri, Block-B	1428.46 sqm.	23.05.2017	DUSIB	South
26	Jaffarpur Kalan	10 Bigha 04 Biswa	03.11.2015	Gaon Sabha	SW-B
27	Shyam Vihar	03 Bigha 10 Biswa	07.08.2015	Gaon Sabha	SW-B
28	Goela Khurd	14 Bigha 15 Biswa	30.11.2015	Gaon Sabha	SW-B
29	Nangli Shakrawati	14 Bigha 08 Biswa	09.08.2016	Gaon Sabha	SW-B
30	Shafipur Ranhola	08 Bigha 15.5 Biswa	03.02.2016	Gaon Sabha	West - B
31	Bakarwala	06 Bigha 08 Biswa	26.08.2015	Gaon Sabha	West - B
32	Sat Bari	27 Bigha 07 Biswa	20.02.2018	Gram Sabha	South
33	Asola	28 bigha	2017	Gram Sabha	South
34	Samaspur Khalsa	159 Bigha 16 Biswa	2017	Gram Sabha	SW-B
35	Village Kair	87 Bigha 04 Biswa	2017	Gram Sabha	SW-B

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अता. 225 श्री जगदीश प्रधान **शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या यह सत्य है कि स्कूलों के लिए कमरों का निर्माण खेलों के लिए बनाए गए ग्राउंड पर किया गया ;

ख) क्या कमरों के निर्माण के कारण बच्चों के खेल–कूद में कोई बाधा आई है;

ग) कितने मामलों मे विद्यमान कमरा को तोडकर नए कमरे बनाए गए;

घ) इन कमरों के निर्माण पर कितना खर्चा आया ?

उपमुख्यमंत्री

क) स्कूलों के लिये कमरों का निर्माण संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों से सलाह–मशवरा करके उस स्थान पर बनाये जाते हैं जो विद्यार्थियों के किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करते।

ख) ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया।

ग) लगभग 1870 टिन शेड पुराने/एस.पी.एस. कमरे तोड़कर नए कमरों का निर्माण किया गया।

घ) कुल मिलाकर शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में लगभग 8000 कमरों का निर्माण हो रहा है। जिसमें से 7394 कमरों का निर्माण अभी तक हो चुका है। इन सभी कमरों पर लगभग 1390 करोड़ की व्यय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग व डी.टी.डी.सी. (पायलट स्कूल) को दी गई है।

अता. 226. श्री महेन्द्र यादव **शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक शिक्षा विभाग से संबंधित 12792 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 351 शिकायतें अभी भी लंबित है;

ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 26 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है, यदि हां तो इसका कारण क्या है;

ग) क्या यह भी सत्य है कि 4776 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है, यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

घ) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए;

ड.) इन शिकायतों का समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

च) निवारण के लिए ये शिकायतें किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गईं, इसका विवरण प्रदान करें;

छ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और

ज) इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जाएगा?

उप मुख्यमंत्री

क) यह सत्य है कि 27.02.2018 तक शिक्षा विभाग में 12795 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 355 शिकायतें उस दिन लम्बित थीं, जिनमें से केवल 26 निवारण समय सीमा से अधिक लम्बित थीं और 12440 का निवारण 27.02.2018 तक कर दिया गया था। विभाग का निवारण दर 97 प्रतिशत रहा है।

ख) जी हाँ, 27.02.2018 को 26 शिकायतें समय सीमा से अधिक लम्बित थीं। कुछ शिकायतों में जटिल प्रशासनिक एवं वैधानिक मामले होने के कारण समय अधिक लग जाता है।

ग) जी हाँ। संबंधित शिकायतों पर पुनः विचार करके उचित उत्तर दिया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

घ) जी हाँ।

ङ) विभाग के सभी अधिकारी शिकायतों का नियमित रूप से निस्तारण करते हैं।

च) PGMS की सभी शिकायतें समय सीमा अनुसार संबंधित AGROs (Assistant Grievance Redressal Officer) को निवारण हेतु भेजी जाती हैं।

छ) AGROs की बैठक में उन्हें निर्देश दिया गया है कि असंतोषजनक शिकायतों पर पुर्नविचार करके जवाब दिया जाये। संबंधित अधिकारी इन शिकायतों के निवारण हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हैं जिसका जवाब PGMS पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है।

ज) शिकायतों का समयबद्ध निवारण एक सतत् प्रक्रिया है। विभाग का निवारण दर 97 प्रतिशत रहा है।

अता. 227 श्री विजेन्द्र गुप्ता **शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) डी डी ए द्वारा अब तक दिल्ली सरकार को नये स्कूल खोलने के लिए कितने प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं,

ख) यदि हाँ, तो अब तक कितने स्कूलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और कितने स्कूलों पर काम चल रहा है, पूर्ण विवरण क्या है;

ग) जिन प्लाटों पर अभी तक निर्माण नहीं किया गया है, उन पर अतिक्रमण रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

घ) डीडीए द्वारा आवंटित सभी प्लाटों पर कब तक स्कूल चालू किए जाने की योजना है?

उपमुख्यमंत्री

क) उपलब्ध जानकारी के अनसार डी.डी.ए. द्वारा अब तक दिल्ली सरकार को नये स्कूल खोलने के लिए 130 प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं।

ख) अब तक लगभग 115 प्लाटों पर स्कूलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और शेष पर स्कूल बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

ग) इन सभी प्लाटों पर देख रेख के लिये सुरक्षा गार्ड तैनात किये गये हैं। साथ ही इन सभी पर चारदीवारी के लिये लोक निर्माण विभाग को व्यय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

घ) लोक निर्माण विभाग को दिल्ली विकास प्राधिकरण के 11 खाली प्लाटों पर पक्का भवन बनाने के लिये सूची प्रदान की गई है जिसके नक्शे लोक निर्माण विभाग में विचराधीन है। बचे हुये प्लाटों पर भवन बनाने की प्रक्रिया अगले चरण में जल्द ही शुरू की जायेगी।

अता. 228 श्री विजेन्द्र गुप्ता **शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) सरकार ने अपने कार्यकाल में विद्यमान परिसरों में कितने नए कमरे निर्मित किये हैं;

ख) ये कमरे पक्के हैं अथवा अर्धपक्के,

ग) क्या इन कमरों की निर्माण भौली ऐसी है कि बच्चों को गर्मी और सर्दी से बचाया जा सके; और

घ) क्या इनको बनाने से पूर्व इनकी आवश्यकता हेतु कोई सर्वे किया गया था,

ङ) सर्वे में क्या छात्रों की संख्या अधिक पाई गई थी और उनको शिक्षण देने के लिए नए कमरों की आवश्यकता थी; और

च) निर्माण से पहले प्रत्येक विद्यालय में कितने बच्चे थे और निर्माण के बाद कितने बच्चे बढ़े?

उपमुख्यमंत्री

क) सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में विद्यमान परिसरों में लगभग 8000 नए कमरों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें से लगभग 7394 कमरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

ख) अर्धपक्के (SPS)

ग) जी हाँ। सभी अर्ध पक्के कक्ष प्रचलित तकनीक से तैयार किये गये हैं। जो संरचनात्मक रूप से सुरक्षित हैं और पर्यावरण के अनूकूल हैं तथा इनकी

संरचना में ताप चालकता से बचाव के गुण हैं। बच्चों को गर्मी और सर्दी से बचाया जा सकता है।

घ व ङ) नये कमरों के निर्माण के लिये पहले चरण में उन विद्यालयों का चयन किया गया जिनका छात्र कक्षा अनुपात आर.टी.ई. मापदण्ड से बहुत ज्यादा था। नये कमरों के निर्माण के पश्चात् अधिकांश विद्यालयों में इस अनुपात में सुधार आया है।

च) 175 विद्यालयों में 2015–16 में 442523 विद्यार्थी थे, और 2017–18 में 425037 विद्यार्थी हैं।

अता. 229 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा **शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या यह सत्य है कि टैगोर गार्डन स्थित सर्वकन्या विद्यालय नं0 2 में सीवर सिस्टम हमेशा जाम रहता है;

ख) क्या यह भी सत्य है कि 37 टीन भोड कमरे गिरवाकर नई बिल्डिंग बननी है;

ग) क्या यह भी सत्य है कि टैगोर गार्डन स्थित गर्वनमेंट ब्वॉयज विद्यालय नं0 1 में खस्ता हालत के कारण दो सीढ़ियां, एक टॉयलेट ब्लॉक तथा एक मल्टी परपज हॉल को बन्द कर दिया गया है;

घ) क्या यह भी सत्य है कि इनके स्थान पर नया भवन बनाया जाना जरूरी है; और

ङ) सरकार इस कार्य के लिए कब तक फंड जारी करेगी और कब काम भुारू होगा ?

उप मुख्यमंत्री

क) इस विद्यालय का सीवर सिस्टम के बारे में पहले जाम होने की शिकायत थी परंतु अब इसकी मरम्मत करा दी गई है।

ख) 37 टीन शेडकमरे गिराकर उसकी जगह 68 क्लास क्लास रूम एवं एक एमपी हाल बनाने का प्रस्ताव ''प्राथमिकता दो'' में रखा गया है। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

ग) जी हाँ। एमपी हाल बंद कर दिया है इसके गिराने (डिमोलिशन) का आदेश हो चुका है। एक टॉयलेट ब्लाक बंद है उसे मरम्मत की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को दी जा चुकी है। कार्य जल्द ही आरम्भ कर दिया जायेगा।

दो सीढ़ियाँ जिसमें कुछ कमी थी उसकी मरम्मत करा दी गई है।

घ) इनके स्थान पर 49 एसपीएस एवं एक एमपी हाल बनाने का प्रस्ताव ''प्राथमिकता दो'' में रखा गया है।

ङ) ई.एफ.सी. मीटिंग 15.03.2018 को हो चुकी है, जिसमें ई.एफ.सी. ने अनुमोदन स्वीकृत कर दिया है। इसके लिए मंत्री मंडल से अनुमोदन लिया जायेगा।

अता. 230 श्री मनजिंदर सिहं सिरसा **शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन में स्थित सर्व कन्या विद्यालय में सीवर ब्लाक रहते हैं तथा टॉयलेट ब्लॉक भी टूटा–फूटा है;

ख) क्या यह भी सत्य है कि इस स्कूल में 26 अतिरिक्त कमरे बनाए जाने हैं?

ग) क्या यह भी सत्य है कि राजौरी गार्डन एक्सटेंशन स्थित गर्वनमेंट ब्वॉयज सीनियर सेकेन्डरी स्कूल में 16 नए कमरे बनाने के लिए 1.9 करोड़ रुपये की लागत के टैंडर आमंत्रित किये गये थे, परन्तु अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है;

घ) क्या यह भी सत्य है कि रघुबीर नगर स्थित गर्वनमेंट कोएजुकेशन सीनियर सेकेन्डरी स्कूल के 1100 बच्चों के लिए यहाँ पर आर0ओ0 प्लांट तुरन्त लगवाए जाने की आवश्यकता है ?

ङ) यदि हाँ, तो ये सभी कार्य कब तक सम्पन्न करा दिये जायेंगे, क्रमवार उत्तर दें

उप मुख्यमंत्री

क) लोक निर्माण विभाग द्वारा सीवर सिस्टम की मरम्मत कर दी गई है तथा टॉयलेट ब्लाक जो टूटा हुआ था उसकी मरम्मत का काम चल रहा है।

ख) फेज–2 के अंतर्गत सर्वोद कन्या विद्यालय (मेन), राजौरी गार्डन में 32 कमरे बनाये जाने का प्रस्ताव है।

ग) राजौरी गार्डन एक्सटेंशन स्थित गर्वनमेंट ब्वॉयज सीनियर सेकेन्डरी स्कूल में 16 नए कमरे बनाने के लिए 1.9 करोड़ रुपये की लागत के टैंडर लोक निर्माण विभग द्वारा आमंत्रित किये गये थे, लेकिन ये टैंडर निरस्त कर दिये गये क्योंकि इस टैंडर के तहत दो मंजिला एस.पी.एस. कमरे बनने थे। परंतु अब यहाँ पर फेज–2 के अंतर्गत 34 नये एस.पी.एस. कक्षा कक्ष और एक एमपी हाल बनाये जाने का प्रस्ताव है।

घ) स्कूल में तीन एक्वागार्ड लगे हुए हैं जिसमें से दो पूरी तरह चल रहे हैं और एक की मरम्मत की आवश्यकता है। आर.ओ. प्लांट लगवाने के लिए

लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमानित राशि प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह कार्य दो महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

ङ) ख, ग के संदर्भ में, वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य आरम्भ कर दिये जायेंगे। घ के संदर्भ में दो महीने।

अता0 231 श्री ओम प्रकाश शर्मा **शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या यह सत्य है कि गत दो वर्षों में दिल्ली के 98,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों को छोड़कर अपनी पढ़ाई बन्द कर दी;

ख) क्या यह भी सत्य है कि गत दो वर्षों में सरकार शिक्षा पर 1982 करोड़ रुपये व्यय नहीं कर पाई;

ग) क्या यह भी सत्य है कि लाडली योजना पर व्यय में निरन्तर कमी आ रही है और यह खर्चा 112.29 करोड़ से घटकर सिर्फ 96.68 करोड़ हो गया है; और

घ) यदि हाँ, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है?

उप मुख्यमंत्री

क) जी नहीं।

ख) पुनः निर्धारित आंकलन के अनुरूप शिक्षा विभाग को वित्त वर्ष 2015–16 में रु. 285207.18 लाख आवंटित किया गया था जिसमें से रु. 259008.74 लाख का व्यय हुआ। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 के पुनः निर्धारित आंकलन

में रु. 365734.00 लाख आवंटित किया गया था जिसमें से रु. 310430.38 लाख का व्यय हुआ।

ग) महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार लाड़ली योजना पर पिछले पांच (05) वर्षों में आवंटित बजट और योजना पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	वित्त वर्ष	आवंटित बजट (रु. करोड़ में)	किया गया व्यय (रु. करोड़ में)
1	2012–13	95.50	95.50
2	2013–14	104.00	103.88
3	2014–15	96.00	95.64
4	2015–16	103.04	101.92
5	2016–17	97.72	96.67

चालू वित्त वर्ष 2017–18 में आवंटित बजट रु. 100.00 करोड़ है जिसें से फरवरी माह तक रु. 83.81 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

घ) शिक्षा निदेशालय द्वारा किये गये प्रयासः–

1. चुनौती 2018
2. मिशन बुनियाद
3. प्रगति किताबें
4. आनलाइन ट्रांसफर एवं एडमिशन
5. परिचय सेशन
6. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस

7. मेगा पी.टी.एम.
8. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्कूलों को गोद लेना
9. टीचर ट्रेनिंग फेसिलिटी
10. पुस्तकालय
11. समर केम्प
12. यूथ पार्लियामेंट
13. सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग
14. पब्लिकेशन
15. एसेसमेंट यूनिट
16. कंम्पयूटर आधारित कक्षायें
17. खेलों को प्रोत्साहन
18. रूचिकर पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियाँ

अता. 232 श्री ओम प्रकाश शर्मा **शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2016–17 में बच्चों पर पाठयक्रम का बोझ कम कर पुनः संगीत, नाटक, कला इत्यादि में प्रशिक्षण देने के लिए अलग से पहली बार 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था;

ख) इस दिशा में क्या प्रगति हुई, इसकी विस्तृत जानकारी दें;

ग) क्या स्कूलों में बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम हुआ;

घ) इसके लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाए गए; और

ङ) वर्ष 2017–18 में इस योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई और उसमें से कितनी व्यय हुई ?

उप–मुख्यमंत्री

क) जी हाँ, शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2016–17 में 54 पायलट स्कूलों में संगीत, नाटक, कला इत्यादि में प्रशिक्षण देने के लिये रु. 5 लाख प्रति विद्यालय का प्रावधान किया था।

ख) वर्ष 2016–17 में इन विद्यालयों में 65 व्यक्तिगत व 14 निजी अकादमियों के प्रशिक्ष नियुक्त किये गये थे। यह सभी स्कूलों में किया गया।

ग) हाँ।

घ) 1. हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषयों में कक्षा VI से VIII तक निष्ठा व प्रतिभा ग्रुप पर केन्द्रित पाठ्यक्रम जारी किया गया।

2. कक्षा VI से VIII हिंदी और अंग्रेजी विषय की Supplementary Reader पुस्तक से केवल गतिविधियाँ कराई गईं। इन पुस्तकों से किसी भी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं।

ङ) वर्ष 2017–18 में इस योजना के लिये रु. 5 लाख प्रति विद्यालय आबंटित किए गए हैं। चूंकि वित्तीय वर्ष 2017–18 अभी जारी है, अतः खर्चे का ब्यौरा 31.03.2018 के बाद दिया जा सकता है।

इस योजना की सफलता से प्रेरित होकर शिक्षा निदेशालय की वर्ष 2018–19 से सभी विद्यालयों में संगीत, नाटक, कला इत्यादि में प्रशिक्षण

देने की योजना है। यह योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इसके तहत निजी अकादमी/व्यक्ति/गैर सरकारी संस्थानों को सरकारी विद्यालय में प्रशिक्षकों को निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इसके एवज में प्रशिाकों को कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना होगा जो कि सरकारी विद्यालयों से होंगे।

अता. 233 श्री ओम प्रकाश शर्मा **शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) सरकार विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन–कौन सी योजनाओं पर काम कर रही है ;

ख) सरकार ने कितने स्कूलों में खेलों के लिए नए ग्राउंड तैयार किए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दें;

ग) क्या यह सत्य है कि सरकार खेल प्रतिभा विकास विद्यालय तैयार कर रही है;

घ) यदि हाँ, तो इसकी विस्तृत जानकारी क्या है;

ङ) क्या सरकार स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है; इसकी विस्तृत जानकारी दें; और

च) सरकार ने स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उप मुख्यमंत्री

क) सरकार द्वारा विद्यालयों में खेल–कूद को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित योजनायें बनाई गईं हैं:–

1. विभिन्न विद्यालयों के खेलों के मैदान का उपयोग करने हेतु खेल अकादमियों/क्लबों/व्यकित्गत कोच इत्यादि से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इसके तहत सरकारी विद्यालयों व निजी विद्यालयों के 50–50 प्रतिशत बच्चों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस योजना में सरकरी विद्यालयों के बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा निजी विद्यालयों के बच्चों से खेल अकादमियों द्वारा फीस ली जायेगी।

2. शिक्षा विभाग द्वारा Play & Progress नामक योजना बनाई गई है जिसके तहत 14 वर्ष व 17 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अधिकतम क्रमशः रुपये 2 लाख व रुपये 3 लाख तक की वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी ताकि वे अपनी खेल सामग्री/जलपान/खेल के कपड़े/जूते इत्यादि ले सकें। इसके अलावा अलग से एक लाख रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष का एक ''विशेष प्रशिक्षण फंड'' के तहत बजट में प्रावधान किया जायेगा। यह व्यय शिक्षा द्वारा चुने हुये बच्चों की कोचिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिये किया जायेगा।

ख) शिक्षा विभाग के खेल विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में किये गये नये कार्यों का विवरण इस प्रकार हैः–

1. तीन स्वीमिंग पूल– मयूर विहार फेज–2, वेस्ट विनोद नगर व पश्चिम विहार में।

2. फुटबाल व क्रिकेट के लिये गांव कैर में।

3. एथलेटिक सिंथेटिक ट्रेक–मुंडेला, बवाना व पूठकलां में।

4. एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड–अशोक नगर में।

ग) जी नहीं।

घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

ङ) जी हाँ।

च) वर्ष 2016–17 व 2017–18 में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने हेतु मुख्यतः निम्नलिखित कार्यों की प्रशासनिक अनुमति व व्यय स्वीकृति प्रदान की हैः–

1. नजफगढ़ स्टेडियम में एसी प्लांट लगवाने हेतु।
2. ईस्ट विनोद नगर खेल परिसर में फुटबाल की घास लगाने व कृत्रिम रोशनी की व्यवस्था करने हेतु।
3. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बादली में खेल का मैदान समतल करने हेतु।
4. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एस.यू. ब्लाक पीतमपुरा में बेडमिंटन हाल बनाने हेतु।
5. हाई मास्ट लाइट– घुम्मनहेड़ा में।

शिक्षा विभाग द्वारा पीतमपुरा के जी.पी. ब्लॉक में 400 खिलाड़ियों के छात्रावास की सुविधा देने हेतु योजना बनाई गई है। इस योजना में एक तरणताल व एक जिमनास्टिक हाल प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त नये ग्राउंड तैयार किये जाने का विवरण उपरोक्त ''ख'' में दिया गया है।

अता. 234 श्री पंकज पुष्कर **शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या यह सत्य है कि गवर्नमेंट सी.सै. ब्वाएज स्कूल, मुखर्जीनगर (डिस्ट्रिक्ट नोर्थ वैस्ट,जोन–9) में अध्यापकों द्वारा निदेशालय के नामित सोशल वर्कर एस.एम.सी. सदस्यों एवं विधायकों को जान से मारने की धमकी देने एवं अन्य अपराध के आरोपों से सबंधित एक शिकायत लम्बित है;

ख) यदि हाँ तो उक्त की जांच में अभी तक क्या प्रगति है, पूर्ण विवरण से अवगत कराएं;

ग) उक्त जांच में विधायक या अन्य अनेक एस.एस.सी सदस्यों से कोई मत न लिये जाने का क्या कारण है;

घ) उक्त जाचं में इतनी अधिक देरी किये जाने का क्या कारण है;

ङ) क्या यह भी सत्य है कि उक्त विद्यालय में ही एक जांच एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रही है; और

च) उक्त के सदंर्भ में जांच और विभाग की ओर से अभी तक की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री

क) जी हाँ।

ख) जाँच प्रक्रिया जारी है।

ग) अभी जाँच प्रक्रिया जारी है।

घ) मामला अपराधिक आरोप से संबंधित है। जिसकी जाँच पुलिस द्वारा भी की जा रही है।

ङ) जी हाँ।

च) ए.सी.बी. द्वारा मांगी गई सूचना विद्यालय प्रमुख द्वारा प्रदान कर दी गई थी। विभागीय कार्यवाही करने हेतु ए.सी.बी. से वांछित दस्तावेज मांगे गये थे जो अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतां 235 श्री रघुविंद्र शौकीन **शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि नांगलोई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित महाराजा सूरजमल स्टेडियम को दिल्ली सरकार के अधीन लाने की योजना सरकार के विचाराधीन है; और

ख) यदि हाँ, तो यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ?

उप मुख्यमंत्री

क) जी हाँ।

ख) दिनांक 18.01.2018 को सूरजमल स्टेडियम का शिक्षा विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था। इसके उपरांत दिनांक 13.03.2018 को दिल्ली विकास प्राधिकरण को सूरजमल स्टेडियम के हस्तांतरण की प्रक्रिया बनाते हेतु पत्र भेजा गया है।

अता. 236 श्री जगदीश प्रधान **उच्च शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कितने और कौन–कौन से कॉलेजों में द्वितीय पॉली/सांध्य कालीन कक्षाओं की मंजूरी दी है;

ख) सरकार ने वित्तीय पोषित कितने कॉलेजों में नए पाठक्रमों के लिए मंजूरी दी है; और

ग) इनसे कितने छात्र लाभान्वित होंगे ?

उपमुख्यमंत्री

क) दिल्ली सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित 12 कॉलेजों में से एक कॉलेज, भगिनी निविदेता कॉलेज में द्वितीय पॉली/सांध्य कालीन कक्षाओं की मंजूरी दी है।

ख) दिल्ली सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित 12 कॉलेजों में से छः कॉलेजों में 34 नए पाठ्यक्रमों के लिए मंजूरी दी गई है जोकि निम्नलिखित हैः—

1. अदिति महाविद्यालय, बवाना।
2. डॉ. भीम राव अम्बेडकर कॉलज, यमुना विहार।
3. भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अल्पाईड सांइसेज, द्वारका।
4. भगिनी निविदेता कॉलेज, नजफगढ़।
5. शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाईड सांइसेज फॉर वुमेन वसुन्धरा एन्क्लेव।
6. शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, रोहिणी।

ग) उपरोक्त पाठ्यक्रमों से कुल 1598 छात्र लाभान्वित होंगे।

अता. 237 सुश्री भावना गौड़ **उच्च शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न कॉलेजों मे प्रिंसिपल के पद रिक्त पड़े हैं और उनके स्थान पर कार्यवाहक प्रिंसिपल अथवा विशेष कार्य अधिकारी कॉलेज चला रहे हैं;

ख) यदि हां, तो कौन–कौन से कॉलेजों के प्रिंसिपल के पद रिक्त हैं ;

ग) क्या यह भी सत्य है कि कछु कॉलेजों के कार्यवाहक प्रिंसिपलों के संबंध में, इस पद के अयोग्य होने की जानकारियां सामने आई हैं;

घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में स्थाई प्रिंसिपल की नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यताओं का पूर्ण विवरण क्या है?

उप–मुख्यमंत्री

क) दिल्ली सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित 12 कॉलेजों में से 2 कॉलेजों में पद रिक्त है जहाँ कार्यवाहक / एक्टिंग (Officiating) प्रिंसिपल कार्यरत हैं तथ 5 प्रतिशत वित्त पोषित 16 कॉलेजों में से 12 कॉलेजों में पद रिक्त हैं जहाँ कार्यवाहक / एक्टिंग (Officiating) प्रिंसिपल कार्यरत हैं।

ख) दिल्ली सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित 12 कॉलेजों में से निम्नलिखित 2 कॉलेजों में पद रिक्त हैं जहाँ कार्यवाहक / एक्टिंग (Officiating) प्रिंसिपल कार्यरत हैं:–

1. इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल एजूकेशन एड स्पोर्ट्स सांइसेज, विकासपुरी।
2. महर्षि बाल्मिकी कॉलेज ऑफ एजूकेशन, गीता कॉलोनी।

दिल्ली सरकार द्वारा 5 प्रतिशत वित्त पोषित 16 कॉलेजों में से निम्नलिखित 12 कॉलेजों में पद रिक्त हैं जहाँ कार्यवाहक/एक्टिंग (Officiating) प्रिंसिपल कार्यरत हैं:–

1. गार्गी कॉलेज
2. राजधानी कॉलेज
3. श्री अरबिंदो कॉलेज
4. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वोमेन
5. कमला नेहरू कॉलेज
6. विवेकानन्द कॉलेज
7. मैयत्री कॉलेज
8. भारती कॉलेज
9. सत्यावती कॉलेज
10. मोती लाल नेहरू कॉलेज
11. दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कामर्स
12. स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज

ग व घ) दिल्ली विश्वविद्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार महाविद्यालयों में कार्यवाहक प्रिसिंपल की नियुक्ति महाविद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा संबंधित ऑर्डिनेन्स XVIII एवं ग्ग्प्ट में उल्लेखित योग्यता एवं मापदंड के अनुरूप की जाती है। जिनका अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा इन्ही प्रावधानों के अधीन किया जाता है। इस संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है,

तो दिल्ली विश्वविद्यालय उसका यथोचित निपटारा निरीक्षण करने के बाद करता है। इस निदेशालय में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे दिल्ली विश्वविद्यालय को निरीक्षण एवं यथोचित निपटारे के लिए प्रेषित कर दिया जाता है।

ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रिंसिपल की नियुक्ति का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

(1/3) परिशिष्ट - 1

Annexure-III

Logo of the College NAME OF THE COLLEGE

The qualifications for the appointment of Principal in Colleges are in accordance with the UGC regulations 2010 and their subsequent amendments as adopted by the University of Delhi

PRINCIPAL (OTHER THAN EDUCATION, PHYSICAL EDUCATION AND MEDICAL COLLEGE)

(i) A Master's Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed)* by a recognized University.

A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders, who have obtained their Master's Degree prior to 19 September 1991.

(ii) A Ph.D. Degree in concerned/allied/relevant discipline(s) in the institution concerned with evidence of published work and research guidance.

(iii) Associate Professor/Professor with a total experience of fifteen years of teaching/research/administration in Universities, Colleges and other institutions of higher education.

(iv) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS), as set out in this Ordinance for direct recruitment of Professors in University/Colleges.

(v) The term of appointment of the College Principal shall be five years with eligibility for reappointment for one more term only after a similar Selection process which shall take into account an external peer review, its recommendations and its outcomes. The framework of the external peer review as specified by UGC, is as follows:

The constitution of the External Peer Review Committee shall be as under: -

i. Nominee of the Vice-Chancellor.
ii. Nominee of the Chairman, University Grants Commission.

The nominees shall be nominated from the Principals of the Colleges with Excellence/College with Potential for Excellence/Autonomous Colleges/ NAAC 'A+' accredited Colleges.

The Report of the above Peer Review Committee shall be the main basis for re-appointment of the Principal.

Scanned by CamScanner

* Note:

A relaxation of 5% may be provided at the Graduate and Masters level for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Differently-abled (Physically and Visually differently-abled) /Other Backward Classes (OBC) (Non-creamy layer) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic records during direct recruitment to faculty positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.

CHAIRMAN, GOVERNING BODY

****

(3/3)

दिल्ली विश्वविद्यालय
University of Delhi

receipt of the list from the University. The UGC Standing Committee may also, suo-moto, recommend journals for inclusion in the "List of Journals".

16. **Ordinance XXII** – Emoluments, Terms and Conditions of Service of Vice-Chancellor

Existing	Proposed
1. (a) The posts of Vice-Chancellor shall carry a fixed pay of Rs. 75,000 along with a special pay of Rs. 5,000 per month.	1. (a) The post of Vice-Chancellor shall carry a fixed pay of Rs.75,000/- alongwith a **special allowance** of Rs.5,000/- per month.

17. **Ordinance XXIV– Clause XIII.** QUALIFICATIONS FOR THE POST OF PRINCIPAL OF COLLEGES

Existing	Proposed
I. (v) The term of appointment of the College Principal shall be FIVE years with eligibility for reappointment for another term only after following the due process of selection laid down under Ordinance XVIII.	(v) The term of appointment of the College Principal shall be five years with eligibility for reappointment for one more term only after a similar Selection process which shall take into account an external peer review, its recommendations and its outcomes. The framework of the external peer review as specified by UGC is as follows: The constitution of the External Peer Review Committee shall be as under: - (i) Nominee of the Vice-Chancellor. (ii) Nominee of the Chairman, University Grants Commission The nominees shall be nominated from the Principals of the Colleges with Excellence/College with Potential for Excellence/Autonomous Colleges/ NAAC 'A+' accredited Colleges. The Report of the above Peer Review Committee shall be the main basis for re-appointment of the Principal.

{&} Refer Explanatory Notes.

अता. 238 श्री मो. इशराक **उच्च शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

क) दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, उनका पिछले 10 वित्त वर्ष के दौरान सालाना बजट क्या रहा है;

ख) उच्च शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन कितने महाविद्यालयों को अनुदान देता है;

ग) पिछले 10 वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन प्रत्येक महाविद्यालय को दी जाने वाली अनुदान राशि की सूची उपलब्ध कराई जाए;

घ) इन महाविद्यालयों की संचालन समिति के गठन में दिल्ली सरकार की क्या भूमिका है; और

ङ) दिल्ली सरकार की सिफरिशें न मानने पर इन महाविद्यालयों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है ?

उपमुख्यमंत्री

क) दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 28 महाविद्यालय और 4 विश्वविद्यालय हैं। पिछले 10 वित्त वर्ष के दौरान इनका सालाना बजट बी.ई. सलंग्न है (देखे परिशिष्ट–1)

ख) उच्च शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन 28 महाविद्यालयों को 5 प्रतिशत और 12 महाविद्यालयों को 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

ग) पिछले 10 वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन प्रत्येक महाविद्यालय को दी जानी वाली अनुदान राशि के लिये उपरोक्त परिशिष्ट–1 में उपलब्ध कराई गई है।

घ) इन महाविद्यालयों की गवर्निंग बॉडी का गठन दिल्ली विश्वविद्यालय के ई. सी. रेजोल्यूशन संख्या 51 दिनाँक 03/11/2012 के अनुसार किया जाता है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है (देखे परिशिष्ट–2)

च) दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधन प्राप्त कॉलेजों पर प्रशासनिक नियंत्रण दिल्ली विश्वविद्यालय का है और दिल्ली विशविद्यालय ही उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। दिल्ली सरकार से अनुदानित महाविद्यालयों द्वारा सिफारिश न मानने पर दिल्ली विश्वविद्यालय को कार्रवाई करने के लिए पत्र व्यवहार किया जाता है।

परिशिष्ट 1

Year Wise Detail of 100% Funded Colleges

Rs. in Crore

S.NO	Name of College	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18(R.E)
1	Acharya Narendra Dev College Govind Puri, Kalkaji, New Delhi-19.	14.49	9.6	12.9	16.32	19.875	17.29	22.65	25.71	27.2
2	Aditi Mahavidyalaya Delhi Auchandi Road, Bawana,Delhi-110 039	9.1	10.45	7.5	11.31	15.217	12.0725	16.75	15.25	14
3	B.R.Ambedkar College,Main Wazirabad Road, Yamuna Vihar,Delhi-31.	12	14.7	12.46	14.28	16.48	16.9856	20.39	21.22	26
4	Bhaskaracharya College of Applied Sciences,Sector-2, Phase-I, Dwarka, New Delhi—45.	8.59	6.25	8.02	9.55	12.013	9.8845	15.41	15.27	15
5	Bhagini Nivedita College,Kair , Near Najafgarh, N Delhi-43.	8.35	3.73	5.4055	7.33	9.87	8.7288	12.57	14.59	15.05
6	Deen Dayal Upadyaya College Shivaji Marg , Karampura New Delhi-15.	12	10.2	12.49	15.37	17.63	19.8265	22.73	25.62	28.08
7	Indira Gandhi Institute of Physical Education & Sports Sciences,B-Block, Vikaspuri, New Delhi-18	8.82	5.2	7.44	7.26	6.652	10.0415	11.13	12.59	13.6
8	Keshav Mahavidyalaya,H-4-5 Zone , Pitampura , Delhi-34	8.04	6.05	9.4	9.85	10.213	10.6259	14.38	14.39	17.96
9	Maharaja Agrasen College, Vasundhara Enclave,Delhi - 110096	10.8	8.9	11.54	13.89	13.9486	17.5798	19.84	19.92	22.2
10	Maharshi Valimiki College of Edn.Geeta Colony, Delhi-110 031	3.91	3.8	1.95	3.65	4.592	3.4	4.7	6.02	6.36
11	Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women,Vasundhara Enclave , (Adjoining to Chila Sports Complex), N.Delhi -96	6	5.4	5.04	7.34	7.47	9.4884	10.47	12.55	11.8
12	Shaheed Sukhdev College of Business Studies ,Jhilmil Colony , Vivek Vihar , Delhi -95	6.4	6.9	3.4	5.65	6.7314	6.46	9.3	10.92	12.75
	TOTAL	108.5	91.18	97.5455	121.8	140.692	142.3835	702.101	194.05	210

Grant in aid to 5% Funded Colleges

Rs. in Lakh

S.No.	Name of College	2008-09	2009-2010	2010-2011	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18(RE)
1	Vivekanand (G)	20	46	32	10	30	10	12.5	12.5	35.9	30
2	Delhi College of Art & Comm.	29.4	49	34	33.67	30	10	12.5	12.5	37.2	32
3	Bharti(G)	42.85	40	35	10	30	10	12.5	12.5	30	33
4	Shyama Prasad Mukherjee (G)	30.38	66	42	41.96	0	10	12.5	12.5	33	28
5	Shivaji	23.5	73	45	10	0	10	12.5	12.5	39.45	40
6	Satyawati	31.56	45	32	10	0	10	12.5	0	25.8	28
7	Shaheed Bhagat Singh	30.5	74	25	0	0	10	12.5	0	20.5	30
8	Sri Aurobindo	20	45	32	10	30	10	12.5	12.5	28.7	33
9	Motilal	32	46	32	10	0	10	12.5	12.5	20.7	26
10	Kalindi(G)	20.19	45	32	10	0	0	12.5	0	26.6	26
11	Lakshmibai (G)	20.5	41	30	10	0	10	12.5	12.5	24.3	25
12	Gargi	42.28	65	50	10	0	10	12.5	12.5	34.8	36
13	Rajdhani	23	48	33	45.37	30	10	12.5	12.5	32.8	24
14	Kamla Nehru	20	45	32	10	0	10	12.5	12.5	30.6	27
15	Maitreyi	31.41	49	34	10	0	10	12.5	12.5	39.5	33
16	Swami Shradhanand	16.41	33	30	10	0	10	12.5	12.5	35.8	27
	Total	433.98	810	550	241	150	150	200	162.5	495.65	478

परिशिष्ट 1

GRANT RELEASED TO UNIVERSITY

Rs. in Crore

	Name of University	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	**National Law University**	11	9.17	10	13	2.5	5	5	5	12	12
2	**Ambedkar University**	0.05	0.06	0.07	0.18	0.2	25	0.38	0.65	1.03	54.14
3	**DIHRM**	0.89	1.1	1.99	4.15	1.25	0.37	1.49	2.95	1.75	2.3
4	**GGSIPU**	21.5	11	21	25.19	0	0	0	0	0	0

परिशिष्ट -

(222)

COUNCIL BRANCH-II University of Delhi

UNIVERSITY OF DELHI

E.C. Res. No. 51
DATED : 03.11.2012

51/ The Council considered the report of the Committee, constituted by the Vice-Chancellor, to review the existing norms laid down by the Executive Council from time to time regarding constitution of Governing Bodies of constituent/affiliated Colleges/Institutions of the University of Delhi as also to advise on other related matters (Appendix-VII).

Resolved that the following recommendations of the Committee be approved:

A. **COMPOSITON OF THE GOVERNING BODIES:**

I. **Delhi Govt. Sponsored Colleges:**

1. Ten persons to be nominated by the Govt. of NCT of Delhi, out of which five persons will be from the panel of names sent by the University to the Govt. of NCT of Delhi.
2. Two University Representatives to be nominated by the University.
3. Principal of the College - Ex-officio (Member Secretary)
4. In case there is both Day and Evening College- Principal of the Evening College.
5. Two Teachers' Representatives (Ref. to Ordinance-XVIII).
6. In case there is both Day and Evening College, two teacher representatives of the Evening College (Ref. to Ordinance XVIII).

The Chairman of the Governing Body will be elected by the members from amongst themselves.

The Treasurer will be appointed by the Governing Body from among its own members.

COUNCIL BRANCH-II

COUNCIL BRANCH-II
University of Delhi

(221)

II. **Trust Colleges:**

1. Ten persons (12 persons in case of Day and Evening College) to be [illegible] out of a panel of names sent by the Trust.

2. Two University Representatives to be nominated by the University

3. Principal of the College - Ex-officio - Member Secretary

4. In case of there is both Day and Evening College - Principal of the Evening College

5. Two Teachers' Representatives. (Ref. to Ordinance-XVIII)

6. In case there is both Day and Evening College, two teacher representatives of the Evening College (Ref. to Ordinance XVIII).

The Chairman of the Governing Body will be elected by the members from amongst themselves.

The Treasurer will be appointed by the Governing Body from among its own members.

III. **Govt. Maintained Colleges:**

There will be an Advisory Committee to manage the affairs of the College which will consist of, among others, at least three teachers including the Principal of the Institution, and two representatives of the University. Accordingly, the Advisory Committee will consist of the following:

1 A person nominated by the Government - Chairperson

2. Not less than 5 members nominated by the Government

3. Two representatives of the University

4 Two members of the teaching staff by rotation according to seniority for a term of one year. One of the teachers' representatives shall be from among those with more than ten years' service, and one from among those with less than ten years' service. If, however, eligible candidates are not available in one of those categories both the representatives may be taken from the other.

Provided that a teacher who has become a member of the Advisory Committee of the College under the category of teachers with less than 10 years' service and completes ten years' of service during the term of membership as such, will nevertheless continue to be a member of the Advisory Committee for the full term of one year

COUNCIL BRANCH-II
University of Delhi

5. The Principal shall be the Member-Secretary of the Advisory Committee and shall not accept membership of the Advisory Committee of any other College of the University. It shall be the duty of the Member-Secretary to summon meetings with the consent of the Chairman and in accordance with the regulations framed by the Advisory Committee for this purpose and to record proceedings of the meetings also.

6. The members of the Advisory Committee mentioned at Sr.No. (1) to (3) above shall hold Office for a period of one year and shall be eligible for re-appointment for another year.

7. In case of casual vacancy in the Office of the Chairperson another person nominated by the Government shall hold office for the residue of the term.

8. The Advisory Committee will meet at least once in a term, and, subject to as hereinafter provided, shall have general supervision and control of the affairs of the College and maintain its own records of its proceedings which shall be open to inspection by the inspection authority.

9. One third of the members of the Advisory Committee shall form the quorum.

10. Subject to the control of the Academic Council of the University, the College shall prescribe the rules for admission of students, resident and non-resident, etc.

11. All other provisions of the relevant Statutes, Ordinances, Regulations and Rules as amended by the University from time to time, shall be applicable to the Institution.

Other guidelines with regard to constitution of the Governing Bodies:

The persons falling under any of the categories as detailed below be treated as disqualified for membership of the Governing Body as Trust Nominees:

a) If the person is a student of the University Department/ a College;

b) If the person is an employee of the University or of a College;

c) If the person is a member of the Executive Council of the University;

d) If a near relative of the person is an employee in the College concerned; and

e) The same person will not be the member of the Governing Bodies of more than two Colleges.

f) If a person is former employee of the same college

COUNCIL BRANCH-II University of Delhi

(219)

a) The Trust will forward a panel of names to the University containing not less than 50% more names than the required number.

b) The persons whose names are included by the Trust in the panel for nomination on the Governing Body should be those who have demonstrated interest in Education or had made significant contribution in promoting the cause of higher education or had helped in the development of educational institutions or have been distinguished alumni of a University.

c) Ordinarily the panel to be sent by the Trust for nomination on the Governing Body should not include more than two members of one family (near relation) including employees or business associates of the respective Trusts. Near relation specified wife, husband, son, daughter, brother, sister, nephew, niece, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law, cousin(s), grandsons, grand-daughters etc.

d) The panel of names for nomination on the Governing Body should be received in the University ordinarily three months before the expiry of the term of members on the Governing Body.

3.

a). In case of Delhi Govt. Sponsored Colleges, the University will send a panel of names to the Govt. of NCT of Delhi and at least 50% names on each Governing Body proposed by the Govt. of NCT of Delhi should be out of this panel.

b). This panel should include names of Academicians, retired Professors, Retired Judges, Advocates, Journalists and other prominent persons who have been connected with higher education for long.

c). The names of persons once proposed for membership of Governing Body and approved by the Executive Council will not be withdrawn by the Govt. of NCT of Delhi before the expiry of their full tenure. Vacancies caused by death or resignations would, however, be filled in normal course and in accordance with the norms approved by the Executive Council.

d). No single individual shall be member of more than two Governing Bodies simultaneously.

4. Persons nominated to serve as members of the Governing Bodies should be:

a) Persons of eminence with a demonstrated interest in the area of education or those who have made significant contributions towards promotion or administration of higher education

b) Persons of eminence in sports, culture or the arts.

c) Persons of eminence in the sphere of development of education institutions.

COUNCIL BRANCH-II University of Delhi

COUNCIL BRANCH-II University of Delhi

(218)

5.

a) No persons shall serve simultaneously as Chairperson of more than one Governing Body;

b) There should be at least two women in each Governing Body;

c) It is desirable that there is representation from professions such as medicine, engineering, law or accountancy in a Governing Body.

d) Not more than two nominees on any Governing Body shall be from the category of Social Workers;

e) No member shall serve on the Governing Body of a Delhi Government College ordinarily for more than two consecutive terms, and on the Governing Body of a Trust College for more than five terms;

However, on the request of the Trust, the Vice-Chancellor may extend the term of not more than two members on the Governing Body beyond five years, subject to the satisfaction of the Vice-Chancellor that such member(s) have made valuable contribution to the Governing Body in their earlier tenure(s).

f) Panels for nominations to a Governing Body shall ordinarily be received in the University at least three months before the expiry of the term of the current Governing Body.

6. The meetings of the Governing Bodies shall be convened in accordance with the Regulations: Governing Bodies of Colleges prescribed in this behalf.

Note: The above guidelines shall supersede the Guidelines laid down by the Executive Council in this behalf vide Resolution No. 545 dated 09.11.1972. No.785 dated 26.03.1974, No.239 dated 21.08.1975. No.79 dated 21.04.1979. No.253 dated 04.07.1981 and No.138 dated 11.02.2003.

In conformity with the Act, Statutes and Ordinances of the University, the Committee recommends the following Regulations:

C. **REGULATIONS – GOVERNING BODIES OF COLLEGES**

(In the Regulations the "Chairman" means the Chairman of the Governing Body and the "Principal" means the Principal of the College)

1. These Regulations shall apply to the Governing Bodies of all the Constituent and Affiliated Colleges of the University.

2. Meetings of the Governing Body shall be convened by the Chairman at any time.

COUNCIL BRANCH-II University of Delhi

अता. 239 श्री पंकज पुष्कर **उच्च शिक्षा**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की काफी बड़ी संख्या को दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमित महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलने पर अधिकतर छात्र स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में प्रवेश लेने के लिए बाध्य होते हैं;

ख) क्या यह भी सत्य है कि अभी एस.ओ.एल. में चार लाख के करीब विद्यार्थियों का नामांकन है और इन्हें मिलने वाली सुविधा और शिक्षा की गुणवत्ता काफी खराब है;

ग) यदि हाँ तो ऐसे छात्रों को उच्च गुणवत्ता की जीवन–उपयोगी शिक्षा मिल सके, इस दिशा में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है, कृपया प्रगति से अवगत कराएं;

घ) इस छात्र वर्ग जो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों से निम्न आय वर्ग और गम्भीर सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, के लिए होस्टल सुविधा न होने की गम्भीर समस्या के समाधान की दिशा में क्या दिल्ली सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है;

ङ) छात्रों का एक वर्ग दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय के खिलाफ याचिका लेकर गया है कि हॉस्टल, रीडिंग रूम, लाईब्रेरी और सस्ती कैन्टीन की व्यवस्था दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं की गई है। क्या दिल्ली सरकार इन समस्याओं के निदान के लिए किन्ही योजनाओं पर कार्य कर रही है;

च) क्या दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि होने के नाते दिल्ली सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय से इस विषय में कोई संवाद कर रही है; और

छ) यदि हां तो प्रगति से अवगत करवाएं?

उपमुख्यमंत्री

क) जी हाँ।

ख से च) 2016–17 में 413339 विद्यार्थी पंजीकृत थे। एस.ओ.एल. द्वारा मिलने वाली सुविधा और शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय ही टिप्पणी कर सकता है। एस.ओ.एल. पर प्रशासनिक नियंत्रण दिल्ली विद्यालय का है।

एस.ओ.एल. द्वारा शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय की नीतियों के अनुसार दी जाती है।

छ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नही है।

अता. 240 श्री सोमनाथ भारती प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

क) तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षण के संदर्भ में जो कौशल उपलब्ध हैं उनका नाम, उपलब्धि–स्थल का पता, कौशल का कार्यक्षेत्र, नियोजित क्षमता, वास्तविक क्षमता तथा उन कौशलों में हुए नियोजनों का संपूर्ण ब्यौरा क्या है,

ख) आई टी आई मालवीय नगर को जिस अभिप्राय से स्थापित किया गया था, उसकी सार्थकता जानने के लिए क्या कोई परीक्षण करवाया गया है,

ग) इस संस्थान में अभी और क्या सुधार संभव हैं,

घ) दिल्ली सरकार द्वारा पूरी दिल्ली में जो कौशल–केंद्र खोले गए हैं, दक्षिण दिल्ली में भी क्या ऐसा कोई केंद्र खोलने की योजना है?

अता. 240

उपमुख्यमंत्री

क) दिल्ली सरकार के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संदर्भ में जो कौशल उपलब्ध है उनका नाम, उपलब्धि स्थान का पता, कौशल का कार्यक्षेत्र, नियोजित क्षमता, वास्तविक क्षमता तथा उन कौशलों में हुए नियोजन का सम्पूर्ण ब्यौरा संग्लनक–1 पर उपलब्ध है।

ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मालवीय नगर की स्थापना 10वीं तथा 12वीं पास विद्यार्थियों के कौशल प्रशिक्षण हेतु की गयी थी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालवीय नगर क उत्तीर्ण विद्यार्थी राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों में कार्यरत है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालवीय नगर को जिस अभिप्राय से स्थापित किया गया था, उसकी सार्थकता आनने के लिए इस तरह के परीक्षण की फिलहाल कोई व्यवस्था दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं है।

ग) डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के निर्देशानुसार समय–समय पर सभी व्यवसायिक संस्थानों को उन्नत किया जा रहा है। इस संस्थान में सुधार के लिए नए Industrial Collabortions की कोशिश की जा रही है। वर्तमान में इस संस्थान का Industrial Management Commitee (IMC) पार्टनर NTPC है। विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी की जानकारी के लिए Industrial Visit इत्यादि कार्यक्रम करवाये जाते हैं।

घ) दक्षिण दिल्ली में निम्नलिखित कौशल केन्द्र खोलने की योजना है। इन क्षेत्रों के नाम हैं– जोनापुर, सिरी फोर्ट DPSRU पुष्प विहार, Dite Okhla, MBIT महारानी बाग, GBPIT ओखला, राजोकरी IT.

ANNEXURE - 'A'

LIST OF DELHI GOVERNMENT ITIs

GOVERNMENT ITI

S.NO.	NAME & ADDRESS OF GOVT. ITI	Phone No.	Abbreviation
1	CH. BRAHM PRAKASH INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, JAFFARUR, DELHI 110048	011-25318190 011-28013519	JFR
2	DR. H.J. BHABHA INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, KHICHRIPUR, MAYUR VIHAR PHASE 1, DELHI 110091	011-22753998 011-22750621	HJB
3	INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, NAND NAGARI, (NEAR DTC BUS DEPOT), DELHI 110093	011-22581299 011-22134850	NN
4	INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, JAHANGIR PURI, K-BLOCK, JAHANGIR PURI, DELHI 110033	011-27637928 011-27634888	JHP
5	INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MALVIYA NAGAR, NEW DELHI -110017	011-26687375 011-26682049	MN
6	INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, JAIL ROAD, (OPPOSITE TIHAR JAIL), NEW DELHI 110064	011-28121086 011-28122402	JLR
7	INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, PUSA NEW DELHI - 110012	011-25841477 011-25842833	PUSA
8	INDUSTRIAL TRAININS INSTITUTE FOR WOMEN TILAK NAGAR, DELHI - 110018	011-25997035 011-25995158	TNW
9	INDUSTRIAL TRAININS INSTITUTE, SHAHDARA, DELHI - 110095	011-22150353 011-22168727	SH
10	INDUSTRIAL TRAININS INSTITUTE, ARAB-KI-SARAI, NIZAMUDDIN, NEW DELHI - 110013	011-24359531 011-24351667	AKS
11	JIJA BAI INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, FOR WOMEN SIRI FORT (NEAR SIRI FORT AUDITORIUM) KHELGAON MARG, NEW DELHI 110049	011-26491842 011-26494358	SFW
12	LALA HANS RAJ GUPTA, INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, DSIDC INDUSTRIAL COMPLEX, NARELA, DELHI 110040	011-27781679 011-27782076	NR
13	SIR C.V. RAMAN INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, DHEER UR, DELHI 110009	011-27608082 011-27608083	CVR
14	SAVITRI BAI PHULE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE FOR WOMEN GOKHALE ROAD, MORI GATE, DELHI 110006	011-23967449 011-23929889	MGW
15	VEER SAVARKAR BASIC TRAINING CENTRE, PUSA, NEW DELHI 110012	011-25842952 011-25842762	BTC
16	Extension Centre of ITI Jail Jail Road, Old Employment Exchange Building, Hastsal, New Delhi	011-28121086, 011-28122402	HSW
17	Industrial Training Institute for women, Vivek Vihar, Delhi-110095	011-22165188, 011-22150343, 011-22168727	VVW
18	Industrial Training Institute, S-Block,Mangolpuri, Delhi		MGP
19	MSDP, ITI Nandnagri, Delhi		MSDP

3.1 TRADES / COURSES OFFERED & INTAKE CAPACITY

For Academic session starting from August-2017, the Institutes and trades running with details in which admission are to be made are given in the following table.

3.1 TRADES INTAKE CAPACITY

A course, Institutes & intake capacity includes super numeric for academic session-2017 to various trades in ITI's are given below:-

Govt. ITI DELHI Online Admissions 2017 ITI Seat Details

S.No.	ITI → / Trades		PUSA	AKS	SH	CVR	MN	JLR	JHP	NN	HJB	JFR	NR	BTC	MGP	SFW	MGW	TNW	VVW	HSW	MSDP	TOTAL
			Co-educational ITI's													Women ITI's						
1	Architectural Assistant	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	52
		SCVT	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	78
2	Basic Cosmetology	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	26	-	-	-	130
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	26	-	52	26	156
3	Commercial Art	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		SCVT	21	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
4	Computer Hardware & Network Maintenance	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	52
		SCVT	52	52	-	26	-	-	-	-	-	52	52	52	52	-	-	-	52	-	-	390
5	Computer Operator and Programming Assistant	NCVT	52	52	-	26	52	104	-	52	52	52	52	26	-	52	-	52	-	-	-	624
		SCVT	-	52	-	78	-	52	52	-	-	-	-	26	52	-	52	-	130	52	26	572
6	Desk Top Publishing Operator	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	52	-	-	-	-	-	78
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	52	-	-	78
7	Digital Photographer	NCVT	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Draughtsman (Civil)	NCVT	26	52	26	52	-	26	26	26	26	26	26	-	-	-	26	-	-	-	-	338
		SCVT	26	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-	-	-	-	26	130
9	Draughtsman (Mechanical)	NCVT	42	42	-	42	-	-	21	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168
		SCVT	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	21	-	21	-	-	-	-	-	-	63
10	Dress Making	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	42
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	42
11	Electrician	NCVT	84	63	42	-	42	21	21	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	21	21	21	21	42	42	-	-	-	-	-	-	168
12	Electronic Mechanic	NCVT	26	52	26	-	-	26	26	26	26	26	26	26	-	26	26	-	-	-	-	338
		SCVT	26	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	104
13	Fashion Design & Technology	NCVT	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	21	-	42	-	-	-	-	-	147
		SCVT	-	42	-	-	-	42	-	-	42	42	-	21	42	-	-	-	-	-	21	252
14	Fitter	NCVT	63	63	42	21	21	42	42	42	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	378
		SCVT	-	-	-	42	-	-	-	-	21	-	21	42	-	-	-	-	-	-	-	126
15	Food & Beverages Service Assistant	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	42
		SCVT	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	63
16	Food Production (General)	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	52
		SCVT	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	52	52	-	-	-	-	-	-	130
17	General Carpenter	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
		SCVT	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
18	Health Sanitary Inspector	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		SCVT	-	52	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
19	Information Technology	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		SCVT	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
20	Information & Comm. Tech. System Maintenance	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	52
		SCVT	-	26	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
21	Instrument Mechanic	NCVT	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22	Interior Design & Decoration	NCVT	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	78
		SCVT	26	-	-	-	-	26	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

23	Machinist	NCVT	32	32	32	-	32	16	32	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	32
24	Machinist (Grinder)	NCVT	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
25	Mechanic Auto Body Painting	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		SCVT	42	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	168
26	Mechanic Auto Body Repair	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		SCVT	42	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	168
27	Mechanic Auto Electrical & Electronics	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		SCVT	-	42	-	42	-	21	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189
28	Mechanic Consumer Electronics Appliances	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		SCVT	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
29	Mechanic Diesel	NCVT	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
		SCVT	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
30	Mechanic Medical Electronics	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	26
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
31	Mechanic Motor Cycle	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		SCVT	-	-	-	-	21	42	-	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
32	Mechanic Motor Vehicle	NCVT	42	63	63	63	-	21	21	21	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	336
		SCVT	21	-	-	-	-	21	21	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	105
33	Plumber	NCVT	-	52	-	-	-	-	26	-	26	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	156
		SCVT	-	-	-	-	-	26	26	-	26	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	130
34	Refrigeration and Air-Conditioning	NCVT	52	52	26	26	26	26	26	26	26	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	312
		SCVT	26	-	-	78	-	-	-	-	-	26	-	52	52	-	-	-	-	-	-	234
35	Sewing Technology	NCVT	21	-	-	42	-	42	42	42	-	-	42	21	-	42	42	21	-	-	-	357
		SCVT	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	42	21	126
36	Stenographer & Secretarial Assistant (English)	NCVT	26	104	-	52	-	52	26	52	-	-	-	-	-	52	52	52	-	-	-	468
		SCVT	26	-	-	-	-	-	26	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	130
37	Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi)	NCVT	52	-	-	-	-	-	-	-	52	26	-	-	-	52	-	-	-	-	-	182
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
38	Surface Ornamentation Techniques (Embroidery)	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	42
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
39	Surveyor	NCVT	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
40	Technician Power Electronics System	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		SCVT	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	42
41	Textile Designing	NCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	-	-	-	-	42
42	Tool & Die Maker (Dies & Moulds)	NCVT	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
43	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	NCVT	21	21	-	42	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
44	Turner	NCVT	32	32	32	-	16	16	16	16	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	192
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
45	Welder	NCVT	42	84	-	42	42	42	42	21	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	336
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	21	42	42	21	42	-	-	-	-	-	-	-	168
46	Wireman	NCVT	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	42
		SCVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Total			1062	1229	389	1004	299	810	534	534	543	454	460	617	606	761	271	198	260	146	146	10323

The details are also available at the websites: http://www.itidelhiadmissions.nic.in for Online Admission.

Note: Candidates are advised to confirm the status of affiliation i.e. NCVT/SCVT for the respective in an institute.

अता. 241 श्री जगदीश प्रधान प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में कितने नए आई.टी.आई. प्रारम्भ किये हैं;

ख) रनहोला, बक्करवाला और जोनपुर में नई आई.टी.आई. और वर्ल्ड क्लास स्क्लि सैन्टर की क्या प्रगति है;

ग) सरकार ने आई.टी.आई. कोर्सेज को वाईब्रेण्ट बनाने के लिए क्या–क्या कदम उठाए हैं;

घ) सरकार ने तीन वर्ष के कार्यकाल में कितनी नई पॉलिटैक्निक प्रारम्भ की है आरै कहाँ–कहाँ; और

ङ) इसके लिए आगामी योजना क्या है ?

उप मुख्यमंत्री

क) वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में दो नये आई.टी.आई. मंगोलपुरी तथा आई.टी.आई. नन्द नगरी की महिला शाखा (MSDP) के अन्तर्गत प्रारम्भ किए हैं।

ख) रनहोला व बक्करवाला में आई.टी.आई. के साथ वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जौनापुर में वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के निर्माण कार्य के लिए कैबिनेट अपनी स्वीकृति दे चुका है तथा निविदायें आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है।

ग) आई.टी.आई. में कोर्सेस को वाईब्रेन्ट बनाने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ सहयोग से प्रयोगशालाओं तथा कार्यकलाओं को नवीनीकृत और

उन्नत किया गया है। प्रशिक्षण को इंडस्ट्री मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए नए टूल्स और उपकरण खरीदे गए हैं तथा फैकल्टी की अग्रणी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई।

घ व ङ) गत तीन वर्षों में एक पॉलिटेक्निक रजोकरी में प्ररम्भ की है। आगामी योजना के तहत बक्करवाला, कादीपुर, झड़ोदा माजरा (बुराड़ी) व मंडोली में एक–एक पॉलिटैक्निक संस्थान खोलने की योजना है।

अता. 242 श्री ओम प्रकाश शर्मा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा

क्या **उप मुख्यमंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

क) इस सरकार ने कितने विद्यालयों में वोकेशनल कोर्स चलाए जा रहे हैं और इनमें कितने छात्रों ने दाखिला लिया है;

ख) सरकार ने कितने स्मार्ट कैरियर कॉलेज खोले हैं और इन्हें कौन–कौन सी कम्पनियां अथवा संस्थान चला रहे हैं;

ग) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में स्किल ट्रेनिंग का कितने बजट का प्रावधान किया गया और कितने बजट का उपयोग हुआ; और

घ) स्टेट अप्रैन्टिसशिप स्कीम के अन्तर्गत कितने युवाओ को ऑन जॉब ट्रेनिंग दी गई?

उपमुख्यमंत्री

क) शिक्षा विभाग के विद्यालयों में चलाये जाने वाले वोकेशनल कोर्सों की सूचना निम्नलिखित है:–

1. पुरानी व्यावसायिक शिक्षा स्कीम के तहत कुल 251 स्कूलों में व्यावसायिक कोर्स चलाया जा रहा है।

2. नई स्कीम एन.एस.क्यू.एफ. के तहत कुल 267 स्कूलों में व्यावसायिक कोर्स चलाया जा रहा है।

3. पुरानी व्यावसायिक कोर्स में वर्तमान में कुल 14658 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

4. नई स्कीम एन.एस.क्यू.एफ. के तहत वर्तमान में कुल 744 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

ख व ग) स्मार्ट केरियर योजना की शुरूआत युवाओं के कौशल विकास हेतु 2016–17 में की गई थी और इसके अंतग्रत 50 करोड़ रू. का बजट आवंटित किया गया था। कालांतर में योजना की समीक्षा करके इसे स्थगित कर अन्य माध्यमों से युवाओं मेंकौशल विकास को जारी रखने का निर्णय लिया गया। अतः 2017–18 में स्मार्ट केरियर योजना के अंतर्गत कोई भी बजट आवंटन नहीं किया गया।

घ) स्टेट ऑफ अप्रेन्टिसशिप स्कीम के अंतर्गत 1099 युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग दी गई है।

अता. 243 श्री जगदीप सिंह तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) विधानसभा क्षेत्र एसी–28 में वर्ष 2018–19 के दौरान कितने कौशल केंद्र खोले जाने प्रस्तावित हैं,

ख) इसका विस्तृत विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री

क एवं ख) विधान सभा क्षेत्र एसी–28 में वर्ष 2018–19 के दौरान एक कौशल केन्द्र (वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर) आई.टी.आई. जेल रोड के परिसर में खोलने की योजना है।

अता. 244 श्री सोमनाथ भारती **ऊर्जा**

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने बिजली कनेक्शन लिए गए हैं, कॉलोनीवार विवरण दें,

ख) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में बीएसईएस/डीईआरसी की परिसम्पत्तियों की सूची व उनके प्रयोग, उनकी संरचना व अन्य पूरक ब्यौरों सहित संपूर्ण विवरण क्या है,

ग) बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए क्या दस्तावेज आवश्यक हैं,

घ) बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदक व उसकी संपत्ति के लिए अनिवार्य शर्तें क्या हैं,

ङ) बिजली के बिल में बिजली के मूल्य के अतिरिक्त और कौन–कौन से प्रभार लिए जाते हैं,

च) क्या यह सत्य है बीएसईएस प्रत्येक बिल पर पेंशन प्रभार भी वसूल कर रहा है,

छ) यदि हां, तो यह प्रभार कब से और क्यों वसूल किया जा रहा है,

ज) क्या इस प्रभार के लिए दिल्ली सरकार/डीईआरसी ने स्वीकृति प्रदान की है, इस संबंध में संपूर्ण टीप उपलब्ध कराएं,

झ) क्या आगामी गर्मियों में संपूर्ण दिल्ली और विशेषकर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में बिजली की भारी मांग को पूरा करने हेतु बीएसईएस के पास पर्याप्त आधारभूत ढांचा है,

ञ) क्या मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आगामी गर्मियों दौरान विद्युत आपूर्ति में बाधा की आशंकाओं से निपटने के लिए बीएसईएस ने अपनी परिसंपत्तियों में संवर्द्धन की योजना बनाई है,

ट) बसंत कौर मार्ग पर बाई ओर सड़क चौड़ा करने के लिए बीएसईएस से भूखंड उपलब्ध कराने की प्रश्नकर्ता की बहुत पुरानी मांग पर हुई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है,

ठ) विगत तीन वर्षों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में बिजली चोरी के लिए जिन स्थानों पर छापे मारे गए, उनकी सूची उपलब्ध कराएं,

ड) उक्त सभी छापों की कार्रवाई में प्रत्येक की वर्तमान स्थिति क्या है,

ढ) केबल बिछाने/मरम्मत के लिए बीएसईएस द्वारा खोदी गई सड़कों को ठीक करने के संबंध में क्या नीति है,

ण) क्या महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए अंधेरे स्थानों पर बीएसईएस द्वारा खंभों के साथ या बिना खंभों के पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु एमएलएलैड निधि का प्रयोग किया जा सकता है,

त) मेरे विधानसभा क्षेत्र में बीएसईएस/डीईआरसी के कनिष्ठतम से वरिष्ठतम सभी अधिकारियों के नाम, पदनाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उनका कार्यक्षेत्र तथा कार्यालय समय का विवरण उपलब्ध कराएं, और

थ) यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो उसकी भी जानकारी दें?

ऊर्जा मंत्री

क) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र बीआरपीएल के वितरण क्षेत्र में आता है इसलिए इस प्रश्न को बी.आर.पी.एल. भेजा गया था। उनके द्वारा भेजा गया बिजली कनेक्शनों क कॉलोनीवार विवरण संलग्न है (अनुलग्नक–क)[1]

ख) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में डीईआरसी, विनियामक भवन, सी–ब्लॉक शिवालिक, मालवीय नगर, दिल्ली 110017 में स्थित है और बीआरपीएल की परिसम्पत्तियों की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक–ख)[2]

ग) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयेाग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार हैः–

''दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2017 के अनुसार बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हैः

1. आवेदन पत्र के साथ पहचान प्रमाण
2. परिसर की स्वामित्व या अधिभोग का प्रमाण जिसके लिए बिजली कनेक्शन आवश्यक है।

घ) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार हैः–

''दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2017 के विनियम 10 और 11 में बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित है। (अनुलग्नक–ग)[3]

ङ) जी हाँ।

च) डीवीबी कर्मचारी/पेंशनर्स ट्रस्ट के लिए जिली बिल पर 3.7 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार 01.09.2017 से लागू किया गया है। इससे पहले यह प्रभार वर्ष 2010–11 से ट्रांसमिशन टैरिफ में लिया जाता था। उपरोक्त प्रभार बिजली बिल में लगाने के बाद यह अब ट्रांसमिशन टैरिफ से हटा लिया गया है।

छ) जी हाँ।

ज) आगामी गर्मियों के लिए उठाए गए सारे कदम दिल्ली सरकार के द्वारा जारी सम्मर एक्शन प्लान 2018 में दिए गए हैं दिल्ली के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। मालवीय नगर क्षेत्र बीआरपीएल के अधीन है और इस विषय में बीआरपीएल ने सूचित किया है कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में बिजली खपत में 7 प्रतिशत वृद्धि और गर्मियों के मौसम को ध्यान रखते हुए निम्न योजनाएँ लागू की हैः

1. क्षेत्र में अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों का स्थापन
2. डिस्ट्रिब्यूसन ट्रांसफार्मर सबस्टेशन में वृद्धि
3. एलटी फीडर लगाकर एलटी सिस्टम में सुधार
4. अवरोध को कम करने के लिए एबी केबल के वेयर कन्डकटर का प्रतिस्थापन
5. अन्य योजनाओं का विवरण संलग्न है (अनुलग्नक–घ)

झ) बी.आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि इस कार्य के लिए शिवालिक ग्रिड में एचटी केबल्स को स्थानांतरित करना होगा और शिवालिक ग्रीड में एच

टी केबलस के स्थानांतरण के लिए पीडब्ल्युडी को 21.5 लाख रुपये का अनुमान दिया गया है। पीडब्ल्युडी की स्वीकृति की प्रतिक्षा है।

ञ से ड) बीआरपीएल द्वारा दी गई सूचना संलग्न है। (अनुलग्नक–ड)

ढ) भूमिगत केबल को बिछाने के लिए रोड कटिंग की अनुमति रोड़ ओनिग एजेन्सी (पीडब्ल्यूडी/एमसीडी) को रिस्टोरेशन चार्ज जमा कराने के बाद ली जाती है और खोदी गई सड़क को बी.एस.ई.एस. भरता है जिस पर बाद में रोड़ ओनिग एजेन्सी उस रिस्टोरेशन चार्ज की राशि से सड़क बना देती है।

ण) जी हाँ, साउथ एमसीडी की अनुमति के उपरांत प्रयोग किया जा सकता है।

त) बी.एस.ई.एस. के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है। (अनुलग्नक–च)

थ) बीआरपीएल के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई शिकायत नहीं है।

अता. 245 श्री अजेश यादव **ऊर्जा**

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

क) बादली विधान सभा के भलस्वा डेरी, श्रद्धानदं, स्वरूप नगर में 66 के. वी. के कुल कितने टावर खड़े हैं;

ख) क्या यह सत्य है कि इन टावरों से विद्युत प्रवाह अब भी हो रहा है;

ग) यदि नहीं तो कितने समय से इन टावरों से विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा है;

घ) क्या यह सत्य है कि सरकार की इन टावरों को हटाने की योजना है;

ङ) यदि हाँ तो इन टावरों को कब तक हटा दिया जायेगा; और

च) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री

क) बादली विधान सभा क्षेत्र टीपीडीडीएल के लाईसेंस क्षेत्र में आता है इसलिए प्रश्न को टीपीडीडीएल को भेजा गया था। टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि भलस्वा डेरी, श्रद्धानंद, स्वरूप नगर में 66 के.वी. के लगभग 25 टावर खड़े हैं।

ख) जी हाँ, ज्यादातर टवारों में अब भी विद्युत प्रवाह हो रहा है।

ग) टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि कुछ टावरों मं लगभग पिछले 5 वर्षों से विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा है। लेकिन इन पर लगे अन्य उपकरण अभी भी इस्तेमाल में हैं।

घ से च) एचटी लाइन को भूमिगत शिफ्ट करने के लिए फंड का आवंटन ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या नं. एफ. 11(09)/3007/पावर/4040 दिनांक 27. 11.2009 के अनुसर होता है इस नीति में केवल 33 के.वी., 11के.वी. और 400 वोल्ट की लाइनों को शिफ्ट करने का ही प्रावधान है। नीति की प्रति संलग्न है (संलग्नक 'क')। 66 के.वी. की हाई टैंशन लाइनों/टावरों को शिफ्ट करने की कोई नीति ऊर्जा विभाग में नहीं है।

सलंग्नक 'क'

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT, 8TH LEVEL, B-WING
NEW DELHI - 110002.

No.F.11(09)/2007/Power/ 4040 Dated : the 27 Nov., 2009

To

The Pr. Secretary (UD),
Urban Development Deptt.,
Govt. of NCT of Delhi,
Delhi

The Secretary,
DERC, Vinyamak Bhawan,
Shivalik, Malviya Nagar,
Delhi – 110017.

The C.E.O.,
BSES Rajdhani Power Ltd.,
BSES Bhawan, Nehru Place,
Delhi.

The C.E.O.,
BSES Yamuna Power Ltd.,
Karkardooma,
Delhi.

The C.E.O.,
NDPL, Hudson Lines,
Kingsway Camp,
Delhi.

Sub.: Policy of Shifting of HT (11000V & 33000V) / LT(400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives – Modification of Cabinet decision no. 1310 dated 20.11.2007 thereof.

Sir,

I am directed to convey the approval of the Cabinet of Govt. of NCT of Delhi vide cabinet decision no. 1588 dated 09.11.2009 on the subject cited above. The Cabinet has considered and approved the proposal of Power Department for partial modification of the existing policy on shifting of HT/LT lines. The new modified Policy on Shifting of HT (11000V & 33000V) / LT(400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives is framed as under:

(i) In case of colonies set up under 20 point programme in the rural areas, the shifting of HT/LT lines would be done through the MLALAD funds, which would provide for 100% of the cost of shifting.

(ii) In respect of other rural areas, like Lal Dora areas and extended Lal Dora areas, the cost of shifting of HT/LT lines would also be made from the MLALAD funds, which would provide for 100% of the cost of shifting.

(iii) In respect of farmhouses, the entire cost of shifting will be borne by the affected consumers. In case of farmers other than farmhouse owners, 50% of the estimated cost of shifting is to be borne by the affected consumers and other 50% would be borne from the MLALAD funds.

(iv) In respect of regularized unauthorized colonies including urbanized villages and resettlement colonies, 50% of the cost of shifting will be borne from the MLALAD funds and the balance 50% would be borne by the Government from the budget of the Power Department.

C/C

(v) In case of HT/LT lines passing through Government institutions, Public Authority building, schools, hospitals, colleges of Public nature and which are owned by the Government, 100% of the funding would be met by the concerned department / agency for shifting of the lines.

(vi) In case of private institutions of a Public nature like educational and health institutions etc., 20% of the cost of shifting would be borne by the agency concerned and 80% by the concerned department in whose jurisdiction the agency functions.

(vii) Scope of the HT/LT lines to be covered will include the HT Transmission lines of 11 KV as well as 33 KV and LT lines of 400 V associated with the HT network.

This is for your kind information and necessary action please.

Yours faithfully,

(S.M. Ali)
Dy. Secretary (Power)

Copy for information to : -

1. All Hon'ble MLAs, Govt. of NCT of Delhi.
2. Pr. Secretary to C.M., Delhi.
3. Pr. Secretary (Finance), GNCTD.
4. C.M.D., Delhi Transco Limited.
5. OSD to C.S., Delhi.
6. PA to Secretary (Power), GNCTD.

अता. 246 श्री एस.के. बग्गा **ऊर्जा**

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) कृष्णा नगर विधान सभा में बीएसईएस ने वर्ष 2016 व 2017 में कितने मीटरों का निरीक्षण किया व उनमें से कितने मीटर ठीक पाए गए व कितने मीटर गलत पाए गए;

ख) इस क्षेत्र में बी.एस.ई.एस ने वर्ष 2016 व वर्ष 2017 में कितने इंनफोर्समेन्ट केस बनाए हैं;

ग) कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2016 व वर्ष 2017 में इंनफोर्समेन्ट के बाद बनाए गए बिलों पर कितने लोगों को कितने प्रतिशत छूट दी गई;

घ) कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2016 व वर्ष 2017 में इंनफोर्समेन्ट केस के बाद एम.एल.ए के लैटर पर कितने लोगों को छूट दी गई तथा कितने लोगों को बिना एम.एल.ए के लैटर के छूट दी गई है;

ङ) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में बिजली के कितने पोल्स पर लाईट नहीं है, और क्यों ;

च) बिजली के नए कनेक्शन के लिए क्या दस्तावेज आवश्यक हैं; और

छ) बिजली के नए कनेक्शन मिलने में कितना समय लगता है?

ऊर्जा मंत्री

क) कृष्णा नगर विधान सभा बीएसईएस यमुना के लाईसेंस क्षेत्र में आता है इसलिए प्रश्न को बीएसईएस यमुना को भेजा गया था। इस प्रश्न के उत्तर में बीएसईएस यमुना द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण इस प्रकार है।

वर्ष		कुल मामले	दर्ज मामले	ड्राप मामले
2016	मीटर छेडछाड़	1314	352	962
2017	मीटर छेडछाड़	363	185	178

ख) इस प्रश्न के उत्तर में बीएसईएस यमुना द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण इस प्रकार हैः

वर्ष		कुल मामले	दर्ज मामले
2016	मीटर छेडछाड़	1314	352
	चोरी	891	883
	दुरुपयोग	234	170
2017	मीटर छेडछाड़	363	185
	चोरी	1497	1490
	दुरुपयोग	85	72

ग) बीएसईएस यमुना ने सूचित किया है कि उपभोक्ताओं का औसतन 35 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है।

घ) बीएसईएस यमुना ने सूचित किया है कि एमएलए अनुमोदक पत्र संबंधी विवरण उसके पास उपलब्ध नहीं है।

ङ) बीएसईएस यमुना ने सूचित किया है कि कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में 395 पोल्स पर लाईट नहीं है। इनमें से 371 पोल्स नये हैं तथा 24 पोल्स के उपकरण खराब होने तथा मरम्मत होने के लायक नहीं होने है।

च) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वाराभेजा गया जवाब इस प्रकार हैः

''दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2017 के अनुसार बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:

1. आवेदन पत्र के साथ पहचान प्रमाण

2. परिसर की स्वामित्व या अधिभोग का प्रमाण जिसके लिए बिजली कनेक्शन आवश्यक है''

छ) इस प्रश्न का संदर्भ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा भेजा गया जवाब इस प्रकार है:

''दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2017 में क्षेत्र केप्रकार के आधार पर विनियम 11(4) में बिजली कनेक्शन जारी करने की समय सीमा 'अनुलग्नक–क' के अनुसार निर्धारित की गई है।''

अनुलग्नक 'क'

CHAPTER - III
NEW AND EXISTING CONNECTIONS

10. New and Existing Connections:-

(1) General:-

(i) The Licensee shall upload all the forms and formats prescribed under these Regulations on its website.

(ii) The Licensee shall make appropriate arrangements for filing and accepting the application by the applicant both in hard copy as well as online.

(iii) The applicant may file the application either online or in hard copy:

Provided that where the hard copy of application is submitted by hand, the Licensee shall verify the application on the spot and if found in order, acknowledge through dated receipt, and if found deficient, issue a written note regarding shortcomings in the application:

Provided further that where application is sent by registered post or speed post at correct postal address, the deficiency if any, shall be sent to the applicant within 2(two) days of receipt of application through registered post or speed post at correct postal address or on registered mobile number through SMS:

Provided also that where the application is submitted online, a system generated acknowledgement shall be issued forthwith and in case of any deficiency same shall be intimated to the applicant within 2 (two) days of the receipt of the application on registered mobile number through SMS or registered e-mail address, as the case may be.

(iv) The Licensee shall prominently display consumer related information at its website and all its offices:

Provided that no other document or the charges, which have not been listed, shall be required from the applicant.

(v) On the request of applicant, an independent electric connection shall be given to the owner/lawful occupant on each floor of the premises.

(vi) Wherever, one dwelling unit has been sub-divided and separate kitchen as well as separate entry is available, second electric connection may be given to the lawful occupant.

(vii) The electricity bill shall be only for electricity supply to the premises occupied by the consumer and shall not be treated as having rights or titles over the premises.

(2) Proof of identity of the applicant:-

Any of the following documents shall be accepted as proof of identity:-

(i) electoral identity card;
(ii) passport;
(iii) driving license;
(iv) ration card having photograph;
(v) Aadhar card;
(vi) PAN card;
(vii) photo identity card issued by any Government agency;
(viii) If the applicant is an organization, certificate of incorporation/ registration issued by the Registrar and proof of authorization /resolution of Board for authorizing the person.

(3) Proof of ownership or occupancy of the premises:-

Any of the following documents shall be accepted as the proof of ownership or occupancy of premises:-

(i) certified copy of title deed;
(ii) certified copy of registered conveyance deed;
(iii) General Power of Attorney (GPA);
(iv) allotment letter/possession letter;

(v) valid lease agreement alongwith undertaking that the lease agreement has been signed by the owner or his authorized representative;
(vi) rent receipt not earlier than 3 (three) months alongwith undertaking that the rent receipt has been signed by the owner or his authorized representative;
(vii) mutation certificate issued by a Government body such as Local Revenue Authorities or Municipal Corporation or land owning agencies like DDA/L&DO;
(viii) sub-division agreement;
(ix) For bonafide consumers residing in JJ clusters or in other areas with no specific municipal address, the licensee may accept either ration card or electoral identity card mandatorily having the same address as a proof of occupancy of the premises.

(4) Sub-divided Property:-

(i) Where property/premises have been legitimately sub-divided, the owner/occupier of the respective portion of such sub-divided property shall be entitled to obtain independent connection in his name.

(ii) The Licensee shall provide the connection, to the applicant of respective portion of the legitimately sub-divided property, on payment of outstanding dues on pro-rata basis for that portion, based on the area of such sub-division or as mentioned in sub-division agreement, and the Licensee shall not deny connection to such applicant on the ground that dues on the other portion(s) of such premises have not been paid, nor shall the Licensee demand record of last paid bills of other portion(s) from such applicant(s).

(5) Reconstruction of Existing Property:-

In case of complete demolition and reconstruction of the premises or the building following shall apply:

(i) Supply of electricity from existing connection shall not be allowed to be used and same shall have to be essentially

surrendered by the owner/occupier/developer of the premises.

(ii) Meter and service line shall be removed, and the agreement shall stand terminated only after realizing all dues payable to the Licensee and thereafter the security deposit of the consumer shall be duly returned by the Licensee as per the Regulations.

(iii) The owner, occupier, developer of the premises, as the case may be, shall apply for temporary connection and the Licensee shall give such temporary connection subject to Regulation 16:

Provided that temporary connection in all such cases shall be given only after the outstanding dues, if any, for such premises, are fully cleared.

(iv) Such reconstructed premises or building shall be treated as new premises and the consumer shall be required to apply afresh for a new connection as per these regulations.

(v) Any new connection to such reconstructed premises shall be given only after the outstanding dues attributed to the premises are duly paid by the applicant:

Provided that in case such reconstructed building is occupied by multiple owners, the treatment for new connection(s) to such multiple owners in the reconstructed building shall be given as if the property is sub-divided as in Regulation 10(4).

(6) Renovation of the Existing Property:-

Subject to Regulation 10 (5), renovation of the existing property being used by the domestic consumer for their own use shall be considered under domestic category connection on fulfillment of following conditions:

(i) The consumer shall give advance notice to the Licensee;

(ii) An undertaking to be given by the consumer to the effect that alteration/addition is as per the prevailing Building Bye-Laws;

11. New Electricity Connection:-

The Licensee shall process the application for new connection, within the time frame as specified in these Regulations

(1) Submission of application along with all documents:-

(i) The Applicant shall make application for new connection to the Licensee in the form notified in the Commission's Orders:

Provided that a non-refundable registration cum processing fee as notified in the Commission's Orders shall be levied on the applicant applying connection at Extra High Tension or High Tension voltage level.

(ii) The applicant can also make application for new connection online on the website of Licensee:

Provided that the applications for new connection for 50 kVA and above, unless any other lower value as may be notified by the Commission from time to time, shall be submitted through online system only.

(iii) If the Applicant wishes to provide his own meter of approved specifications, he shall explicitly inform the same to the Licensee at the time of making the application.

(iv) The Licensee shall indicate all the deficiencies in the application form to the applicant in one go only and shall not raise any new deficiency subsequently.

(v) In case the Licensee fails to intimate the applicant about any deficiencies in his application on the spot or within the stipulated 2 (two) days in case of online application, as the case may be, the application shall be deemed to have been accepted by the Licensee on the date of receipt of the application.

(vi) In case the applicant fails to remove such defects or fails to inform the Licensee about removal of deficiencies within 30 (thirty) days from the date of receipt of intimation of deficiencies, the application shall stand lapsed and the applicant will have to apply afresh.

(vii) The application shall be considered to be accepted only on removal of deficiencies as indicated under this Regulation.

(2) Field Inspection:-

(i) In case the application form is complete, the Licensee shall, at the time of receipt of application form, stipulate a date and time for inspection of applicant's premises in mutual consultation with the applicant, giving a written acknowledgement.

(ii) The date of inspection shall be scheduled within 2 (two) days from the date of acceptance of the application:

Provided that if the applicant wishes to have a different date and time for field inspection, which is beyond the stipulated date & time, the excess time taken by the applicant shall neither be considered for computation of total time taken for release of connection nor for the purpose of compensation:

Provided further that if the applicant wishes, he can get the inspection scheduled on a holiday for the Licensee, on payment of an inspection fee as notified in the Commission's Orders.

(iii) The Licensee shall conduct field inspection of the premises in the presence of the applicant or his representative on the appointed date and time.

(iv) The Licensee shall not sanction the load, if upon inspection, the Licensee finds that;

a. the information as furnished in the application is at variance to the actual position, or
b. the installation is defective or
c. the energisation would be in violation of any provision of the Act, Electricity Rules, Regulations or any other requirement, if so specified or prescribed by the Commission or Authority under any of their Regulations or Orders.

(v) The Licensee shall give intimation to the applicant on the spot in writing about the defects/deficiencies, if any, observed during the field inspection.

(vi) The applicant shall ensure that all defects/deficiencies are removed within 30 (thirty) days from receipt of intimation of defects/ deficiencies.

(vii) On receipt of information from the applicant about removal of defects/deficiencies, the Licensee shall intimate the applicant about date for re-inspection of the premises of the applicant which shall not be later than 2 (two) days of receipt of information from the applicant about removal of defects/deficiencies.

(viii) In case the applicant fails to remove such defects/deficiencies or fails to inform the Licensee about removal of defects/deficiencies within 30 days from the date of receipt of intimation of defects/deficiencies, the application shall stand lapsed and the applicant will have to apply afresh:

Provided that the Licensee may grant additional time to the applicant for completion of works, in case the applicant submits a written request for the same, within 30 (thirty) days from the date of receipt of intimation of defects/deficiencies.

(ix) In case the Licensee fails to carry out field inspection/re-inspection within 2 (two) days from the date of acceptance of application or from the date of receipt of intimation of removal of site defects/deficiencies, the load applied for

connection shall be deemed to have been sanctioned after 2 (two) days from the date of acceptance of the application or the date of receipt of information for removal of defects/deficiencies, as the case may be.

(3) Load Sanction and Demand Note:-

(i) Save as otherwise provided in the Act or these Regulations, the Licensee shall sanction the load as requested by the applicant.

(ii) The Licensee shall raise the demand note to the applicant, within 2 (two) days of the field inspection subject to rectification of defects/deficiencies, for applicable charges, giving its breakup under the heads such as Service Line cum Development (SLD) charges, Security deposit, security towards pre-payment meter, road restoration charges, reconnection charges, etc. after giving due adjustment for the registration cum processing fee collected, if any, at the time of submission of the application:

Provided that in cases where consumer contribution is required for augmentation of network, the demand note shall be raised by the licensee within 10 (ten) days of the field inspection.

(iii) The applicant shall make payment within 2 (two) days of the receipt of the demand note.

(iv) In case the applicant finds difficulty in making the payment within 2(two) days, the applicant may request the Licensee, in writing, for an extension of time for a maximum period of 15 (fifteen) days.

(v) The Licensee shall be under obligation to energise the connection on receipt of full payment against the demand note subject to the condition that the time extended under sub-regulation (iv) above shall not be counted in working out the total time taken for energisation of connection by Licensee nor the consumer shall be entitled to seek any compensation for such extended period.

Time Period for New Connection 11(4)

(4) Energisation of Connection:-

(i) **Where connection is to be provided from existing distribution system in electrified areas:-**

a. In cases where road cutting permission or right of way is not required, the Licensee shall energize the connection within 1(one) day from the date of receipt of full payment.

b. In cases where road cutting permission or right of way is required, the Licensee shall energize the connection within 9(nine) days from the date of receipt of full payment:

Provided that if delay in road cutting permission or right of way is beyond 2(two) days from the date of submission of request by the distribution licensee, such delay shall not be counted in working out the total time taken for energisation of connection by Licensee nor the consumer shall be entitled to seek any compensation for such period.

c. The total time for providing connection from existing distribution system shall not exceed the time schedule specified under these Regulations.

d. For the purpose of illustration, the total time taken for release of connection in electrified area from the existing distribution system, where there is no deficiency in the application or during field inspection, shall be as under:

Sl. No.	**Description**	**Time period**
(i)	Acceptance of Application	Zero date
(ii)	Field Inspection	Within 2 days of Acceptance of Application

(iii)	Load Sanction and demand note	Within 2 days of Field Inspection
(iv)	Payment of demand note	Within 2 days of raising demand note
(v)	Release of connection, where no RoW or road cutting permission is required	Within 1 day of receipt of payment
	Release of connection, where RoW or road cutting permission is required	Within 9 days of receipt of payment
(vi)	Total time for release of connection where no RoW or road cutting permission is required	Within 7 days of acceptance of application
	Total time for release of connection where RoW or road cutting permission is required	Within 15 days of acceptance of application

(ii) **Connection where system augmentation is required in electrified areas:-**

a. The Licensee shall not deny new connection as long as the peak load including the load capacity of the new connection on the applicable distribution transformer falls within and up to 90% of the rated capacity of the transformer.

b. The Licensee shall take appropriate action for augmentation of the capacity, as soon as the peak load on the existing applicable distribution transformer(s) reaches about 70% of its rated capacity.

c. Subject to sub-clause (a) above, if giving of new connection requires augmentation of distribution system, the Licensee shall inform the applicant about the approximate time frame by which the applied load can be energized. Such time frame shall not exceed the time schedule specified as under:

(i)	Electrified Areas (where extension of line upto five poles is required)	Within 15 days from the date of receipt of full payment against demand note.
(ii)	Electrified Areas (Where extension of lines or augmentation of Distribution Transformation capacity,where peak load of transformer has reached 90% of its rated capacity)	Within 2 months from the date of receipt of full payment against demand note.
(iii)	Electrified Areas (Where new Distribution Transformer is required)	Within 4 months from the date of receipt of payment against demand note
(iv)	Electrified Areas (Where existing 11 KV network needs to be augmented)	Within 6 months from the date of receipt of payment against demand note

(v)	Electrified Areas (Where existing 66/33 kV grid sub-station needs to be augmented)	Within 8 months from the date of receipt of payment against demand note

Provided that the Licensee may approach the Commission for extension of time specified in specific cases, where magnitude of electrification works is such that it requires more time, duly furnishing the details in support of such request for extension.

(iii) **Connection in Un-electrified areas:-**

a. The licensee shall upload the updated details of un-electrified areas as on 31st March of every year alongwith the geographical map clearly indicating the boundaries of such areas under its licensed area of supply by the end of April of that year:

Provided that the Licensee for the first time shall upload the details of un-electrified areas as on 31.7.2017 alongwith the geographical map clearly indicating the boundaries of such areas under its licensed area of supply:

Provided further that the details of un-electrified areas as on 31.7.2017 shall be uploaded by the Licensee on its website by 31.8.2017 and shall remain on its website unless reviewed by the Commission.

b. The Licensee shall submit in the Business Plan, details of un-electrified areas under its area of supply and proposal for its electrification during the control period.

c. The Licensee shall submit alongwith the filing of tariff petition, the detailed plan for electrification of these areas duly taking into account the number of pending applications for service connections, potential for load growth etc.

d. The Licensee shall ensure that all relevant laws of the land are complied with.

e. The Licensee shall complete the electrification of un-electrified areas and release the connection within the time schedule specified as under:

(i)	Where connection from nearby existing network is possible	Within 4 months from the date of receipt of approval from the Commission, wherever required, subject to: (i) receipt of service line cum development charges under Regulation 21 from the developer or the applicant as the case may be; and (ii) availability of right of way & land, wherever required.
(ii)	Where new network is to be laid or grid station needs to be established	Within 12 months from the date of receipt of approval from the Commission, wherever required, subject to: (i) receipt of service line cum development charges under Regulation 21 from the developer or the applicant as the case may be; and (ii) availability of right of way & land, wherever required.

Provided that on request of the licensee, the Commission may allow extension of time for electrification works in specific cases, based on the justification and the details furnished by the Licensee:

Provided further that once electrification of such area is completed, the timelines for energisation of connection shall be in accordance with the provisions of these Regulations for energisation of connection in electrified areas.

(iv) **All connections to be energized using bus-bars:-**

a. If more than one connection in a premises/complex are energized using a single service line or a cable, all such connections shall be energized using the bus-bars only without looping with other meters.

b. Any existing connection, provided through loop connections, energized prior to 18th April, 2007 (date of notification of Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards Regulations, 2007), shall be rectified and re-energized using bus-bars within 6 (six) months from the date of applicability of these Regulations.

c. The consumer shall have the right to check / verify that the neutral of its meter is connected directly from the bus bar and not in any other manner.

d. Subject to Sub-Clause (b) above, if it is found that the consumer's meter is energized through neutral looping and not directly from the bus bar, the Licensee shall be liable to pay compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(v) **Compensation for delay in energizing connection:-**

a. In case the Licensee fails to provide the connection to an applicant within the prescribed time lines, the Licensee shall be liable to pay the applicant,

compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

b. For determination of compensation, the time taken for release of connection shall not be considered on account of the following:-

(i) If at any stage, additional time period is sought by the applicant for reasons to be recorded in writing; or

(ii) If the same is on account of reasons such as right of way, acquisition of land, delay in permission for road cutting etc., or occurrence of any force majeure event, over which Licensee has no control and the reasons for the delay are communicated to the applicant within the period specified for energisation; or

(iii) If additional time is allowed by the Commission for completion of work.

c. In case the Licensee fails to provide connection to an applicant after raising a demand note, the Licensee shall pay the applicant, compensation as per Schedule-I of the Regulations:

Provided that the Licensee shall also refund the amount deposited by the applicant against the demand note along with interest as applicable in case of Security Deposit, within 30 (thirty) days from the date load is not sanctioned:

Provided further that if the connection could not be provided after issuance of the demand note for the reasons attributable to the applicant, no compensation shall be payable and the Licensee shall refund the amount deposited by the applicant against the demand note.

(vi) **Electricity Connection based on occupancy as per Regulation 10 (3)(v & vi):-**

a. The Licensee shall provide the electricity connection to such applicant only through pre-payment meter by charging a refundable security also as notified in the Commission's Orders towards pre-payment meter:
Provided that if the load demanded by the applicant is more than 45kW, the Licensee may provide the connection through post-paid meter:

b. The electricity connection shall be valid during the currency of said lease agreement or mutually extended period of lease by the occupier and the owner.

c. The Licensee shall disconnect the electricity connection on expiry of lease agreement, unless extended.

d. In case the proof of occupancy is rent receipt alongwith undertaking that the rent receipt is signed by the owner or his authorized representative, the electricity connection shall be disconnected on the request of the owner or his authorized representative:

Provided that notice of at least one month period shall be given by the owner or his authorized representative to the Licensee and the occupier .

e. At the time of disconnection, if the pre-payment meter is not defective/damaged, the Licensee shall refund the security collected towards pre-payment meter alongwith the balance within 7 (seven) days of disconnection through demand draft or electronic clearance system.

12. Single point supply:

(1) The Licensee shall, if so requested, give single point supply, to the premises with multiple consumers/beneficiaries such as:

(i) Multi-storey buildings.

(ii) Residential complex developed by any developer.

अता. 247 चौ0 फतेह सिंह **उर्जा**

क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत हर्ष विहार, लेफ्ट–आउट पोर्शन, प्रताप नगर एवं सबोली आदि कालोनियों में अभी तक विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है;

ख) यदि हां, तो इन कालोनियों में विद्युतीकरण का कार्य किए जाने के लिए संबंधित कंपनी एवं सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

ग) इन कालोनियों में विद्युतीकरण के लिए क्या औपचारिकताएं हैं, जिन्हें पूरा किया जाना है, इसका पूरा ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री

क) जी नहीं, गोकलपुर विधान सभा, बीएसईएस यमुना के लाईसेंस क्षेत्र में पड़ता है इसलिए प्रश्न को बीएसईएस यमुना को भेजा गया था। इस प्रश्न के उत्तर में बीएसईएस यमुना द्वारा यह बताया गया है कि जैसे–जैसे एरिया का विस्तार होता रहता है वे अपना नेटवर्क बढ़ाते रहते हैं। इस समय केवल हर्ष विहार के ब्लाक ए–3, बी–4 और सी–3 में विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है,

ख) इस प्रश्न के उत्तर में बीएसईएस यमुना द्वारा यह बताया गया है कि हर्ष विहार के ब्लाक बी–4 और सी–3 में कुल 6 प्लाट (5 मीटर × 4 मीटर) की आवश्यकता है ताकि 11 के.वी. के पैनल लगाए जासके परन्तु उपरोक्त ब्लॉक में प्लाट उपलब्ध नहीं है।

ग) हर्ष विहार का ब्लाक ए–3 दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ब्लाक ए–3, के नक्शे राजस्व विभाग से दिल्ली में पड़ने वाले क्षेत्र को

चिंहित करके मंगवाए गए है यदि क्षेत्र बीवाईपीएल के लाईसेंस क्षेत्र में स्थित हुए तो डीईआरसी की आवश्यक मंजूरी ली जाएगी।

अता. 248 श्री सोमनाथ भारती **राजस्व**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या उपायुक्त (राजस्व) दक्षिण के कार्यालय में उपलब्ध भू–अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया है,

ख) यदि हां, तो एक आम नागरिक इससे कैसे लाभ उठा सकता है,

ग) सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण जैसे विवादों के कितने मामले उपायुक्त (राजस्व) दक्षिण के कार्यालय में लंबित हैं,

घ) प्रत्येक मामले में पक्षकारों के नाम, मामले की विषयवस्तु, मामले दाखिल किए जाने की तिथि, इनकी वर्तमान स्थिति तथा अंतिम निर्णय होने की अनुमानित तिथि,

ङ) भूमि–परिसीमन के लिए अनुरोध करने की प्रक्रिया क्या है,

च) मालवीयनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुदर्शन सिनेमा रोड, गौतम नगर, एस बेंड रोड, मालवीय नगर, ग्रीन पार्क मेन मार्केट रोड, हौज़ खास विपेज रोड, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, बसंत कौर, मार्ग, के परिसीमन के लिए उपायुक्त (राजस्व) दक्षिण के कार्यालय में किए गए प्रश्नकर्ता के अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है,

छ) अब तक प्रश्नकर्ता के इस अनुरोध के पूरा न हो पाने के क्या कारण हैं,

ज) हौज़खास वार्ड के पूर्व भाजपा पार्षद श्री शैलेंद्र सिंह मौंटी से संबंधित संपत्ति, जिसे रोज़ होटल के नाम से जाना जाता है, के विरुद्ध जो भी

कार्यवाही चल रही है या पहले हो चुकी है, उसकी पूरी जानकारी तथा फाइल उपलब्ध कराएं,

झ) उपायुक्त (राजस्व) दक्षिण कार्यालय में पंजीकृत श्री शैलेंद्र सिंह मौंटी, पूर्व भाजपा पार्षद, श्रीमती अंकिता सैनी, श्री जितेंद्र कोचर, श्री सतीश उपाध्याय तथा पूर्व विधायक प्रोफेसर किरन वालिया व उनके परिवारजनों के नाम संपत्ति की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिसमें संपत्ति का परिमाण, कार्यालय में पंजीकृत कराए जाने की तिथि तथा उसका घोषित मूल्य सम्मिलित हो, और

ञ) अधचिनी चौपाल में अवैध रूप से चलाई जा रही दो दुकानों को हटाए जाने के प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है?

राजस्व मंत्री

क) दक्षिणी जिला के अंतर्गत गाँवः– आया नगर, जोना पुर, डेरमंडी, सुल्तानपुर फतेहपुर बेरी, सहूरपुर, छत्तरपुर, बतबरी, राजपुर खुर्द, मैदानगढ़ी, नेबसराय, व सैदुलाजब भू–अभिलेखों का डिजिटिलाइजेशन हो चुका है।

ख) ऑनलाइन e-district की website से चेक कर सकते हैं।

ग) दक्षिणी जिला के अंतर्गत लंबित केस की संख्या इस प्रकार हैः–

U/s-84 DLR Act Case-17

U/s-85 DLR Act Case-16

U/s-86 DLR Act Case-84

घ) प्रश्न ग और घ संबंधित सूची संलग्न है।

ङ) भूमि परिसीमन का आवेदन पत्र राजस्व सहायक (एस.डी.एम.) के द्वारा निष्पादित किया जाता है आवेदन पत्र के साथ खसरा नं. और नक्शे की सत्यापित प्रति (जिनके आधार पर परिसीमन की प्रार्थना की गई है) लगाना आवश्यक है। स्वीकृति मिलने पर निर्धारित 100 रुपये फीस जमा करानी होती है।

च) उपायुक्त (राजस्व) दक्षिण के कार्यालय में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

छ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं है।

ज) उपायुक्त (राजस्व) दक्षिण के कार्यालय में सम्पत्ति के विरुद्ध इससे संबंधित कोई कार्यवाही नहीं चल रही है।

झ) प्रश्न में दी हुई जानकारी सम्पत्तिओं के विवरण उपलब्ध कराने हेतु अपर्याप्त है।

ञ) इस प्रश्न से संबंधित कार्यवाही एस.डी.एम. (हौजखास) के कार्यालय में विचाराधीन है, जो कि जल्द ही पूरी की जाएगी।

Enclosure for Part 'ख' अता० प्रश्न सं० 248 दिनांक 23/3/18 (1)

LIST OF CASES

S.NO.	CASE NO.	TITLE	TITLE	U/S	KHASRA NO.	DATE OF INSTITUTION
1.	151/RA/SAKET/2016	SH. KISHORE LAL	ALLHA RAKHI&ORS.	85	1412/1/1min(00-06), 1412/1/1min (00-04)	15/02/2016
2.	35/1/1995	TRIPTA SONI	PRADEEP KHAITAN	84	VIILAGE DEVLI	01/01/1995
3.	35/6/2015	CAPITAL LAND BUILDERS PVT. LTD	SMT. RITU MISHRA	84	834 (00-10)	08/06/2015
4.	35/6/2013	MUSTAFFA	GS SATBARI	85	1091	13/09/2016
5.	135/RA/DC/99	G.S. CHATTERPUR	D.K. BHANDARI	86A	A-1/105, SAFDARJUNG ENC. N.D.	01/01/1999
6.	70/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SATISH KUMAR	86A	45,46MIN	12/02/1999
7.	80/RA/99	G.S. CHATTERPUR	V.P. AGARWAL & ORS.	86A	126,127	12/02/1999
8.	69/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SMT. GURNAM KAUR	86A	38	12/02/1999
9.	62/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SMT. ATTAR SINGH	86A	40	12/02/1999
10.	63/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SMT. SUMAN SINGHAL	86A	37	12/02/1999
11.	66/RA/99	G.S. CHATTERPUR	S.K. ROBERT	86A	34	12/02/1999
12.	77/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SURESH KR. DHAWAN	86A	36	12/02/1999
13.	78/RA/99	G.S. CHATTERPUR	DUBEY	86A	36	12/02/1999

(2)

14.	59/RA/99	G.S. CHATTERPUR	J.S. LAMBA	86A	37-39	12/02/1999
15.	42/RA/99	G.S. CHATTERPUR	JAGMOHAN SETHI	86A	60,113,119	12/02/1999
16.	55/RA/99	G.S. CHATTERPUR	TEERATH SINGH	86A	48,49	12/02/1999
17.	75/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SMT. SANDEEP M. SINGH	86A	121,122	12/02/1999
18.	85/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SMT. SHANTI DEVI	86A	46	12/02/1999
19.	68/RA/99	G.S. CHATTERPUR	HALF LANG	86A	38	12/02/1999
20.	54/RA/99	G.S. CHATTERPUR	GOBIND SINGH	86A	45,46	12/02/1999
21.	57/RA/997	G.S. CHATTERPUR	S. GUPTA	86A	48	06/08/1997
22.	76/RA/99	G.S. CHATTERPUR	JAI SINGH	86A	45,46	12/02/1999
23.	37/RA/99	G.S. CHATTERPUR	HARI SINGH	86A	49	12/02/1999
24.	40/RA/99	G.S. CHATTERPUR	V.S. GEHAN	86A	117,118	12/02/1999
25.	34/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SARAN SETHI	86A	937	12/02/1999
26.	45/RA/99	G.S. CHATTERPUR	JARNAIL SINGH	86A	39,40	12/02/1999
27.	46/RA/99	G.S. CHATTERPUR	B L MAGO	86A	117,118	12/02/1999
28.	31/RA/99	G.S. CHATTERPUR	HUKAM SINGH	86A	47	12/02/1999
29.	32/RA/99	G.S. CHATTERPUR	JANAK SINGH	86A	28	12/02/1999

(3)

30.	415/RA/HK/96	G.S. NEB SARAI	DALJIT SINGH & ORS.	86A	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,56,74,75,76,77,78,136,151,448 & 450	02/07/1996
31.	29/RA/99	G.S. CHATTERPUR	DINESH KUMAR, SHYAM AGAWAL	86A	123	12/02/1999
32.	36/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SMT. CHAMPA KUSHWAHA	86A	101	12/02/1999
33.	28/RA/99	G.S. CHATTERPUR	RAGHUNATH	86A	29	12/02/1999
34.	30/RA/99	G.S. CHATTERPUR	DR. NARENDER	86A	30,31	12/02/1999
35.	171/RA/HK/12	VINAY PAL	G.S. ASOLA	85	1300	12/02/2012
36.	65/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SAREEN & ORS.	86A	30	12/02/1999
37.	83/RA/99	G.S. CHATTERPUR	BACHAN SINGH RAWAT	86A	52/2	12/02/1999
38.	33/RA/99	G.S. CHATTERPUR	BAL KISHAN	86A	60	12/02/1999
39.	38/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SANJAY	86A	117-118	12/02/1999
40.	27/RA/99	G.S. CHATTERPUR	A.K. GUPTA	86A	38	12/02/1999
41.	43/RA/99	G.S. CHATTERPUR	S.K. SAREEN	86A	30,60,119	12/02/1999
42.	50/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SHRI KRISHAN MARBLE	86A	53,55	12/02/1999
43.	52/RA/99	G.S. CHATTERPUR	GIRDHARI SINGH	86A	51	12/02/1999

(4)

44.	51/RA/99	G.S. CHATTERPUR	MAHESHWARI BHANDARI	86A	51	12/02/1999
45.	47/RA/99	G.S. CHATTERPUR	AHLUWALIA	86A	53	12/02/1999
46.	41/RA/99	G.S. CHATTERPUR	GEETA RAMESH	86A	120,116,117,37	12/02/1999
47.	48/RA/99	G.S. CHATTERPUR	JAIN MANDIR	86A	53	12/02/1999
48.	49/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SMT. MAHESHWARI DEVI	86A	53	
49.	166/RA/HK/03	G.S. CHATTERPUR	S.P. SINGH & ORS.	86A	57	24 03 2003
50.	RA/HK/93	G.S. CHATTERPUR	CHANDER SINGH LOHIA	86A		13 04 1993
51.	23/RA/96	G.S. CHATTERPUR	SMT. BIMLA DEVI	86A	22	11 05 1996
52.	167/RA/HK/03	G.S. CHATTERPUR	GOPAL SINGH & ORS	86	35,39,40,29,	24 09 2003
53.	421/RA/HK/93	G.S. CHATTERPUR	JAGDISH SINGH LOHIA	86A	22	01 01 1993
54.	24/RA/96	G.S. CHATTERPUR	DHARAM CHAND	86A	22	02 05 1996
55.	7/RA/HK/96	G.S. CHATTERPUR	KEWAL SINGH	86A	22	13 08. 1996
56.	60/RA/99	G.S. CHATTERPUR	BABA TIMBER	86A	117,124	12 02 1999
57.	71/RA/99	G.S. CHATTERPUR	GOBIND SINGH	86A	45,46	12 02 1999
58.	369/RA/86	G.S. DEVLI	ZILE SINGH	86A	66/1,66/2,66/26,293	01 01 1986
59.	56/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SH. BHAGWAN SINGH	86A	45,46	12 02 1999
60.	167/RA/HK/02	G.S. NEB SARAI	COUNTRY CLUB	86A	267	02 02 2002
61.	81/RA/99	G.S. CHATTERPUR	MOHAN SINGH	86A	126,127	12 02 1999
62.	31/RA/95	G.S. ASOLA	MASTER GURPREET SINGH	86A	1576	01 01 1995
63.	64/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SMT. KISHNA SHARMA	86A	117,118	12 02 1999
64.	67/RA/99	G.S. CHATTERPUR	S.R. SHARMA	86A	29	12 02 1999

(5)

65.	79/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SH. JAI SINGH	86A	36	12/02/1999
66.	76/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SMT. SHANTA PRADHAN	86A	137,128	12/02/1999
67.	74/RA/99	G.S. CHATTERPUR	DAYAL SINGH	86A	45,46	12/02/1999
68.	82/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SMT. MAHESHWARI DEVI	86A	126,127	12/02/1999
69.	72/RA/99	G.S. CHATTERPUR	VACHAN DEVI	86A	45,46	12/02/1999
70.	58/RA/99	G.S. CHATTERPUR	SMT. PROMILA	86A	120,124	12/02/1999
71.	84/RA/99	G.S. CHATTERPUR	PREM SINGH	86A	52/2	12/02/1999
72.	26/RA/99	G.S. CHATTERPUR	D.D. SINGH	86A	60	12/02/1999
73.	169/RA/HK/03	G.S. CHATTERPUR	ISHWAR SINGH GULIA & ORS.	86A	46 & 47	24/09/2003
74.	61/RA/99	G.S. CHATTERPUR	D.K. BHANDARI	86A	60,130,104	12/02/1999
75.	261/RA/HK/01	G.S. SAIDULAJAB	RURAL MEDICAL HOSPITAL	86A	235,240,241	10/07/2001
76.	163/RA/HK/03	G.S. CHATTERPUR	V.M. TREHAN & ORS.	86A	117,123,124	23/09/2003
77.	44/RA/99	G.S. CHATTERPUR	VINOD AGGARWAL	86A	117	12/02/1999
78.	24/RA/99	G.S. CHATTERPUR	JANAK SINGH & 60 ORS.	86A	20,60,119,29,123,30,31,47,28,937,120,101,45,46,124, 103,104,49,117,118,120,116, 37,113,39,40,53,55,51,48,49, 34,29,38,121,122,137,128,36,126,127,86,52/2,22	12/02/1999
79.	22/SDM/SAKET/13	CAPITAL LAND BUILDERS PVT.LTD	SAHEED KHAN & ORS.	84	884/2	09/04/2013

80.	150/RA/HK/2000	G.S. SATBARI	OM PAL SINGH	86A	1091	20/04/2000
81.	79/RA/HK/04	G.S. CHATTERPUR	V.K. SHARMA	86A	24,33	17/08/2004
82.	264/RA/HK/01	G.S. SAIDULAJAB	MADANBIR & ORS	86A	157,278	28/08/2001
83.	27/SDM/SAKET/13	CAPITAL LAND BUILDERS	KHRUSHID & ORS.	84	881/2	09/04/2013
84.	23/SDM/SAKET/13	CAPITAL LAND BUILDERS	SAHEED KHAN & ORS.	84	900/2/2	09/04/2013
85.	SDM/RA/HK	SRI NATH	SUSHILA & ORS.	85	244,245	01/01/1999
86.	39/RA/99	G.S. CHATTARPUR	RAMESH & KAMHMERA	86A	117MIN(0-13)	12/02/1999
87.	170/RA/HK/03	G.S. CHATTARPUR	MALA GAUTAM & ORS.	86A	38	23/09/2003
88.	25/RA/SAKET/13	GOVIND RAM	AJIT SINGH	84	1101	16/10/2013
89.	85/SDM/SAKET/2015	CAPITAL LAND BUILDERS PVT.LTD	PARAMJEET SINGH	84	837(02-06)	09/07/2015
90.	108/RA/SAKET/2015	GOVIND RAM	KHUSHI KHAN	84	1096(04-13)	09/07/2015
91.	RA/HK/10	LAKSHMI CHAND	G.S. ASOLA	85	VILLAGE ASOLA	07/01/2010

(7)

S.No	Case Id	RA DLR Act			
		Case No	Date of Hearing	Case Title	Date of Request
1	7406	234/RA/MEH/1986	26-10-2016	RAVINDER SINGH Vs. PRATAP SINGH	14-08-2015
2	7428	349/RA/MEH/2014	16-04-2018	HARKRIT SINGH SETHI&ANR. Vs. ANKIT JAIN&ANR.	14-08-2015
3	7429	348/RA/MEH/2014	30-05-2018	SUKRIT SINGH SETHI Vs. SMT. DRAUPTI	14-08-2015
4	7430	36/1/2011	28-03-2018	M K GUPTA Vs. SHRI PURAN	14-08-2015
5	7842	54/RA/HK/2000	21-05-2018	RAHUL KAKKAR Vs. BRAHM ANEJA&ORS.	24-08-2015
6	7858	RA/HK/1999	28-03-2018	USHA DUA Vs. GOVT. M S SCHOOL, JONAPUR	24-08-2015
7	7869	855/RA/HK/2003	23-03-2018	BALESH Vs. KALLU&ORS.	24-08-2015
8	7897	58/RA/HK/2006	22-05-2017	DALIP SINGH Vs. DEEP CHAND&ORS	24-08-2015
9	16106	36/60/2015	25-09-2017	Dr. Amarjit Singh Nalwa Vs. Govt. School No. 1923064	07-01-2017

(8)

S.No	Case Id	85 DLR Act			
		Case No	Date of Hearing	Case Title	Date of Request
1	7380	388/RA/HK/1994	26-03-2018	GANESHI RAM Vs. GS DERAMANDI	14-08-2015
2	7417	RA/HK/97	23-04-2018	DAULAT RAM&ORS. Vs. GS DERA MANDI	14-08-2015
3	7418	222/RA/HK/1988	23-04-2018	SHRI HARI CHAND Vs. GS FATEHPUR BERI	14-08-2015
4	7463	356/RA/MEH/2014	04-10-2017	G S AYA NAGAR Vs. K N TRADERS	14-08-2015
5	7563	141/RA/HK/2003	27-04-2018	KARAN SINGH&ORS Vs. GS DERA MANDI&ORS.	17-08-2015
6	7844	01/RA/HK/1999	04-12-2017	BHAGMAL&ORS. Vs. GS AAYA NAGAR	24-08-2015
7	7859	36/3/1999	20-04-2018	KISHAN LAL Vs. GS DERA MANDI	24-08-2015
8	7871	114/RA/HK/1984	07-05-2018	SHRI GIRWAR Vs. GS DERA MANDI	24-08-2015
9	7894	791/RA/HK/1986	23-03-2018	UDAMI RAM Vs. GS DERA MANDI	24-08-2015
10	7896	790/RA/HK/1986	23-03-2018	SURJA Vs. GS DERA MANDI	24-08-2015
11	16214	36/1/2017	13-12-2017	Shyam Gupta Vs. Chemsford Club Limited	17-02-2017

(91)

86A Act					
S.No	Case Id	Case No	Date of Hearing	Case Title	Date of Request
1	7854	456/RA/HK/1988	09-05-2018	GS AYA NAGAR Vs. GOPI RAM	24-08-2015
2	7862	36/2/1997	09-04-2018	GS SULTANPUR Vs. ANIL BHANDARI	24-08-2015
3	7863	266/RA/HK/1996	18-05-2018	GS SULTANPUR Vs. KAPOOR POULTRY FARM	24-08-2015
4	7868	33/RA/HK/2011	27-04-2018	GS DERA MANDI Vs. SRI PAL PBR DEVELOPERS	24-08-2015
5	7887	176/RA/HK/2003	13-04-2018	GS AYA NAGAR Vs. PREM PAL MALHOTRA&ORS.	24-08-2015
6	7895	36/1/1998	04-04-2018	GS DERA MANDI Vs. UDAMI RAM&ORS.	24-08-2015

अता. 249 सुश्री भावना गौड़ **राजस्व**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या यह सत्य है कि सिटीजन एरिया डेवलपमेंट – स्वराज फंड की फाइल काफी समय से लंबित है,

ख) यदि हां, तो वर्तमान में यह फाइल स्वीकृति हेतु जिस कार्यालय में लंबित है उस अधिकारी का नाम, पदनाम बताएं,

ग) उक्त अधिकारी के कार्यालय में यह फाइल किस तिथि को प्राप्त की गई थी, और

घ) फाइल मूवमेंट की तिथिवार जानकारी दें तथा फाइल पर प्रत्येक अधिकारी द्वारा की गई एतद्संबंधी टीप की प्रतिलिपि उपलब्ध कराए?

राजस्व मंत्री

क) 1. मौहल्ला सभा के माध्यम से स्थानीय शासन के विकेन्द्रीकरण की अवधारणा से संबंधित केबिनेट नोट सं. 2376 दिनांक 16.06.016 मंत्रिपरिषद् द्वारा पारित किया गया। तत्पश्चात 2972 मौहल्ला सभा का गठन हुआ। माननीय उपराज्यपाल महोदय केसचिव के ज्ञापन दिनांक 08.08.2016 के अनुपालन में संबंधित फाइल माननीय उप मुख्यमंत्री के माध्यम से माननी उपराज्यपाल को दिनांक 18.08.2016 को भेज दी गई थी।

उक्त फाइल को माननीय उप मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल के कार्यालय से वापिस मंगवा लिया। वह फाइल, माननीय उप मुख्यमंत्री/राजस्व मंत्री के नोट दिनांक 10.03.2017 के द्वारा इस निर्देश के साथ राजस्व विभाग में वापिस आई कि दिल्ली में मौहल्ला सभा का गठन का केबिनेट नोट, पिछले नोट के साथ उसमें संशोधन/additions करते हुए तैयार किया जाए।

2. दिल्ली में मौहल्ला सभाओं को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए, जिससे कि एक मजबूत ढांचा खड़ा हो सके, एक व्यापक केबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है। माननीय राजस्व मंत्री द्वारा केबिनेट नोट के अनुमोदन के पश्चात यह नोट राजस्व विभाग में दिनांक 12.02.2018 को प्राप्त हो गया है।

केबिनेट नोट को संबंधित विभागों को अन्तर विभागीय परामर्श के लिए भेज दिया गया है। विभागों की टिप्पणी आने के बाद उन्हें केबिनेट नोट में समाहित करके तथा माननी मुख्यमंत्री महोदय की स्वीकृति लेने के पश्चात् मंत्रीपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

ख से घ) उपरोक्त (क) के अनुसार लागू नहीं।

अता. 250 श्री महेंद्र यादव **राजस्व**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) वर्ष 2016–17 में कितने जागरूकता अभियान/मॉक ड्रिल आयोजित की गई और इनमें कितने लोगों ने भाग लिया,

ख) वर्ष 2017–18 में आज की तारीख तक कुल कितने जागरूकता अभियान/मॉक ड्रिल आयोजित की गईं हैं, व इनमें कितने लोगों ने भाग लिया है,

ग) यदि वर्ष 2016–17 में लक्ष्य से कम जागरूकता अभियान/मॉक ड्रिल आयोजित की गईं तो उसके क्या कारण थे और इसके लिए कौन से अधिकारी (नाम व पदनाम बताएं) जिम्मेदार थे,

घ) वर्ष 2018–19 के दौरान इनके आयोजनों में कमी न रह जाए, इसके लिए क्या योजना बनाई गई है,

ङ) वर्ष 2017–18 में आज की तिथि तक कितनी 'आपदा राहत कॉल' प्राप्त हुईं,

च) इन कॉल्स की जवाबी प्रतिक्रिया का औसत समय कितना रहा,

छ) यदि प्रतिक्रिया का औसत समय लक्ष्य से अधिक रहा तो उसके क्या कारण थे,

ज) स्वीकृत स्टाफ के कितने प्रतिशत रिक्तियों को वर्ष 2017–18 के दौरान अब तक भरा जा चुका है,

झ) न भरी जा सकने वाली रिक्तियों के क्या कारण रहे हैं,

ञ) वर्ष 2017–18 के दौरान अब तक 'क्विक रेसपोंस वेहिकल्स' की कितनी संख्या है,

ट) यदि ये लक्ष्य से कम है तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन–से अधिकारी (नाम व पदनाम बताएं) ज़िम्मेदार हैं, और

ठ) वर्ष 2018–19 के दौरान यह कमी न रहे, इसके लिए विभाग की क्या योजना है?

राजस्व मंत्री

क) दिल्ली के सभी 11 जिलों में वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 1544 जागरूकता अभियान/मॉक ड्रिल आयोजित की गई जिसमें लगभग 376364 लोगो ने भाग लिया।

ख) कुल 1735 जागरूकता अभियान/मॉक ड्रिल दिल्ली राज्य में आयोजित की गई इनमें 408015 लोगों ने भाग लिया।

ग) वर्ष 2016–17 में लक्ष्य के अनुसार जागरूकता अभियान/मॉक ड्रिल आयोजित की गई।

घ) आपदा प्रबंधन के लिए पूरी दिल्ली और सभी जिलों की आपदा योजना 2016 में बनाई गई हैं। आपदा प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया हैं जिसे समुदायों की भागीदारी से मूर्त रूप दिया जाता है। राज्य, जिला व समुदाय स्तर पर योजनाए बनाई गई हैं, जिन्हें विभिन्न स्तर के मॉक ड्रिल द्वारा कार्यान्वित कर योजना को दुरुस्त बनाया जाता है।

ङ) 4521,

च) आपदा काल्स की जवाबी प्रतिक्रिया कई विभागों द्वारा की जाती है। सूचना प्रसारण का कार्य लगभग तीन से पांच मिनट में स्थापित आपात संकिया केन्द्र (EOC)/1077 Helpline Number से संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है। उसके बाद संबंधित विभाग द्वारा प्रतिक्रिया का समय घटना की दूरी व व्यापकता इत्यादि पर निर्भर करता है।

छ) सभी कॉलें/सूचनाओं पर औसत समयानुसार कार्यवाही की गई।

ज) वर्ष 2017–18 में कोई रिक्तियाँ नहीं भरी गई हैं।

झ) मुख्यालय में दो पदों का विज्ञापन दिया था लेकिन साक्षात्कार में उपस्थित प्रार्थियों में से कोई उपयुक्त नहीं पाया गया।

ञ से ठ) हर जिले में एक 'क्विक रेसपोंस वेहिकल' की व्यवस्था है जो वर्तमान में प्रभावी ढंग से काम कर रही है। शीर्घ ही जिला स्तर पर एक–एक और 'क्विक रेसपोंस वेहिकल' दे दी जायेगी।

अता. 251 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा **राजस्व**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या यह सत्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश देते हुए कहा था कि राज्य सरकारें इसके लिए अलग से कानून बनाएं;

ख) दिल्ली सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या प्रगति की है, इससे अवगत कराएं;

ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी दिल्ली में एसिड सम्बन्धी कितनी दुर्घटनाएं हुई ?

घ) क्या एसडीएम और एडीएम को एसिड बेचने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है,

च) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है; और

छ) पिछले तीन वर्षों में इस कानून का उल्लंघन करने पर कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई ?

राजस्व मंत्री

क) जी हाँ।

ख) गृह विभाग द्वारा दिल्ली जहरों के अधिकार एवं बिक्री नियम, 205 (Delhi poison Possession and Sale Rules, 2015) दिनांक–25.08.2017 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

ग) दिल्ली पुलिस विभाग द्वार प्रदत्त सूचना के अनुसार वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2018 तक 83 मामलों के सम्बन्ध में मुकदमें दर्ज हुए।

घ) उप मण्डलीय दण्डाधिकारी को कार्यवाही का अधिकार है,

ङ) इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 18.07.2013 के बिन्दु सं. 8,9,10 व पब्लिक नोटिस दिनांक 08.10.2013 की प्रतिलिपि संलग्न है,

च) राजस्व विभाग के उप मण्डलीय दण्डाधिकारियों द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर 109 व्यक्तियों के चालान काटे गये/उचित कार्यवाही की गयी और इस प्रकार दिल्ली पुलिस विभाग द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर 83 मुकदमें दर्ज किये गये तथा इनमें से 55 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया।

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CRIMINAL ORIGINAL JURISDICTION

WRIT PETITION (CRL.) NO. 129 OF 2006

LAXMI **PETITIONER(s)**

Versus

UNION OF INDIA AND OTHERS **RESPONDENT(s)**

ORDER

On 6.2.2013, a direction was given to the Home Secretary, Ministry of Home Affairs associating the Secretary, Ministry of Chemical & Fertilizers to convene a meeting of the Chief Secretaries/concerned Secretaries of the State Governments and the Administrators of the Union Territories, inter alia, to discuss the following aspects:

i) Enactment of appropriate provision for effective regulation of sale of acid in the States/Union Territories.

ii) Measures for the proper treatment, after care and rehabilitation of the victims of acid attack and needs of acid attack victims.

(iii) Compensation payable to acid victims by the State/or creation of some separate fund for payment of compensation to the acid attack victims.

2. Following the order of 6.2.2013, three subsequent orders on 16.4.2013, 9.7.2013 and 16.7.2013 were passed by this Court.

3. Various State Governments/Union Territories have filed their affidavits. The Union of India filed its last affidavit on 17.7.2013. Along with that affidavit, draft Model Rules entitled "The Poisons Possession and Sale Rules, 2013" (for short "Model Rules") have been placed on record. Mr. Mohan Parasaran, learned Solicitor General states that the Central Government will circulate the Model Rules to regulate sale of acid and other corrosive substances framed under the Poisons Act, 1919 to all the State Governments and Union Territories within a week from today. He also states that Model Rules will include, inter alia, the form of acids (liquids or crystalline and its concentration) that can be stored and sold, issue of licenses, procurement by individuals, educational and research institutions, hospitals, industries, Government Departments and departments of Public Sector Undertakings. We accept the statement made by the earned Solicitor General as noted above.

4. Insofar as the States and Union Territories are concerned, we are informed that the States of Maharashtra, Karnataka, Kerala, Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh have framed rules to regulate sale of acid and other corrosive substances. As regards state of Meghalaya, we find from the available record that draft rules have been prepared, a copy of which has been made available to the Court.

5. Learned counsel for the State of Tamil Nadu has stated before us that within two months from today, appropriate rules to regularise sale of acid and other corrosive substances shall be framed.

6. In our opinion, all the States and Union Territories which have not yet framed rules will do well to make rules to regulate sale of acid and other corrosive substances in line with the Model Rules framed by the Central Government. The States, which have framed rules but these rules are not as stringent as the Model Rules framed by the Central Government will make necessary amendments in their rules to bring them in line with the Model Rules. The Chief Secretaries of the respective States and the Administrators of the Union Territories shall ensure compliance of the above expeditiously and in no case later than three months from the receipt of the draft Model Rules from the Central Government.

7. The Centre and States/Union Territories shall work towards making the offences under the Poison Act, 1919 cognizable and non-bailable.

8. In the States/Union Territories, where rules to regulate sale of acid and other corrosive substances are not operational, until such rules are framed and made operational, the Chief Secretaries of the concerned States/Administrators of the Union Territories shall ensure the compliance of the following directions with immediate effect:

i) Over the counter, sale of acid is completely prohibited unless the seller maintains a log/register recording the sale of acid which will contain the details of the person(s) to whom acid(s) is/are sold and the quantity sold. The log/register shall contain the address of the person to whom it is sold.

(ii) All sellers shall sell acid only after the buyer has shown:

a) a photo ID issued by the Government which also has the address of the person:

b) specifies the reason/purpose for procuring acid.

(iii) All stocks of acid must be declared by the seller with the concerned Sub-Divisional Magistrate (SDM) within 15 days.

(iv) No acid shall be sold to any person who is below 18 years of age.

(v) In case of undeclared stock of acid, it will be open to the concerned SDM to confiscate the stock and suitably impose fine on such seller up to Rs. 50,000/-

(vi) The concerned SDM may impose fine up to Rs. 50,000/- on any person who commits breach of any of the above directions.

9. The educational institutions, research laboratories, hospitals, Government Departments and the departments of Public Sector Undertakings, who are required to keep and store acid, shall follow the following guidelines:

(i) A register of usage of acid shall be maintained and the same shall be filed with the concerned SDM.

(ii) A person shall be made accountable for possession and safe keeping of acid in their premises.

(iii) The acid shall be stored under the supervision of this person and there shall be compulsory checking of the students/ personnel leaving the laboratories/place of storage where acid is used.

10. The concerned SDM shall be vested with the responsibility of taking appropriate action for the breach/default/violation of the above directions.

11. Section 357A came to inserted in the Code of Criminal Procedure, 1973 by Act 5 of 2009 w.e.f. 31.12.2009. Inter alia, this Section provides for preparation of a scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of thecrime and who require rehabilitation.

12. We are informed that pursuant to this provision, 17 States and 7 Union Territories have prepared 'Victim Compensation Scheme' (for short "Scheme"). As regards the victims of acid attacks the compensation mentioned in the Scheme framed by these States and Union Territories is un-uniform. While the State of Bihar has provided for compensation of Rs. 25,000/- in such scheme, the State of Rajasthan has provided for Rs. 2 lakhs of compensation. In our view, the compensation provided in the Scheme by most of the States/Union Territories is inadequate. It cannot be overlooked that acid attack victims need to undergo a series of plastic surgeries and other corrective treatments. Having regard to this problem, learned Solicitor General suggested to us that the compensation by the States/Union Territories for acid attack victims must be enhanced to at least Rs. 3 lakhs as the after care and rehabilitation cost. The suggestion of learned Solicitor General is very fair.

13. We, accordingly, direct that the acid attack victims shall be paid compensation of at least Rs. 3 lakhs by the concerned State Government/Union Territory as the after care and rehabilitation cost. Of this amount, a sum of Rs 1 lakh shall be paid to such victim within 15 days of occurrence of such incident (or being brought to the notice of the State Government/Union Territory) to facilitate immediate medical attention and expenses in this regard.

The balance sum of Rs. 2 lakhs shall be paid as expeditiously as may be possible and positively within two months thereafter. The Chief Secretaries of the States and the Administrators of the Union Territories shall ensure compliance of the above direction.

14. The Chief Secretaries of the States and Administrators of the Union Territories shall take necessary steps in getting this order translated into vernacular and publicise the same appropriately for the information of public at large.

15. List the matter on December 3, 2013.

..................................J.
(R.M. LODHA)

684/C

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER: DELHI
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
5, SHAM NATH MARG, DELHI.

F.No.36 (162)/Coord/Div Com/2013/ 1571 **Dated:** 08/10/2013

PUBLIC NOTICE

The Hon'ble Supreme Court of India has recently passed an order to regulate the sale of Acid across the counter. In its order in W.P. (Crl) No.129/2006 in Laxmi V/s Union of India & Ors, dated 18/7/2013, the Apex Court, in respect of Educational Institutions, Research Laboratories, Hospitals, Government Departments and the departments of Public Sector Undertakings who are required to keep and store acid, has fixed the following guidelines:

1. all such agencies will maintain a register having details of acid(s) used;
2. the said register(s) shall be filed with the concerned SDM who has been authorized by the Hon'ble Court to check all violations;
3. the agencies will nominate a person who shall be accountable for possession and safe keeping of acid(s) in its premises;
4. the acid(s) shall be stored under the supervision of this person and there shall be compulsory checking of the students/personnel leaving the laboratories/place of storage where the acid is used.

Therefore it is informed that all the Educational Institutions, Research Laboratories, Hospitals, Government Departments and the departments of Public Sector Undertakings who are required to keep and store acid, and are located in the NCT of Delhi shall immediately contact their concerned SDMs alongwith records of acid stocked/stored within 15 days of issue of this Notice.

(Mohammad A. Abid)
Additional Secretary (Revenue)

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER: DELHI
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
5, SHAM NATH MARG, DELHI.

F.No.36 (162)/Coord/Div Com/2013/ /572 Dated: 08/10/2013

PUBLIC NOTICE

The Hon'ble Supreme Court of India has recently passed an order to regulate the sale of Acid across the counter. In its order in W.P. (Crl) No.129/2006 in Laxmi V/s Union of India & Ors, dated 18/7/2013, the Apex Court has fixed the following guidelines:

1. Over the counter sale of acid is completely prohibited unless the seller maintains proper records.

2. The seller is required to maintain log/register, containing details of the person (s) including his address to whom acid (s) have been sold as well as the quantity sold.

3. The sale shall be executed only after the buyer:
   i. shows photo ID issued by the Government which also mentions his/her address;
   ii. specifies the reason/purpose for procuring acid.

4. The seller shall declare all stocks of acid in his/her possession to the concerned Sub-Divisional Magistrate (SDM) every 15 days.

5. No acid shall be sold to any person who is below 18 years of age.

The Hon'ble Supreme Court has also made it clear that the powers to check violations in the sale of acid(s) will lie with the concerned SDM who can:

i) in case of undeclared stock of acid, confiscate the stock and suitably impose fine on such seller upto Rs. 50000/-;
ii) in case the seller commits breach of any of the directions, impose a fine up to Rs.50,000/- on such persons.

Therefore through this notice it is hereby informed that all individuals, who are involved in the sale of acid(s) in the NCT of Delhi, shall immediately contact their concerned SDMs alongwith proper records of acid stocked/sold by them.

(Mohammad A. Abid)
Additional Secretary (Revenue)

अता. 252 श्री अजय दत्त **राजस्व**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की संख्या क्या है,

ख) यह संख्या निर्धारित लक्ष्य से कम रहने के कारण क्या हैं,

ग) इस कमी के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी का नाम व पदनाम क्या है,

घ) विभाग निर्धारित लक्ष्य को कब तक और कैसे प्राप्त करने जा रहा है, और

ङ) वर्ष 2017–18 में अब तक लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या क्या है?

राजस्व मंत्री

क) कुल 74 सेवाएं e-district portal पर उपलब्ध हैं जिनमें से 27 राजस्व विभाग से सम्बन्धित है।

ख) यह परियोजना 28 सेवाओं के लिए प्रारम्भ की गई थी अतः सेवाओं की संख्या ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा है।

ग) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं।

घ) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं।

ङ) लाभार्थी की संख्या 593004 है।

अता. 253 श्री महेंद्र गोयल **राजस्व**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) आपदा राहत योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में अब तक कितने पीड़ितों को राहत/सहायता उपलब्ध कराई गई है,

ख) आपदा राहत निधि के अंतर्गत कितनी राशि वितरित की गई है,

ग) इस निधि के पूरे इस्तेमाल न हो पाने के क्या कारण रहे हैं, और

घ) इसके लिए उत्तरदायी अधिकार का नाम व पदनाम क्या है?

राजस्व मंत्री

क) राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 421 दिनांक 05.04.2011 के अनुसार विभन्न प्रकार की दुर्घटनाओं जैसे प्राकृतिक आपदा, आतंकवादी हमला, बम्ब ब्लास्ट, साम्प्रदायिक दंगों के दौरान चल सम्पत्ति का खो जाना, आग लगने के कारण झुग्गियों को नुकसान पहुंचना इत्यादि के लिए अलग–अलग श्रेणी के ex-gratia relief की घोषणा की गयी है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। वर्ष 2017–18 के दौरान राजस्व विभाग द्वारा लगभग 886 व्यक्तियों को रु. 14,19,95,985/– की राहत राशि वितरित की गयी है।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया निधि (UTDRF) स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु विचारधीन हैं। यद्यपि राजस्व विभाग अपने राहत बजट के अंतर्गत विभिन्न दुर्घटनाओं से प्रभावित सभी व्यक्तियों को सहायता राशि प्रदान करता है।

ग) चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया निधि (UTDRF) अभी तक स्थापित नहीं है, अतः निधि के इस्तेमाल का प्रश्न नहीं उठता।

घ) उपरोक्तानुसार, प्रश्न नहीं उठता है।

OFFICE OF THE PR. SECRETARY & DIVISIONAL COMMISSIONER
REVENUE DEPARTMENT : GNCT OF DELHI
5, SHAM NATH MARG, DELHI - 110054
(RELIEF BRANCH)

No.: F.1.1(87)/Relief/Building Collapse2010/ 421 Dated 05.04.2011

ORDER

In supercession of all earlier orders / circulars, the Govt. of NCT of Delhi, vide Cabinet Decision No. 1751 dated March 9, 2011 has decided to enhance/revise the scale for grant of ex-gratia relief in various eventualities, as per the details given below:

(i) Fire & Other Accidents(caused by individual or natural calamities):

(a) Death (Major)	Rs.2,00,000/- in each case
(b) Death (Minor)	Rs.1,00,000/- in each case
(c) Serious Injury	Rs.50,000/- in each case
(d) Minor Injury	Rs.10,000/- in each case
(e) Orphaned children	Rs.1,00,000/- in each case

(ii) Bomb Blasts, Communal Riots & Other Riots, Terrorist Attacks:

(a) Death (Major)	Rs.3,00,000/- in each case
(b) Death (Minor)	Rs.1,50,000/- in each case
(c) Permanent Incapacitation	Rs.1,50,000/- in each case
(d) Serious Injury	Rs.1,00,000/- in each case
(e) Minor Injury	Rs.10,000/- in each case
(f) Orphaned children	Rs.1,00,000/- in each case

(iii) Loss of Moveable Property (in riots):

(a) Animals (source of income/livelihood): Rs.2,000/- each
 (i) Farm Animals : : cows, buffaloes, sheeps.
 (ii) Cart Animals : horses, oxen, camel
(b) Rickshaw : Rs.1500 each.

(iv) Damage to residential unit (in riots/ fire/ natural calamities [other than Jhuggies])

(a) Total Damage	: Rs.50,000/-
(b) Substantial Damage	: Rs.25,000/-
(c) Minor Damage	: Rs.5,000/-

The extent of damage will be assessed by the Public Works Department.

(v) Damage to uninsured commercial property/commercial articles (in riots/ fire/ natural calamities/[other than Jhuggies])

50% of the loss up to a maximum of : Rs.1,00,000/-

(vi) Damage to Jhuggies (In case of riots/ fire/etc.)

Total damage to Jhuggies : Rs.5,000/- in each case.
(Five thousand only)

Contd... 2

87/C

-2-.

The Pr. Secretary(Revenue) & Divisional Commissioner, Delhi and district offices each have been allotted budget under their respective heads of Accounts – "Major Head 2245 "Relief" on account of Natural Calamities to meet the expenditure on payments of gratuitous relief, tentage, food etc. in cases of natural calamities like fire, bomb blast, flood, earthquake, riots etc.

The powers have been delegated to the Pr. Secretary(Revenue) & Divisional Commissioner, Delhi to sanction relief in all cases, in accordance with the scales as approved.

(Kuldeep Singh Gangar)
Addl.Secretary (Revenue)

No.: F.1.1(87)/Relief/Building Collapse2010/ 42) Dated : 05.04.2011

Copy for information and necessary action to :-

1. The Pr. Secretary to H.E. Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
2. The Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Delhi Sectt., Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Minister of Revenue, Delhi Sectt., Delhi.
4. The Staff Officer to Chief Secretary, Delhi Sectt., Delhi.
5. The Pr. Secretary (Home), GNCT of Delhi.
6. The Pr. Secretary (Finance), GNCT of Delhi.
7. The PS to Pr.Secretary (Revenue), GNCT of Delhi.
8. All Dy. Commissioners (Revenue), GNCT of Delhi/New Delhi.
9. All ADMs/SDMs/Executive Magistrates/Tehsildars, GNCT of Delhi.
10. Guard File.

(Kuldeep Singh Gangar)
Addl.Secretary (Revenue)

अता. 254 श्री महेन्द्र गोयल **राजस्व**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) बुध विहार अनाधिकृत कालोनी बसने से पूर्व वहां ग्राम सभा की कौन–कौन सी भूमि थी;

ख) कालोनी बसने के बाद उस भूमि की क्या स्थिति है;

ग) क्या यह सत्य है कि ग्राम सभा ने वह भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दी है;

घ) यदि हां तो दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गई भूमि की विस्तृत जानकारी दी जाए;

ङ) वर्ष 2000 के बाद रिठाला विधान सभा में जितनी भी जमीन ग्राम सभा ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की है सभी की पूर्ण जानकारी दी जाए;

च) क्या यह भी सत्य है कि रिठाला विधान सभा क्षत्रे के सेक्टर 1,5,6,11,16,17 में अवैध निर्माण जोरो पर चल रहा है; और

छ) यदि हाँ, तो उसे रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

राजस्व मंत्री

क से ङ) बुध विहार अनधिकृत कालोनी मुख्यतया रिठाला गांव की भूमि पर बसी है। सम्पूर्ण रिठाला गांव की ग्राम सभा भूमि का विवरण (खतौनी के मुताबिक) संलग्न है। खतौनी के मुताबिक रिठाला गांव की ग्राम सभा भूमि की भूमिधारी अवार्ड नं. 297 दिनांक 05.10.1989 (नोटिफिकेशन नं. टी.सी. ओ./82/47 दिनांक 23.04.1982 के द्वारा भारत सरकार के नाम तब्दील हो चुकी है) कॉपी संलग्न[1]

1. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

छ) ऐसा कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं आया।

ज) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं है।

अता. 255 श्री राजू धिंगान **राजस्व**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

क) वर्ष 2017–18 में आज की तिथि तक मल्टी–सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (एमएसडीपी) की कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं,

ख) यदि लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है तो उसके क्या कारण हैं,

ग) इस कमी के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी का नाम व पदनाम क्या है,

घ) विभाग इस लक्ष्य को कब तक और कैसे प्राप्त करने जा रहा है;

च) वर्ष 2017–18 में एमएसडीपी से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

छ) यदि यह संख्या लक्ष्य से कम है तो इसके क्या कारण हैं, और

ज) लाभान्वित व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि (1 से 5 के पैमाने पर) क्या है?

राजस्व मंत्री

क) वर्ष 2017–18 में आज की तिथि तक मल्टी–सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (एमएसडीपी) में,

(i) डिस्पेंसरी के निर्माण की परियोजना का कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

(ii) आई.टी.आई. नन्द नगरी में मशीनरी व टूल्स की खरीद व स्थापना तथा अन्य परियोजना

(iii) चार में से दो मोबाइल क्लिनिक खरीदे गये व अन्य दो वाहन की आवश्यकता न होने पर नहीं खरीदे गये।

ख) (i) परियोजना हेतु वांछनीय द्वितीय किशत प्राप्त न होने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रषित द्वितीय किस्त रुपये 187 लाख का चेक, उप–निदेशक, एस.सी.एस.टी./ओ.बी.सी./ व अल्पसंख्यक विभाग, दिल्ली सरकार को भेजा गया, जो कि उक्त विभाग द्वारा यह दर्शाते हुए वापस किया गया कि उक्त चेक मंडलायुक्त (राजस्व) के नाम भेजा जाये। इसी राशि का चैक पुनः अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान सचिव (वित्त), दिल्ली सरकार को भेजा गया जो पुनः अल्पसंख्यक मंत्रालय को वापिस किया गया तदोपरान्त राजस्व विभाग को अभी तक यह प्राप्त नहीं हो पाया।

(ii) उक्त परियोजना हेतु प्रथम किस्त की पुनर्वैधीकरण प्राप्त नहीं हो पाई है।

अल्पसंख्यक मंत्रालय (भारत सरकार) से उपरोक्त दोनों परियोजना हेतु द्वितीय किस्त व पुनर्वैधीकरण प्राप्त नहीं हो सका है।

ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार लागू नहीं होता।

घ) उपरोक्त (ख) में (i) उदित किस्त की पुनर्वैधीकरण के तुरन्त पश्चात।

उपरोक्त (ख) में (ii) उदित किस्त की पुनर्वैधीकरण के तुरन्त पश्चात।

ङ) उपरोक्त (क) (iii) की परियोजना के अर्न्तगत लगभग 25000 लोग लाभान्वित हुए।

च) जी नहीं।

ज) लाभान्वित व्यक्तियों से कोई नकारात्मक प्रतिपुष्टि नहीं मिली है।

अता. 256 श्री सुरेन्द्र सिंह **राजस्व**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि सी.बी. नारायणा तालाब के पास कोई सरकारी जमीन है; और

ख) यदि हाँ, तो यह भूमि कितनी है और किसके द्वारा कब आबंटित की गई, नोटिफिकेशन की प्रति भी उपलब्ध करें?

राजस्व मंत्री

क एवं ख) जमीन को खसरा नंबर से निर्दिष्ट किया जाता है। प्रश्न में किसी जमीन विशेष को निर्दिष्ट किये जाने के अभाव में इस विषय में सम्यक जानकारी दे पाना संभव नहीं है।

अता. 257 श्री जगदीप सिंह **राजस्व**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या यह सत्य नहीं है कि वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान विधानसभा क्षेत्र एसी 28 के लिए 19 एस्टीमेट डूडा को भेजे गए थे जिनमें से केवल 4 ही स्वीकृत हुए हैं,

ख) यदि हां, तो शेष एस्टीमेट लंबित रहने का क्या कारण है, और

ग) इस विलंब के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

राजस्व मंत्री

क) वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान एसी 28 के लिए कुल 17 एस्टीमेट प्राप्त हुए जिनमें से 04 एस्टीमेट स्वीकृत हुए। 02 एस्टीमेट अनापत्ति प्रमाण

पत्र (NOC) ना मिलने के कारण अस्वीकृत किये गए। 04 एस्टीमेट डूडा कि मार्गदर्शिका के अनुसार ना बने होने कि वजह से स्वीकृत नहीं हो पाए जिनके लिए e-mail द्वारा निष्पादन एजेंसी एवं विधायक महोदय को सूचित किया गया था।

इसके अतिरिक्त 7 एस्टीमेट दिनांक 23.12.2017 को प्राप्त हुए जिन्हें, मंत्रिमण्डलीय निर्णय संख्या 2518 दिनांक 13.10.2017 के तत्त्वधान में जारी शहरी विकास विभाग के आदेश दिनांक 13.12.2017 के अनुसार (12.12.2017 के पश्चात् प्राप्त कार्य/एस्टीमेट) शहरी विकास विभाग द्वारा किया जाना है।

ख) उपरोक्त

ग) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं।

अता. 258 चौधरी फतेह सिंह **राजस्व**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) वर्तमान में सिविल डिफेंस के कितने वॉलंटीयर्स (सीडीवी) के नाम दर्ज हैं,

ख) वर्ष 2017–18 में इन वॉलंटीयर्स का औसत अनुक्रिया समय (मिनटों) में क्या है,

ग) यदि यह लक्ष्य से कम रहा है तो इसके क्या कारण हैं,

घ) विभाग इस लक्ष्य को कब तक और कैसे प्राप्त करने जा रहा है,

ङ) वर्ष 2017–18 में कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं,

च) यदि ये लक्ष्य से कम हैं तो इसके क्या कारण हैं,

छ) विभाग इस लक्ष्य को कब तक और कैसे पाप्त करने जा रहा है,

ज) वर्ष 2017–18 में कितने सीडीवी प्रशिक्षित किए गए,

झ) यदि यह लक्ष्य के अनुरूप नहीं है तो इसके क्या कारण हैं, और

ञ) विभाग इस लक्ष्य को कब तक और कैसे प्राप्त करने जा रहा है?

राजस्व मंत्री

क) वर्तमान में नागरिक सुरक्षा में 58537 सदस्य स्वयंसेवक के रूप में नामांकित है।

ख) कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है, अपितु घटित घटना का प्रकार, घटना का समय तथा विशिष्ट क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक/वार्डनस् की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

ग) लागू नहीं।

घ) लागू नहीं।

ङ) वर्ष 2017–18 में 371 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई है।

च) लक्ष्य के अनुरूप है। (as per outcome Budget)

छ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं।

ज) वर्ष 2017–18 में 7697 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक प्रशिक्षित किये गए।

झ) लक्ष्य से अधिक है। (as per outcome Budget)

ञ) लागू नहीं।

अता. 259 श्री सोमनाथ भारती **सूचना प्रौद्योगिकी**

क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का जीएसडीएस से प्राप्त डिजिटल मैप सभी डेटा लेयर्स व प्रक्रिया सहित उपलब्ध कराएं;

ख) इन डेटा लेयर्स में सरकारी सेवाओं, सरकारी परिसंपत्तियों व जनता के विवरण को कैसे शामिल किया जा सकता है,

ग) प्रशिक्षण की आवश्यकता की स्थिति में संबंधित अधिकारी का पूरा विवरण क्या है,

घ) यदि क्षेत्रीय विधायक अपने क्षेत्र की जनता से संपर्क करना चाहे तो क्या विभाग के पास कोई ऐसा तैयार तंत्र है जिसके तहत ईमेल, एसएमएस, पत्र आदि के माध्यम से यह संभव हो सके,

ङ) क्या विभाग के पास निवासियों का कोई डेटाबेस होता है,

च) यदि हां, तो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के आंकड़ों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराएं, और

छ) क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से एसएमएस, एमएमएस तथा वॉट्सऍप के माध्यम से सवांद किया जा सके?

राजस्व मंत्री

क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का जीएसडीएल से प्राप्त डिजिटल मैप सीडी के रूप में संलग्न है।

ख) जीइसडीएल ने निम्नलिखित विभागों को यह सुविधा प्रदान की है कि वे अपने स्तर से जीइसडीएल की डेटाबेस में सूचनाओं को सम्मिलित और अद्यतन कर सकते हैं:

1. डीजेबी
2. स्वास्थ्य
3. वन
4. एनडीएमसी
5. पीडब्लूडी

अन्य विभागों को अपने डेटा को सम्मिलित और अद्यतन करने के लिए जीइसडीएल को प्रतिवेदन करना होता है।

ग) जीएसडीएल संबंधित विभागों को समय–समय पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करता है एवं संबंधित अधिकारी का विवरण निम्न लिखित है:

अतिरिक्त महाप्रबंधक,
जीएसडीएल,
तीसरी मंजिल, 'सी' विंग,
विकास भवन–द्वितीय,
दिल्ली–110054
email: kmurugan.gsdl@gov.in
फोन नंबर 011–23813860

घ) जी नहीं

ङ) जी नहीं

च) लागू नहीं है

छ) जी नहीं

अता. 260 सुश्री भावना गौड़ सूचना प्रौद्योगिकी

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं,

ख) यदि हां, तो उन प्रकाशनों का नाम व प्रकाशन तिथि बताएं जिनमें निविदा विज्ञापन प्रकाशित हुए थे,

ग) निविदा आमंत्रण के परिणाम में विक्रेताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की संख्या व कोटेशनों की सूची उपलब्ध कराएं,

घ) यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी/अधिकारियों के नाम व पदनाम क्या हैं जो निविदाएं देने के लिए उत्तरदायी थे, और

ङ) इस संबंध में सचिव आईटी द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

प्रौद्योगिकी मंत्री

क) नहीं

ख) उपरोक्त उत्तर (क) के सन्दर्भ में लागू नहीं

ग) उपरोक्त उत्तर (क) के सन्दर्भ में लागू नहीं

घ) वाई–फाई प्रोजेक्ट से संबंधित तकनीकी मानदंडों को अंतिम रूप देने के

लिए 1/2/18 माननीय मंत्री (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) के निर्देश पर एक तकनीकी समिति गठित की गई है।

ङ) उपरोक्त उत्तर (घ) के सन्दर्भ में लागू नहीं।

अता. 261 श्री महेन्द्र यादव **सूचना प्रौद्योगिकी**

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

क) विगत पांच वर्षों में आई टी विभाग को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं,

ख) विगत पांच वर्षों में आई टी विभाग द्वारा वेबसाइट अथवा वेब वेब एप्लीकेशन तैयार करने के लिए प्राप्त आवेदनों का वर्षवार तथा विभागवार विवरण क्या है,

ग) इनमें से कितनों के संबंध में आई टी विभाग ने प्रस्ताव/आरएफपी दस्तावेज तैयार करके वापस प्रस्तुत किया है व ऐसा करने में विभाग ने कितना औसत समय (दिनों में) लगाया, और

घ) इनमें से कितनों में मोबाइल एप्लीकेशन वास्तव में तैयार किया गया और इसमें वर्षवार तथा विभागवार औसतन कितने दिनों का समय लगा?

प्रौद्योगिकी मंत्री

क) विगत पांच वर्षों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

हालाँकि DeGS (दिल्ली इ–गवर्नेंस सोसाइटी) द्वारा कुल दो मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किये गए हैं।

ख) विगत पाँच वर्षों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को 58 वेबसाइट बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए। वर्षवार तथा विभागवार विवरण संलग्नक– 'I' में उपलब्ध है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को वेब–बेस्ड एप्लीकेशन विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

हालाँकि DeGS (दिल्ली इ–गवर्नेंस सोसाइटी) द्वारा 33 वेब–बेस्ट एप्लीकेशन का डेवेलपमेंट किया गया है। सूची संलग्नक–II में उपलब्ध है।

ग) वेबसाइट एवं वेब–बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करने के लिए आरएफपी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ती।

विभाग से स्कोप ऑफ वर्क एवं कंटेंट्स प्राप्त होने के बाद वेबसाइट को बनाने में लगभग 15 दिनों का समय लगता है

घ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनाया गया है। हालाँकि DEGS (दिल्ली इ–गवर्नेंस सोसाइटी) द्वारा कुल दो मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किये गए हैं। इनका वर्ष वार का विवरण निम्नलिखित है:

2016–2017 शहरी विकास विभाग

2017–2018 स्वास्थ विभाग

संलग्नक – 'I'

पिछले पांच वर्ष यानी अप्रैल-2013 से फरवरी-2018 के दौरान सीएमएस में कुल 60 वेबसाइट्स बनाए गए हैं. वेबसाइट की वर्ष वार सूची निम्नानुसार है:

वर्ष	अप्रैल-२०१३ से मार्च-२०१४	
क्र.	विभाग का नाम	निर्माण माह और वर्ष
१	चौधरी ब्रह्म प्रकाश संस्थान	मई-१३
२	आईटीआई नन्दा नगरी	जून-१३
३	आईटीआई पूसा	जून-१३
४	आईटीआई शाहदारा	जून-१३
५	आईटीआई सिरी फोर्ट (डब्ल्यू) नई दिल्ली – ११० ०१२	जून-१३
६	आईटीआई तिलक नगर, नई दिल्ली – ११० ०१८	जून-१३
७	इति वीर सावरकर आधारभूत प्रशिक्षण केंद्र पूसा	जून-१३
८	शासकीय आईटीआई – महिला विवेक विहार दिल्ली के लिए	जून-१३
९	वित्तीय आयुक्त , दिल्ली का कार्यालय	जून-१३
१०	सर सीवी रमण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,	जून-१३
११	आईटीआई खिचड़ीपुर	जून-१३
१२	आईटीआई मालवीय नगर	जून-१३
१३	सरकारी आईटीआई, अरब की सराय	जून-१३
१४	शासकीय आईटीआई, जहांगीरपुरी	जून-१३
१५	शासकीय आईटीआई, जेल रोड हरि नगर, दिल्ली –	जून-१३
१६	चौधरी ब्रहम प्रकाश आईटीवी जाफरपुर	जून-१३
१७	डॉ. गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम	जून-१३
१८	सावित्री बाई फुले, गोखले रोड, मोरी गेट	जून-१३
१९	लाला हंस राज गुप्ता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	जून-१३
२०	समाज कल्याण / पुनर्वास सेवाएं	जुलाई-१३
२१	उप शिक्षुता सलाहकार का कार्यालय	जुलाई-१३
२२	दिल्ली राज्य हज कमेटी	जुलाई-१३
२३	इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक बिजनेस स्टडीज (IBBS)	जुलाई-१३
२४	एलजी ऑफिस	अगस्त-१३
२५	दिल्ली अग्निशमन सेवाएं	मार्च-१४
वर्ष	अप्रैल -२०१४ से मार्च -२०१५	
क्र.	विभाग का नाम	निर्माण माह और वर्ष
१	आईटीआई मंगोलपुरी	अप्रैल-१४
२	राज्य सैनिक बोर्ड	जुलाई २०१४
३	फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी	अगस्त-१४
४	दिल्ली परिवहन बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड	जनवरी-१५
५	महर्षि वाल्मीकि अस्पताल	जनवरी-१५
६	मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज	जनवरी-१५
७	यूटी विभागों के लिए चुनाव आयोग	फरवरी २०१५
८	दिल्ली वार्ता आयोग	फरवरी २०१५
९	संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल	मार्च-१५
वर्ष	अप्रैल -२०१५ से मार्च -२०१६	
क्र.	विभाग का नाम	निर्माण माह और वर्ष
१	आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल	अप्रैल-१५
२	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	जून १५
३	डॉ। हेडगेवार आर्योग्य संस्थान	जून १५
४	ए और यू तिब्बिया कॉलेज और अस्पताल	जून १५
५	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	जून १५
६	सरदार वल्लभ भास्कर पटेल अस्पताल	जून १५
७	हिंदी अकादमी	जून १५
८	नागरिक सुरक्षा	सितम्बर १५
९	बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल	जनवरी -१६
१०	मैथिली-भोजपुरी अकादमी	फेब -१६
११	पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए)	मार्च -१६
वर्ष	अप्रैल -२०१६ से मार्च -२०१७	
क्र.	विभाग का नाम	निर्माण माह और वर्ष
१	आईटीआई मंगोलपुरी	अप्रैल-१६
२	आप की दिल्ली	मई -१६
३	दिल्ली बिली 2016 का राज्य	मई -१६
४	भारतीय चिकित्साकरण, दिल्ली के लिए पैरा मेडिकल ट्रेनिंग के लिए बॉडी की जांच करना	जून -१६
५	जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए महात्मा गांधी संस्थान	अगस्त -१६
६	डॉ एन सी जोजी मेमोरियल हॉस्पिटल	सितम्बर-16
७	आयुष के निदेशालय (आयुर्वेद, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा)	सितम्बर-16
८	पांचवां दिल्ली वित्त आयोग	अक्टूबर -१६
९	राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल (आरटीआरएमएच)	नवंबर -१६
१०	दीप चंद बंदु अस्पताल	दिसंबर -१६
वर्ष	अप्रैल -२०१६ से मार्च -२०१७	
क्र.	विभाग का नाम	निर्माण माह और वर्ष
1	मीरा बाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	अगस्त -१७
2	जलवायु परिवर्तन के लिए महात्मा गांधी संस्थान, पर्यावरण	सितम्बर-१७
3	विश्व कौशल केंद्र, टीटीई	नवंबर १७

(SANJAY KUMAR SURYA)
Dy. Secretary
Deptt. of Information Technology
Govt. of NCT of Delhi
New Delhi

संलग्नक-II

Projects developed by DeGS

S. No.	Project Name	Department Name
Apr 2013 - March 2014		
1	MLALAD	Revenue
2	Psara - Registration of Security Agencies	Home Department
3	Capacity Development Prograram	IT
4	Delhi Celebrates	Art and Culture
5	DIP (Registration of press accreditation)	DIP
6	Gov vault	DeGS, IT
7	DJB SLA	DJB
8	AUA/SRDH	DeGS
Apr 2015 - March 2016		
1	Drug & Control	Drugs & Control
2	Web Application for eLicensing	Legal and Metrology Dept.
3	PUCC Report	Transport Department
4	PUCC Client for PUCC Centres	Transport Department
Apr 2016 - March 2017		
1	Swachh Delhi	Urban Development
2	Urban Leadership	CM Office
3	Reading Mela	Department of Education
4	Education Fellowship	CM Office
5	Bed & Breakfast(Approval of Restaurant)	Torism Department
6	DeGS Website	DeGS, IT
7	Integration with e-Taal	IT
8	DDA Website	DDA
Apr 2017 - March 2018		
1	Web Interface for Integration with SBI e-Pay	DeGS, IT
2	SCERT	Education
3	RCS	RCS
4	Job Fair	Directorate of Dmployment
5	Shaheedkosh	GAD
6	DSSSB	DSSSB
7	LG Feedback Monitoring System	LG
8	DIP Images Publicity	DIP
9	Anganwadi	Women and Child Development Department
10	DSSSB (Application for Court Cases)	DSSSB
11	PV System	Power Departemnt
12	DTC Online Buses Pass	DTC
13	DTTE	Education

(SANJAY KUMAR SURYA)
Dy. Secretary
Deptt. of Information Technology
Govt. of NCT of Delhi
New Delhi

अता. 262 श्री मो. इशराक **सूचना प्रौद्योगिकी**

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) DeGS में कुल कितने पद हैं, कितने कर्मचारी कार्यरत हैं व कितनी रिक्तियां हैं,

ख) DeGS में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य एवं जिम्मेदारियों का विवरण क्या है,

ग) क्या DeGS ने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए क्षमता–निर्माण संबंधी कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है,

घ) यदि हां, तो वर्ष 2012 से अब तक आयोजित प्रशिक्षणों का, आयोजन तिथि, स्थल व सहभागियों की सूची सहित संपूर्ण विवरण क्या है, और

ङ) दिल्ली सरकार में कितने सरकारी डिजिटल सिगनेचर का प्रयोग कर रहे हैं?

प्रौद्योगिकी मंत्री

क) (अ) DeGS के लेख के ज्ञापन (MOA) के अनुसार, (सेक्शन 4(E)) सोसाइटी कोई भी स्थाई कर्मचारी नहीं रख सकती है। इसलिए सोसाइटी में कोई भी पद नहीं है। हालांकि सोसाइटी को चलाने के लिए निम्नलिखित अथॉरिटीज हैं।

i) शासक मडल

ii) शासक मंडल का अध्यक्ष

iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी

iv) सदस्य सचिव

v) सदस्य सचिव के अलावा, शासक मंडल के द्वारा समय–समय पर अधिकारी नियुक्त भी हो सकते हैं।

इसके अलावा कार्यकारी समिति भी है।

(ब) DeGS में कार्यरत कर्मचारियों की सूची का विवरण अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।

(स) कुल रिक्तियाः शून्य

ख) DeGS में संविदात्मक कार्यरत कर्मचारियों के कार्य एवं जिम्मेदारियों का विवरण अनुलग्नक 'ख', 'ख–1' व 'ख–2' में संलग्न है।

ग) जी हाँ।

घ) वर्ष 2012 में अब तक आयोजित प्रशिक्षण का, आयोजन तिथि, स्थल व सहभागियों की सूची सहित सम्पूर्ण विवरण अनुलग्नक 'ग' में संलग्न है।[1]

ङ) सरकारी हस्ताक्षर केबारे में आईटी विभाग के पास कोई सूचना ही है। हालांकि इ–ऑफिस में कुल 26 कर्मचारी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग कर रहे हैं।

<u>अनुलग्नक - '**क**'</u>

कार्यरत कर्मचारिओं की सूची

कर्मचारी	**अधिकारी**	**सूचना एवं प्रोधोगिकी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जिनको DeGS में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।**
अतिरिक्त कार्य के आधार पर काम कर रहे स्थाई कर्मचारी	क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सचिव (IT)
	ख) सदस्य सचिव	विशेष सचिव(IT)
	ग) सोसाइटी निदेशक	संयुक्त निदेशक (IT)
	घ) खाता अधिकारी	खाता अधिकारी(IT)
	ङ) अधीक्षक	अधीक्षक(IT)
	च) कैशियर	कैशियर(IT)
	छ) आशुलिपिक	आशुलिपिक(IT)
अनुबंध आधार के साथ काम करने वाला कर्मचारी	कुल ११ (ग्यारह)	

(SANJAY KUMAR SURYA)
Dy. Secretary
Deptt. of Information Technology

अनुलग्नक - 'ख'

कर्मचारियों के कार्य एवं जिम्मेदारियों का विवरण

कर्मचारी	अधिकारी	**सूचना एवं प्रोधोगिकी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जिनको DeGS में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।**	कार्य एवं जिम्मेदारियों
अतिरिक्त कार्य के आधार पर काम कर रहे स्थाई कर्मचारी	क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सचिव (IT)	अनुलग्नक **'ख-१'** में सलंग्न है।
	ख) सदस्य सचिव	विशेष सचिव(IT)	
	ग) सोसाइटी निदेशक	संयुक्त निदेशक(IT)	प्रत्यायोजन अनुसार
	घ) खाता अधिकारी	खाता अधिकारी	
	ङ) अधीक्षक	अधीक्षक(IT)	
	च) कैशियर	कैशियर(IT)	
	छ) आशुलिपिक	आशुलिपिक(IT)	
अनुबंध आधार के साथ काम करने वाला कर्मचारी	अनुलग्नक **' ख-२'** में सलंग्न है।		

(SANJAY KUMAR SURYA)
Dy. Secretary
Deptt. of Information Technology,
Govt. of NCT of Delhi
New Delhi

अनुलग्नक - 'ख-१'

4/C
40/C

a) The Member Secretary shall be the custodian of the record, the funds of the Society and such other property of the Society as the Board may commit to this charge. The Member Secretary shall have the accounts maintained and also arrange for the annual audit in accordance with the provision in the Rules and Bye-laws of the Society.

b) The Member Secretary shall have such other powers and perform other duties as may be delegated as assigned to him by the Board. The Member Secretary may delegate any or all of his powers to any of his subordinate with the approval of the Executive Committee.

c) The Member Secretary of the Board of Governor shall act as the Member Secretary of the Society and will record the proceeding of the meeting of the Society and of the Board of Governors and maintain a proper record of the these meetings in accordance with the provisions of the Bye laws of the Society.

d) The Member Secretary of Board of Governor shall manage the projects, properties or the money under the fund, manage accounts, execute all contracts on behalf of the society and receive funds for the society through donations, grants-in-aid, contribution of raising money whenever required.

e) The Member Secretary of Board of Governors shall prepare the budget regarding to the administrative expenses of the Society and Committee such as expenditure the members which shall be legitimate charge on the funds.

f) The Member Secretary will be empowered to take all day to day administrative decisions where no policy is involved where no creation of posts is involved.

g) The Member Secretary will have the authority to issue Financial Sanction (FS) and Technical Sanction (TS) for all IT and e-Governance projects of value up to Rs. 25 lacs. Any project of more than Rs. 25 lacs would require the approval of the Executive Committee or the Board of Governors, as the case may be.

h) In the event of the post of the Member Secretary remaining vacant or the Member Secretary being absent or unable to perform his duties or any reason, it shall be open for the Board to direct any officer or officers in the service of the Society to exercise temporarily such power and perform such functions and duties of the Member Secretary as the Board may deem fit.

i) The Member Secretary shall be responsible for the proper day to day administration of the Society. All other staff of the Society shall be subordinate to the Member Secretary. The Member Secretary shall carry out the general correspondence in connection with the work assigned to him/her by the chairman of board of governors and the Executive Committee from time to time.

j) The Member Secretary of Board of Governor shall hire and fire the manpower for the Society and other staff in accordance with Rules, regulations and bye-laws of the Society. The Member Secretary of Board of Governor shall represent the society in all its legal matters jointly or though and authorized representative.

k) The Member Secretary shall be responsible for the training and execution of all IT and e-Governance projects as approved by the Board of Governors and the Executive Committee.

l) To do all acts deeds and things necessary for carrying out his functions as Member Secretary.

m) The Secretary (IT) shall be the Chief Executive officer of the Society. However, the Board of Governors may appoint a separate Chief Executive Office (CEO) of Society in which case the Board of Governors may decide the function as responsibilities between the CEO and Member Secretary.

(SANJAY KUMAR SURYA)
Dy. Secretary
Deptt. of Information Technology
Govt. of NCT of Delhi
New Delhi

34/C
39/C

अनुलग्नक **'ख-२'**

कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	पद	कार्य और **जिम्मेदारियों का विवरण**
१	सॉफ्टवेयर डिजाइनर/ प्रोजेक्ट मैनेजर	नए परियोजनाओं के लिए विभागों से बात करना, परियोजना के बारे में जानकारी लेकर, परियोजना को सम्पूर्ण रूप से बनाना और सही समय पर उनको उपलब्ध करना, अगर कोई दिक्क्त आती है तो उसे समय पे सही करवाना।
२	टीम लीडर	नए और मौजूदा सॉफ्टवेयर विकास और विभागों को सहायता प्रदान करना
३	अकाउंट असिस्टेंट	खाता बही की देख रेख
४	डेवलपर	नए और मौजूदा सॉफ्टवेयर विकास
५	जूनियर डेवलपर - कुल चार	नए और मौजूदा सॉफ्टवेयर विकास
६	कार्यालय सहायक	लिपिक कार्य
७	चालक	वाहन चालक
८	कार्यालय सहायक-सह-चालक	डायरी, प्रेषण कार्य, तथ्य दाखिला प्रचालक और वाहन चालक,

(SANJAY KUMAR SURYA)
Dy. Secretary
Deptt. of Information Technology
Govt. of NCT of Delhi
New Delhi

अता. 263 श्री अजय दत्त **सूचना प्रौद्योगिकी**

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) विभाग को सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री से वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने का निर्देश किस तिथि को प्राप्त हुआ था,

ख) आईटी विभाग द्वारा वर्ष 2012 से अब तक कुल कितने वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए गए, वर्षवार व स्थानवार (जहां वे बनाए गए हैं), संपूर्ण विवरण क्या है,

ग) वर्ष 2012 से जिन विशिष्ट उपयोगकर्ताओं ने इन हॉटस्पॉट का प्रयोग किया है, उनकी वर्षवार संख्या क्या है,

घ) यदि नहीं, तो उन अधिकारियों का नाम व पदनाम क्या है जिन्होंने इस परियोजना को लागू किया, और

ङ) क्या सचिव आईटी ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की?

अता. 264 श्रीमती प्रमिला टोकस **सूचना प्रौद्योगिकी**

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) वर्ष 2012 से आईटी विभाग ने कुल कितने कंप्यूटर सिस्टमों की खरीद की है, वर्षवार ब्यौरा दें,

ख) कितने कंप्यूटर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं,

ग) कितने कंप्यूटर प्रोपराइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं,

घ) प्रोपराइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लाइसेंसिंग हेतु कितनी राशि खर्च की गई है, वर्षवार ब्यौरा दें,

ङ) क्या आईटी विभाग द्वारा खरीदे गए सभी कंप्यूटर सिस्टमों के लिए एनुअल मेंटेनेंस कांट्रेक्ट का कोइ प्रावधान है,

च) यदि हां, तो एएमसी के लिए बनाए गए पैनल में जो विक्रेता हैं उनकी सूची दें, और

छ) प्रत्येक विक्रेता को भुगतान की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा दें।

प्रौद्योगिकी मंत्री

क) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसारवर्ष 2012 से अब तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में खरीदे गए कम्प्यूटर सिस्टमों के वर्षवार सूचना निम्न प्रकार हैः

क्रम संख्या	वर्ष	खरीदे गए कम्प्यूटर सिस्टमों की संख्या
1	2012	00
2	2013	04
3	2014	00
4	2015	02
5	2016	02
6	2017	02
7	2018	00

ख) कोई नहीं

ग) सभी कम्प्यूटर माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपराइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं।

घ) डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पूर्व–स्थापित/युक्त हैं। अतएव, इनके लिए लाइसेंसों की खरीद अलग से नहीं की गई है।

ङ) वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में खरीदे गए कंम्प्यूटर सिस्टमों के लिए कोई एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान नहीं है।

च) उपरोक्त जवाब (च) के सन्दर्भ में लागू नहीं।

छ) उपरोक्त जवाब (च) के सन्दर्भ में लागू नहीं।

अता. 265 श्रीमती प्रमिला टोकस सूचना प्रौद्योगिकी

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

क) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के लिए आईटी विभाग कितनी वेबसाइटों का रखरखाव करता है,

ख) विगत पांच वर्षों में इनमें से प्रत्येक वेबसाइट पर कितना वार्षिक ट्रेफिक प्राप्त हुआ, और

ग) विगत पांच वर्षों में इनमें से प्रत्येक वेबसाइट का अपटाइम (जहां वेबसाइट पहुंच योग्य हो) क्या है?

प्रौद्योगिकी मंत्री

क) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कंटेंट मैंनेजमेंट सिस्टम आधारित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 2008 से दिल्ली सरकार के अधीन विभागों की वेबसाइट (लाइब्रेरी) बना रहा है और उसका प्रबंधन/रखरखाव कर रहा है। अब तक 180 वेबसाइट (लाइब्रेरी) बन चुकी है जो की http://delhi.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। सम्बन्धित विभाग के अनुरोध पर वेबसाइट (लाइब्रेरी) बनाई जाती है।

ख) विगत 5 वर्षों में दिल्ली सरकार के पोर्टल delhi.gov.in एवं विभागों की वेबसाइट पर वार्षिक ट्रेफिक संख्या निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	वार्षिक ट्रेफिक संख्या
01.04.2012—31.03.2013	84,56,316
01.04.2013—31.03.2014	99,33,710
01.04.2014—31.03.2015	1,02,31,814
01.04.2015—31.03.2016	1,04,83,583
01.04.2016—31.03.2017	1,00,91,844
01.04.2017—31.03.2018	1,03,28,418

ग) विगत पांच वर्षों के दौरान delhi.gov.in के पोर्टल एवं इसके अंतर्गत आने वाली विभागों की वेबसाइट का अपटाइम लगभग 99 प्रतिशत रहा है।

अता. 266 चौधरी फतेह सिंह **सूचना प्रौद्योगिकी**

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) e-SLA की शुरुआत के बाद इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग कितने विशिष्ट उपयोगर्ताओं ने किया है,

ख) नियत समय में सेवाएं प्राप्त न होने संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

ग) इन शिकायतों का निवारण करने के लिए आईटी विभाग ने क्या कदम उठाए हैं,

घ) शिकायतों का निवारण करने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के नाम व पदनाम क्या हैं, और

ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सचिव आईटी ने क्या कार्रवाई की है?

प्रौद्योगिकी मंत्री

क) e-SLA की शुरूआत से अब तक इस प्लेटफार्म का कितने विशिष्ट उपयोगकर्ताओं ने उपयोग किया है यह बता पाना संभव नहीं है। अब तक e-SLA प्लेटफार्म, पर कुल 1,74,48,790 फार्म विभिन्न सेवाओं के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा कराये गए हैं।

ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अन्य विभागों में प्राप्त नहीं हुई है। अन्य विभागों में प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में इस प्रश्न को सभी संबंधित 37 विभागों को आवश्यक उत्तर देने के लिए भेजा गया है।

ग) उपरोक्त (ख) के सन्दर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में लागू नहीं होती। अन्य विभागों से सूचना प्राप्त करने के लिए सभी 37 विभागों को प्रश्न भेजा गया है।

घ) सेवावार अपिलीय अधिकारियों की सूची संलग्न है (कुल 31 पृष्ठ)। संलग्नक–1[1]

ङ) उपरोक्त (ग) के अनुसार।

अता. 267 श्री जगदीश प्रधान **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या यह सत्य है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा दिल्ली में स्थानों पर हाई मास्ट लाईट लगाये गये हैं,

ख) यदि हाँ, तो उनकी सख्या कितनी है;

ग) क्या यह भी सत्य है कि जो हाई मास्ट लाईट और रोड लाईट विधायक कोष से लगाये गये थे, वे रख–रखाव के अभाव में खराब पड़े हैं,

घ) यदि हाँ, तो इन खराब पड़े हुए हाई मास्ट लाईट और रोड लाईट के रख रखाव का दायित्व किसे सौंपा गया है; और

ङ) इन हाई मास्ट लाइट और रोड लाइटस को कब तक ठीक कर दिया जायेगा?

सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री

क) जी हाँ, यह सत्य है।

ख) इनकी संख्या 50 है।

ग) इससे संबंधित कोई जानकारी इस विभाग में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि इस विभाग का कार्य केवल हाई मास्ट लाइट लगाने तक सीमित है, उसके उपरांत इनके रख–रखाव के लिए संबंधित विभागों, जिनके अनुरोध पर यह लाइटें लगाई जाती हैं, उनको सौंप दिया जाता है।

घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

ङ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

अता. 268 सुश्री भावना गौड़ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से संबंधित 2192 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 205 शिकायतें अभी भी लंबित है;

ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 61 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है,

ग) यदि हां तो इसका कारण क्या है;

घ) क्या यह भी सत्य है कि 168 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है,

ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है ;

च) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए;

छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

ज) ये शिकायतें निवारण के लिए किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गईं, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें;

झ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और

ञ) इन शिकायतों का निवारण कब तक हो जाएगा?

सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री

क) जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के पोर्टल पर आज की तिथि पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 01.01.2013 से 27.02.2018 के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के विभिन्न खण्डों/शाखाओं में 2193 शिकायतें प्राप्त हुई। उपरोक्त जानकारी के अनुसार 168 शिकायतें अभी भी विभिन्न शाखाओं में लंबित हैं।

ख) पोर्टल पर उपलब्ध, आज की तिथि में जानकारी के अनुसार केवल 44 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय तक लंबित हैं।

ग) जन शिकायत पोर्टल पर लगातार आने वाली जन शिकायतों के निवारण के लिए विभाग कृत संकल्प है। कुछ शिकायतों के निवारण के लिए कुछ समय लगता है, क्योंकि उन शिकायतों के उन्मूलन के लिए दूसरे विभागों से तथा अलग अलगखंडों से भी पत्र व्यवहार करना प़ता है, जिसकी वजह से निर्धारित समय में सभी शिकायतों का निवारण संभव नहीं हो पाता। कुछ शिकायतों में यह भी पाया गया कि शिकायतों में विभागों के अधिकार क्षेत्र का वर्णन न हो पाने की वजह से भी शिकायतों के निवारण में समय लग जाता है।

घ) इसकी पूर्ण जानकारी जन शिकायत पोर्टल पर उपलब्ध है। आज की तिथि के अनुसार पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 174 शिकायतें इस श्रेणी में दर्शायी गई हैं।

ङ) इन शिकायतों के निवारण के लिए विभाग द्वारा यथासंभव प्रयास किए जाते हैं और इस प्रक्रिया के तहत शिकायतकर्ता को अंतरिम जवाब भेजा जाता है। जिससे शिकायतकर्ता, अपनी प्रक्रिया शिकायत के पूर्ण नवारण प्रतीक्षा किए बिना ही अंतिम उत्तर के फलस्वरूप अपनी प्रतिक्रिया ''जवाब/कार्यवाही संतोषजनक नहीं'' व्यक्त कर देता है।

च) जी हाँ, यह सत्य है।

छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए मुख्य अभियतांओं द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती है और उचित निर्देश सभी अधिकारियों को दिये जाते हैं ताकि जन शिकायतों पर उचित कार्यवाही समय पर की जा सके।

इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव द्वारा साप्ताहिक बैठक में भी सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में इन शिकायतों की समीक्षा की जाती है।

ज) इसका पूर्ण विवरण जन शिकायत पोर्टल पर उपलब्ध है।

झ) संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा निरंतर जन शिकायत पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसकी जानकारी आज भी पोर्टल पर उपलब्ध है।

ञ) इन शिकायतों के निवारण के लिए विभाग कृत संकल्प है तथा जल्द से जल्द निवारण के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।

अता. 269 श्री विजेन्द्र गुप्ता सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में जल भराव की समस्या के लिए सीवर व्यवस्था जिम्मेदार है;

ख) क्या यह सत्य है कि बहुत बड़ी संख्या में सीवरों को निकासी के लिए बरसाती नालों से जोड़ा गया है;

ग) क्या यह सत्य है कि जो बरसाती पानी यमुना में जाना चाहिए, अकारण सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का बोझा बढ़ा रहे हैं;

घ) क्या यह सत्य है कि कुछ जगहों पर सीवर का गन्दा पानी बरसाती नालों से मिलाकर यमुना में बहाया जा रहा है;

ङ) क्या यह सत्य है कि मुख्य सचिव ने दिल्ली में जल भराव में की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2017 में एक रिपोर्ट दी थी; और

च) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री

क) यद्यपि यह विभाग सीवर व्यवस्था के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर भी संबंधित विभागों (लोक निर्माण विभाग) से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह आंशिक रूप से सत्य है। कई बार देखा गया है कि सीवर बरसाती नालों के ओवर फ्लो हो जाने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

ख) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सत्य है। कहीं कहीं सीवरों को निकासी के लिए बरसाती नालों से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ स्थानों पर सीवर लाईन के बैठ जाने के स्थिति पर कुछ समय के लिए सीवरों को बरसाती नालों से जोड़ना पड़ जाता है। क्षतिग्रस्त सीवर की मरम्मत के पश्चात् पुनः नालों से सीवर के कनेक्शन को हटा दिया जाता है।

ग) दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ स्थानों पर दिल्ली नगर निगम द्वारा बरसाती नालों को सीवर लाई में जोड़ दिया गया है, जिस कारण से कुछ सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों का बोझा बढ़ गया है।

घ) जी हां। उपरोक्त 'ख' के अनुसार

ङ) संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार ने अन्य मुद्दों के साथ–साथ दिल्ली में जल भराव की समस्या से संबंधित एक रिपोर्ट दिल्ली सरकार को वर्ष 2017 में दी थी।

च) मामला, दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस पर अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी।

36 L

OFFICE OF THE CHIEF SECRETARY
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
****

In the context of the following resolutions adopted by the Hon'ble Legislative Assembly in the sitting held on 03.07.2017, on the recommendations of Committee on Petitions presented in the House on 30.06.2017, the then Chief Secretary had submitted a report before the Government on 29.07.2017:

"***Taking into consideration*** *the first report of the Committee on Petitions presented to this House on 30 June 2017,*

Agreeing in toto with *the said report wherein the Committee concluded that the officials in-charge of de-silting of drains and prevention of water logging in the NCT of Delhi have miserably failed in discharging their duties,*

Alarmed with *the pathetic condition of the drains and the blatant misrepresentation of the facts by the authorities before the Committees,*

Directs the Government of NCT of Delhi *that all the recommendations made in the first report of the Committee on Petitions tabled in this House on Friday, the 30th of June, 2017 be immediately given effect to,*

Further directs *that an Action Taken Report on the implementation of recommendations in the abovementioned report be tabled in the House within a period of 30 days beginning today and,*

Recommends that the matter *of misleading of the Committee by the officials be examined and reported upon by the Committee on Privileges."*

02. The recommendations of the Committee on Petitions read as under:-

"1. Chief Secretary should ensure that the directions of the Hon'ble Chief Minister issued to Chief Secretary in the interest of people of Delhi vide official note dated 26.05.2017 are wholly implemented without any further delay.

2. Chief Secretary should conduct a detailed inquiry personally to fix responsibility for false claims made by the department and fraudulent payments made to contractors who have done the de-silting work only on papers.

3. Chief Secretary should take steps to put in place modern and dynamic system to replace the current obsolete mechanism for de-silting and other related activities. The new system should be flexible enough to co-opt the latest technologies available.

3. Chief Secretary should put in place a fool-proof mechanism to verify each and every contract awarded and executed for de-silting and cleaning of the drains.

4. Chief Secretary should evolve a mechanism whereby the local stakeholders formally become party to the verification of claims made by contractors.

-2-

5. Chief Secretary should fix responsibility in cases where false certificates claiming successful completion of works have been submitted to the Committee (a copy of which is believed to have been submitted to Hon'ble High Court as well).

6. Since the Department of Vigilance and the PWD are both headed by the same officer currently, Chief Secretary should not allow him to investigate himself and his own department in the interest of natural justice and fair play. The enquiry should be conducted by the Chief Secretary personally, after divesting Shri Ashwini Kumar of the charges of both PWD and Department of Vigilance till the conclusion of inquiry.

7. Chief Secretary should submit action taken report to the House through Hon'ble Speaker, based on the recommendations and findings of the Committee within a month of the adoption of this Report by the Legislative Assembly."

03. The report of Chief Secretary was returned by the Hon'ble Minister (PWD) on 03.08.2017 with certain observations dated 02.08.2017, with the approval of Hon'ble CM on 02.08.2017.

04. The then CS moved Hon'ble High Court vide WP(C) 6780/2017 with the prayer to direct / order the report of the Committee on Petitions dated 29.06.2017, Resolution dated 03.07.2017 passed by the Legislative Assembly as being non-est, null and void, ab-initio and wholly without jurisdiction whatsoever.

05. Hon'ble HC vide order dated 05.08.2017 directed a stay on the report of the Committee on Petitions dated 29.06.2017 as tabled in the Legislative Assembly and resolution passed on 03.07.17 as well as on the observations reflected in the note dated 03.08.2017 (copy placed below).

06. The said WP(C) has been finally disposed of vide order dt. 19.12.2017 wherein Hon'ble High Court has also recorded that the legal pleas raised by both the parties are kept open to be decided in appropriate proceedings (copy placed below).

22/3/18
(Ajay Chagti)
Staff Officer to Chief Secretary

Encls.: As above.

Secretary (Irrigation & Flood Control)
U.O. No. CS/6899 Dated: 22/3/18

अता. 270 श्री महेन्द्र गोयल **शहरी विकास**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या यह सत्य है कि बुध विहार से विजय विहार को जोड़ते हुए पुल के निर्माण में अवैध कब्जा होने से देरी हो रही है;

ख) यदि हाँ, तो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा आपके विभाग को कब और किस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई;

ग) सम्बन्धित शिकायत पर आपके विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

घ) वर्तमान में अवैध कब्जे की क्या स्थिति है ?

शहरी विकास मंत्री

क) **अनाधिकृत कॉलोनी प्रकोष्ठ**

जी हां, यह सत्य है

भूमि पर अवैध कब्जा दिल्ली विकास प्राधिकरण हरित पट्टी के ऊपर स्थित है जो विभाग को पुल तक पहुंचने के लिए संपर्क रोड़ बनाने के लिए चाहिए और यह तभी संभव है जब इसके ऊपर से अवैध कब्जे को हटाया जाए। जिसको हटाने के लिए समय–समय पर संबंधित विभाग द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विशेष कार्यदल कंझावला एवं क्षेत्रीय जिला अधिकारी को अनुरोध किया गया।

ख) **अनाधिकृत कॉलोनी प्रकोष्ठ**

शहरी विकास विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से इस विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

ग) **अनाधिकृत कॉलोनी प्रकोष्ठ**

उपरोक्त 'ख' के अनुसार

घ) **अनाधिकृत कॉलोनी प्रकोष्ठ**

सिंचाई एवं नियंत्रण विभाग के अनुसार अभी भी अवैध कब्जा बरकरार है।

अता. 271 श्री राजू धिंगान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) दिल्ली सरकार का सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग कितने बड़े और कितने छोटे नालों के संचालन का दायित्व संभालता है;

ख) ऐसे बड़े और छोटे नाले दिल्ली में कुल कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं और ये किस–किस बसावट या कालोनी से गुजरते हैं;

ग) इन बड़े नालों और छोटे–छोटे नालों की देखरेख किस–किस क्षेत्र में कौन–कौन से अधिकारी करते हैं और उनके कार्यालय कहां स्थित है;

घ) इन बड़े नालों और छोटे–छोटे नालों के दोनों और कितने मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, गिरिजाघर, निजी स्कूल, व्यायामशालाएं, सांप्रदायिक दलों, संघों, संगठनों, परिषदों ने अवैध निर्माण किए हैं;

ङ) इन अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए सरकार के अधिकारियों ने कब कब और क्या–क्या कार्रवाई की;

च) क्या इन अवैध निर्माणों के विषय में लिखित रूप से सम्बन्धित अधिकारियों ने सरकार को लिखकर व्यापक कार्रवाई करने के लिए भेजा;

झ) किन–किन अधिकारियों की उदासीनता के चलते इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हुई;

ज) पिछले 15 वर्षों के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रमुख के तौर पर किन–किन अधिकारियों ने काम किया; पद नाम सहित पूर्ण विवरण दें;

झ) क्या इन अधिकारियों ने इन अवैध निर्माणों को हटाने की दिशा में कोई काम किया;

ञ) यदि हां तो उसका विवरण उपलब्ध कराएं;

ट) क्या इन अवैध निर्माणों के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई; और

ठ) यदि हाँ तो उसके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री

क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंर्तगत कुल छोटे और बड़े 61 नालों का दायित्व है। जिनका विवरण दिल्ली के मानचित्र पर नालों के मानचित्र (ड्रेनेज मैप) में दर्शाया गया है। जिसकी प्रतिलिपि 'क' संलग्न है।[1]

ख) उपरोक्त सूची 'क' के अनुसार इन नालों की कुल लंबाई लगभग 428 कि. मी. है तथा ये नाले जिन–जिन बसावट या कालोनियों से गुजरते हैं, उनको भी उपरोक्त मानचित्र में दर्शाया गया है तथा इसकी जानकारी विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

ग) इन नालों की देखरेख विभाग के विभिन्न खंडों के द्वारा की जाती है, जिसका समुचित विवरण सूची 'ख' में संलग्न है[1] जो कि विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

घ) इन छोटे बड़े नालों पर 5 मंदिर, एक मस्जिद व एक निजी स्कूल की चारदीवारी के रूप में अवैध निर्माण मौजूद है।

ङ) अवैध निर्माणों को हटाने के लिए इस विभाग द्वारा समय–समय पर उचित कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार की मुख्य कार्यवाहियों का विवरण सूची 'ग' में दिया गया है।

च) उपरोक्तानुसार

छ) उपरोक्त 'छ' के अनुसार लागू नहीं होता।

ज) पिछले 15 वर्षों के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग में कार्यरत कार्यकारी अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंताओं का उल्लेख संलग्ति सूची 'घ' में दिया गया है।

झ) हां, इसका विवरण उपरोक्त सूची 'ग' में दिया गया है।

ञ) उपरोक्तानुसार।

ट) जी नहीं।

ठ) उपरोकत 'ड' के अनुसार लागू नहीं होता।

अता. 272 श्री एस.के. बग्गा **रोजगार**

क्या **माननीय रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) वर्ष 2015, वर्ष 2016 व वर्ष 2017 में कितने लोगों ने रोजगार दफ्तर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है;

1. संलग्नक www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध है।

ख) वर्ष 2015, वर्ष 2016 व वर्ष 2017 में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है ;

ग) रोजगार डिपार्टमेटं ने नए रोजगार के अवसर देने के लिए क्या उपाय किए हैं ;

घ) दिल्ली में कितने रोजगार दफ्तर है, तथा कहां पर हैं ;

ङ) रोजगार डिपार्टमेंट के पास रोजगार देने का क्या पैमाना है तथा इसका प्रबन्ध कैसे करते है; और

च) रोजगार डिपार्टमेंट में रोजगार के लिए नाम लिखवाने के बाद कितने समय में रोजगार उपलब्ध करवाते है ?

रोजगार मंत्री

क)

वर्ष	रजिस्ट्रेशन
2015	133018
2016	72521
2017	81590

ख)

वर्ष	रिक्तियां	प्रायोजित (अभ्यर्थियों के नाम भेजे गए)	चयनित
2015	3043	1112896	176
2016	3280	878386	102
2017	1296	871764	66

ग) रोजगार निदेशालय दिल्ली सरकार, अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 से समय–समय पर रोजगार मेलों का आयोजन करता रहा है। इनमें निजी नियोक्ताओं ने कुल 78001 अभ्यर्थिओं का साक्षात्कार लिया तथा 30380 अभ्यर्थिओं को शॉर्टलिस्ट किया है। रोजगार मेले आयोजित करके, रोजगार निदेशालय एक स्थान पर नियोक्ताओं/संगठनों और अभ्यर्थियों के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि वे दोनों उपयुक्त मिलान पा सकें तथा अभ्यर्थी आवश्यक एक्सपोज़र पा सके। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों और नियोक्ताओं दोनों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, रिक्तियों के ऑनलाइन प्रकाशन के लिए और अभ्यर्थियों द्वारा उन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के उद्देश्य से एक समर्पित जॉब फेयर पोर्टल शुरू किया गया है।

घ) 1. जिला रोजगार कार्यालय, पश्चिम पूसा, आई.ऐ.आर.आई पूसा कॉम्पलेक्स दिल्ली–110012

2. जिला रोजगार कार्यालय, शाहदरा, विश्वास नगर, शाहदरा दिल्ली–32

3. जिला रोजगार कार्यालय, आर.के. पुरम सेक्टर–4 नई दिल्ली–22

4. जिला रोजगार कार्यालय, 1 कैंनिंग लेन, नई दिल्ली

5. जिला रोजगार कार्यालय, किर्बी प्लेस दिल्ली कैंट।

च एवं छ) रोजगार निदेशालय, दिल्ली सरकार रिक्तियों का सृजन नहीं करता अपितु नियोक्ता की मांग क अनुसार पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची नियोक्ता को उनके द्वारा वांछित आवश्यक शैक्षित योग्यता, आयु सीमा, अनुभव तथा कौशल आदि के आधार पर प्रेषित कर रोजगार दिलाने में सहायता करता

है। बुलावा पत्र/नियुक्ति पत्र देना आदि समस्त प्रक्रिया नियोक्ता द्वारा ही पूर्ण की जाती है।

अता. 273 श्री जगदीप सिंह **रोज़गार**

क्या **रोज़गार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

क) दिल्ली सरकार ने विगत तीन वर्षों में दिल्ली के युवकों को रोज़गार के अवसर उपलध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं, सपूंर्ण विवरण दें।

अता. 273

रोजगार मंत्री

क) रोजगार निदेशालय दिल्ली सरकार, अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 से समय–समय पर रोजगार मेलों का आयोजन करता रहा है। इनमें निजी नियोक्ताओं ने कुल 28001 अभ्यर्थिओं का साक्षात्मकार लिया तथा 30380 अभ्यर्थिओं को शॉर्टलिस्ट किया है। रोजगार मेले आयोजित करके, रोजगार निदेशालय एक स्थान पर नियोक्ताओं/संगठनों और अभ्यर्थियों के लिए एक मंत्र प्रदान करता है ताकि वे दोनों उपयुक्त मिलान पा सकें तथा अभ्यर्थी आवश्यक एक्सपोज़र पा सके। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों और नियोक्ताओं दोनों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, रिक्तियों के ऑनलाइन प्रकाशन के लिए और अभ्यर्थियों द्वारा उन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के उद्देश्य से एक समर्पित जॉब फेयर पोर्टल शुरू किया गया है।

सभी मेलों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	तिथियाँ	कुल प्रतिभागी अभ्यर्थी	कुल प्रतिभागी शॉर्टलिस्ट किये गये
1.	1 से 8 अगस्त, 2015	5000	2000
2.	16 नवम्बर से 5 दिसम्बर, 2015	25000	12000
3.	17 मार्च से 18 मार्च 2017	254	112
4.	12 मई, 2017	275	168
5.	11 से 15 जुलाई, 2017	2658	1184
6.	7 से 8 नवंबर, 2017	28200	8921
7.	15 से 16 फरवरी, 2018	16614	5995
	कुल	78001	30380

अता. 274. श्री सोमनाथ भारती **प्रशासनिक सुधार**

क्या **रोज़गार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की वर्तमान कार्यसंपादन क्षमता और अपेक्षित कार्यसंपादन क्षमता के बारे में अध्ययन करवाने तथा इस अंतर को पाटने की कोई योजना है,

ख) दिल्ली सरकार के सभी विभागों में स्वीकृत क्षमता, यदि विभाग के कार्यों के संबंध में लोगों का कोई यूटिलिटी ऑडिट हुआ है तो उसके बाद की संशोधित स्वीकृत क्षमता तथा कार्यरत व्यक्तियों की वर्तमान क्षमता का विवरण क्या है,

ग) वर्तमान में कार्यरत क्षमता में से कितने नियमित, अनुबंध अथवा दैनिक आधार पर या सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं,

घ) जो कर्मचारी नियमित आधार पर कार्य नहीं कर रहे हैं उनको नियमित करने की सरकार की क्या योजना है,

ङ) दिल्ली सरकार में वर्तमान रिक्तियों को भरने की क्या योजना है और इसमें क्या कठिनाइयां हैं,

च) मालवीय नगर विधानसभ क्षेत्र में पड़ने वाली या उससे संबंधित दिल्ली जलबोर्ड, लोनिवि, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली सरकार के अस्पताल व औषधालयों में रिक्तियों का पूरा विवरण; कनिष्ठतम कर्मचारी से वरिष्ठतम कर्मचारी तक; उपलब्ध कराएं,

छ) उक्त सभी कार्यालयों/विभागों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों का पूरा विवरण, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पदनाम, नियुक्ति की तिथि, वर्तमान पद पर तैनाती की तिथि, वर्तमान पद की वैधता की अवधि, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उनके विरुद्ध यदि कोई शिकायत हो तो उसका वर्णन, आगामी प्रोन्नति की तिथि, कार्य–विस्तार तथा कार्यालय समय सहित उपलब्ध कराएं,

ज) उक्त सभी कार्यालयों/विभागों में शिकायत निवारण का तंत्र क्या है,

झ) उक्त सभी कार्यालयों/विभागों में जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें से प्रत्येक का महीनेवार विवरण व उनकी वर्तमान स्थिति क्या है,

ञ) क्या उक्त सभी का 'सिटीजन चार्टर' है,

ट) यदि हां, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराएं, और

ठ) क्या विधायक को स्टेनो, ड्राइवर, सेक्रेटरी आदि सहयक स्टाफ उपलब्ध कराने की कोई योजना है?

प्रशासनिक सुधार मंत्री

क से ठ) विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

अता. 275 श्री अजय दत्त **प्रशासनिक सुधार विभाग**

क्या **प्रशासनिक सुधार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित 165 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 13 शिकायतें अभी भी लंबित है;

ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 13 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है,

ग) यदि हां तो इसका कारण क्या है;

घ) क्या यह भी सत्य है कि 86 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है,

ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कारवाई की है;

च) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए ;

छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

ज) ये शिकायतें निवारण के लिए किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गईं, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें;

झ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और

ञ) इन शिकायतों का निवारण कब तक हो जाएगा?

अता. 275

प्रशासनिक सुधार मंत्री

क से ग) जी हाँ, 165 शिकायतें दर्ज की गई थी जिनमें से 13 शिकायतें 27.02.2018 तक लंबित थी। वर्तमान में इन सभी 13 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है।

घ) जी, हाँ। सामान्य तौर पर जिन मामलों में उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, उनका विभाग द्वारा पुनः अवलोकन किया जाता है। वर्तमान में सिर्फ 24 शिकायतों को शिकायतकर्ता द्वारा संतोषजनक नहीं पाया गया है।

ङ(i) इनमें से कुछ e-RTI पोर्टल के शुभारंभ से संबंधित है। e-RTI पोर्टल का शुभारंभ 10.07.2017 को दिल्ली सरकार द्वारा हो चुका है इसलिए वर्तमान में इन शिकायतों की कोई प्रासंगिकता नहीं रही।

ii) इनमें से कुछ शिकायतें नीतिगत मामलों से संबंधित हैं, जिनका विभागीय स्तर पर निवारण संभव नहीं है।

iii) इनमें से कुछ निराधार शिकायतें हैं, जो कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।

iv) इनमें से कुछ शिकायतें विनिर्दिष्ट हैं इसलिए संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

विभागीय स्तर पर इन सभी शिकायतों का पुनः अवलोकन कर इनके निपटान के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है ताकि शिकायतकर्ता को संतोषजनक उत्तर दिया जा सके।

च) जी, हाँ।

छ) उपरोक्त उत्तर 'घ' व 'ङ' के अनुसार।

ज से ञ) वर्तमान में सभी लंबित शिकायतों का निपटान हो चुका है। केवल 24 शिकायतें जिनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है, का पुनः अवलोकन किया जा रहा है ताकि शिकायतकर्ता को संतोषजनक उत्तर दिया जा सके।

अता. 276 श्री पंकज पुष्कर **प्रशासनिक सुधार विभाग**

क्या **प्रशासनिक सुधार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के ज्यादातर अधिकारी बहु राज्य कैडर के अंतर्गत हैं जिसके कारण कई बार अल्प समय में राज्य से बाहर स्थानांन्तरण हो जाता है,

ख) क्या यह सत्य है कि नए अधिकारियों से आपातकाल की स्थिति में भी संपर्क करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अधिकतर विभागों में पदनाम के साथ सरकारी मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है,

ग) क्या सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों के पास सरकारी मोबाइल नंबर हैं;

घ) यदि नहीं, तो इस दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है;

च) क्या यह सत्य है कि जहां सरकारी मोबाइल नंबर है, वहां भी वेबसाइट पर यह मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं हैं;

छ) जब सरकार की नीति 'सरकार आपके द्वार' है, तो ऐसे में यह असंगति क्यों है;

ज) इस संदर्भ में सरकार की नीति एवं भविष्य की योजना क्या है;

झ) जिन जिन विभागों और अधिकारियों के पास सरकारी मोबाइल नंबर हैं, कृपया मोबाइल नम्बर सहित उनकी पूरी लिस्ट उपलब्ध कराएं?

अता. 276

प्रशासनिक सुधार मंत्री

प्रश्न का उत्तर विभाग से प्राप्त नहीं हुआ।

अता. 277 श्री पवन कुमार शर्मा **सतर्कता विभाग**

क्या **सतर्कता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय द्वारा विगत 15 वर्षों में कितने आईपीएस अधिकारियों और कितने दानिक्स अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किये गये;

ख) निदेशालय ने कितने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों जैसे स्पेशल कमिश्नर, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त आदि के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में कितनों के खिलाफ मेजर पेनल्टी और कितनों के खिलाफ माइनर पेनल्टी की सिफारिश की गयी;

ग) कुल कितने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ निदेशालय की सिफारिशों को मानकर विभागों द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी; और

घ) निदेशालय ने उक्त समय के भ्रष्टाचार के मामलों में कितने थानाध्यक्षों और उप–निरीक्षकों के विरूद्ध मेजर और कितने के विरूद्ध माइनर पेनल्टी की सिफारिश की?

सर्तकता विभाग

प्रश्न का उत्तर विभाग से प्राप्त नहीं हुआ।

अता. 278 श्री राजू धिंगान **सतर्कता विभाग**

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक सतर्कता विभाग से संबंधित 143 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 10 शिकायतें अभी भी लंबित है;

ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 05 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित है,

ग) यदि हां तो इसका कारण क्या है;

घ) क्या यह भी सत्य है कि 57 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है,

ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;

च) क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय–समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए;

छ) इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;

ज) ये शिकायतें निवारण के लिए किन–किन अधिकारियों के पास और कब–कब भेजी गईं, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें;

झ) संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और

ञ) इन शिकायतों का निवारण कब तक हो जाएगा?

सर्तकता विभाग

प्रश्न का उत्तर विभाग से प्राप्त नहीं हुआ।

अता. 279 श्री पंकज पुष्कर **गृह विभाग**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) दिल्ली की जेलों में ऐसे कितने लोग बंद है जो जिन संबंधित धाराओं में बंद हैं उनमें होने वाली सजा से (यदि उन्हें सजा हुई तो) अधिक अवधि जेल में बिता चुके हैं;

ख) यदि जेल में इस तरह के कैदी बंद हैं तो क्या यह नैसर्गिक न्याय की अवधारणा के विपरीत नहीं है;

ग) क्या दिल्ली सरकार के पास ऐसे कैदियों की कोई सूची उपलब्ध है जोकि (सजा पाए जाने पर भी) सजा की अवधि से अधिक का समय जेल में बिता चुके हैं;

घ) यदि ऐसी कोई सूची उपलब्ध है तो कृप्या विवरण सहित उपलब्ध करवाएं;

ङ) यदि नहीं, तो क्या प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के अनुपालन में दिल्ली सरकार विधिवत सर्वे करवाकर ऐसे कैदियों का आंकड़ा उपलब्ध करवाना

सुनिश्चित कर सकती है कि जिस धारा के अंतर्गत वे बंद किए गए हैं उससे अधिक अवधि जेल में बिता चुके हैं; और

च) ऐसी परिस्थितियों से भविष्य में निबटने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है,पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं?

गृह मंत्री

क) दिल्ली की जेलों में ऐसा कोई भी बंदी नहीं है जो जिन संबंधित धाराओं में बंद हैं उनमें होने वाली सजा से (यदि उन्हें सजा हुई तो) अधिक अवधि जेल में बिता चुका हो।

ख से ङ) उपरोक्त के संदर्भ में कोई जवाब नहीं है।

च) दिल्ली जेलों में ऐसे विचाराधीन बंदियों की सूची समय–समय पर तैयार की जाती है जो जिन संबंधित धाराओं में बंद है उनमें होने वाली सजा की (यदि उन्हें सजा हुई तो) आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं एवं उसे दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के साथ उपयुक्त निस्तारण के लिए साझा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे बंदियों की सूची समय–समय पर 'विचाराधीन समीक्षा कमिटी' के पास दिल्ली राज्य विधिक सेवाए प्राधिकरण के द्वारा/माध्यम से उपयुक्त कार्यवाही के लिए प्रेषित की जाती है।

विशेष उल्लेख (नियम 280)

अध्यक्ष महोदयः 280 श्री नारायण दत्त शर्मा जी।

श्री नारायण दत्त शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत ही गम्भीर विषय है मेरा आज।

सबसे पहले तो लोकतंत्र की जीत की पूरी दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ, अपने सभी बीस साथियों को, दिल्ली की जनता को और पूरे सदन को। अध्यक्ष जी, ये गम्भीर मुद्दा इसलिए है कि मैं जिस विधान सभा से जीतकर आया हूँ इस सदन में, उस विधान सभा के अन्दर तीन लाख अड़सठ हजार मतदाता रहता है और इतना ही बिना मत के रहता है। एक नहर है जो कि कालिन्दी कुन्ज से जाती है, आगरा कैनाल नहर है। उस नहर के ऊपर ब्रिटिश काल का एक फ्लाईओवर बना हुआ है, पुल बना हुआ है। 138 साल पुराना पुल है। मैं कई बार, जबसे जीता हूँ एक टेन्शन में रहता हूँ कि कभी भी क्योंकि वो जर्जर हालत में है। 138 साल पुराना पुल जिसके अन्दर सभी इन्जीनियरों ने उसको, उसकी मियाद खत्म कर दी है और उसके बाद भी जनता उससे आती है, गाड़ियाँ जाती हैं, बसें जाती है, छोटे–छोटे बच्चे जाते हैं और रोजी–रोटी कमाने के लिए हर आदमी अपनी जान की बाजी लगाकर सुबह ड्यूटी के लिए उसी पुल से निकलता है। मैंने आज से डेढ़ या दो साल पहले भी इस सदन के अन्दर एक दरख्वास्त करी थी अध्यक्ष जी, आपसे और सदन के माध्यम से मंत्री जी से। मेरी विधान सभा के बिल्कुल साथ में फरीदाबाद के अन्दर 24 दिन पहले एक पुल गिरा है उसी समय का। गाड़ी जाते टाईम गिर गया और हादसा हुआ है। काफी लोग उसमें बह गये है। दो–तीन बच्चे उसमें मिले नहीं है।

तो मैं सदन के माध्यम से दरख्वास्त करता हूँ, अर्जी लगाता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके एक नया पुल देने के लिए बदरपुर की

जनता को कोशिश की जाए जिससे कि कम से कम ये तो श्योरिटी हो कि ये जिस पुल से गुजर रहे हैं वहाँ कोई जान—माल का नुकसान नहीं होगा।

क्योंकि मजदूर वर्ग रहता है वहाँ पर। रोजी—रोटी कमाने के लिए उनको जाना पड़ता है। उनको पता है कि पुल की मियाद खत्म हो चुकी है।

मैं दोबारा से आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि डेढ़ साल पहले भी वो क्वेश्चन लगाया था। पर इस सरकार ने वो काम कर दिया विदेश तक डंका बजता है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, अमरीका में नाम हो रहा है इनका, लेकिन बदरपुर में नाम करना बाकी है अभी। बदरपुर में एक पॉलिक्लिनिक बनना था, बदरपुर में एक पुल बनाना है, यह करवा दीजिए। मेरी बदरपुर की जनता बड़ी... क्योंकि जिस वक्त ये 67 साथी दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजे थे सबसे पहले सवा नौ बजे...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हो गया नारायण दत्त जी। औरों का रह जाएगा।

श्री नारायण दत्त शर्माः अध्यक्ष जी, जब 67 साथियों को 2015 में...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री नारायण दत्त शर्माः मैं पहले कह दूँ जी, जो पूरी बात है बदरपुर की।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हो गई बात, जितना लिखकर दिया था, नारायण दत्त जी, आप बैठिये।

श्री नारायण दत्त शर्मा: जब 67 साथियों को आम आदमी पार्टी को जिताकर इस सदन के अंदर भेजा था 9.16 मिनट पर बदरपुर की जनता ने नारायण दत्त शर्मा भेज दिया था जी तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि एक पुल दिया जाए और एक हॉस्पिटल दिया जाए क्योंकि जाम लगा रहता है हर समय। मेडिकल तक जाते टाइम राम नाम सत्य हो जाती है आधे पेशेंटों की।

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री नारायण दत्त शर्मा: हाँ जी, मंत्री जी।

अध्यक्ष महोदय: हो गया। उत्तर दे रहे हैं वो।

श्री नारायण दत्त शर्मा: धन्यवाद आपका।

लोक निर्माण मंत्री: यह आली गांव वाला ब्रिज है ना?

श्री नारायण दत्त शर्मा: न जी, यह मीठापुर चौक पर है। आली का भी बनवा दो तो बहुत धन्यवाद। बाकी मीठापुर चौक वाला है जी। आली का तो अमानत भाई का है। ये पहले अपना चाह रहे हैं। यह मीठापुर चौक है जी।

लोक निर्माण मंत्री: चलो मैं बता देता हूँ। यह जो पुल है यह यूपी इरिगेशन के अंडर, जहाँ तक मेरी नॉलिज में है, आते हैं। एक पुल का, मैं इसलिए उठा था कि मुझे ध्यान था कि अभी हमने महीने पहले सैंक्शन किया उसका पैसा, हम एग्री हो गए हैं यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट देगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसी नहर पर?

लोक निर्माण मंत्री: जी।

श्री नारायण दत्त शर्मा: सर, वो लोहिया पुल है।

... (व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री: कोई बात नहीं। यह वाला पुल भी मेरी जानकारी के अंदर यूपी इरिगेशन के पास है और इसके लिए भी हम उनको पैसे देने को तैयार हैं, बनवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय: चलिये धन्यवाद कर दीजिए मंत्री जी का। अब हो गया।

श्री नारायण दत्त शर्मा: ठीक है जी।

अध्यक्ष महोदय: तोमर जी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमर: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरे उन तमाम, जो 20 मेरे साथी विधायक हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और वैसे तो मदन लाल जी लगे होंगे पूरी ताकत से, भारती जी बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, भारती जी जल्दी से सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें, अध्यक्ष जी को लाकर दे दें ताकि कल हमारे साथी सारे हमारे साथ इकट्ठे हों। क्योंकि मनीष भाई की बहुत इच्छा थी कि जब बजट पेश हो तो तमाम साथी यहाँ पर हों, वो तो एक दिन लेट हो गया, यह रिजल्ट आना। नहीं तो कल हम सब लोग साथ होते अध्यक्ष जी। हम जानते थे, हमें विश्वास है पूरा, ईश्वर पर विश्वास है, इस न्यायपालिका पर विश्वास है और यहाँ तक मेरे तो दोस्त सोमनाथ भारती ने यह कह दिया था यदि यह डिसिजन हमारे खिलाफ गया तो मैं विश्वास करना छोड़ दूँगा इस न्यायपालिका पर। जो एक वकील है पहुंचा हुआ, उसने यह कहा था क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि यह वापसी होनी है, हर हालत में होनी है, हमारे साथ अन्याय हुआ था। तो मैं बहुत बधाई

देना चाहता हूँ उन अपने साथियों को और भारती जी कोशिश करें कि कल ही हमारे साथी यहाँ पर हों। मुझे आशा है कि आप छोड़ेंगे नहीं इसको, सर्टिफाइड कॉपी आज ही निकलवाएंगे।

अध्यक्ष जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे नियम 280 के तहत् अपने क्षेत्र की समस्या को यहाँ पर चर्चा करने का मौका दिया, उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकार बनी थी सन् 2015 में तो मैंने अपने क्षेत्र में दो फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए एक पत्र लिखा था लोक निर्माण विभाग को और उसके बाद लगातार प्रयास करने के बाद, लगातार डेढ़ साल प्रयास किया मैंने और सत्येन्द्र जैन साहब का बड़ा सहयोग रहा उसमें। तो यूटी पैक जो एक आपकी संस्था होती है, उसने निरीक्षण किया वहाँ पर, जहाँ मैंने प्रपोज किए थे दो फुटओवर ब्रिज, तो उसका निरीक्षण उन्होंने किया यूटी पैक ने, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी थे, डीडीए के एक सज्जन होते हैं, आपको पता है बहुत सारे जो लोग होते हैं, तो उन्होंने उसमें से एक को तो फेल कर दिया जबकि वो बहुत जरूरी था। उसमें, तीन स्कूल हैं वहाँ, बैक टू बैक, छः हजार बच्चे वहाँ से क्रॉस करते हैं। चलो, वो फेल कर दिया लेकिन एक उन्होंने पास कर दिया था जो कि शकूरपुर गाँव और लारेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ता है। जो इनर रिंग रोड है, उसके ऊपर। जहाँ दाता देवता मंदिर है। शकूरपुर गाँव और लारेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में। उसको पास कर दिया था और यह 2016 की बात है। तब से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। पहले जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने फाइल पहले दबा दी थी, बहुत नीचे कर दी थी। बहुत बार उनसे बात की, अब वर्तमान जो हमारी सेक्रेटरी हैं उनसे बात की। हर बार कहा जाता है, ''नहीं, वो अप्रूव तो हो गया है। अब तो बस सेक्रेटरी की अप्रूवल होनी है।'' तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ माननीय मंत्री

जी से कि मंत्री जी, आप इसमें पर्सनल अपना हस्तक्षेप करके एक बार सेक्रेटरी साहिबा को बोल दें कि वो फाइल पर सिर्फ साइन करने हैं। उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, निवेदन करना चाह रहा हूँ मंत्री जी से कि वो शीघ्र से शीघ्र इस फुटओवर ब्रिज को बनवाने के लिए कार्रवाई करें, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्रीमती बंदना कुमारी: यह फुटओवर ब्रिज हमारे क्षेत्र को भी प्रभावित करता है और यह हर समय मुद्‌दा उठता है और बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं इस फुटओवर...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सही राम जी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमर: जैन साहब बतायें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, आज कह दो, आज अच्छा दिन है।

लोक निर्माण मंत्री: मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि इनका जो कार्य है, मैं जरूर अधिकारियों को आदेश दूंगा कि वो कर दें।

अध्यक्ष महोदय: अभी हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ है, उस निर्णय के अंतर्गत 20 विधायक जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आए हैं या नहीं आए हैं, वो सदन में आ सकते हैं, मैं उनको इजाजत देता हूँ।

(सदस्यों द्वारा हर्ष प्रकट करते हुए सदन में नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, तोमर जी को भी आश्वासन दे दीजिए।

लोक निर्माण मंत्रीः दे दिया।

अध्यक्ष महोदयः दे दिया, खुश? चलिये, धन्यवाद।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, एक मेरे यहाँ भी जो फुटओवर ब्रिज है...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ऐसे नहीं, आप माननीय मंत्री जी को लिखकर दो।

श्री अजय दत्तः मंत्री जी, बताइये।

लोक निर्माण मंत्रीः एक छोटी सी चीज मैं दोबारा से कहना चाहूँगा। अभी माननीय सदस्यों को थोड़ा सा, देखो उन्होंने कह दिया, इन्होंने भी कह दिया, यह यूटी पैक जो संस्था है, वो मेरे अंडर नहीं आती है। मैंने तो दो दिन पहले भी बताया था। यूटी पैक के अध्यक्ष एलजी साहब हैं और उनके नीचे जो अधिकारी जाते हैं, हम कोशिश करते हैं हम अपने अधिकारियों को कहेंगे दोबारा जाओ, तीसरी बारी जाओ। अगर वो कर देंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाना, हम जरूर कर देंगे।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः मेरा हो गया, यूटी पैक से कंफर्म हो चुका है...

... (व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्रीः आपने पहले बता भी तो दिया कि फाइल किसने नीचे दबाई थी, कैसे दबाई थी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः पिछले वाले सेक्रेटरी ने....

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री सही राम जी।

श्री सही रामः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आज आपकी लॉटरी बार–बार खुल रही है क्या बात है?

श्री सही रामः यह तो सच्चाई की जीत है आज।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान बीएसईएस बिजली कंपनी द्वारा मेरे तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र के निवासियों के साथ हो रही अन्यायपूर्ण एवं नियम विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, बीएसईएस द्वारा उपभोक्ताओं की रीडिंग से हटकर अधिक राशि के अनाप–शनाप बिल भेजे जा रहे हैं। जब बीएसईएस द्वारा इन बिलों को संशोधित कराने में विलंब हो जाता है तो उन्हें भारी पेनल्टी लगाकर पुनः बिल भेज दिए जाते हैं, जिससे यहाँ के निवासियों में काफी रोश है।

दूसरे अध्यक्ष जी, एक या दो किलोवाट विद्युत–भार वाले यदि किसी उपभोक्ता पर बिजली के दुरुपयोग का आरोप होता है तो उस उपभोक्ता पर 5–6 लाख का जुर्माना सहित बिल भेज दिया जाता है जो कि एक आम आदमी द्वारा चुकाया जाना कैसे सम्भव है और क्यों उसे चुकाया जाना चाहिए?

इतना ही नहीं, अध्यक्ष जी, यह बात मैं पहले भी मंत्री जी के संज्ञान में लाया था, आपके भी संज्ञान में लाया था कि किसी उपभोक्ता द्वारा अपने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके बिल की राशि को उसके रि तेदार या पड़ोसी के बिल में जोड़कर भेज दिया जाता है। अध्यक्ष जी, यह मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, जो बात कह रहा हूँ। अगर मैंने अपना बिल पे

नहीं किया तो मेरे बिल की राशि मेरे पड़ोसी पर या किसी रिश्तेदार के बिल पर, वहाँ जोड़कर भेज दी जाती है जो कि बीएसईएस द्वारा सीधे–सीधे उस उपभोक्ता के साथ अन्याय होने के साथ–साथ हास्यास्पद भी है। कई मामलों में अध्यक्ष जी, यह भी देखा गया है कि बीएसईएस द्वारा एक उपभोक्ता को बिजली–कनेक्शन देने के लिए उसके बराबर वाले घर के ऊपर से तारें लाकर कनेक्शन दे दिया जाता है। पहले तो यह कि वह सरासर नियमों का उल्लंघन है, परंतु उससे भी अधिक हैरानी व अन्याय की बात यह है कि जब मकान मालिक अपने घर के ऊपर अतिरिक्त निर्माण करने हेतु बीएसईएस से बिजली की तारें हटवाने के लिए आवेदन करता है तो उससे जुर्माने के रूप में भारी पेनल्टी/शुल्क की डिमांड की जाती है।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों में सीधे–सीधे जुड़े हुए इस मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। बीएईएस के बिजली कंपनी के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें और जिस तरह से स्लम एरिया में थेप्ट के मामलों में एक विशेष छूट दी गई है, उसी तरह अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय से निवेदन है कि गाँवों के मामले में भी कुछ छोटी–मोटी थेप्ट की बात आ जाती है, तो उन्हें भी विशेष छूट देने की कृपा करें जिससे वो लोग भी अपना बिल पे करके आगे अपना करेक्शन ले सकें, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

ऊर्जा मंत्रीः मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक बहुत जरूरी सूचना देना चाहता हूँ पूरे सदन को कि अगर पहली बात तो किसी एक के बिल को दूसरे में नहीं डाला जा सकता, बिलकुल गैरकानूनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक रिश्तेदार को या पिताजी को या बच्चे को किसी और के नाम से नहीं आ

सकता। जिसका बिल है, उसी का बिल आएगा अगर उसने पे किया है, नहीं पे किया है। अगर इस तरह के कोई किसी ने किया है तो मेरे संज्ञान में... नहीं कर सकते बिल्कुल इल्लीगल है।

श्री सही रामः हाउस के सामने ये बात रख रहा हूँ तो अपनी जिम्मेदारी के साथ रख रहा हूँ और मैं आपको पूरे बिल जो हैं प्रमाण के तौर पर वो बिल आपको लाकर दूँगा मैं।

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, ये तरीका ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप लोग बहस कर रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़े ही है। सदन चल रहा है ये। नहीं तो उनको उत्तर तो देने दीजिए। ये देखिये, क्वेश्चन आंसर नहीं है। समझने का प्रयास करिये थोड़ा।

श्री सत्येन्द्र जैन (ऊर्जा मंत्री)ः सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ये बिलकुल इल्लीगल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो उस तरह से हुआ, एक आदमी ने क्राइम किया, कोई चाकू मारा के जी, वो नहीं पकड़ा गया तो पिताजी को पकड़कर जेल में डाल दो। ऐसा थोड़ा होता है। ऐसा पोसिबल नहीं है, बिलकुल इल्लीगल है।

श्री विशेष रविः पहले नियम को क्लियर कर दीजिए।

ऊर्जा मंत्रीः आपको बता रहा हूँ नियम बता रहा हूँ कि किसी का भी बिल दूसरे के बिल में नहीं डाला जा सकता। ये नियम है।

श्री विशेष रविः चाहे वो सेम एड्रेस पर ही क्यों न हो। प्रापर्टी एड्रेस सेम था।

ऊर्जा मंत्रीः उसके बारे में डिपेंड करता है कि भई उसके अंदर हो सकता है वो एक ही कनेक्शन ले रहे हों, तब तो गड़बड़ है।

श्री विशेष रविः नहीं सर, एक ही प्रापर्टी में हैं। सर, दो या तीन कनेक्शन हैं। बाइचांस एक नहीं भरा तो बाकी जो दो कनेक्शन हैं... क्रिएट करके दिये हैं। वो खून के रिश्ते के हैं तो आमतौर पर डिपार्टमेंट उनका बिल दूसरों पर डाल देता है। ये कहते हुए कि...

ऊर्जा मंत्रीः सुनिये, प्रापर्टी एक ही आदमी की है तब बात अलग है। अगर प्रापर्टी के मालिक अलग अलग हैं, तब नहीं डाल सकते।

अध्यक्ष महोदयः बिलकुल जैन साहब ने ठीक... क्लियर हो गया।

श्री विशेष रविः सर प्रापर्टी मान लीजिए 'ए' के नाम पर है और 'बी' और 'सी' के ब्लड रिलेशन को हम उसी प्रापर्टी को देते हैं। 'ए' ने बिल नहीं भरा डिपार्टमेंट 'बी' और 'सी' को इसलिए बिल भेजता है कि...

अध्यक्ष महोदयः देखिये, उन्होंने कहा, वो प्रापर्टी 'ए', 'बी', 'सी' तीन मंजिल है या चार मंजिल का मकान है। पूरी प्रापर्टी अगर एक ही आदमी के नाम है और मीटर चार लगे हुए हैं तो वो जो एक आदमी जिसके नाम प्रापर्टी है, वो बिल नहीं भरता या कोई और नहीं भरता, दूसरे में जुड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने क्लियर बोला है।

ऊर्जा मंत्रीः एक मिनट दोबारा सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदयः उनकी बात को समझिये और प्रापर्टी अलग अलग नाम से है तो नहीं जुड़ेगा। बहुत क्लियर बोला है उन्होंने।

ऊर्जा मंत्रीः एग्जाम्पल के लिए जिस घर में मैं रहता हूँ वो मेरे फादर के नाम है और बिल मान लो ऊपर वाले फ्लोर का मेरे नाम से आता है कल को मैं बिल न दूँ तो वो मेरे पिताजी के नाम पर डाल देंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि प्रापर्टी सारी एक ही आदमी के नाम है, अलग अलग लोगों के नाम नहीं है।

श्री विशेष रवि: मतलब रजिस्ट्री अलग है तो नहीं जुड़ पायेगा।

ऊर्जा मंत्री: सुन लीजिए, अगर चार फ्लोर हैं चारों के मालिक अलग अलग हैं तो वो बिलकुल अलग है, चाहे पड़ोसी ही हैं। अब ऐसे थोड़े ही होता है कि एक प्रापर्टी है, दूसरी प्रापर्टी में बिल डाल देंगे। नहीं डाल सकते हैं। पहली बात ये है कि कभी भी एक प्रापर्टी का बिल दूसरी प्रापर्टी में नहीं डल सकता, दूसरे आदमी पर नहीं डल सकता। दूसरी बात, आप सुन लीजिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। ऐसी शिकायतें अक्सर की जाती हैं कि जी, तीन साल पुराना बिल आ गया जी। हम तो हर महीने बिल पे करते थे अचानक दो लाख रुपये जोड़ दिए जी। दस साल पुराना बिल जोड़ दिया। बग्गा साहब चले गये, ये मेरे पास लेकर आये थे। उसके बाद हमने इसको चेंज करा दिया है। अगर लगातार पिछले दो बिलों के अंदर कोई अमाउंट नहीं है, ये ध्यान रखियेगा सब लोग। अगर पिछले दो बिलों के अंदर कोई अमाउंट नहीं है तो तीसरे बिल के अंदर उसको अपने आप से नहीं ला सकते किसी हालत में भी। आपको जानकारी होगी, तभी ला सकते हैं अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको मेरे संज्ञान में लाइएगा किसी भी कंपनी की पॉवर नहीं है ऐसे। बग्गा साहब का मैं धन्यवाद करूँगा, वो मेरे पास लेकर आए थे, उन्होंने दिखाए थे मुझे कुछ बिल के जी, दस साल पुराने, पन्द्रह साल पुराने बिल थे उनको जोड़ दिया गया है। अरे भई एक प्रापर्टी वाले को तो पता नहीं है कि पन्द्रह साल पहले कौन रहता था, कौन नहीं रहता था। या तो लगातार बिल में आ रहा है तब तो खरीदने के टाइम पर उसे पता है कि भई बिल इतना पेंडिंग है, दो लाख का बिल है पाँच लाख का बिल है। तो पुराने आप तीन बिल देख लीजिएगा अगर तीनों बिलों के अंदर कोई एरियर नहीं है तो वो अचानक रह गये और उनको जोड़ नहीं सकते हैं। ये जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: अब ये क्लियर हो गया। अब चर्चा नहीं है इस पर।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः एक खसरा नंबर में 100 मकान हैं। जब वो पेंडिंग किसी पर होता है तो सारे के सारे मकानों पर जब वो कनेक्शन लेने जाता है तो कहते हैं जी पहले...

... (व्यवधान)

ऊर्जा मंत्रीः आप लोग अलग से देखिये। एक मिनट। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जैसे बग्गा साहब मेरे पास आए थे, वो समस्या लेकर आए सॉल्यूशन भी लेकर आए थे। हम बैठे, मुझे लगा कि सॉल्यूशन ये निकल सकता है भई, पुराना नहीं है तो नहीं। आप समस्या के साथ साथ समाधान लेकर आइयेगा, जरूर करवा देंगे।

श्री सही रामः सर, मैं आपके पास गया था माफ करना। करीब 8–9 साल पुराना केस है। वो आदमी कैंसर से पीड़ित है। हर तीसरे दिन उसका डॉयलसिस होता है। उसने अपने गहने, जेवर, घरबार सब कुछ बेच दिया है। आठ साल पुराना केस है। मैंने सेटल करने के लिए कहा था, डेढ़ लाख में सेटल हुआ। वो आदमी से जबरदस्ती उन्होंने 40 हजार रुपये जमा कराये हैं और आज तक उसका मीटर नहीं लगाया। और दूसरा उसका बिल अब क्या है कि उसके छोटे भाई और उसकी भाभी उसे रोज मारते हैं बेचारे को। उसके पास पैसे भरने के लिए नहीं हैं। उसका डायलसिस हो रहा है।

अध्यक्ष महोदयः सहीराम जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है एक बार उनके पास दोबारा से ले जाओ प्लीज।

श्री सही रामः ठीक है सर।

श्री गिरीश सोनीः छोटा सर एक मेरा...

अध्यक्ष महोदयः भई अब ये क्वेश्चन आंसर नहीं है। नहीं, बैठिये प्लीज बैठ जाइए। श्री नरेश बालियान जी। आपका है न? अब पूछिए।

श्री गिरीश सोनी: सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जो ये बिलों का मामला है इसमें जो हमारे को ऑफिसेज दिये गये हैं। जरनैल सिंह पहले वो थे, जब यहाँ विधायक थे, उनके आफिस का बिल जो राजौरी गार्डन में अलाट हुआ था, उनके घर के बिल में एड करके भेज दिया था। आपके पास शायद ये मामला आया भी होगा। उनके घर के बिल में एड करके भेज दिया था जबकि उनका घर कहीं और था और आफिस राजौरी गार्डन में था। तो हमें भी यह डर लगने लगा है कि अब हमारे आफिस का बिल भी कहीं ऐसा न हो कि हमारे घर के बिल में एड होकर आ जाए। मंत्री जी जरा इसके विषय में विचार करना।

अध्यक्ष महोदय: श्री नरेश बालियान जी, अनुपस्थित। सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा: धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में, पंजाबी भाषा के लिए शिक्षक जो नियुक्त किये जाने की घोषणा की और उस घोषणा को लेकर जिस तरह से सरकार ने गत वर्ष पंजाब में चुनावों से पूर्व यह लोक लुभावनी घोषणा करी थी कि दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में पंजाबी शिक्षक नियुक्त किये जाएंगे। सरकार ने उस समय दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में भी इस घोषणा को लेकर फुल पेज के विज्ञापन दिये थे। अध्यक्ष जी, उसके बाद उप–चुनाव के उपरांत अब वो स्कूलों के अंदर अपने वायदे को भूल गई और आज तक इस दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ। पंजाबी भाषा का एक भी अध्यापक भर्ती नहीं किया गया। अध्यक्ष जी, 686 जो हैं, वेकेंट अभी टीचर्स की पोस्ट हैं जिनको अभी तक भरा नहीं गया। ये कहा गया था कि हर स्कूल के अंदर एक टीचर पंजाबी का होगा। वो तो छोड़िये हर स्कूल में, कब होगा लेकिन जिन स्कूलों में एग्जिस्टिंग थे, जहाँ पंजाबी टीचर पढ़ाते थे, उन स्कूलों के अंदर भी अभी तक पंजाबी टीचर नहीं भरवाये गये हैं। पंजाबी भाषा का एक

अध्यापक भरती नहीं किया। लगता है सरकार ने घोषणा को मैं इस लंबी बात में न जाकर मैं एक सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, कि जो, मुझे इस बात का खेद है कि जो पंजाबी भाषा है, वो हम सबकी भाषा है। दिल्ली वालों की भी वो भाषा थी क्योंकि जो भी पाकिस्तान के पंजाब से आये थे, वो भाषा थे। वो भाषा के कारण क्योंकि जब स्कूल में जब ये टीचर नहीं होता तो बच्चा भाषा को अडाप्ट नहीं कर पाता। अब सिचुएशन ये आ गई है कि अब जो 686 पद खाली हैं। विषय खाली का नहीं है। अध्यक्ष जी, अगर वो नहीं भरेंगे जो बच्चा आज फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकेंड स्टैंडर्ड में जिसने पढ़नी बंद कर दी पंजाबी, चाहे मान लीजिए टीचर दो साल बाद आ भी जाए वो बच्चा दोबारा पंजाबी ऑप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पंजाबी पढ़नी नहीं आएगी। उसके लिए वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो मेरी आपके माध्यम से ये विनती है मंत्री जी से कि इन टीचरों को जल्दी से जल्दी ये भर्ती शुरू की जाए और इसके अंदर हर स्कूल में एक टीचर देने का जो वादा था, उसको पूरा किया जाए।

और अध्यक्ष जी अंत में एक बात मैं इसके साथ जोड़कर बताना चाहता हूँ कि जो पंजाबी अकादमी है अध्यक्ष महोदय, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो देंगे, जो अकेडमी है उसका 2013 और 2014 में जो अवार्ड मिले थे, आज तक उसका पैसा भी पंजाबी अकादमी ने वो अवार्ड नहीं दिये। वर्ष 2015, 2016, 2017 तो तीन साल के तो अवार्ड घोषित नहीं किये लेकिन जो 2014 के घोषित हो चुके हैं, पंजाबी के वो भी 6–6 अवार्ड का अभी तक पैसा नहीं गया। तो मैं आपके माध्यम से ये भी विनती करना चाहता हूँ कि पंजाबी अकादमी के अवार्ड्स जो हैं, मिले हैं जिन लोगों को वो भी, दिये जाएं और अगले पिछले तीन साल में जो घोषित नहीं कर पाए अवार्ड, उनको तुरंत से घोषित किया जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः बंदना कुमारी जी।

श्रीमती बन्दना कुमारीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं अपने 20 साथियों को बहुत–बहुत बधाई देना चाहूँगी। इस लोकतंत्र की जीत पर इस सदन को बहुत बधाई देना चाहूँगी।

आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की बहुत सारी सड़कें हैं और सड़कों के किनारे जितने घर हैं, कोठियां हैं, फ्लेटस हैं, दुकानें हैं, वो तीन–तीन फुट चार–चार फुट आठ–आठ फुट, दस–दस फुट रोड पर बना ले रहे हैं। जो नालियों के ऊपर नालियों के बाहर और उसके बाद उनकी गाडियाँ खडी होती हैं तो पूरा रोड पैक हो जाता है। और हमारे एरिया में दो बड़े–बड़े हॉस्टिल हैं फोर्टीस और मैक्स। इन दोनों हॉस्पिटलों में हमेशा इमरजेंसी एम्बूलेंस रन करती है। तो इसकी वजह से जाम काफी तेजी से लग जाता है और उस जाम से निकलना एम्बूलेंस को बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी हमने विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क किया, बात किया तो उन्होंने कहा कि यह रोड एमसीडी के अंदर है। इसको हटाना, रैम्प को इलीगल जो कन्सट्रेक्शन है, उसको करने देना। ये सब रोकना एमसीडी की जिम्मेदारी है। एमसीडी कहती है कि नहीं, ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, यहाँ पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रोज नए–नए चाउमीन के वैन, रोज नए–नए काउंटर और रोज मैटीरियल, बिल्डिंग मैटीरियल के काम पीडब्ल्यूडी की सड़क पर। सबसे जो दुःखद है जो हमारा मोहल्ला क्लीनिक है, आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक है, उस मोहल्ला क्लीनिक की बगल में बिल्डिंग मैटीरियल का इतना बडा अम्बार लगा हुआ है, वो पीडब्ल्यूडी की सड़क है। कई बार वहाँ पर आने वाले जो हमारे पेशेंट होते हैं, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब लोडिंग और अनलोडिंग होती है और प्रदूषण का तो अम्बार लगा ही हुआ है। तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी एक बार ये सदन, आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ जो इनकी जिम्मेदारी तय की जाए। क्योंकि अभी डिसिल्टिंग

का टाइम आ गया है। सारी नालियों की डिसिल्टिंग होगी। पूरी नाली पैक है ना, वो टूटेगी तो डिसिल्टिंग हो नहीं सकती। किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती डिसिल्टिंग का काम। सारा पीडब्लयूडी के नाले से अंदर कॉलोनी का नाला जुडा हुआ है। तो जब पीडब्ल्यूडी का नाला क्लीयर नहीं होगा तो अंदर कालोनी में पानी भरा रहेगा। रोज हमें ये सुनना पड़ता है कि पीडब्ल्यूडी का नाला साफ नहीं है, नाला साफ नहीं है। ये एक कोई भी पॉलिसी बनाई जाए और सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को ये आदेश दिया जाए जो इस पर जल्द से जल्द क्लीयर किया जाए।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि वो निर्देश दें कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Health Care Act, 2017) को शीघ्रातिशीघ्र दिल्ली विधानसभा में पारित कर, राज्य स्तर पर इसे अधिसूचित करे। अभी तक इस बिल को विधानसभा में पारित कर अधिसूचित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ भी नहीं की है । इससे दिल्ली में रहने वाले लगभग 20 से 25 लाख मानसिक चुनौतियों से ग्रसित लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। यह बिल मानसिक चुनौतियों से ग्रस्त लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा सेवाएं मुहैया कराने की गारन्टी देता है। अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी मानसिक रोगी के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती अथवा भेदभाव न हो और उसके अधिकारों का हनन न हो। इस अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें सम्पत्ति में भी देयभाग मिलेगा। यह अधिनियम उन्हें प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त यह बिल जो विशेष बात अध्यक्ष जी, इसमें है, आत्महत्या को भी अपराध मुक्त करता है। इस बिल में माना गया है कि आत्महत्या का कदम तनावग्रस्त मानसिक अवस्था में उठाया जाता है और

इसके लिए व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस अधिनियम को जल्द से जल्द दिल्ली विधानसभा में पास करना अति आवश्यक है, क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधानों से मानसिक रोग से ग्रस्त रोगियों की बेहतर देखभाल हो सकेगी और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकेगा। यह अधिनियम सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा इसके उपचार की सुविधाएं सरकार से मिलें। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मानसिक रोगियों के लिए मुफ्त उपचार सनिश्चित करता है। यह अधिनियम सुनिश्चित करेगा कि उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो। अधिनियम यह भी सुनिश्चित करेगा कि मानसिक रोगियों के साथ लिंग, जाति, सामाजिक श्रेणी, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो मेरा अध्यक्ष जी, अनुरोध है सरकार से कि चूंकि ये सैन्ट्रल एक्ट बन चुका है मैंटल एक्ट केयर एक्ट जो पार्टियामेंट से पास हो चुका है और राज्यों को इसको अडोप्ट करना है तो दिल्ली सरकार इसको अडोप्ट करे और असेम्बली में आपके समक्ष है उस बिल को प्रस्तुत किया जाए।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। श्री सोमनाथ भारती।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद आपने मुझे 280 के तहत अपना मैटर उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज बहुत बड़ा दिन है। आज लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। जुमले बाजों की बहुत बड़ी हार है। आज जिस तरह से चुनाव आयोग का दुरूपयोग करके हमारे बीस साथियों को डिस्क्वालीफाई करने का साजिश रजी गई। आज माननीय उच्च न्यायालय ने बड़े सवैंधानिक वैल्यूज को आगे रख करके उनको रिइन्सटेट कर दिया। डिसक्वालिफिकेशन को सैट एसाइड कर दिया और वो लाईन जो कि आज माननीय हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट के दौरान कहा, मैं

उसको सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ आपकी अनुमति से, कहा कि: "Opinion by Election Commission, if India was vitiated owing to failure to adhere to principles of natural justice and for failure to inform president of Mr. O.P. Rawat subsequent desire to rejoin the proceedings.'

साफ–साफ शब्दों में कहा कि प्रिंसीपल्स ऑफ नैचुरल जस्टिस का वॉयलेशन हुआ है। माननीय विधायकों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। क्रॉसएग्जामिनेशन नहीं हुआ। एविडेंस नहीं रखने दिया और जिस तरह से ओ.पी. रावत साहब जो कि प्रोसिडिंग के हिस्से नहीं थे, उनको उसका हिस्सा बनाया, वो गलत था। फिर कहा, opinion criticized then it says order of hon'ble president is also criticized . बहुत बड़ी बात है। पूरे सदन के लिए बहुत बड़ी बात है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है सोमनाथ जी, अब इस पर आइए। ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी।

श्री सोमनाथ भारतीः और एक लाइन और अध्यक्ष महोदय reminded to ECI to hear afresh. साथी कुछ बोल रहे थे बाहर। reminded to ECI to hear a fresh uninfluenced by earlier opinion... to consider issue of what is office of profit on government and to appoint on whether petitioner ...

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, आज का।

श्री सोमनाथ भारतीः बहुत धन्यवाद आपका। अध्यक्ष महोदय 280 के तहत आपने जो मुझे मौका दिया है। मेरा ये कहना है कि मेरे क्षेत्र के अंदर और सम्भवतः पूरी दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम्स हर जगह मिलता है। और ऐसे ज्वाइंट है ट्रैफिक जाम के जो कभी–कभी आधा घंटा ले लेता है कभी घंटा ले लेता है। छोटे–छोटे स्ट्रेच में। पचास मीटर का स्ट्रैच होगा और लग जाएगा

एक घंटा, उसको पार करने में। मेरी विधान सभा के अंदर ऐसे आठ लोकेशन हैं। मैने माननीय पीडब्लयूडी मिनिस्टर को कई बार लिख दिया। और ट्रैफिक पुलिस को कई बार दे दिया और रिक्वेस्ट किया कि जितने रोडस हैं they need to be restored to their original width जिसमें कि इन्क्रोचमेंट है और इन्क्रोचमेंट कौन करा रहा है और क्यों करा है, ये एमसीडी करा रही है। भाजपा शासित एमसीडी कराती है। दुकान बैठा रखी है वहाँ पर। ट्रैफिक पुलिस इसका हिस्सा है, पुलिस इसका हिस्सा है। वो सारी डिपार्टमेंट जो भाजपा के अधीनस्थ का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय मैंने ट्रैफिक पुलिस से... सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। डीसीपी ट्रैफिक साउथ को पिछले ढाई साल से लिख रहा हूँ। मीटिंग के लिए उनके पास वक्त नही है। और वहीं एक छोटा सा काउंसलर जाता है, भाजपा का टैग होना चाहिए, उसके ऊपर वो खड़ा हो जाएगा मिलने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। ट्रैफिक पुलिस डीसीपी ट्रैफिक साउथ ऑन रिकार्ड मैं कहना चाहता हूँ। उनको कोई चिन्ता नहीं है कि विधायक बार–बार रिक्वेस्ट कर रहा है मीटिंग के लिए। उसके पास कोई टाईम नहीं है। मैं जाकर कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मिला इस मुद्दे के ऊपर। उन्होंने भी मुझे आश्वासन तो दिया है लेकिन फिर ढाक के तीन पात। अध्यक्ष महोदय, तीन मेरी इसमें डिमांडस हैं; एक तो डीसीपी ट्रैफिक पुलिस और ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक इस मुद्दे का संज्ञान लें कि मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र का विधायक ढाई साल से रिक्वेस्ट कर रहा है, मीटिंग के लिए लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। दूसरे वक्त क्यों नहीं है क्योंकि इस करप्शन का वो हिस्सेदार है। वो पैसा खाता है। एमसीडी पैसा खाती है, ट्रैफिक पैसा खाता है, पुलिस पैसा खाती है, काउंसलर पैसा खाते हैं। और हो सकता है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी सम्मिलित हों इसके अंदर। जाँच होनी चाहिए इसकी। अध्यक्ष महोदय, मैने बकायदा पिन प्वाइंटेड करके दे रखा है प्रेसिक्रिप्शन में कि भई, यहाँ पर मुझे मालवीय नगर के अंदर जो पंचशील फ्लाई ओवर है, मैने कहा है कि मंत्री जी आप बैठे हैं, आज बड़ी खुशी का दिन है, सबको आश्वासन दे रहे हैं, मेरा भी दे दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, जो लिखा था, हो गया।

श्री सोमनाथ भारतीः हमारा जो पंचशील फ्लाई ओवर है, उसके अदंर मैने गुजारिश की है कि मेरे को अंडरपास चाहिए। आईआईटी फ्लाई ओवर के नीचे मुझे अंडरपास चाहिए। कृपा करके वो अंडरपास दोनों बनवा दें। और जो फुट ओवर ब्रिजेज की लिस्ट दे रखी है, उसको एक्सपीडाईट करा दें। और आप अपने संज्ञान में, क्योंकि आपके पास पॉवर है, डीसीपी ट्रैफिक जो साउथ है, उनको बुलाकर के मीटिंग करवाइए और एमसीडी को इन्स्ट्रेक्शन दीजिए कि मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, they need to be restored to their original width. बहुत–बहुत धन्यवाद आपका।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, जगदीश प्रधान जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, बोल रहे भई।

श्री सोमनाथ भारतीः बोल रहे है, मंत्री जी... दे दो ना सर, आश्वासन दे दो।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः एक बार जगदीश जी को बोलने दें।

श्री जगदीश प्रधानः सर, मैं दो मिनट बैठ जाता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः भई 280 को क्वेश्चन आंसर मत बनाइये प्लीज। 280 को... देखिए, उसमें दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है।

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः मंत्री जी, दे सकते है सर।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है, कैसे कमिटमेंट दे देंगे?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिए, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ। माननीय मंत्री के पास नहीं है और कमिटमेंट यहाँ किया हुआ विधान सभा में, वो दिक्कत होती है बहुत, हाँ जगदीश जी।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो माननीय हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार का ध्यान जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, वृद्धावस्था के लोग, उनकी पेंशन की और दिलाना चाहता हूँ कि काफी लोगों को दिल्ली नगर निगम द्वारा पेन्शन दी जाती थी। वित्तीय मजबूरी होने के कारण दिल्ली नगर निगम से 5–6 साल से वो पेन्शन बंद हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग बहुत गरीब हैं और जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, या विधवा है, या विकलांग है, उनको दिल्ली सरकार पेन्शन बढ़ाने की कृपा करें क्योंकि बजट में भी मैंने सुना, इसमें कोई भी वृद्धावस्था पेन्शन बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं हुआ और अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पेन्शन की ओर दिलाना चाहता हूँ । जीवन के सांध्यकाल में वरिष्ठ नागरिकों के बेहतर व अधिक सुरक्षित, आर्थिक रूप से स्वाबलंबी तथा स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें जो पेन्शन दी जाती है, वह उन्हें नियमित रूप से नहीं मिल पा रही है। सरकार ने वृद्धावस्था पेन्शन को मंहगाई के इंडेक्स से जोड़ने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार की वरिष्ठ नागरिकों,

विधवाओं और दिव्यांगों को नियमित रूप से पेन्शन देने की योजना थी, परन्तु इस वित्तीय वर्ष में अनेक बार विलम्ब हुआ और कई लोगों को कई–कई महीने तक पेन्शन नहीं मिली। गैर सरकारी संगठनों के अनुसार दिल्ली में करीब 15 लाख से अधिक बुजुर्ग, विकलांग और निराश्रित तथा विधवा महिलाएं निवास करती हैं। इन सभी के पास पेन्शन लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र तथा नियम, उपनियम आदि का पालन करने के लिए साधन और क्षमता उपलब्ध नहीं है। इस कारण सभी को जरूरत होने पर भी पेन्शन नहीं मिल पा रही है। दिल्ली सरकार का सामाजिक, नैतिक और शासकीय दायित्व है कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पेन्शन के योग्य सभी को पेन्शन जारी करे ताकि उनका बचा हुआ जीवन सुखमय बन सके। अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहूँगा कि कम से कम कुछ, सारी दिल्ली के लिए जो वृद्धावस्था हैं, उनके लिए भी पेन्शन बढ़ाई जाए।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। विशेष रवि जी। इसके बाद नरेश बाल्यान जी।

श्री विशेष रविः अध्यक्ष जी, मैं आपका के समक्ष और सदन के समक्ष दिल्ली के विधायकों की एक समस्या रखना चाहता हूँ।

(सदस्यों द्वारा हर्ष प्रकट करते हुए सदन में नारेबाजी)

श्री विशेष रविः नितिन भाई का बहुत–बहुत स्वागत। क्योंकि मेरा ये जो विषय है, वो दिल्ली के विधायकों से जुड़ा हुआ है और अभी दुबारा हमारे साथी जुड़ गए हैं तो मुझे इस विषय को उठाते हुए और खुशी हो रही है कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी का मुद्‌दा बहुत लम्बे समय से लम्बित है और सर 2011 के अंदर आखिरी बार दिल्ली के विधायकों की सैलरी पर विचार हुआ था और अभी 2018 हो गया है। 2016 के अंदर मैं सेलरी और एलाउंस कमिटी

का चेयरमैन था। उस समय हमने पूरे देश के अंदर जो अलग–अलग राज्य हैं, उन राज्यों में मिल रहे विधायकों की सैलरी का आंकलन किया था और पाँच एमिनेंट लोगों की हमने एक कमिटी बनाई थी। ये फैसला हमने खुद भी नहीं लिया था और उस कमिटी पर छोड़ा था कि वो ही अपने आप जाँच करें, वो ही सर्वे करें और देखे कि पूरे देश के अंदर इस समय विधायकों को मिलने वाली सेलरी किस तरह से है और पूरा सर्वे करने के बाद, पूरी जाँच करने के बाद ऐनलाइज करने के बाद उस कमिटी ने ये पाया था कि दिल्ली के जो विधायक हैं, उनको मिलने वाली सैलरी बहुत कम है।

सर, 12,000 रुपये हमारी बेसिक सेलरी है और 53,000 रुपये हमें एलाउंस मिला के मिलते हैं और ये बताने में बिल्कुल भी... ये मुझे बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि जो खर्चा विधायकों का उनके कार्यालयों में होता है, जो उनका आने जाने का खर्चा होता है, जो उनका ऑफिस लाने का खर्चा होता है, शादी ब्याह में जो कन्यादान देने में जो खर्चा होता है, जो और सारे जो खर्चे मिलाकर विधायकों का होता है, वो कहीं दो–ढ़ाई लाख से कम नहीं होता है महीने का और 53,000 के अंदर अपना घर भी चलाना, परिवार भी चलाना, ऑफिस भी चलाना और विधान सभा को भी चलाना, ये लगभग नामुमकिन है। तीन साल सर, हमें हो गए है बने हुए, अभी तक जैसा तैसा ये हम लोगों ने चलाया है लेकिन ईमानदारी की बात तो ये है कि सर आप भी समझते हैं कि ईमानदारी से इस तनख्वाह के अंदर सब कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत ही एक जायज माँग है और क्योंकि संसद ने भी अपने सांसदों की सेलरी बढ़ा ली है। अप्रैल में उनकी सेलरी बढ़ के आने वाली है। हर दो महीने में, तीन महीने में अलग–अलग राज्य अपने–अपने राज्यों की सैलरी बढ़ा लेते हैं और ये फाइल जो विधायकों की फाइल है सर, पिछले छः महीने से, जो मुझे जानकारी है कि लॉ डिपार्टमेंट ने जो ऑब्जेक्शन आए थे होम डिपार्टमेंट

से, उसको क्लीयर करके छः महीने पहले वो दुबारा वहाँ भेजे थे लेकिन छः महीने से होम डिपार्टमेंट उस फाइल को लेकर बैठा हुआ है। उस फाइल को न ही वो, उस पर कोई ओब्जेक्शन बता रहे हैं, न ही उस फाइल को पास कर रहे हैं। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप इसका संज्ञान लें। उस होम डिपार्टमेंट को, आप वहाँ से जानकारी मंगाए और पूछें उनसे कि क्यों वो दिल्ली के विधायकों के साथ भेदभाव कर रहे है? क्यों वो सेलरी की फाइल को लेकर बैठे हुए हैं और जल्द से जल्द आपके माध्यम से या तो आप इस पर संज्ञान लेकर करें और मेरी ये प्रार्थना सरकार से भी है कि सरकार भी इसमें संज्ञान ले, विधायकों की चिंता करे। अगर होम डिपार्टमेंट इसको क्लीयर नहीं कर रहा है तो सरकार कोर्ट में जाए और बात करे विधायकों के लिए कि सरकार इस फाइल को क्यों लेकर बैठी हुई है और डिपार्टमेंट इस फाइल को क्लीयर कराए ताकि विधायकों को उनके हक की सेलरी मिले ताकि वो और अच्छे से क्षेत्र की सेवा करे सकें, बहुत–बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदयः श्री विशेष जी, इसमें एक काम करिए, आप सेलरीज एंड एलाउंस कमिटी के चेयरमैन है...

श्री विशेष रविः 2016 के अंदर, आज...

अध्यक्ष महोदयः आज भी तो कोई तो होगा ना? आप हैं... विशेष जी, आप ही हैं।

श्री विशेष रविः अच्छा, ठीक है सर।

अध्यक्ष महोदयः इसको एक बार जो इससे रिलटेड अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग बुला लीजिए, फाइल का स्टेट्स पूछिए कहां है।

श्री विशेष रविः होम डिपार्टमेंट से, एमएचए को...

अध्यक्ष महोदयः नहीं, जो भी इस फाइल से रिलटेड अधिकारी हैं...

श्री विशेष रविः यहाँ दिल्ली सरकार के?

अध्यक्ष महोदयः हाँ, जो भी इससे रिलटेड अधिकारी हैं।

श्री विशेष रविः ठीक है सर।

अध्यक्ष महोदयः फाइल की पोजीशन क्या है, एक बार बुला लीजिए मीटिंग।

श्री विशेष रविः ठीक है सर, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः हाँ, बाल्यान जी। ...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बस, बाल्यान जी के बाद आपको, बाल्यान जी के बाद, ये विषय पूरा हो जाएगा 280।

श्री नरेश बाल्यानः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री सत्येन्द्र जैन जी से एक गुजारिश है कि 2008 के अंदर जब काँग्रेस की सरकार थी तो काँग्रेस की सरकार ने, कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया था कि अनआथोराइज कॉलोनियों के अंदर तारकोल की रोड की बजाय आरएमसी के रोड बनेंगे और शायद उसका रीजन ये था कि उस समय पानी की निकासी नहीं थी उन कॉलोनियों के अंदर। तो उनका ये मानना था कि तारकोल के रोड जल्दी डेमज हो जाते हैं, तो आज स्थिति बदल गई है। दस साल में सभी कॉलोनियों के अदंर सीवर की लाइनें भी डल चुकी हैं, पीने के पानी की लाइनें भी डल चुकी हैं और जिन कॉलोनियों के अंदर ये सारी सीवर और पानी की लाइनें डल चुकी हैं, तो उन कॉलोनियों में अब तारकोल के रोड बनाने की

परमिशन दी जाए। वो जो ऑब्जेक्शन लगा रखा है कि केवल आरएमसी के रोड बनेंगे उन कॉलोनियों के अंदर और पॉल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा कारण है आरएमसी के रोड, धूल–मिट्टी बहुत उड़ती है तो मंत्री जी...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सदन की अच्छी वक्ता (सुश्री अलका लाम्बा) आ गई हैं, कमी महसूस हो रही थी।

श्री नरेश बाल्यानः सभी साथियों का वेलकॅम है। तो अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि मंत्री जी इस पर जो आरएमसी के रोड़ की बजाय अनआथोराइज कॉलोनियों के अंदर तारकोल के रोड बनाने की पमिशन, जो भी इसका ऑब्जेक्शन है, उसको दूर करें और आने वाले अप्रैल के महीने से जो बजट डीएसआईडीसी को आप दे रहे हैं, उसमें तारकोल के रोड बनाने की परमिशन दी जाए, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः सोमदत्त जी, कुछ कहना चाहते है?

श्री सोमदत्तः अध्यक्ष जी, अभी सोमनाथ जी हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, उसी से जुड़ी हुई एक बात कहना चाहता हूँ। हम सभी साथी यहाँ दो से ढ़ाई लाख लोगों को रिप्रजैंट करते हैं और पब्लिक से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं के लिए हमें अधिकारियों से मीटिंग करनी होती है। मगर अक्सर उन सबका रवैया टाल–मटोल वाला रहता है। समय मिलने में बड़ी कठिनाई आती है जैसे सोमनाथ जी ने खुद अभी बताया डीसीपी ट्रैफिक से इतने महीनों से समय माँग रहे हैं और उन्हें मिल नहीं रहा और इस तरह की समस्या हमें सरकारी अधिकारियों से जन समस्याओं के लिए समय नहीं मिल पाता, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि टाईम बाउंड मैनर के अंदर अधिकारी आएं उन समस्याओं का समाधान करें, इसकी

कोई व्यवस्था बनाई जाए ताकि हम सब लोगों का और पब्लिक की समस्याओं का समाधान हो सके, धन्यवाद, जय हिन्द जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः ये विषय का मैं भी भुगतभोगी हूँ फिर मुझे सख्ती से पत्र लिखना पड़ा, इमीजीएट उत्तर आया, मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कुछ अधिकारी अपने आपको खुदा से ज्यादा समझ रहे हैं, जब विधान सभा के अध्यक्ष का पत्र का जवाब नहीं दिया तो मुझे बहुत कड़ा पत्र लिखना पड़ा। तब इमीजिएट नैक्स्ट डे उत्तर आया। आप अपने पास लिखित में दें या एसएमएस करके जवाब मांगे तो रिकॉर्ड रहे, ये एक बार इमीजिएट कर लें, आपके टेलीफोन पर भी ये असत्य बोल सकते हैं कि मेरे पास फोन नहीं आया था, आप एसएमएस करें और नहीं उत्तर देते हैं, मीटिंग का समय नहीं देते हैं फिर बात करें मेरे से, लिखित में दें। मैं उस पर एक्शन लूँगा निश्चित रूप से।

श्री विशेष रविः मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि सर इसमें अगर लिखित में टाइम माँगने के बाद भी, एसएमएस पर टाइम मांगने के बाद भी अगर अधिकारी जवाब नहीं देते हैं तो हमें माननीय सदस्यों को बताया जाए कि वो कौन सी कमेटी है जिसके अंदर हम इस तरह के मामलों को रैफर कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः आप मुझे दीजिए सीधा, आप मुझे दीजिए सीधा।

श्री विशेष रविः ठीक है सर, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः हाँ दे रहा हूँ, मैं अभी दे रहा हूँ। आप दो मिनट रुकिए, सिरसा जी।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः अभी जो अभी माननीय सदस्य ने विषय उठाया कि हम सभी लोग जैसे आपने कहा अभी खुद भी भुगतभोगी हैं और इसका... क्योंकि चुना हुआ जो नुमाइन्दा है, वो तो अपने इलाके की ही मुश्किलों को लेके और भागदौड़ करता है और अफसर जो हैं, वो दफ्तर में बैठ के अपने

एयरकंडिशनर में बड़े आराम से जवाब दे देते हैं। मेरा इसमें अध्यक्ष जी, एक सुझाव जरूर है कि आप कोई ऐसी कमेटी का गठन जरूर करायें जो इलाके की ग्रिवेंसिस को लेकर हो और उसके अंदर जो इलैक्टिड मैम्बर हैं, वो उसके सदस्य और चेयरमेन हों ताकि आपके यहाँ किसी कमेटी रूम में बुलाकर जो अधिकारी हैं, उसको किसी अधिकार क्षेत्र के अंदर बुलाया जा सके। ये रोज की एक प्रॉब्लम है आज ये नौबत ये है कि अगर आप किसी एक छोटे अफसर को भी फोन कर लो, पहले आप उसको नमस्ते बोलोगे तो वो आपकी बात का जवाब देगा। वरना आप को दस बार अपना नाम बताना पड़ेगा। उसका मकसद ही ये होता है कि मैं तेरा नाम तो जानता हूँ, मैं जानता हूँ तू एमएलए है, तू काम की बात बता ना और आप किस हर से... लड़ तो सकते नहीं हैं। अब हम एक चुने हुए नुमाइंदे हैं पब्लिक को रिप्रजैंट करते हैं। ये रोज की जो इतने आदमी का टॉर्चर है, मैं ये समझता हूँ कि चुने हुए नुमाइन्दों के साथ ये टॉर्चर है। अब पुलिस है या डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन का है या दिल्ली सरकार का है, मैं किसी एक डिपार्टमेंट को, कोई किसी का, किसी तरफ निशान देही करके बात नहीं कर रहा, पर ये रोज की अक्सर की प्रॉब्लम है। आप किसी को फोन, अब चुनावी नुमाइंदा अगर ये फोन करे कि मेरे बच्चे को नौकरी लगा दो, मत सुनो। अगर कोई ये कहता है भई मेरे को कमीशन दे दो तो उसको अंदर करा दो लेकिन भईया, पब्लिक के काम के लिए अगर हम फोन करते हैं, वो भी अहसान करके फोन उठाते हैं और उठाने के बाद ऐसी भावना व्यक्त कराते हैं कि भई हमें तेरी औकात का पता है। अरे! हमें भी औकात पता है, हमारा तो बोलने में कुछ भी नहीं जायेगा, बोल तो कुछ भी हम सकते हैं लेकिन ये प्रक्रिया जो है, कम से कम इनकी या तो कांउसलिंग हो और आप एक ऐसी कमेटी का जरूर गठन करें और ये जो कम से कम आपके इलाके के मुद्दे हैं, हम उनसे बाहर जाके तो कोई काम कहना नहीं चाहते लेकिन ये हमारी सुनवाई तरीके से हो, इसके लिए ये सभी मैम्बर, मैं समझता हूँ, हमारे साथ सहमत हैं इस बात के लिए कि ऐसी कोई कमेटी का गठन होना चाहिए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः हाँ अभी तालियाँ तो बंद हो जायें। डिप्टी स्पीकर महोदया राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़लाः जी सर, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः मिठाई का डिब्बा लायीं हैं।

सुश्री राखी बिड़लाः हाँ जी ।

अध्यक्ष महोदयः मिठाई का डिब्बा लायीं हैं नहीं।

सुश्री राखी बिड़लाः हाँ मिठाई का डिब्बा बिल्कुल है सर, मिठाई रखी है। बस शांत–शांत। सर, सबसे पहले तो बधाई पूरे सदन को और जो सदस्य जो अभी आये हैं, उनको बहुत–बहुत शुभकामनाएं। आज लोकतंत्र की जीत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान लिखा, उसकी जीत और जो एक साजिश के तहत किसी भी न्याय प्रणाली को चरमराने की तोड़ने मरोड़ने की जो एक नाकाम कोशिश रही, आज उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है।

अध्यक्ष महोदयः राखी जी, मैं एक सवाल... इसमें एक सलाह दे रहा हूँ आप मंडे को इस पर धन्यवाद प्रस्ताव लेके आइए।

सुश्री राखी बिड़लाः जी।

अध्यक्ष महोदयः उस पर चर्चा होगी। बस अब।

सुश्री राखी बिड़लाः मैं दूसरे विषय पर खड़ी हुई थी मेरा विषय कुछ और है सर दो दिन से नहीं बोली मैं। सर, मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप इस मेरी गंभीरता को समझिए। मैं दो दिन से क्यों नहीं बोली, मैं ये शब्द बार–बार क्यों दोहरा रही हूँ। अध्यक्ष जी 21 तारीख को ईडब्लूएस की लिस्ट आयी थी। 21 तारीख को लिस्ट आने के बाद तमाम एससीएसटी वर्ग के लोग, गरीब वर्ग

के लोगों के बच्चों के नाम शॉर्ट लिस्ट हुए थे टॉप जो प्राईवेट स्कूल्स के अंदर लेकिन प्राईवेट स्कूलों की ये गुंडागर्दी है कि बच्चों के एडमिशन नहीं ले रहे। मां–बाप को दुत्कारकर, धमकाकर, बेईज्जत करकर गेट से बाहर निकाला जा रहा है लेकिन बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। मेरे पास, खुद के पास पिछले दो दिन में 20 कंपलैंटस रिसीव मैं कर चुकी हूँ और जिस तरह से अभी सदन में साथी विधायकों ने अपना दुःख प्रकट करा कि हम लोग जो अधिकारियों को बुलाते हैं, अधिकारी नहीं आते। 21 तारीख को जब लिस्ट आयी और मेरे पास उस समय चार कंपलैंटस आयी थीं और एजुकेशन डायरेक्टर सोम्या गुप्ता जी इस दीर्घा में मौजूद थी। मैंने अपने चैम्बर में जाकर उन्हें रिटन में एक छोटा सा नोट भेजा कि मैडम ये बहुत इंपोटेंट और अर्जेंट मुद्दा है कृपया करके आप मुझसे आकर मिलें। उन्होंने मुझे लिखकर भेजा, वो स्लिप भी मेरे पास है। मैं अभी सदन के पटल पर रखूंगी मैंने लिखकर भेजा, 'ईटस वैरी अर्जेंट। प्लीज़ कम इमीडिएटली इन माई रूम। और वो लिखकर भेजती हैं कि कृपया आप मंत्री जी को लैटर लिखें, मेरे पीएस को लैटर लिखें, उसके बाद मैं लैटर का जवाब दूंगी। जरूरत पड़ा तो मैं आऊँगी। अध्यक्ष जी, एडमीशन का टाईम चल रहा है और मुझे नहीं लगता यहाँ बैठा हुआ एक भी विधायक ये कह सकता हो कि उनके, उनके विधायक कार्यालय में इस तरह की शिकायतें न आयी हों। सबके–सबके कार्यालयों में अध्यक्ष जी ऐसी शिकायतें आ रही हैं।

अध्यक्ष महोदयः एक सैंकेंड राखी जी, मैं निर्णय दे रहा हूँ।

सुश्री राखी बिड़लाः एजुकेशन डायरेक्टर मुझे विधानसभा के अंदर बोलती है कि आप लैटर लिखिए, मैं तब आऊँगी। लिस्ट में नाम आ गया है लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं हो रहा है।

श्रीमती बंदना कुमारीः लिस्ट में नाम आ चुका है।

अध्यक्ष महोदयः बन्दना जी, जो भी विधायकों के पास ऐसी शिकायत आ रही हैं कि उनका लॉटरी में लिस्ट में लॉट आफ ड्रॉ में नाम आ गया है और स्कूल एडमिशन नहीं ले रहे हैं।

श्रीमती बंदना कुमारीः जी।

अध्यक्ष महोदयः उसकी एक एप्लीकेशन लिखके दीजिए मैं प्रीविलेज कमेटी को वो सौंपूगा। मैं स्कूल के, नहीं, आप लैटर पैड पे लिखके दीजिए, वो पूरा उनका डेटा लगाकर।

सुश्री राखी बिड़लाः मैं वो बात नहीं कर रही। वो तो आपने जो आदेश करा, उसका पालन करेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये जो मैंने सौम्या गुप्ता जी को लिखा रिस्पेक्टिड मैडम।

अध्यक्ष महोदयः ये राखी जी।

सुश्री राखी बिड़लाः ये उन्होंने रिटर्न में, आपने बोला रिटन में जवाब तलब जो होगा, मैंने रिटन में बोला था, 'कृपया मुझसे आकर मिलें।' उन्होंने रिटन में मना किया है।

अध्यक्ष महोदयः वो मुझे दीजिएगा ना, मैंने कहा है, दीजिएगा मुझे।

सुश्री राखी बिड़लाः उन्होंने मुझे रिटन में मना किया है विधान सभा अंदर। सत्र चल रहा है डिप्टी स्पीकर आपको दो मिनट के लिए बुला रही हैं बात करने के लिए, आप मना कर रहे हैं कि मंत्री को लेटर लिखिए, हम तब आएंगे।

अध्यक्ष महोदयः आप मुझे दीजिएगा, मैं करूंगा बात। एक बार आप लिखित में दें मेरे को।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, ये मैटर प्रिविलेज का बनता है, इस पर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदयः आप लेटर पर लिख के मुझे दीजिए।

सुश्री राखी बिड़लाः भई सारे जने मिलके बोलो ये मैटर प्रिविलेज का बनता है, प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए, सारे विधायक मेरे साथ हैं, ये प्रिविलेज का मैटर बनता है। मैं रिटन में आपको दिखा रही हूँ।

अध्यक्ष महोदयः भई! मैं कब मना कर रहा हूँ? आप लिखत में दीजिए तो सही मुझे।

सुश्री राखी बिड़लाः बिल्कुल इसको मैं साथ लगा कर दूँगी, ये प्रिविलेज में जाना चाहिए मैटर।

अध्यक्ष महोदयः आप लैटर में लिख के दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ।

सुश्री राखी बिड़लाः बिल्कुल, बहुत–बहुत धन्यवाद सर।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, भई अभी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं प्राइवेट मैंबर्स बिल हैं, मैंने इतना सुनाया है सब कुछ। आप जहाँ भी ये ईडब्ल्यूएस के मामले के... आपके पास जनता की शिकायतें आ रही हैं, उनसे लिखवा के एक एप्लीकेशन, अपना लैटर लगा के, मुझे दीजिए, मैं प्रिविलेज कमेटी को दूँगा उसको और स्कूल के अधिकारियों को यहाँ बुलाएंगे।

श्री राजेश ऋषिः अब हो क्या रहा है कि जिन लोगों का ईडब्ल्यूएस में हुआ है, वो लोग जब एडमिशन के लिए जाते हैं के.जी. में, तो उनको बोला जाता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंटस तो पूरे हैं, लेकिन राशन कार्ड में बच्चे का नाम नहीं है। जिसका बच्चा हुआ है, तीन साल से राशन कार्ड के अंदर नाम ही नहीं लिखे जा रहे, तो वो कैसे नाम लिखवाएंगे उसके अंदर? इसके कारण कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा जी। सब मना कर दे रहे हैं के.जी. वालों को।

अध्यक्ष महोदयः ऋषि जी, मुझे एक बार, दो–चार केस जो भी मिलते हैं, आप मुझे भेजिए।

श्री राजेश ऋषिः हाँ, मैं ला के देता हूँ ऐसे केस, अपने एरिया से सारे।

अध्यक्ष महोदयः अब नारायण जी हो गया, प्लीज।

श्री नारायण दत्त शर्माः आज बड़ी खुशी का दिन है, हमारे 20 साथियों के लिए, पूरी पार्टी के लिए और हम सबके लिए और आपके लिए। मैं कह रहा हूँ कि इनमें से भी एक भाई को बाहर भेज दिया, उसको भी बुला लो, जब हमारे 20 आ गए तो बुला लो उन्हें भी।

अध्यक्ष महोदयः कोई सदस्य प्रस्ताव रखें, कोई माननीय सदस्य दो लाइन का प्रस्ताव रख दें। सौरभ जी अब प्लीज। कोई भी माननीय सदस्य रख दे।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई ऐसा नहीं है। ये सदन है, इसको इतना वो मत पालिए। हाँ, कोई एक सदस्य। हाँ, प्रस्ताव रखिए कोई सदस्य।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः हमारे विपक्ष के सदस्य उनको क्षमा कर दिया जाए सदन की ओर से।

अध्यक्ष महोदयः मैं सौरभ जी की भावनाओं को समझ रहा हूँ मेरे दिल को भी बहुत पीड़ा है। मैंने परसों बहुत डिटेल में कहा था लेकिन सदन–सदन है।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सौरभ भाई, आपसे परमिशन ले रहा हूँ सब लोगों से, बहुत खुशी का दिन है। वाकई बहुत खुशी का दिन है। कोई बात नहीं, आज क्षमा कर दीजिए एक बार और जो हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथी हैं, हमारी छठी विधानसभा में। मैं इसका प्रस्ताव करता हूँ, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः विशेष जी, कुछ नहीं। छोड़िए, छोड़ दीजिए इस चीज को।

... (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः अरे बड़े हो जाओ, बड़े दिल के लोग हैं हम यार। हम बड़े दिल के लोग हैं। कर दीजिए, माफ कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः सौरभ जी, अब नहीं प्लीज। सौरभ जी, मेरी बात का भी मान रख लीजिए, प्लीज। प्लीज, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ। चलिए,

ये तोमर जी का प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ कहें;

(सदस्यों द्वारा हाँ कहने पर)

ना पूछूँ या नहीं पूछूँ?

नहीं, अब नहीं देखिए, बहुत बोल चुके हैं हम इस पर। इस विषय को अब ड्रॉप कर दो। फिर अच्छा माहौल बन रहा है, उसको बिगड़ जाएगा। पंकज जी।

श्री पंकज पुष्करः अध्यक्ष महोदय, तीन बात कहने की अनुमति दे दीजिएगा, मैं बिना अनुमति के नहीं बोलूँगा। देखिए, माननीय स्पीकर महोदय, देखिए मैंने अपने आचरण में जीवन में पहली बार अपनी सीट छोड़कर तीन कदम आगे बढ़ा। मैंने आपसे निवेदन किया था। मैं अभी भी उस बात पर कायम हूँ आपके स्पष्ट निर्देश और इच्छा के बाद भी मैं और अभी भी कायम हूँ। मैं क्यों? देखिए, ओम प्रकाश जी बिल्कुल मेरे बड़े भाई है। दरअसल ये भूमिका...

अध्यक्ष महोदयः आपने उम्र पूछी है उनकी? पता नहीं, आप बड़े हैं, वो बड़े है।

श्री पंकज पुष्करः सर, कुछ जरूरी बात विजेन्द्र गुप्ता जी, लीडर अपोजिशन की अनुमति चाहता हूँ आप मेरी तीन मिनट बात सुन लीजिएगा। देखिए मैं किसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर कोई गलती छोटी गलती के समय रोक दी जाए। मैं बचपन में बहुत गलती करता था बहुत ज्यादा टॉफी खाता था मुझे किसी ने नहीं रोका, आज मेरे कई दाँत खराब हो गए। अगर कोई बिल्कुल जबरदस्ती रोक देता, मेरा बड़ा हित होता। मेरा निवेदन क्या है...

अध्यक्ष महोदयः भई पंकज जी, अब लंबा न करिए, ये विषय रह जायेंगे। दो महत्वपूर्ण आज विषय लगे हुए हैं।

श्री पंकज पुष्करः मेरी इतनी बात केवल आप सुन लीजिएगा महोदय, कि देखिए महिलाओं के लिए अश्लील शब्द इस्तेमाल करना...

अध्यक्ष महोदयः भई ये फिर कन्ट्रोवर्सी बात आ जाएगी, वो हो चुका। वो विषय आगे आ गया, सजा हो गई उसकी। बैठिए, बैठ जाइए प्लीज। नहीं, अब नहीं। मैं दोबारा से तोमर जी का प्रस्ताव सबके सामने है सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें;

(सदस्यों द्वारा समवेत स्वर में हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता;

प्रस्ताव पारित हुआ।

ओम प्रकाश जी को बुला लिया जाए। चलिए, ठीक है। देखिए ये प्यार का माहौल बना है, इस प्यार के माहौल को हम आगे बढ़ायेंगे। सम्मानीय सदस्यों

का बहुत–बहुत धन्यवाद। अब जरा थोड़ा–सा गंभीर हो जाएं। साढ़े चार बजे चाय के लिए रखेंगे। थोड़ा सा मिठाई–विठाई की भी व्यवस्था की है ना या मंगाई जाए? की है ना या बोला जाए कैंटीन में। आज सदन में अध्यक्ष पूछ रहा है, ये बात पूछते नहीं हैं वैसे। चलिए, ठीक है। अब ओम प्रकाश जी को भी बुला लो मिठाई में सम्मिलित हो जायेंगे। हाँ बोलिए। प्लीज, बोलिए। हाँ लखनऊ में हैं। चलो, उनको मैसेज तो छोड़ दो। हाँ कैलाश जी। भई अब हो गया अब थोड़ा–सा सीरियसनेस में आ जाएं प्लीज। अब श्री अमानतुल्लाह खान, माननीय सदस्य... हाँ कैलाश जी, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री कैलाश गहलोत (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति हो तो...

अध्यक्ष महोदयः देखिए, इस तीन साल में सदन के अंदर आज जितना हल्का–प्यारा माहौल है, आनन्द भी आ रहा है, वैसा हम बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा सब लोग... माननीय विपक्ष के लोगों से भी प्रार्थना है कि... जगदीश जी बनाकर रखते हैं। नहीं बिगाड़ेंगे, चिंता न करो। हाँ गहलौत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे मंत्री जी।

परिवहन मंत्रीः चार क्वेश्चन्स के जो आंसर देने थे, आपकी अनुमति हो तो उसको एक बार।

अध्यक्ष महोदयः हाँ ठीक है। नहीं–नहीं, वो उत्तर जरूरी था। सदन का निर्णय है वो उत्तर देना जरूरी है, प्लीज।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर–41...

अध्यक्ष महोदयः परसों का था जो पेंडिंग किया था, परसों–परसों।

परिवहन मंत्री: तो इसमें 'ग' भाग में वर्षवार जो सूचना माँगी गई थी, वो इस प्रकार है:— 17/1/2017 से आवेदन आमंत्रित, 1/3/2017 आवेदनों की जाँच, 15/6/2017 आपत्तियों को आमंत्रित किया, 28/8/2017 से 10/9/2017 दस्तावेज प्राप्त किए गए, 11/9/2017 आवेदनों की जाँच, 3/10/2017 आपत्तियों का प्रकाशन, 10/10/2017 लेटर आफ इंटेंट जारी करना, 29/11/2017 टीएसआर पंजीकरण और परमिट जारी करना। वर्ष 2017 में कुल 4764 लेटर आफ इंटेंट जारी किए गए उसके बाद 2018 में 10/1/2018 लेटर आफ इंटेंट टीएसआर पंजीकरण और परमिट जारी किए जाते रहे। 29/1/2018 आपत्तियों की जाँच, वर्ष 2018 में 20/3/2018 तक कुल 3936 लेटर आफ इंटेंट जारी किए गए।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद प्रश्न नंबर—48 जिसमें सीसीटीवी की लगाने की जो बात थी और इसमें कहीं कुछ सदस्यों का भी और स्पेशली सिरसा जी ने ये प्रश्न उठाया कि भई 2015—16 में डिप्टी सीएम ने बजट स्पीच में कहा कि सीसीटीवी लगायेंगे और फिर माननीय सदस्य ने कहा कि अगर 8—9 महीने में केबिनेट डिसीजन के बाद भी अगर टेंडर फ्लोट करने में इतनी देरी... तो ये कब तक लगेंगे, पता नहीं। शुरू से लेकर आखिर तक सारे डाक्युमेंट्स और पूरी फाइल देखने के बाद मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि केन्द्र सरकार का जो पूरा रुख रहा कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी लगाइए। निर्भया फण्ड से हम 140 करोड़ 200 करोड़ रुपये देंगे और उसके बाद बार—बार दिल्ली सरकार के लिखने के बाद भी... ईवन जो पूर्व माननीय मंत्री गोपाल राय जी ने भी लिखा। वो पत्र मैं आपको पूरा एक सेट बनाकर आपको सौंपूंगा। एक विभाग केन्द्र सरकार का एमएचए कहता है कि आप इसको ऐसे कर लीजिए और स्पेसिफिकेशन और पुलिस से बात कीजिए कि ये कैसे इन्टीग्रेट होगा। उधर से दिल्ली पुलिस कहती है कि हमारे यहाँ इंटीग्रेशन का कोई

कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आप अपना सीसीटीवी लगाइए और सर्विलेंस जो है, आप खुद कर लीजिए। 12/9/2016 को मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट ने कहा कि project of CCTV camera may be re-examined from technical prospective with regard to its integration with NERS National Emergency Response System and consultation with Delhi Police may be carried out for further improvement in emergency response mechanism. /410/l ट्राँस्पोर्ट डिपार्टमैण्ट दिल्ली पुलिस से मीटिंग करता है और दिल्ली... पुलिस उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं सदन के सामने एक बार पढ़ना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस का जवाब स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को आता है, 'With reference to minutes of meeting held on 26/10/2016 under your chairmanship and your office letter No. So and so on the subject cited above, in this connection I am to state that Sh. Satyawan Gautam, Addl. DCP (Operations and Communications) nominated as technical expert from Delhi Police for tender committee of DTC for evaluation of tendered documents has intimated that National Emergency Response System is proposed to be installed at FC-50 Shalimar Bagh, there is no facility of CCTV integration in proposed system, the CCTV is proposed to be installed in buses may be monitored by Transport Department being owner of the system.' और मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने चिट्ठी में ये आदेश देती है कि दिल्ली पुलिस के साथ लगातार मीटिंग करके इसको इंटीग्रेट किया जाये। ये चिट्ठी है 1/09/2016 की है, डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट आफ इंडिया proposal of NCT of Delhi for GPS/ CCTV installation under Nirbhaya Fund.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान चाहूँगा ताकि कितने गंभीर विषय पे पिछले लगभग 2015 से लेके पूरा 2016, पूरा 2017 निकल गया।

एक तरफ से केन्द्र सरकार बार बार कहती है कि हम महिला सुरक्षा के ऊपर इतना गंभीर हैं, इतने बड़े बड़े ठोस कदम उठायेंगे, पूरा निर्भया फंड का गठन हुआ है और... लेकिन आज तक, आज हम मार्च, 2018 में हैं। 2012 में अध्यक्ष महोदय, ये इंसिडेंट हुआ। and despite categoric commitment of Central Govt., Home Ministry, Women & Child Welfare Ministry और ये बड़े दुःख की बात है कि आज तक एक भी पैसा दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया। ये चिट्ठी है; 12 सितम्बर, 2016 की, डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट आफ इंडिया लिख रही हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, ‘ am directed to refer to your proposal for CCTV under Nirbhaya Fund. it is requested that the project may be re-examined from technical prospective with regard to its integration with NERS consultation with Delhi Police may also be carried out for further improvement in emergency response mechanism.’ तो एक चिट्ठी नहीं हैं, अनेक चिट्ठी लिखी गयी। ये तो मैं सिर्फ आापको जो रिलेवेंट चिट्ठियां हैं और जिसमें इन्होंने अलग अलग डायरेक्शन दी, वो सिर्फ आपके सामने रखीं हैं। despite numerous letters एक चिट्ठी, दो चिट्ठी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी कई बार। माननीय मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, लेकिन उसके बाद भी कोई भी पैसा दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया, तो मैं अपने आप से ये पूछ रहा था बार बार कि ये एक तरफ से सरकार केन्द्र सरकार कहती है कि भई हम फण्ड 140 करोड़ देंगे आपको, लेकिन जब तक ये क्लेरिटी नहीं है कि वो पैसा कहाँ आयेगा, तो उसके बिना... उसके अच्छा हमारा जो कैबीनेट डिसिजन है, उसमें भी निर्भया फण्ड, उसमें भी निर्भया फण्ड लिखा है बार बार। entire cabinet note… entire cabinet decision is based on the Nirbhaya fund. निर्भया फंड की जी वहाँ से पैसा आयेगा, लेकिन कोई पैसा मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार की कोई इच्छा या कोई ऐसी सोच नहीं है कि पैसा देंगे। वो सिर्फ एक निर्भया

फण्ड बनाकर उन्होंने बार बार ये कहा कि हम देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। हारकर, थक कर जब ये हमें क्लीयर हुआ कि ये कोई पैसा केन्द्र सरकार से नहीं आयेगा तो मैंने, अगर सितम्बर, 2016 में जो सीसीटीवी की जो पूरा प्रोसेस था स्पीकर सर, we went ahead with the appointment of the consultant और जो भी देरी हुई, वो उसके कारण हुई। अगर उसमें फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप जो लेटर हैं, कम्युनिकेशन हैं, आप ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः हाँ एक बस शेल्टर।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इसी में सप्लीमेंट्री है।

अध्यक्ष महोदयः हाँ, इसी में का बाकी रह गया था, उस दिन। बस शेल्टर का। आज खुशी का दिन अनाउंस कर दीजिए मंत्री जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मेरा सीसीटीवी पे है, मैं सीसीटीवी पे पूछ लूँ पहले। इसी में मेरा अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदयः अभी कुछ बाकी रह गया, अभी करता हूँ। नहीं, एक सेकेंड वो बस शेल्टर का और उनको बता दो।

परिवहन मंत्रीः इसी में बंदना जी का एक क्वेश्चन था, रोड सेफ्टी पे। जितनी भी स्टेट्स ने रोड सेफ्टी कमेटी पॉलिसी जो बनाई हैं, अभी तक वो सारी डॉक्यूमेंट कंपाइल कर लिये गये हैं and I have directed Transport Deptt. कि वो एक हफ्ते के अंदर पूरा उसका कंपरेटिव एनालिसिस करके they will place it before the hon'ble House. बस क्यू भोल्टर से पहले एक क्वेश्चन नंबर 52।

अध्यक्ष महोदयः पहले बस शेल्टर का बता दीजिए, सभी विधायक खुश हो जायेंगे। फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।

परिवहन मंत्रीः बस क्यू शेल्टर, स्पीकर साहब, काफी डिस्कसन हुआ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड... ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारी सरकार के दौरान ही ये टेंडर जो हैं, फेल हुए। पूरा अगर देखें तो 2013 से ये सिलसिला चलता आ रहा है। 2015 में सरकार आयी। इसमें स्पीकर साहब, I have directed Transport Commissioner कि एक हफ्ते के अंदर जो भी ऑप्शन हैं कि रवेन्यू शेयरिंग छोड़कर जो भी दिल्ली सरकार से पैसा चाहिए within one week from today, they will come up with the proposal और हम क्वॉलिटी या जो बस क्यू शेल्टर का साइज है, उससे हम कोई कम्परोमाइज नहीं कर रहे हैं। I am 100% sure क्योंकि इन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल दिया है, जो माइल्ड स्टील्स स्ट्रक्चर का पाउडर कोटेड का है, लेकिन उसमें साईज जो है, बस क्यू शेल्टर का, छोटा है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार से अगर आउटर दिल्ली के या दिल्ली देहात के जो भी और जो विधान सभा हैं, उसमें हम एक प्रकार के लगायें और जो अर्बन एरियाज हैं, उसमें एक प्रकार के बस क्यू शेल्टर तो within one week, I have directed Transport Commissioner to explore all the options and bring up with the proposal, जिसमें हम ये जितने भी 1397 बस क्यू शेल्टर हैं, जो हमारे खराब हालत में हैं, तो वहाँ कुछ कुछ जगह नहीं हैं।

... (व्यवधान)

परिवहन मंत्रीः नहीं, मैंने बोल दिया आपको ही। ...मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी...

श्रीमती बंदना कुमारीः हर विधान सभा में जो फण्ड देने की ...।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः ऐसे ही दे दो।

अध्यक्ष महोदयः मैं...

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः तो बन जायेंगे।

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेण्ड, मेरा ये कहना है कि मंत्री जी, एक हजार जो भी आपने संख्या बताई है, उसका ब्रेक–अप कर दीजिए। सौ का, डेढ़ सौ का शेल्टर का तुरंत कर दीजिए इंतजाम। उसमें लंबा समय नहीं लगेगा, फिर उसके बाद करते रहिये लंबा।

परिवहन मंत्रीः नहीं सर, उसमें मैं सिर्फ स्पीकर साहब, मतलब आपके सामने रख रहा हूँ कि इसमें मीटिंग की बात माननीय सीएम साहब से भी हुई है तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें इश्यू पैसे का नहीं है सिर्फ और इसमें मेंटेनेंस हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो कम्पनी है, वो खुद करेगी उसको। तो वो वाला इश्यू जो रिजोल्व कर दिये हैं within a week's time, you will come with a proposal.

अध्यक्ष महोदयः विदिन ए वीक।

माननीय मंत्रीः जी।

अध्यक्ष महोदयः चलिये।

परिवहन मंत्रीः उसके बाद सोमनाथ जी। हां, सोमनाथ भाई का एक सवाल था। क्वेश्चन नंबर 52 तो इसमेंः

क) मालवीय नगर विधान सभा के आंतरिक भाग में स्थित कॉलोनियों में तीन मेट्रो स्टेशन ग्रीन पार्क, हौजखास, मालवीय नगर से निम्नलिखित मिनी बस प्रचालन में हैं। एमएल104 मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन वाया मालवीय नगर, खिडकी गांव, साकेत, शेख सराय फेज–2, चिराग दिल्ली, विदेश संचार, साउथ सिनेमा नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन दो बसें सुबह छः बजे से रात साढ़े नौ बजे तक 32 फेरे प्रचालन में हैं। इस बस सेवा के द्वारा इन विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित कॉलोनियाँ जुड़ती

हैं, तो इसमें अध्यक्ष महोदय, बस स्टॉप का नाम, दूरी और मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने वाले कॉलोनियों के नाम भी मेन्शन्ड कर दिया गया है, अगर आप चाहें तो मैं पूरा ये पढ़ने को तैयार हूँ। कॉपी मैं दे दूँगा आपको। सिमिलरली नहीं, इसमें सुबह छः बजे से लेके रात 9.30 बजे तक 32 फेरे जो हैं, वो चल रहे हैं। एफ 504 में सदर से खानपुर, एम्स मेट्रो स्टेशन। पूरी कापी दे दूँगा। ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन, हौज खास मेट्रो स्टेशन, आई.आई.टी.गेट, पी.टी.एस. मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन, साकेत मार्केट, एशियन मार्केट–खानपुर, एक बस सुबह 6.00 बजे से रात नौ बजे तक 14 फेरे परिचालन में है। और इसमें भी हमने पूरा बस स्टॉप का नाम, दूरी और कौन–कौन से कालोनियों को वो जोड़ रहे हैं, वो सारा दे दिया है। इसमें पूरा डिटेल इस बार हमने बना दिया गया है। 'ख' में भी इसमें आपको पूरा।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। ये उत्तर दे दीजिए।

परिवहन मंत्रीः पूरा दें देंगे।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, इसको लम्बा न करो प्लीज।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने बताया है कि कैबिनेट डिसीजन जो हुआ था सीसीटीवी कैमरे के बारे में। 'क' के लिए उसका जो कन्सलटेण्ट अप्वाइन्ट हुआ है, वो नौ महीने बाद हुआ है और उसकी देरी का कारण के केन्द्र सरकार है। ये जवाब हमें लिखित में डिपार्टमेन्ट से चाहिए। तो मंत्री जी कष्ट करें कि इनका डिपार्टमेन्ट लिखित में ये जवाब...

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, ये सारे जवाब एक बार लिखित में दे दीजिए। फिर हम इसको किस कमेटी में कैसे एडजस्ट करना है, वो हम देखेंगे। सिरसा जी का इससे...

श्री सोमनाथ भारतीः माननीय मंत्री जी, चूकि जो आपने बताया है, बस के फेरे बताएं हैं।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। आपसे पहले सिरसा जी की बारी थी। प्लीज, अभी सिरसा जी पहले खड़े हुए थे, एक मिनट।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मंत्री जी ने अभी जो जानकारी दी। विषय कल यही था जो अभी इन्होंने बताया कि डिले क्यों हुआ। लेकिन उन्होंने आधा सत्य बताया। आधा सत्य मैं बता दूँ। अध्यक्ष जी, ये 2015 के अन्दर जब ये...

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः ये मंत्री है।

... (व्यवधान)

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः क्या बात है यार! ये कोई तरीका है बात करने का अध्यक्ष जी? फिर आप कह रहे हैं, अच्छी माहौल में बात करो। अच्छे माहौल में! क्या बात करें!

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, इसमें आपको कुछ गलत लगता है?

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः हम कुछ भी नहीं बोल सकते जी। मेरे मुँह पर टेप लगा दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः आपका कोई क्वेश्चन है, तो उस पर क्वेश्चन करें।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: मैं क्वेश्चन ही तो बताने लगा हूँ।

अध्यक्ष महोदय: क्वेश्चन इसमें से निकाल लीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: भई, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आप।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: मैं यही तो क्वेश्चन तो कर रहा हूँ। आप सुनोगे तो सही पता चलेगा। आपको मेरे बोलने से पहले पता है, मैं क्या बोलूँगा?

अध्यक्ष महोदय: सिरसा जी, आपने जो भाषा बोली ना, उस पर कह रहा हूँ।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: अध्यक्ष जी, ये बोलना मेरा फर्ज है भाई। मैं अपोजिशन का मेम्बर हूँ। अपनी बात को बताना मेरा फर्ज है।

अध्यक्ष महोदय: आपका क्वेश्चन क्या है।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: मैं क्वेश्चन ही बताने लगा हूँ। आप क्वेश्चन सुनो और मंत्री जी को कहें, इसका जवाब रिटेन में दें। मैं क्वेश्चन ही बोले जा रहा हूँ।

श्री सौरभ भारद्वाज: सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: हाँ, सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन ही पूछ रहे है। अध्यक्ष जी, सवाल ये है बता रहे है। 12/9/2016 को ये मैंने बताया कि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से इनको चिट्ठी आयी।

श्री सौरभ भारद्वाज: सवाल पूछो।

अध्यक्ष महोदयः पूछ रहे हैं, दो मिनट रूको सौरभ जी।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मेरा ये कहना है कि ये 2015 में अनाउन्समेन्ट हुई। 2015 से लेके 12/9/2016 तक क्या इन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये सवाल ये है कि ये 15 मार्च, 2015 को ये दिल्ली डायलॉग कमीशन को दे दिया गया था काम। ये काम दिल्ली डायलॉग कमीशन को दिया गया था। मैं पढ़ देता हूँ। Delhi Dialogue Commission busy to set up...

अध्यक्ष महोदयः अब क्वेश्चन, सिरसा जी क्वेश्चन निकालो।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं बता रहा हूँ न। मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः हाँ, क्वेश्चन पूछो ना, सीधा क्वेश्चन।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं सवाल ही तो पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः आप पूछिए, क्या दिल्ली डायलॉग को ये दिया गया था।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः तो मैं यही तो पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा क्या है? सवाल ही तो पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः भाई, क्वेश्चन पूछिए। क्या दिल्ली डायलॉग को ये दिया गया था?

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः ये सवाल ही तो पूछ रहा हूँ तरीके से सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। सीसीटीवी की टॉस्क फोर्स बनायी गयी मार्च, 2015 में।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भाई सोमनाथ जी, ऐसे नहीं। प्लीज। सिरसा जी, आप इस पर क्वेश्चन करिए।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं सवाल... मेरे को एक बार बोलने दें। आप कह दीजिए, सवाल नहीं है। जब मैं बोलूँगा तो सवाल ही तो बोलूँगा। एक बार मुझे बोलने ही नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदयः इस पर, ये दिल्ली डायलॉग कमीशन को दिया गया था। हाँ, ये क्वेश्चन करिए न।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः हाँ, वही तो कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः करिए, करिए।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं डेट के साथ बता रहा हूँ। मार्च, 2015 को दिल्ली डायलॉग कमीशन को...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भाई सौरभ जी, भाई सोमनाथ जी ये कोई तरीका नहीं है। ये कोई... मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है। प्लीज। मैं रोक रहा हूँ। सोमनाथ जी, ऐसे नही। प्लीज बैठिए। सोमनाथ जी, बैठिए। विजेन्द्र जी, मैं रोक रहा हूँ। मैं रोक रहा हूँ उनको। सोमनाथ जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जगदीश जी, मैं रोक रहा हूँ उनको। मेरे से बात करिए। सोमनाथ जी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उनको एक क्वेश्चन कर लेने दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या है करिए। चलिए। भाई सौरभ जी, अब आप नहीं बोलेंगे।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: मार्च, 2015 में दिल्ली डायलॉग कमीशन को ये काम दिया गया। टॉस्क फोर्स। प्रश्न ही तो है।

अध्यक्ष महोदय: हाँ, प्रश्न क्या है?

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: यही तो प्रश्न है। मार्च, 2015 में जब काम दिया गया तो दिल्ली डायलॉग कमीशन ने इस काम को क्या पूरा किया? कौन सी कोर्ट दी? ये मैं सवाल ही तो पूछ के बता रहा हूँ, सवाल ये लिखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, क्वेश्चन हो गया ना।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: दिल्ली डायलॉग कमीशन जो है, वो इसके लिए प्रूफ ऑफ कन्सर्ट का काम करेगा तो हमारा पूछना ये है, मंत्री से सवाल तो यही है। क्या दिल्ली डायलॉग कमीशन को काम दिया गया? दिया गया दिल्ली डायलॉग कमीशन को काम तो उसने काम को क्यों नहीं किया? उसकी रिपोर्ट कब तक आयी और आप अगला बताएंगे तो अगला सवाल बता दूँगा।

परिवहन मंत्री: स्पीकर सर, मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो रेलिवेन्ट लैटर्स थे, वो मैंने पढ़े। अगर वो चाहते हैं तो मेरे पास और दस लैटर्स हैं जो केन्द्र सरकार को लिखे हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि वो दिल्ली डायलॉग कमीशन ने प्रूफ ऑफ कन्सर्ट बनाना था। जब तक केन्द्र सरकार से पैसे नहीं आएंगे, आप हवा में लगाएंगे सीसीटीवी? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट कहाँ से लगाएगा सीसीटीवी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है!

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा: अध्यक्ष जी, मेरा अगला सवाल ये है कि 29/9/2016 की भी रिकमनडेशन...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः इसमें आपकी जो भी इन्क्वायरी है, मुझे लैटर दे दीजिए। सिरसा जी, आपकी जो भी इन्क्वायरी है, मुझे लैटर दे दीजिए।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः The propsal has not been examined as this commission is the same… with further appropriate action at your end... अध्यक्ष महोदया।

अध्यक्ष महोदयः आप मुझे महोदया नहीं, महोदय।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मेरे पंजाबी में महोदया है। अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि...

अध्यक्ष महोदयः आप मुझे लिखके दे दीजिएगा। मैं इसको पूरी जांच करवा लूँगा।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं अन्त में एक बात कहके अपने सवाल को खत्म कर दूँगा यहीं पर। एक लास्ट मेरी बात है। मेरा अन्त में ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट आयी। ये कह रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट है। अध्यक्ष जी, इसकी रिपोर्ट भी पटल पर आयी और आपको सुनकर बड़े हैरानगी होगी।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वो रिपोर्ट किसकी है।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हँ। आप मुझे राईटिंग में दे दीजिए, मुझे ये सब। बात सुनो। हमारे विषय रह रहे हैं। ये सारा समय खराब हो जाएगा। अब बैठिए। मैं इसको बन्द कर रहा हूँ। कैलाश जी, बैठिए।

परिवहन मंत्रीः मैं कुछ और कह रहा हूँ स्पीकर सर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरा कैबिनेट डिसीजन, पूरा कैबिनेट नोट इस बेसिस पर बना कि निर्भया फण्ड से पैसा आएगा। तो पूरे सदन से और इस पूरी दिल्ली की

जनता के सामने ये मैं रखना चाहता हूँ कि अगर केन्द्र सरकार से आज भी पैसा नहीं आया तो क्या हम ये टेन्डर रोक दें अभी। और वेट करते रहें कि केन्द्र सरकार से पैसा कब आएगा। क्योंकि उनका तो अभी भी कोई अफर्मेटिव ऑन्सर नहीं है। एम्पॉवर्ड कमेटी का कुछ आब्जरवेशन है। there is not even a single word, there is not even a single letter, there is not even a single document that says ki central govt. will give money. तो फिर ये झूठ का पूरा पुलिन्दा कहां से?

अध्यक्ष महोदयः सदन की कार्यवाही आधे घण्टे जल पान के लिए स्थगित की जाती है।

सदन अपराह्न 5.07 बजे पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

(ध्यानाकर्षण, नियम–54)

अध्यक्ष महोदयः ध्यानाकर्षण, नियम–54 के अंतर्गत अब श्री अमानतुल्लाह खान, माननीय सदस्य ''दहलीज पर राशन उपलब्ध कराने की योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब'' के संबंध में माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री अमानतुल्लाह खानः सर, पुष्कर जी बोलेंगे?

अध्यक्ष महोदयः हाँ जी, पुष्कर जी, बोलिए।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, और सदन के सभी वरिष्ठ माननीय सदस्य, धन्यवाद अमानतुल्लाह भाई मुझको आदेश देने के लिए। सर, मैं सबसे पहले तो आज बहुत ही अभूतपूर्व दिन है। एक तो शहीदी दिवस है,

पूरे देश में शहीदों का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाली विधान सभा के सदस्य होने के नाते, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ और आज आपके मार्गदर्शन में शहीदी दिवस मनाया है।

दूसरा अभूतपूर्व दिन है कि आज लोकतंत्र की गरिमा की स्थापना का बहुत बड़ा काम न्यायालय ने किया है। सत्य हमेशा जीतता है और सत्य की जीत में जब–जब देरी होती है, तो वो सत्य को और मजबूत करने के लिए होती है, यह आज सिद्ध हो गया। हमारे सभी 70 के 70 सदस्य आपकी गार्जियनशिप में आज और भी ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लोकतंत्र में और न्यायपालिका में हमारा विश्वास, हमेशा की तरह गहरा है और गहरा हुआ है।

इस मौके पर आज एक बहुत गम्भीर मसले पर चर्चा करने का तय हुआ है लेकिन इससे पहले दो पंक्तियाँ जरूर, मेरे वो सारे मित्र, जो कि बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से इस सदन से दूर रखे गए कुछ दिन के लिए, उनके बारे में दो पंक्ति जरूर मुझे याद आती हैं किः

फ़लक को जिद्द है जहाँ बिजलियाँ गिराने की

हमें भी जिद्द है, वहीं आशियाँ बनाने की।

सर, अब मैं सीधे–सीधे अपने बहुत ही माननीय उपराज्यपाल महोदय के संदर्भ में, एक चर्चा हमारे अभिभाषण के साथ शुरू हुई और आज का जो संदर्भ है; 'डोरस्टेप डिलिवरी ऑफ द राशन', जो कि खाद्य का जो अधिकार है, फूड का जो अधिकार है, उसका अनुपालन करने की एक सबसे ऐतिहासिक कोशिश से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सारा मामला आता है, यह मैं कहना चाहूँगा कि यह पूरे संविधान के जो मूल अधिकार हैं, इज्जत के साथ जीने का अधिकार, राइट टू लाइव डिग्निटी, गरिमा के साथ जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले में हमें अपने माननीय

उपराज्यपाल महोदय के विवेक, उनकी संवेदनशीलता पर बहुत गहरा विश्वास है। हो सकता है कि किसी मामले पर कभी हमारे बुजुर्ग, हमारे अभिभावक हैं, उनकी राय कुछ समय के लिए अलग हो। हममें से बहुत लोग युवा हैं। हम सीधे सीधे सरदार भगत सिंह के सपने देखते हैं। उनको, हो सकता है सपने वो थोड़े से दूसरे आते हों। वो जिस भवन में रहते हैं, निश्चित रूप से वहाँ कुछ और अंग्रेज उप–राज्यपालों की आत्माएं भी रहती होंगी। तो हो सकता है, उसका कुछ असर हो। वो उसी सिविल लाइन में रहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ एक समय हिन्दुस्तानी और कुत्ता उसका प्रवेश वर्जित था। माननीय महोदय, लेकिन आज पूरा माहौल बदला हुआ है। आज लोकतंत्र की जीत का दिन है, न्याय की जीत का दिन है और हम उस शानदार दिल्ली के आज नागरिक और विधायक हैं जिसका मुखिया संविधान के गार्जियन उप–राज्यपाल महोदय हैं तो हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि, हमारे वो मुख्यमंत्री महोदय हैं। हमारी विधानसभा के उस गौरवशाली इतिहास को स्थापित करने वाले हमारे जो स्पीकर महोदय हैं, माननीय महोदय, आपने आज मेरे मत को नहीं माना लेकिन मेरे मत को नहीं माना, मेरा सम्मान आपके प्रति और गहरा हो गया है। पूरे देश के इतिहास में ऐसा स्पीकर नहीं मिलेगा जो कि चार सदस्यों के विपक्ष को इतना सम्मान देता हो। आज आपने, आज अध्यक्ष महोदय आपके हस्तक्षेप से, आपने धीमी आवाज के हाँ पक्ष को जीता दिया। आपने केवल ऐसा अभूतपूर्व कीर्तिमान केवल आप इतना बड़ा हृदय...

अध्यक्ष महोदयः पुष्कर जी, आप चर्चा पर आइए प्लीज। समय सदन का... छः बजे बैठक भी है, चर्चा पर आइए।

श्री पंकज पुष्करः मैं बिलकुल, आपका आदेश सर आँखों पर। माननीय महोदय, केवल जो मुद्दा है, उस पर आते हुए सबसे पहले तो मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि ये जो सीधे सीधे जो राशन से जुड़ी तकलीफें हैं, मैं उस

पर आऊँगा और मेरी आवाज माननीय उपराज्यपाल महोदय तक पहुँचे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन अपने दिल की गहराई से जो आशीर्वाद देंगे। आज भी वो दिल से जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल हैं लेकिन शायद 'कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी कोई यूँ ही बेवफा नहीं होता' तो मुझे संदेह उनसे मिलने वालों पर है जिनकी सलाह पर वो चलते हैं। मुझे थोड़ा सा संदेह अगर है तो उन पर है। उपराज्यपाल महोदय का विवेक उनका न्यायबोध सर्वोपरि है। इसीलिए मैं अपने दिल की पीड़ा, अपनी दिल्ली की जनता की पीड़ा उन तक पहुंचाना चाहता हूँ और ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा, मेरे से पहले बहुत हुए।

माननीय महोदय 2011 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर एक विजिलेंस कमेटी गठित हुई। 2011 की बात है। बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जज जो हैं, उस मानिटरिंग कमेटी में रहे। उसकी जो बातें हैं, मैं आपके सामने, सदन के सामने कुछ रखना चाहूँगा लेकिन सबसे पहले बिल्कुल उस जनता की आवाज आपके सामने रखूँगा जिस जनता ने इस विधानसभा को प्राण दिये हैं। जिस जनता ने अपना हुक्म देकर यहाँ भेजा है। मैं ये भी माननीय महोदय रखना चाहूँगा क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें कि एलजी साहब थोड़ा सा अलग सोच रहे हैं। वो नहीं सोच रहे, उनके सलाहकार उनको मजबूर कर रहे हैं, ऐसा सोचने के लिए और हमारे सीएम साहब और हमारी दिल्ली विधानसभा के सारे के सारे सदस्य थोड़ा अलग से सोच रहे हैं। माननीय सीएम साहब ने कहा कि हमारी थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा लेकिन वो पता नहीं, किसकी सलाह में थे, उन्होंने मिलने का भी समय देना उचित समझा लेकिन ये जो मसला है, ये जो मामला है, हमारे मीडिया के बंधु तक भी एक बार... उसी जगह पर खड़े होकर हमारे सीएम साहब ने कहा कि दिल्ली के मालिक हम हैं। मीडिया इतनी गलत तरीके से इस बात को तोड़ता मरोड़ता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मालिक हूँ, उन्होंने दिल्ली की विधानसभा की तरफ से ये बात कही कि हम

चुने हुए लोग दिल्ली की बात को कहने वाले हैं, वो नौकरशाही नहीं जो एक इम्तेहान से आती है। वो बहुत वरिष्ठ हैं, वो बहुत प्यारे हैं, हमारे बहुत सम्मान के पात्र हैं लेकिन दिल्ली की जनता की आवाज उनके मार्फत नहीं आती, वो ये कह रहे थे।

तो आज इस बात को दोहराने की जरूरत है। राशन के मामले में ये सीधे सीधे मनुष्य की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है जो थोड़ा सा किसी कारण से गरीब है, उसको हम जीने का हक नहीं देंगे तो राशन का अधिकार जो कि भारत के संविधान का निर्देश है, आजादी की लड़ाई के बाद का हमारा धर्म है, फर्ज है कि हम किसी को भूख से नहीं तड़पने देंगे। उसकी इज्जत का हनन नहीं होने देंगे। ये एक संवैधानिक फर्ज है। 2011 की माननीय महोदय, मैं सबसे पहले आपके सामने रख दूँ कि सुप्रीम कोर्ट अप्वाइंटेड सेन्ट्रल विजिलेंस कमेटी क्या कहती है, 'Corruption is all prevasive in the entire chain involved in the PDF, it continues to remain a formidable problem. It is true that some officers are doing a good job but then most of the functionaries under them in the department are typically calllous and resort to corrupt practices.' ये सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्याय प्रतिष्ठित जो distinguished कमेटी है, वो कहती है। आगे वो कहते हैं, The central government gives a whooping Rs. 28 thousand crores annually to the state to subsidize scoop for the poor but till the recommendations of the committee are put in place, the poor will go on suffering at the hand of corrupt official, dishonest fair price shop owners, treacherous, transporters and possibly to a large extent and to unscruplous millers as well.'

ये 2011 में कहा, सुप्रीम कोर्ट अप्वाएंटेड कमेटी ने कहा। हमारा सत्ता प्रतिष्ठान क्या कर रहा था? उसके बाद की सरकारें क्या कर रही हैं? किस

राज्य सरकार ने तकलीफ उठाई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए उसकी कमेटी के आदेश को मानते हुए, वो ये सुनिश्चित करेगी इस 70 साल के इस शर्म को, इस 70 साल की गलती को सुधारेगी और वो एक एक घर में जायज हर व्यक्ति को राशन मिले, वो सुनिश्चित करेगी और नाजायज जो हटता है, जो डॉयवर्जन होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो कि हर कोई जानता है लेकिन किसी ने सहायक नहीं किया। हमारी शायद, कल्पनाओं में हमारी ताले पड़ गये। अब बहुत सारे सलाह देने वाले अड़चन देने वाले आ जाते हैं लेकिन किसी ने नहीं निकाला। एक दिल्ली की विधानसभा ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के खाद्य मंत्री ने तय किया, वो समस्याएं क्या हैं।

अध्यक्ष महोदयः पुष्कर जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री पंकज पुष्करः बार बार ये देखने में आता है कि धक्के खाते हैं। राशन की दुकानें समय से खुलती नहीं हैं। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। बहुत ही बड़े स्तर पर मिलावट की शिकायत हैं। एक के बाद एक यहाँ पर समिति बनानी पड़ी। क्वाँटिटी कम देते हैं। इतनी गहरे स्तर की, हर तरह की शिकायतें हैं। एक के बाद एक और इसकी सैकड़ों स्टडीज हैं लेकिन ये नहीं कर सके।

मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र का एक केस बताता हूँ और वो कोई 80 साल का एक बुजुर्ग उसकी 75 साल की महिला वहाँ पर वो दो लोगों का परिवार राशन के लिए तड़पते हैं। चार चार बार दुकान पर जाते हैं।

अध्यक्ष महोदयः पुष्कर जी, अब कन्क्लूड करिए इसको प्लीज, प्लीज कन्क्लूड करिए, अब समय नहीं है।

श्री पंकज पुष्करः मेरी भावना आ गई है सदन में और सदस्य कुछ बातें कहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण इस पर डिस्कशन होना है लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूँगा महोदय, कि ये संविधान के प्रति जो हमारा फर्ज, धर्म था उसको निभाने

का मामला है। देखिये, कानूनी पेंच फंसाने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं। अगर काम करने का इरादा हो तो उसके तरीके निकाले जा सकते हैं। मैं यहाँ से आपके माध्यम से एलजी महोदय तक ये अपील पहुँचाना चाहता हूँ, अपने मुखिया और नेता विपक्ष दोनों के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि ये लोगों के पेट पर लात मारने का जो राजनैतिक कारोबार है, ये बंद किया जाए। उसका उपाय लंबी किसी समय सीमा में नहीं, तत्काल निकाला जाए और ये सुनिश्चित करें। आज ही हम एक संकल्प लेकर उठें कि ये डोर स्टेप डिलीवरी आफ राशन का काम ये निश्चित रूप से हमको करके देना है। अगर ये, हम इसी सदन में, इसी सत्र में अगर हम इसका संकल्प बिलकुल प्रभावी तरीके से नहीं कर पाते हैं तो फिर हम अपनी संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे होंगे। हम जनता के आदेश का उल्लंघन कर रहे होंगे। तो मैं अपने मुख्यमंत्री को याद करते हुए दो पंक्ति कहकर, बात जल्दी पहुँच जाती है। जिन मुख्यमंत्री महोदय, उप—मुख्यमंत्री महोदय ने अद्भुत रूप से सुंदर बजट दिया है, तो इस तकलीफ से भी हम पार निकलेंगे। जनता की आंकाक्षाओं को पूरा करेंगे। मैं दो पंक्ति कहकर बैठ जाना चाहता हूँ कि हर... और आप समझ जाएंगे के अरविंद केजरीवाल जी किस तरह से हकदार हैं इन पंक्तियों के: 'हर मुसीबत का दिया एक तबस्सुम से जवाब, अध्यक्ष महोदय, मुस्कान तबस्सुम मायने मुस्कान,

'हर मुसीबत का दिया इक तबस्सुम से जवाब,

इस तरह गर्दिशे दौराँ को रुलाया तुमने।

इस तरह गर्दिशे दौरां को... तो जो जो भी जनता के खिलाफ जाने वाली आवाजें हैं, वो चुप होंगी। उपराज्यपाल महोदय का दिल पिघलेगा। उनके सच्चे न्यायबोध के सच्चे हकदार दिल्ली विधानसभा के इस तरफ बैठे हुए वो सदस्य हैं, जो कि नौजवान हैं। शहीदों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ये बात उन तक पहुँचे ताकि सनद रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, प्रकाश जारवाल जी।

श्री अमानतुल्लाह खानः सर अमानुतुल्लाह है।

अध्यक्ष महोदयः अभी कर देता हूँ एक बार जारवाल जी। अभी देता हूँ मैं।

श्री अमानतुल्लाह खानः सर, मेरा ही तो था पहले। मेरा नाम था पहले।

अध्यक्ष महोदयः आपका नाम अभी इनके बाद ले लूँगा न। मैंने आपका नाम तो सबसे पहले लिया था। हाँ, अभी मैं समय देता हूँ आपको अमानुतुल्लाह जी। मुझे ध्यान में है।

श्री प्रकाश जारवालः अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यानाकर्षण नियम 54 में मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं अपने सभी 20 साथी विधायकों को पहले तो बधाई देता हूँ और अध्यक्ष जी आज ये राशन के विषय में बोला जा रहा है। मुझे आज बड़ी पीड़ा है आज सत्र चले चौथा दिन हो रहा है और राशन को लेकर एक पूरा वाकया घटनाक्रम हुआ, उस पर चर्चा नहीं हुई। उसमें जो भी साजिश हुई, उसमें जो हम प्रताड़ित हुए। मुझे नहीं लगता... विधायक साथी मुझसे पूछते हैं कि भई, वो 19 फरवरी की रात को क्या हुआ था। मुझे नहीं लगता, आपको भी शायद पता होगा! न किसी सदन के साथी को पता है, और बड़ा दुःख होता है कि पूछते हैं कि शायद मारा होगा आपने चीफ सैक्रेट्री साहब को। तो इस तरह का षडयंत्र पूरा जो रचा गया, अध्यक्ष जी, राशन के ऊपर था। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सदन के माध्यम से मैं सब को बताना चाहता हूँ कि देवली विधान सभा से मैं आता हूँ। वहाँ लगभग ढ़ाई लाख वोटर्स हैं। गरीब जनता रहती है। दलित

पिछड़े, अति पिछड़े और गरीब लोग जो राशन पर निर्भर रहते हैं, जिनका घर राशन से ही चलता है। कइयों का तो घर... कि राशन मिलेगा तो घर में चूल्हा चलेगा। तो ये समस्या बार–बार आई। मैंने कई बार... इमरान हुसैन खाद्य मंत्री हैं, उनसे भी कहा कि साहब, इस तरह की समस्या आ रही है कि लोगों के बॉयमैट्रिक पर वो मैच नहीं हो पा रहा। कई राशन दुकानदार धाँधली करते हैं। एक किलो चीनी कम देंगे। दो किलो राशन कम देंगे। कब दुकानदार शटर लगाकर चले जाएंगे। इनसे भी कहा कई बार। अपने डिविजन के एसी को भी कई बार लिखित में चिट्ठियाँ दीं। और 19 फरवरी को एक मिटिंग होती है। मैं सदन के सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, उन्हें पता चलना चाहिए कि उस मीटिंग में क्या हुआ। उसमें चीफ सैक्रेट्री साहब आए और हमने राशन की बात रखी कि साहब डोर स्टैप राशन होना चाहिए। जो बीच की धांधली है, उससे जनता को राशन नहीं मिल पाता, वो राशन मिले। और मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि वो किसी षडयंत्र से चीफ सैक्रेट्री साहब आए। मेरे कई साथियों ने एक–एक करके बातचीत करी और उन्होंने ये जबाब सीधे मुझे दिया, अजय दत्त जी को दिया, अमानत भाई को दिया कि I am not answerable to you. I am only answerable to LG.' और उसके बाद उन्होंने जो जातिवाचक सूचक शब्द कहे उस पर मैं नहीं जाना चाहता, सदन के माध्यम से। और एक षडयंत्र होता है नैक्स्ट डे, दो बजे रात को उसी समय एजली साहब के घर मिटिंग होती है। कमिश्नर ऑफ पुलिस आते हैं चीफ सैक्रेट्री साहब बैठते हैं। रात के दो बजे मिटिंग होने के बाद सुबह नौ दस बजे कम्पलेंट होती है, एक बजे एफआईआर होती है और रात के नौ बजे एमएलसी चीफ सैक्रट्री साहब की होती है और मुझे गिरफतार कर लिया जाता है। उसी रात नौ बजे गिरफ्तार कर लिया जाता है कि आपने चीफ सैक्रट्री साहब को पीटा। मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगले दिन अमानत भाई को कर लिया जाता है और कई विधायकों पर आरोप लगा दिया जाता है। अध्यक्ष जी वो मुद्‌दा सिर्फ राशन का था कि

गरीब जनता को राशन मिले। जो लोगों को राशन नहीं पहुंच रहा। दुकानदार दुकान बंद कर देते हैं। चीनी कम मिल रही है। लोगों के फिंगर प्रिंट मैच नहीं कर पा रहे हैं बजुर्ग आदमियों के। ये सिर्फ इतना मुद्दा था। मगर मुझे लगता है, वहाँ एक पूरा षडयंत्र था कि जैसे तैसे सरकार को गिरा दें। कुछ विधायको को सीएम साहब को... इन्वॉलव कर दिया उसमें। अध्यक्ष जी, बडी पीड़ा हुई। मतलब ये लगा लीजिए आप कि राशन के मुद्दे पर हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। ठीक, उन्होंने मुझे जेल भेज दिया। अध्यक्ष जी, मैं विधायक बनने से पहले एक एमएनसी में जॉब करता था। मैं इसलिए विधायक नहीं बना था कि मैं किसी अधिकारी को पीटूँगा। जैसा कि वो सारी मीडिया और अधिकारियों ने, सबने आरोप लगा दिया। मैं यहाँ जनता की आवाज उठाने आया था। मैं जनता की सेवा करने आया था। मैं जनता के काम करने आया था। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मुझे किस से कितना शिष्टाचार करना चाहिए। मैं दूसरी बार विधायक बना, ऐसे ही नहीं बना। जनता ऐसे ही सर आँखों पर बैठाकर अपनी आवाज के लिए यहाँ सदन में भेज देती है? ऐसी ही नहीं भेज देती। अध्यक्ष जी, जो सैक्शन, जो धाराएं लगाई गई, इतनी मामूली थी उसमें मतलब खून की सजा चाहे वो अधिकारी का हो चाहे विधायक का हो, सजा उतनी ही होती है। मगर उसके लिए हमें प्रताड़ित किया गया। पहले एमएम साहिबा ने कहा कि आप हिस्ट्री शीटर हो। पहली जजमेंट आती है। फैसला सुनते हैं कि आप हिस्ट्री शीटर हो। अध्यक्ष जी, मैं विधायक बनने से पहले मेरे ऊपर एक केस नहीं था। जब विधायक बना चार साल हो गए, चार साल में पांच केस। किसी का भी षडयंत्र; चाहे ओपोजिशन का हो, दिल्ली पुलिस का हो, लगा–लगाकर हमें जेल भेज दिया। मैं दूसरी बार जेल गया हूँ। अध्यक्ष जी, अभी 6 फरवरी को आप मेरी शादी में भी आए थे, शादी थी मेरी। मतलब मैं सोच सकता हूँ कि मैं शादी के बाद किसी चीफ सैक्रट्री को... उसका परिणाम मैं नही जानता। इस तरह से षडयंत्र रच कर हमें भेज दिया गया। अब मैं वहाँ जब जेल में से

देख रहा था तो मैंने सोचा ये अपने हिन्दुस्तान का लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि जनता मालिक है। हम सेवक हैं और जितने भी यहाँ बैठे विधायक हैं, सब सेवक है और ये जो यहाँ जो बैठे नौकरशाह नौकर हैं। जनता के काम के लिए एग्जाम देकर, पढ लिखकर आईएएस ऑफिसर बनते हैं कि साहब, जनता का कोई, विधायक के थ्रू कोई काम आएगा तो हमें करना है। मगर ये क्या कर रहे हैं! ये कर रहे है कैंडल मार्च। ये राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे है कि साहब, जब कि इनमें से कोई मौजूद नहीं है। इस सरकार का सारा काम रोक रहे हैं। विधायकों का आज... पूरा मैं आज देख रहा था। दो दिन से सब इतने दुःखी है कि कोई अधिकारी फोन उठाने को राजी नहीं है। अध्यक्ष जी, हम चुनकर आएं हैं। लोगों ने हमें वोट दिया है और जनता हमसे काम चाहती है। हम चुनाव में जाएंगे, जनता को हम जवाब देंगे। हम आफिस में बैठते हैं, हम जनता को जवाब देते हैं कि साहब, हमारा राशन नहीं मिल रहा, हमारी पेन्शन नहीं मिल रही। ये देना अगर इतनी राजनीति का शौक है तो छोडें ना ये और आएं, राजनीति में आएं, ये छोड़ दें। हम कहते हैं, अगर ये काम करने को तैयार हैं। मैं राजनीति छोडता हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये काम कर लें। ये जनता के लिए पानी ला दें। ये जनता का राशन दे दें। मुझे दुःख है अध्यक्ष जी, कि जिस तरह की ये राजनीति... ये सारी आईएएस लॉबी... पूरा दिल्ली को ठप्प करने की इन्होंने कोशिश करी और जिस तरह से ये व्यवहार अभी कर रहे हैं। विपक्ष के हमारे साथी सिरसा जी बोल रहे थे कि ये फोन अकड़ में उठाते हैं कि चाहे छोटा सा जेई हो। हाँ, होगा विधायक का, होगा तो होगा। इस तरह के आज... इनके मन में इतनी ऐसी भावना विधायकों के प्रति आ रखी आ रखी है। इसका एक मैसेज जाना चाहिए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ये दो से ढ़ाई लाख रुपये सैलेरी महीना लेते हैं। बंगला लेते हैं, अलग–अलग डिपार्टमेंट से एक–एक गाड़ी लेते हैं। एक बीबी के अलग, बच्चे के लिए अलग, पैरेंन्टस के लिए अलग, एक इनके लिए। और कहते हैं हम संडे को काम नहीं करेंगे।

तो भई, संडे को गाड़ी भी छोड़ दो। क्यों गाड़ी ले रखी है? क्यों दफ्तर ले रखा है? क्यों बंगलो ले रखा है? सैलेरी भी मत लो। हम तो 24 घंटे 365 दिन जनता की सेवा में लगें। इनका परिवार, परिवार है, हमारा परिवार कुछ नहीं है। हम अपनी सारी चीजें छोड़ दें। अध्यक्ष जी, ये बंद कमरे में एसी में बैठकर निर्णय लेते हैं। जनता के लिए लें तो बहुत अच्छा है। मुझे दु:ख है अध्यक्ष जी, जिस तरह से ये सदन में सभी विधायकों की भावना को ठेस पहुँचा रहे हैं और ये काम नहीं करना चाहते।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए, प्लीज। समय की सीमा है मेरे साथ।

श्री प्रकाश जारवालः अध्यक्ष जी, एक वाकया और बता रहा हूँ मैं आपको। इसी दो महीने पहले मेरी विधान सभा में एक राशन की दुकान निकली। मैं क्यों परेशान था, क्यों मंत्री जी से मिला, क्यों सीएम साहब से इस मुद्दे पर मैंने राशन के लिए बात की कि एक मेरे इधर काँग्रेस का पूर्व निगम पार्षद था। उसने भी एप्लीकेशन डाल दिया और वो पूरी विधानसभा में ये मैसेज था कि दुकान तो मैं ही लाऊँगा राशन की। मतलब इसमें धाँधली होती है। वो कह रहा है दुकान तो मैं ही लाऊँगा। तो किसी ने पूछ लिया, 'कैसे लाओगे भई?' तो उसने कहा कि मेरा तो रिश्तेदार है आर.के. मीणा सैक्रेटरी और अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूँ, वो दुकान वो ही लेकर आया। के. आर. मीणा सॉरी। अध्यक्ष जी, वो ही पूर्व निगम पार्षद दुकान लेकर आया। मेरा ये कहना है कि जिस तरह की ये जो साँठ–गाँठ है राशन माफियाओं से। सीधा सैक्रेटरी साहब की इस पर जाँच होनी चाहिए। ये जितना बड़ा राशन माफिया सैक्रटरी साहब से जितने अधिकारियों से नीचे से ऊपर तक मिला है, इस पर जाँच होनी चाहिए अध्यक्ष जी। और अध्यक्ष जी, मैं बस इस पूरे सदन को बताना चाहता हूँ। कई लोग मुझे साइड में लेकर जाकर पूछते हैं कि क्या वाकई में मारा था। कईयों के मन में डाउट है। कई पब्लिक भी पूछ लेती है कि भई... पब्लिक तो ये कह देती है

कि अगर भई जनता का काम नहीं कर रहा था। मैं पब्लिक का बता रहा हूँ तो कम मारा... जनता की... इसमें मेरी नहीं है, तो कम मारा। ये जनता के हैं, मेरे नहीं हैं। अध्यक्ष जी, मैं यह कहने को तैयार हूँ कि अगर इन अधिकारियों में से जनता का जो काम नहीं करेगा, चाहे मुझे सौ बार जेल जाना पड़ा मैं सौ बार जनता के लिए जेल जाऊँगा। अध्यक्ष जी, मैं बस आपको सदन के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि मैने चीफ सैक्रेटरी साहब को बिल्कुल नहीं मारा और न ही उन्हें हाथ लगाया। उन्होंने, जो हमने बदसलूकी की, वो मैं रखूँगा, वो मैने दी भी है, इसकी शिकायत दी हुई है जो इस पर परिणाम निकलेंगे, देखेंगे। मगर अध्यक्ष जी, में आप लोगों को बताना इस सदन के माध्यम से चाहता हूँ। मैने उन्हें इतना सा भी हाथ नहीं लगाया और मैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट में बैठा था। मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं, कैसे उनसे व्यवहार करना है, मैं आज भी मिला तो मैने नमस्ते किया, ऐसे हाथ जोड़कर। अध्यक्ष जी, बस यही कहना चाहता हूँ कि बस, ये जो चल रहा है, सरकार जिस हिसाब से ये बाबू लोग चलाना चाह रहे हैं, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। अगर इन्हें लगता है कि ये काम करना चाहते हैं तो भई आप कर लो हम राजनीति छोड़ते हैं। मैं छोड़ दूँगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक जनता का पानी दिलवा दें, ये जनता का राशन दिलवा दें, ये जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं दिलवा दें ये सारी चीजें दिलवा दें। अध्यक्ष जी, बस यही मुझे कहना था और ये ही बस लास्ट में कन्क्लूड करूँगा कि ये जो 'डोर स्टेप डिलीवरी राशन की' .. वो एलजी साहब से भी इस सदन के माध्यम से दरखास्त करूँगा, उसे जल्द से जल्द लागू करके जनता के हित में, पूरी दिल्ली के लोगों को फायदा पहुँचे, बस इतना ही कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। बहुत–बहुत धन्वाद, बहुत–बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदयः इस मुद्दे पर बोलने के लिए मुझे मनोज जी से भी रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है लेकिन समय की सीमा हैं, मैं रोक रहा हूँ प्लीज।

अमानतुल्लाह जी। पानी के मुद्दे पर मैं आपको रख लूँगा, आप तैयारी कर लीजिए। अमानतुल्लाह जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए, ज्यादा नहीं, मनोज जी बोलिए, एक मिनट में। बस मनोज जी के बाद अमानतुल्लाह जी, उसके बाद विजेन्द्र जी, फिर माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अब नहीं, अब देखिए ना, समय भी तो है ना।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः राखी जी, 6 बजे आप लोगों को जाना है। फिर कहेंगे, हमको जाना है। ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि इस राशन जैसे गंभीर मुद्दे पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए तहेदिल से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और जैसा अभी बताया राशन में जितनी बड़ी धांधलियां हैं, वो इन एक भी अधिकारियों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नीचे से ऊपर तक की कड़ी को बता सके। कहीं न कहीं बीच में एक एजेंट टाइप का आदमी बैठता है जो सारी व्यवस्थाएं चलाता है। राशन दफ्तर के बाहर एक आदमी होता है जो सारे काम कराने के लिए होता है। जब इन अधिकारियों से बात करें कि ये आदमी कैसे बैठा हुआ है, ये कैसे अंदर आकर के काम कर देता है, आप कैसे इस आदमी को अनुमति दे देते हो? तो वो ये कह देते हैं कि इस सरकार के काम में कोई भी आकर के हैल्प कर देता है, हैल्पर टाइप में है, जनता का सेवक है, करके चला जाता है। लेकिन ये नहीं बताते वो लोग

कि ये वही लोग हैं जो राशन की दुकानों से जाकर के अवैध वसूलियाँ करते हैं। क्यों करते है? 2014 का किस्सा है अध्यक्ष जी, मेरे ऑफिस के बाहर एक रोड से तीन ठेले बोरियों के भर के जा रहे थे राशन के। मैं अपनी बाईक से निकला तो मुझे लगा कि उस पर टैग लगा हुआ था, अब मैंने वो टैग देखकर के वो रिक्शे रोके। रोकने के बाद क्या होता है, मैं एफएसओ को फोन करता हूँ, इंस्पेक्टर को फोन करता हूँ, एसी को फोन करता हूँ, तब कहीं जाके डेढ़–दो घण्टे में वो आते हैं। पुलिस को फोन करता हूँ, पीसीआर वहाँ आ जाती है। उन तीनों रिक्शों को लेकर के थाने ले जाया जाता है। रात के 9–10 बजे तक उनको रखा जाता है और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ये लिख के दे देते हैं कि ये राशन सरकारी गल्ले का नहीं है, प्राइवेट का है। अगर ये प्राइवेट का गल्ला था तो उसमें वो टैग कैसे था, वो लेबल कैसे था, जो एफसीआई से आता है? वो बोरियाँ कैसे उन तक पहुँची जिन पर नम्बर लिखा होता है? लेकिन जब जाँच करवाई तो कहीं न कहीं आपस में षडयंत्र के साथ उन्होंने वो बहाल कर दिया कि हाँ जी, इस दुकान पर से राशन चोरी नहीं हुआ। मैंने पूरे दिन दो बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक थाने में बैठकर के रिपार्ट लिखानी चाही लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ एक लाईन लिख दिया कि जी, ये सरकारी गल्ले का राशन नहीं है और ये बोरियां तो बाजार में कबाड़ियों की दुकान पर मिलती हैं, कोई भी लेकर राशन भर के बेक सकता है। इस तरह का करप्शन है अध्यक्ष जी, उसके अंदर!

राशन अच्छा आता है एफसीआई से लेकिन ये दिखाते है गाड़ी कहीं पे खड़ी होकर के, राशन कहीं उतरता है और गंदा राशन भरकर के बेक दिया जाता है। न समय से दुकानें खुलती हैं, न समय से राशन बाँटा जाता है और अगर कोई व्यक्ति जाता है तो बार–बार उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक दिन गेहूँ बाँटा जाएगा तो दूसरे दिन फलानी तारीख को इतने बजे दुकान खुलेगी तो राशन में चावल बंटेगा। मिस कर दिया तो उसका कोई लेखा–जोखा नहीं

है। जब हम पे ये कार्यभार दिया गया कि राशन की दुकानें ठीक चलनी चाहिए, सुचारू चलनी चाहिए, राशन ठीक से मिलना चाहिए, मैं और मेरे जो कमिटी के मैम्बर थे, हमने दुकानों पर जाना शुरू किया। हमने दुकानों को देखना शुरू करा कि राशन ठीक से बंटता है कि नहीं बंटता है। उनके लेजर पूरे नहीं हैं, बिल वो किसी का काट के ठीक से नहीं देते हैं। नीचे वो वजन कम तोलते हैं। इंस्पेक्टर बुलाया जाता है, जाँच की जाती है, उसको समय दिया जाता है कि अपना लेजर ठीक कर दे, एक घंटे में कर दें। हम यहाँ बैठे हैं, दो घंटे में, तू दो घंटे में लेजर ठीक करके हमें दे दे, हम तेरी दुकान छोड़... परंतु नहीं, उनके पास अगर कहीं पर कोई सिस्टम हो, ईमानदारी से राशन बेका हो या बांटा हो तो वो कुछ ठीक कर सकते हैं। नहीं किया जाता, उसके बाद रोकने के लिए दुकानों को सील कर दिया जाता है। सील करने का दायित्व न कोई विधायक कर सकता है, न कोई मंत्री सील कर सकता है। अगर दुकानें सील कर सकता है तो एक अधिकारी सील कर सकता है, वो भी जब, जब उसके गल्ले के सारे पेपर पूरे न हों, उसका रजिस्टर ठीक न हो, उसका लेजर ठीक न हो, तब वो सील की जाती हैं दुकानें। कोई भी हम में से आदमी सील नहीं कर सकता लेकिन हम पर आरोप लगा दिया जाता है कि ये पैसे उगाही करने के चक्कर में दुकानें सील करते हैं। सिर्फ इसलिए कि राशन में धाँधली जो चलती आ रही है, वो लगातार चलती रहे।

मेरा एक केस कोर्ट में पहुँचा। वहाँ जज साहब खुद कहने लगे कि मैं दिल्ली का पैदा हूँ, दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, मुझे पता है तुम लोग चोरियां करते हो। मैं तुम्हारे 20 साल के एकाउंट निकलवाऊँगा कि तुम्हारे पास इतनी सम्पत्ति कहाँ से आई। सारे बौखला जाते हैं।

राशन की दुकान जो लेता है, वही व्यक्ति राशन की दुकान चला सकता है। वो ठेके पर नहीं दे सकता। लेकिन 90 प्रतिशत दुकानें ठेके पर चल रही

हैं। एजेंट उनको चला रहे हैं। मेरे कुछ केस कोर्ट में हैं, वहाँ पर जज साहब ने जब पूछा तो कहता है जी, मैं तो ठेकेदार हूँ, मैंने तो ठेके पर दुकान ली हुई है। उसमें जज साहब कहते हैं कि इस पर एफआईआर करो। एक–एक आदमी पर चार–चार, पाँच–पाँच दुकानें हैं। ये अगर 'डोर स्टेप डिलीवरी' शुरू हो जाती तो इन अधिकारियों का क्या घिस जाता, किसी जनता के ये पेट में...

अध्यक्ष महोदयः करिए मनोज जी, कन्क्लूड करिए, ठीक है।

श्री मनोज कुमारः मैं अध्यक्ष महोदय, यहीं कहना चाहूँगा कि ये डोर स्टेप जो डिलीवरी है, एलजी महोदय इसे पास करें ताकि हर व्यक्ति को समय से पूरा राशन उसके घर में, ईमानदारी से मिल सके ताकि ये करप्शन बंद हो सके। लेकिन ये इस करप्शन को बंद किसी सूरत में करेंगे नहीं, क्योंकि इन्हीं की दुकानें खुद की चल रही हैं। खुद के राशन वालों से ये खूब पैसा उगाही होता है, इसीलिए ये करना नहीं चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा सदन के सामने कि ये 'डोर स्टेप डिलीवरी' जो शुरू की जा रही है सरकार द्वारा, तो इसको मंजूरी दें एलजी साहब, जनता के हित में काम करें ताकि एलजी को भी जैसे दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री साहब को प्यार करती है, वैसे उनको आशीष भी करें अगर ये जनता के साथ ऐसा धोखा करेंगे तो इनके भी आगे बहुत सारी चीजें हैं, जो इन्हें भी देखनी हैं। आदमी को कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा और ये 'होम डिलीवरी' शुरू हो ताकि ईमानदारी से राशन उस गरीब परिवार तक, उसके मुंह तक वो निवाला पहुँच पाए। बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदयः बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री अमानतुल्लाह जी।

श्री अमानतुल्लाह खानः अध्यक्ष जी, इस अहम इशू पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया कि पूरी दिल्ली के अंदर तकरीबन

72,38,000 लोग जो हैं, राशन लेते हैं और आज पूरी दिल्ली के अदंर हा—हाकार मची हुई है। क्योंकि 1 जनवरी से इन लोगों ने तमाम राशन की दुकानों पर बॉयोमैट्रिक की मशीनें लगाई और आधार से लिंक किया। वहाँ पर ये लोग अँगूठा लगाकर के जो है, राशन देते हैं लेकिन एक आदमी, जो गरीब आदमी है, राशन वो ही लेता है। तो वहाँ पर वो सुबह में 6 बजे, 7 बजे लाइन पे लगता है। 9 बजे, 10 बजे उसको मालूम होता है कि आज दुकान खुलेगी नहीं, तो वो अपने घर चला जाता है। जो वो नौकरी भी छोड़ देता है वो, क्योंकि नहीं जाता है सुबह में। अगले दिन फिर वो आता है तो वो देखता है कि दुबारा आया कि मशीन जो है बहुत स्लो चल रही है, 10—20 लोगों को उसने राशन दिया, उसके बाद उसको नहीं मिलता वो चला जाता है तो तीसरे दिन आता है, तो वो जाता है बॉयोमैट्रिक पे, उसका नम्बर आ जाता है तो वो अँगूठा लगाता है तो उसका अँगूठा मैच नहीं करता क्योंकि गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी है, उसका अँगूठा जल जाता है, घिस जाता है और वो लिंक नहीं होता है, उसका मैच नहीं होता तो उसको राशन नहीं मिलता और क्योंकि जो गरीब आदमी है, दलित है, मुस्लिम है, पिछड़ा है, दिल्ली में अक्सरियत इन्हीं लोगों की हैं जो राशन लेते हैं और ये इसी राशन पर मुनासिर है इनकी जिदंगी। अगर इनको एक महीना या अगले जिस दिन, जिस महीने राशन मिलता है अगर उस हफ्ते, पहले हफ्ते में अगर इनको राशन नहीं मिलता तो इनके घर में खाना नहीं बनता है।

मेरी विधान सभा में मुस्लिम हैं और दलित हैं और गरीब हैं, वो सारे के सारे, तकरीबन 38,000 लोग जो हैं मेरे यहाँ राशन लेते हैं। तो हर दिन जब मैं सुबह में अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ तो मेरे यहाँ 500,—600—700 लोग सिर्फ इसी काम के लिए आते हैं भैया, तुम ये क्या स्कीम लेकर आए हो। हमारा अँगूठा मैच नहीं करता अगर हम दुकान पर जाते हैं तो लम्बी—लम्बी लाइनें लगी होती

हैं। हमें राशन नहीं मिलता और मेरे बड़े सारे विधायकों से, सबसे ये बात होती है कि जब ये बॉयो मैट्रिक स्कीम आई है, पहले तो दुकान ही नहीं खुलती थी, अब हमने कहा कि घर–घर लोगों के राशन पहुंचे 'डोर स्टेप डिलीवरी' लेकर आओ। उसके लिए हमने शुरू किया तो ये उसको तो लेकर नहीं आए, ये एक नई बॉयोमैट्रिक स्कीम ले आए कि मशीनें लगा दी और उससे सारे विधायक पीड़ित हैं, परेशान हैं क्योंकि ये हम लोगों की जवाबदेही है, जनता के बीच में हम जाते हैं और जनता हमारे पास आती हैं, अधिकारियों के पास तो जनता नहीं आती है। ये तो ऐसी के अंदर बैठे होते हैं जैसे अभी प्रकाश ने कहा, अपनी बात बताई। ऐसे ही हमारे पास ये सारे लोग आते हैं और ये स्कीम के लिए हमने सारे अधिकारियों से बात की, कई मर्तबा सीएम साहब से बात की और हमारे कैबिनेट ने इसको अप्रूवड कर दिया। एलजी साहब के पास भेजा। अब एलजी साहब की, पता नहीं, क्या मजबूरी है, पता नहीं क्या लालच है, पता नहीं, वो क्यों दलितों के, मुस्लिमों के, गरीबों के वो दुश्मन हैं। क्यों इस स्कीम को पास होने नहीं देते और विजेन्द्र गुप्ता जी यहाँ बैठे है, अभी इनका मेरे बाद में बोलने का मौका आएगा। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि भई आप क्यों गरीबों को घर–घर राशन मिले, उसकी मुखालफत करते हो? आप नहीं चाहते? आज एक आदमी अपने घर में राशन मंगाना चाहता है, अमीर आदमी जिसके पास पैसा है तो वो सब्जी भी बाहर से मंगा सकता है, वो दाल भी बाहर से मंगा सकता है, वो टीवी भी बाहर से मंगा सकता है, वो पिज्जा भी बाहर से मंगा सकता है। जो हकदार है, जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, वो क्या राशन अपने घर से नहीं मंगा सकते? क्या आप गरीब को गरीब देखना चाहते हो? आप गरीब जो है, अपने राशन... जो वो खाने के लिए राशन लेता है, आप चाहते हो कि वो लाइन में लगा रहे। लाइन में राशन ले। वो अपने अंदर उसके अंदर ये अहसास रहे कि तू गरीब है, तू कमजोर है, तू दलित है, तू पिछड़ा है, तू मुस्लिम है, तू अपने खाने के लिए राशन लाइन में ले रहा है। तो हम उस चीज को खत्म करना चाहते

हैं कि गरीब का भी हक है, उसका हिस्सा है कि उसका वो हिस्सा, वो उसके घर जाना चाहिए। ये कहते हैं कि इसके अंदर कमियाँ हैं। हाँ, हो सकती हैं कि कमियाँ हों, आज बायोमेट्रिक के अंदर कमी है। दुकानों के अंदर कमियाँ थी। बहुत सारे काम शुरू किये जाते हैं, उसके अंदर कमी होती है, सरकारें आती हैं गलतियाँ करती हैं। लेकिन मकसद ये तो नहीं है कि उसे हटा दिया जाता है। एलजी साहब के अंदर बड़ी सारी कमियाँ हैं। ये आपोजिशन के लीडर हैं, इनके अंदर भी बड़ी सारी कमियाँ हैं, तो इन्हें हटाया तो नहीं गया ना। हम मानते हैं कि होम डिलीवरी जो स्कीम हम लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर भी कोई कमी होगी लेकिन आप उसको लागू तो करो। कमी अगर होगी तो उसको दूर करेंगे। जैसे–जैसे कमियाँ आती जायेंगी, आपके साथ बैठके उसको दूर करते जायेंगे। लेकिन क्या गरीब का हक नहीं है कि उसके घर में उसको राशन मिले? गरीब भूखा मर जाये! गरीब को राशन न मिले, गरीब तड़पता मर जाये! उसके बच्चे भूखे रहें, आप इस बात में खुश हो। कांग्रेस वाले, भाजपा वाले, एलजी साहब क्यों नहीं चाहते कि गरीबों के घर में ये राशन मिले? मैं बात करूंगा 19 मार्च की जिसमें मैं भी उस मीटिंग के अंदर था, 19 फरवरी की, जिसमें मैं भी उस मीटिंग के अंदर था। हम, मैं कई मर्तबा इमरान से और सीएम साहब से हम बात कर चुके थे कि हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ खासकर ओखला में थी। तो मुझे बताया गया कि भई आज आप आ जाओ मीटिंग में। राशन का मुद्दा आपका स्पेशल है। हमें नहीं पता था कि मीटिंग में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। मैंने कहा जी, किस वक्त आना है? कहने लगे कि भई 11 बजे के बाद आ जाओ। हम वहाँ सवा ग्यारह बजे पहुँच गये। हमें मालूम हुआ कि साहब, सीएम साहब ने हमें बुला लिया। पता लगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से मैंने पूछा कि मेरे यहाँ दलित और मुस्लिम रहते हैं। 38 हजार कार्ड हैं मेरे यहाँ। लाखों लोग राशन पर मुनासिर हैं। लोगों को

ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम चालू हुआ है, इससे राशन नहीं मिल रहा है। हमारे घरों में धरने दे रहे हैं। मेरे यहाँ चार–पाँच दिन से मुस्तकिल धरने हो रहे थे। मैंने कहा भई, क्यों आप ये जो, जो घर पहुचांने वाले राशन स्कीम है, इसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? तो वो गुस्से से बोले कि मैं आपके यहाँ, आपके नाम से जवाब देही नहीं है। आपको जवाब नहीं दूंगा। एलजी साहब को जवाब दूँगा। हम लोग जब जनता के जवाबदेही हैं, हम लोग ये चीफ सेक्रेटरी साहब, हम जब जवाबदेही जनता के हैं, हमारी सरकार है, लोगों ने हमको चुनकर भेजा, हमारा सीएम है। हमारे मंत्री हैं और उसी सरकार के जब ये चीफ सेक्रेटरी हैं, फिर ये हमारी बात के जवाबदेही क्यों नहीं हैं? लोग कह रहे हैं कि रात में 12 बजे आपने क्यों बुलाया? क्यों नहीं बुला सकते भई! जब हम 12 बजे जा सकते हैं, जब हम एक बजे जा सकते हैं, जब हम दो बजे जा सकते हैं तो अगर इतना अहम मुद्दा है; हड़ताल हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं तो 12 बजे हम क्यों नहीं बुला सकते? सरकार बुला सकती है। जब एक एमएलए को सीएम बुला सकता है तो चीफ सैक्रेटरी को क्यों नहीं बुला सकता? जब 11 एमएलए को सीएम बुला सकता है, जब डिप्टी सीएम को सीएम बुला सकता है तो एक चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं बुला सकता? चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा प्रोटोकॉल है। हमारा ऊपर का प्रोटोकॉल है, बड़ा प्रोटोकॉल है। लेकिन क्या हो गया एक एई, एक जेई, एक इलैक्ट्रीकल इंजीनियर एक सैक्रेटरी आज पैर की जूती समझते हैं हमें, एमएलएज को। कुछ नहीं मानते हमें, हम चुनकर आये हैं। लाख–लाख वोट हासिल करके हम आये हैं। हमने अपने घर छोड़े दिये, अपने रिश्तेदार छोड़ दिये। हम बरबाद हो गये। हमारे कारोबार खत्म हो गये। लेकिन हम जनता की सेवा कर रहे हैं और साथ में हमें क्या मिला मुकद्दमे, जेल हमारी इस विधानसभा के बहुत सारे साथी हैं जो कहते हैं कि अमानतुल्लाह गुंडा है। अमानतुल्लाह उस मीटिंग में अगर था, तो चीफ सेक्रेटरी

को बुलाने का मतलब ही नहीं होता। अरे! अमानतुल्लाह इंसान नहीं है क्या? अमानतुल्लाह के बारे में उसकी विधानसभा में जाकर पूछो कि अमानतुल्लाह को लोग क्या समझते हैं। जिस कम्युनिटी से मैं ताल्लुक रखता हूँ, उस कम्युनिटी के अंदर पूछो के अमानतुल्लाह क्या है। अमानतुल्लाह का नाम आया, आपने मान लिया कि अमानतुल्लाह ने जरूर मारा होगा। पुलिसवाला कह रहा है कि नहीं, जनाब हो सकता है तूने ना मारा हो लेकिन अमानतुल्लाह ने जरूर मारा होगा। मुझसे भी कह रहा है कि साहब, आप ही का नाम क्यों आया? मैंने कहा भई, मेरा नाम इसलिए आया कि तुमने मुझपे इतने सारे फर्जी केस लगा दिये। टीवी पे मुस्तकिल चला, मेरा नाम ले दो, यकीन हो जायेगा। अभी वो कह रहे हैं विजेन्द्र गुप्ता, इसको कह रहे हैं, ये नहीं होगा लेकिन तू जरूर होगा, मेरे तरफ उँगली करके कहा इन्होंने। आपको कितनी बार मारा मैंने, बताओ? ये कपिल मिश्रा बैठा है, इसको कितनी बार मारा मैंने, बताओ? ये बतायें? कितनी बार मारा तुझे? मेरी टोपी पहनने में इसको एलर्जी है। ये कहे मुस्लमान हो रहा, वोट नहीं लेगा, ये बता दे ये? हैं, मैं अगर टोपी पहनता हूँ तो इसको एलर्जी है। मैं मुस्लमान हूँ इसको एलर्जी है।

अध्यक्ष महोदयः अमानतुल्लाह जी, व्यक्तिगत नहीं करिये आप। व्यक्तिगत मत करिये प्लीज़। व्यक्तिगत मत करिये। बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने रोक दिया है अभी। कपिल जी, बैठिये, आप बैठिये। कपिल जी। कपिल जी, बैठ जाइये प्लीज़, बैठ जाइये।

श्री अमानतुल्लाह खानः तो ये आज ये माहौल बना दिया कि आम आदमी पार्टी के एमएलएज गुंड़े हैं। आम आदमी के पार्टी के एमएलएज अधिकारियों को डाँटते हैं, आम आदमी के पार्टीज अगर कमेटी में अधिकारियों को बुलाते

हैं तो उनके साथ बद्तमीजी करते हैं। कहाँ बद्तमीजी करते हैं? आम आदमी के पार्टी का एमएलए सबसे ज्यादा शरीफ है। जनता में जाकर पूछो, ये तो बेचारे नेता से नहीं हैं। ये तो शरीफ से लोग हैं, ये तो मासूम हैं, कमजोर हैं। इनपे तो राजनीति करनी नहीं आती। ये सिर्फ काम करते हैं, लोग ये कहते हैं और अधिकारी और भाजपा वाले और पुलिस वाले कहते हैं, 'गुंड़े हैं।' सीबीआई इनके पास एण्टीक्रप्शन इनके पास, पुलिस इनके पास, आईबी इनके पास, गुंड़े हम हैं! मार हम रहे हैं। हमारे सीएम के पास आप जाते हो, उनके कैमरे देखते हो। सीएम के घर में जाते हैं, पूछते हैं, 'पेण्ट कब हुआ था।?' पेण्ट से क्या लेना–देना? पेण्ट का क्या करेगा? सीएम कहां बैठे थे, तुम कहां बैठे थे? तुमको 12 बजे क्यों बुलाया?' पुलिस वाले हमसे पूछते हैं। तो अगर हमने राशन की बात की तो क्या गलत बात है? हमने कहा कि गरीबों के घर में राशन पहुँचना चाहिए तो क्या बात की? विजेन्द्र गुप्ता जी जरूर बतायें क्योंकि इनको भी बहुत सारे लोग... जिनके घर में राशन जाता है, गरीब लोग इनको भी वोट देकर के जिताकर भेजा। भाजपा वाले सिरसाजी को भी जिताकर भेजा। ये बतायें कि क्यों गरीबों के घर में राशन ये लोग पहुँचाना नहीं चाहते? यहाँ कोई बात होती है, हम कोई स्कीम लाते हैं, जाते हैं, बैग उठाके एलजी साहब के पास पहुँच जाते हैं फौरन, कि ये नहीं आना चाहिए। इसके अंदर ये कमियाँ हैं, इसके अंदर ये कमियाँ हैं। अरे! तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी कमियाँ हैं, छोड़ दो राजनीति। छोड़ दो, ये विधानसभा, छोड़ दो विधायकी। आपके अंदर भी कमियाँ, सबके अंदर कमियाँ हो सकती हैं। हम भी मानते हैं कि होम डिलीवरी के अंदर कमियाँ, लेकिन इनकी साँठ–गाँठ है। इनकी साँठ–गाँठ है, ये पैसा कमाते हैं। ये दलाली करते हैं सारे लोग, इस वजह से ये गरीबों के पैसे पर गरीबों के राशन पर ये लोग जो हैं, राजनीति करते हैं, पैसा कमाते हैं। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि होम डिलीवरी गरीबों के घर में राशन पहुँचे और गरीब आदमी,

कमजोर आदमी इज्जत से अपनी जिंदगी बसर कर सके। शुक्रिया, इन बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं।

अध्यक्ष महोदयः भई आप बैठें प्लीज। समय नहीं है मेरे पास। जो नये सदस्य आए हैं, उनको बोलने का मौका दिया। न, मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। आज मैंने तीनों सदस्य, वो बोले हैं, जो पहली बार आए हैं सदन में, बैठ जाइए आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं सारे विषय छोड़ देता हूँ, सदन एडजोर्न कर देता हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं इस पूरे मामले पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसमें लगभग साढ़े तीन करोड़ गेहूँ, चावल और चीनी प्रति माह दो और तीन रुपए में गरीबों को बाँटी जाती है। इसके लिए ये बाजार से खरीदी जाती है, 20 से 22–23 रुपए किलो जो भी बाजार भाव होता है, केंद्र सरकार के द्वारा और दो से तीन रुपए में यानी कि लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दिल्ली में गरीबों को गेहूँ, चावल बाँटने के लिए दिल्ली सरकार के पास गेहूँ, चावल भेजती है। अब विषय आता है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट

के तत्त्वाधान में जिसको जनवरी में प्रारंभ किया गया, डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर योजना के तहत। इसके अंतर्गत डायरेक्ट बैनीफिट ट्रांस्फर का अर्थ ये है कि ई—पोज दिल्ली सरकार ने खुद लगाए, ई—पोज सिस्टम क्रिएट किया गया और ई—पोज डिवाइजिज जब लग गए और जब उसके माध्यम से लोगों को राशन देना शुरू किया तो अध्यक्ष जी, चार लाख राशन कार्ड लगभग 15—16 लाख फर्जी, जो उसके लिए एन्टाइटल नहीं थी, वो पकड़े गए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अमानतुल्लाह जी, प्लीज। अमानतुल्लाह जी, बैठिए प्लीज। अमानतुल्लाह जी बैठिए, प्लीज, प्लीज। अमानतुल्ला जी, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये आपकी सरकार का ही बता रहा हूँ, अब सरकार का एक नियम है, दिल्ली सरकार का कि अगर कोई तीन बार लगातार या तीन महीने तक लगातार राशन नहीं उठाएगा तो उसका राशन कार्ड समाप्त हो जाएगा। अभी इमरान साहब जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने एक सवाल के जवाब में सदन में बताया, जो अमानतुल्लाह जी बात उठा रहे है, सरकार ने संजीदगी दिखाते हुए कि... मंत्री जी खुद गए, खुद साइट्स विजिट की और एक आदेश पारित किया मंत्री जी ने कि जिसका बायोमैट्रिक मैच नहीं कर रहा, उसका ऐसा नहीं है, उसको राशन नहीं मिलेगा। सबको राशन मिलेगा अगर वो वहाँ पहुँच गया है लेकिन उसका अंगूठा मैच नहीं हो रहा है, तो उसका नाम नोट हो जाएगा, राशन उसको उसी समय दे दिया जाएगा और वो बिना राशन के नहीं जाएगा। ये सरकार ने खुद एक सेकेण्ड मुझे बताने दीजिए। ये बात मंत्री जी ने खुद यहाँ पर बयान दिए हैं। हमने उस समय ताली बजाई कि ई—पोज की वजह से...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक सेकेंड, क्या मैं नहीं बोलूं क्या? आप बता दीजिए मैं नहीं बोलूं।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, नहीं, आप बोल तो रहे हैं, मैं कब रोक रहा हूँ आपको?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, बोल रहा हूँ ना। मैं तो वही ऑथैंटिक बात कह रहा हूँ जो यहाँ हुई है।

अध्यक्ष महोदयः कहिए, आप कहिए, मैं यही कह रहा हूँ, विजेन्द्र जी, कहिए आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अब प्रश्न ये है कि सरकार ने 70 रुपये क्विंटल से 200 रुपये क्विंटल डिस्ट्रीब्यूशन का बढ़ाया भी। ई–पोज डिवाइसेस लग गए और डॉयरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर जो योजना है, उससे सरकार ने खुद एडमिट किया कि हमारी सेविंग्स हो गई, बड़ी जबरदस्त और पाँच किलो आटा प्रति फेमिली हम अतिरिक्त हर घर को अब दे सकेंगे। यानी कि ये जो नया सिस्टम हमने क्रिएट किया है डॉयरेक्ट बैनिफिट ट्रॉस्फर का, इससे पाँच किलो आटा, गेहूँ नहीं, आटा यानी कि लगभग साल का 250 करोड़ रुपये की सेविंग्स हो गई और 250 करोड़ की सेविंग से हम गरीबों को अतिरिक्त ये देंगे। इस प्रोसेस से हमने वो लोग भी आइडेंटिफाई कर लिए जो इनऐलिजेबल थे, जिनको राशन नहीं मिलना चाहिए था। वो खुद ही छोड़कर भाग गए। अब हम दो लाख उन परिवारों को जो क्यू में थे..

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक सेकेंड, अरे आप एक मिनट बैठिए...

अध्यक्ष महोदयः कोई बात नहीं, आप बैठिए–बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दो लाख वो परिवार जो क्यू में थे, वाकई ही जो गरीब थे बेचारे जिनका नंबर नहीं आ रहा था, क्योंकि 72 लाख समथिंग फिक्स है, दिल्ली के पोपुलेशन के हिसाब से कि इतने ही बीपीएल जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो ही एंटरटेन हो सकते हैं। 15 लाख वेकेंसिज खाली हुई तो लगभग आठ लाख लोग जो बाहर थे वो उसमें ऐड हो गए और सात लाख का स्कोप अभी भी बच गया। तो सवाल ये है कि ये खुद गर्वमेंट ने इसको परसू किया और ई–पोज डिवाइसेज लगवाए। जब ई–पोज डिवाइसेज फंक्शनल हो गए, रिजल्ट्स आने लगे फिर एक और बड़ी मजेदार बात की सरकार ने कि किसी फेयर प्राइस शॉप को कि अपनी मोनोपली न चले तो इसलिए इसको पोर्टेबिल्टी से कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि ई–पोज लागू होते ही अब कोई एक राशन लेने वाला किसी एक दुकान से बाउंड नहीं है। वो दिल्ली की किसी भी दुकान से जाकर अपना राशन उठा सकता है। उसका नाम हर जगह रजिस्टर्ड है, वो जाएगा अपनी डिटेल्स देगा, अंगूठा लगाएगा, उसको वहीं से राशन मिल जाएगा। 20 परसेंट लोगों ने अध्यक्ष जी, दिल्ली में इसका लाभ लिया दुकानदारों की मोनोपली खत्म हो गई। जो दुकानदार ठीक व्यवहार नहीं करेगा, दुकान नहीं खोलेगा, उसका ग्राहक चला जाएगा और उसकी कमिशन भी चली जाएगी। ये सिस्टम से क्रिएट हो गया। जब ये सब क्रिएट हो गया तो अचानक सरकार ने क्या किया...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलने दो कोई बात नहीं। अरे! भई नितिन जी, वो क्लीयर कह रहे हैं ना कि होम डिलीवरी नहीं चाहते। एलजी ने इनके आदेश पर वो किया है, वो कह रहे हैं, कहने दो।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सरकार ने ये भी पारित कर दिया कि जो 65 साल से अधिक आयु के हैं और जो डिफरेंटली ऐबल्ड है, यानी कि अगर वो दिव्यांग है,

65 साल से अधिक है उसके घर में कोई राशन लेने वाला नहीं है तो उसकी एक कैटेगरी बना दी कि उनको आप घर पर राशन पहुंचाने की जो है, जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब मुझे समझ नहीं आता कि जब सारी चीज सिस्टम में आ गई, बढ़िया हो गई तो अचानक सरकार ने कहा कि अब हम पूँजीपतियों को लायेंगे और बड़े–बड़े पूंजीपति ये साढ़े तीन करोड़ गेहूँ, चावल जनता का, हमसे ले जायेंगे और उनके हाथ में रहेगा। वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, उसको आउटसोर्स कर देंगे। अगर पूँजीपतियों को, अगर गरीबों, पूँजीपति ईमानदार हो गया...

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, बढ़िया है, बढ़िया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अब पूँजीपति ईमानदार हो गया। मैनुअल सिस्टम से, मैनुअल सिस्टम में ट्रांस्फर अब बढ़िया हो गया, टेक्नालॉजी जो सफल हो गई। अचानक उसको ड्रॉप कर रहे हो आप। भ्रष्टाचार के लिए 250 करोड़ रुपये का खर्च होगा। जहाँ 250 करोड़ की सेविंग हो रही है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर 250 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होगा जो गरीबों की जेब से जाएगा। पूँजीपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए अगर सरकार डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को खत्म करना चाहती है, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ; वो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी आए, कहिए आप, जो मर्जी आए, वो आपकी है। लेकिन आपने... एक सेकेंड विजेन्द्र जी, अब आपने बात पूरी कर ली ना भई! दो मिनट रुक जाइए सौरभ जी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन में डीजल और पैट्रोल वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में है ना एक सिस्टम है। पैट्रोल पंप बड़े–बड़े सेठों को दे रखा है, तो क्या है वो?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सवाल ये नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः कैसे नहीं है सवाल? पब्लिक एक गरीब आदमी... क्या बात करते हो! बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः रिलायंस के पास है। कैसे नहीं है रिलायंस के पास? बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए इमरान जी, खाद्य मंत्री जवाब देंगे। बैठिए, बैठिए। माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। आप पसंद नहीं करते, एक गरीब आदमी अपनी रोजी छोड़कर लाइन में लगे, एक गरीब आदमी लाइन में लगे, ये पसंद नहीं करते आप। चलिए इमरान जी।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री इमरान हुसैन): अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदयः भई ये एलजी से इस स्कीम को पास ना हो ये क्लीयर हो गया है सदन में। चलिए, गरीब का नाम ले रहे हो। भई अब नहीं।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय रूल– 54 में अभी अमानतुल्लाह खान साहब ने क्वेश्चन लगाया कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की इंप्लीमेंटेशन में क्या देरी है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को, पूरी दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ कि डोर स्टेप डिलीवरी का प्रपोजल दिल्ली केबिनेट ने, बहुत दिल्ली की जनता की सेवा भाव से बनाकर और 6 मार्च 2018 को एलजी साहब को भेज दिया गया था और मुझे बड़े दुःख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एलजी साहब ऐसा लगता है शायद किसी के दबाव में या ऐसा लगता है कि शायद विजेन्द्र गुप्ता जी के दबाव में या बीजेपी के दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं कि उन्होंने लिखकर भेजा... फाइल वापस भेजी कि ये केन्द्र

सरकार को भेजा जाए ये प्रपोजल और उनसे केन्द्र सरकार के पास ये भेजा जाए। क्योंकि एलजी साहब ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह अगर राशन की डोर स्टेप डिलीवरी हो गई, अगर दिल्ली की जनता के घर–घर तक राशन पहुँच गया तो 50 साल तक भी आम आदमी पार्टी की सरकार को कोई दिल्ली में हराने वाला पैदा नहीं होगा। वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो डरे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से डरे हुए हैं कि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए सभी क्षेत्रों में काम कर रही है; चाहे वो शिक्षा का हो, हैल्थ का हो या अब राशन के जरिए लोगों के घर–घर तक उनका हक पहुँचाने जा रही है, जो उन्हें लाइनों में खड़े होने से और जो वंचित उन्हें राशन माफिया कर देता था, जो कि वो लोग आते थे, लाइनों में लगते थे, कभी दुकान बंद मिलती थी और जो माफिया आज भी लगा हुआ है। मैं एक बात और इस सदन के माध्यम से अपने अपोजिशन लीडर साहब को बताना चाहता हूँ कि आप जाते हैं एलजी साहब के पास, हमारा कोई भी प्रपोजल जाता है, आपके क्षेत्र में भी गरीब लोग हैं बल्कि आपको भी दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजा है और एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 19 फरवरी की रात को वहाँ पर हमारे अमानतुल्लाह खान साहब और प्रकाश जारवाल जी और सारे लोगों ने चीफ सेक्रेटरी साहब भी वहाँ गए, मीटिंग के अंदर, मेरे पास भी बहुत सारी शिकायतें आईं और मैंने भी बहुत सारी चिट्ठियों के माध्यम से, टेलिफोन के माध्यम से फूड कमिशनर मीणा जी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को सारे अधिकारियों को बार–बार बुलाया और उन्हें मैं बार–बार आगाह कराता रहा कि भई लोगों को परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है। उसके बावजूद हमने ये आदेश भी दिए कि इसे रोका जाए, इस प्रपोजल को फौरन जल्द से जल्द हल किया जाए और उसके बावजूद भी इन लोगों ने मतलब उसके बावजूद भी हमारे सारे विधायकों को दिक्कत हुई और

मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, आपसे कि दिल्ली में जो आज 19 तारीख की रात को वो घटना हुई, उसका कोई सुबूत नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब 20 तारीख को मैं सचिवालय गया तो उसके बाद कुछ राशन माफिया या जिन लोगों को इससे डर होकर डोर स्टेप डिलिवरी से या कुछ अधिकारी जिनकी इसमें साँठ–गाँठ होगी या कोई भी तत्व उन्होंने मुझे सचिवालय के अंदर लिफ्ट के अंदर बंधक बनाया, मेरे साथियों को बंधक बनाया, उसकी पूरी रिकार्डिंग है, हमारी साथ मार–पीट हुई, लेकिन न तो उसमें आज तक कोई गिरफ्तारी हुई है, न उसपे कोई एक्शन हुई है और चीफ सेक्रेटरी साहब के और उसके बारे में बीजेपी भी कुछ नहीं बोलती, विजेन्द्र गुप्ता जी भी कुछ नहीं बोलते। मैं भी इनका साथी हूँ या सदन के अंदर बैठता हूँ, इन्हें उसपे कोई एहसास नहीं है कि मुझे बंधक बनाया गया, मेरे साथ मार–पीट हुई या और कोई मीडिया, मीडिया बंधु भी नहीं बोलते। हमारे मीडिया के भाई और अमानतुल्लाह खान साहब, प्रकाश जारवाल साहब और तमाम् हमारे विधायकों पे जिनका कोई सबूत नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, नहीं हुआ बल्कि चीफ सेक्रेटरी साहब क्लिप के अंदर साफ नजर आ रहा है, कैमरे में रिकार्डिंग में कि बहुत आराम से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, उनका सुरक्षाकर्मी सिक्युरिटी गार्ड भी गाड़ी में उनके साथ जा रहा है, बाहर निकल रहा है तो पीछे पीछे, तो मेरी आपके माध्यम से ये भी अपील है और एलजी साहब से भी दरख्वास्त है, इस सदन के माध्यम से कि ये जो प्रपोजल है, आप भी जनता के हित का काम कीजिए, आप डरिये मत आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार, जनता की सरकार है और ये बात तो पक्की है कि होम डिलिवरी होने से, डोर स्टेप डिलिवरी होने के बाद पचास, सौ साल तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। जय हिन्द, जय भारत।

अल्पकालिक चर्चा (नियम 55)

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। श्री सौरभ भारद्वाज जी। श्री सौरभ भारद्वाज जी हरियाणा द्वारा छोड़े गये पानी में खतरनाक स्तर पर अमोनिया होने के कारण पानी की अत्यधिक कमी के संबंध में नियम 55 के अंतर्गत चर्चा आरंभ करेंगे। इसमें मेरे पास नाम आये हैं, मैं समय की सीमा को ध्यान रखते हुए... केवल तीन वक्ता बोल सकेंगे। हाँ सौरभ जी, शुरू करिये प्लीज।

श्री सोमनाथः नाम बता दें, नाम बता दें।

अध्यक्ष महोदयः मैं जो मैं उनको ज्यादा समय दे रहा हूँ आज, जो बहुत दिनों बाद सदन में आने का मौका मिला है। नितिन त्यागी जी, ऋषि जी बैठे हैं? राजेश ऋषि जी,

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, कोई बोलने का कम्पीटिशन नहीं है ये, ये कोई बोलने का कम्पीटिशन नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदयः भई, मैं दे रहा हूँ आप का नाम, आप सुन तो लीजिए। आप चिल्लाने लगते हैं।

श्री सोमनाथ भारतीः एक ओर ढंग से रखना पड़ेगा। ये कोई बोलने का कम्पीटिशन नहीं है। इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदयः उठा रहा हूँ मैं सोमनाथ जी। मैं दे रहा हूँ समय या तो आपने वैसे 10 मिनट खराब कर दिये हैं। इतना भी हम में नहीं हैं कि तीन लोग बोलेंगे, वो उचित नहीं है। बोलिये सौरभ जी। बैठिये विशेष रवि जी। बैठिये, प्लीज बैठिये। बैठिये, बैठिये, बैठिये।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज दिल्ली में बढ़ती हुई पानी की किल्लत के ऊपर सदन में चर्चा करने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, पिछले करीब दो ढाई महीने से दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर पानी की भारी कमी है और जैसा कि सब लोग समझते हैं, जो भी लोग पानी के विषय में, जिन्होंने थोड़ी भी जानकारी ली है, उनको मालूम है कि दिल्ली के अंदर अपना पानी का जो सोर्स है, वह बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़ा सा सोर्स है दिल्ली का अपना। दिल्ली पानी के लिए अपने आस–पास के राज्यों के ऊपर आश्रित है और जैसे कि नदी होती है, नदी जो है, वो सारे देश की होती है। नदी पहले किसी राज्य में जाती है फिर दूसरे राज्य में आती है तो हमारी भी यमुना जो है, वो नदी पहले हरियाणा के अंदर आती है और हरियाणा से बहती हुई फिर दिल्ली के अंदर आती है तो जाहिर सी बात है कि हर राज्य को एक अनुशासन बनाना पड़ता है कि हम इतना पानी इस नदी के अंदर से उठायेंगे और इस पानी को इस्तेमाल करने के बाद गंदा पानी जो निकलेगा, उसको ट्रीट करने के बाद इतना पानी हम वापस इस नदी के अंदर छोड़ देंगे क्योंकि अगला राज्य जो है, वो भी इस नदी के ही पानी के ऊपर आश्रित है। ये गड़बड़ी हम भी अपने दूसरे राज्य के साथ कर सकते हैं, ये गड़बड़ी हमारे साथ कोई दूसरा राज्य भी कर सकता है और जब मैं राज्यों की बात करता हूँ तो उसमें राज्यों के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं राज्यों की सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ। पिछले दो ढ़ाई महीने से दिल्ली के अंदर पानी की भारी कमी है क्योंकि अध्यक्ष जी पानी जो है, वो लिमिटेड है, जितना पानी दिल्ली के अंदर आता है, वो लिमिटेड है और वो पानी कहाँ कहाँ, किस किस कांस्टिट्युएंसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारा का सारा एक तय तरीका है उसका। जैसे कि दिल्ली के अंदर जितना पानी आयेगा, उसके अंदर

से इतना पानी यहाँ जायेगा, इतना पानी यहाँ जायेगा, फिर वो डिस्ट्रिब्यूट होके डिस्ट्रिक्ट के लेबल पे आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेबल से डिस्ट्रिब्यूट हो के यूजीआर के लेबल पे आता है, यूजीआर के लेबल से डिस्ट्रिब्यूट होके कॉलोनी के टैंक के लेबल तक आता है और हर लेबल जो है, वो तय है। अगर दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है, जितनी हमारी खपत है, जितना हमारा हरियाणा के साथ हमारा एग्रीमेंट है, उसमें से भी अगर थोड़ा भी पानी कम होता है अध्यक्ष जी, तो वो पानी कहीं न कहीं, किसी न किसी के घर को, किसी न किसी गांव को, किसी न किसी कॉलोनी को इफेक्ट करता है और हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमारा पानी नहीं आ रहा है, उनका तो आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पानी अगर थोड़ा सा भी कम होगा, तो जिसका मकान आखिरी में है टेल एंड में, उसके यहाँ सबसे ज्यादा असर होगा या जिन विधायकों के इलाकें जो है, वो आखिरी टेल एंड में है, उनके यहाँ सबसे ज्यादा असर होगा तो ये असर इस वक्त दिल्ली के अंदर कई जगह देखा जा रहा है। पहले हरियाणा के साथ हमारी समस्या ये थी कि हरियाणा सरकार जानबूझ के या जिस भी तरीके से नदी के अंदर अमोनिया ज्यादा छोड़ रही थी और अमोनिया ऐसा नहीं कि अमोनिया अपने आप पैदा हो जाता है। जाहिर सी बात है कि उनका जो सोनीपत और पानीपत का जो इलाका है, वहाँ पर उनकी इंन्डस्ट्रीज हैं, डॉइंग इन्डस्ट्रीज हैं, डाई करते हैं और उसके अंदर से जो जो इन्डस्ट्रियल एफ्लुवेंस आते हैं, उनको उसको ट्रीट करना पड़ता है। या तो वो एसटीपीज में करते होंगे, ईटीपीज में करते होंगे, वो ट्रीटमेंट करना होता है। ट्रीटमेंट के बाद जो पानी आता है, उसकी अमोनिया की जो मात्रा है, वो कम हो जाती है और उसको हम लोग उठा सकते हैं और उसको ट्रीट करके हम दिल्ली को पिला सकते हैं। पिछले दो महीने से समस्या ये आ रही थी कि हम कह रहे थे कि अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, हरियाणा मान नहीं रहा था। कह रहे थे कि ये तो बहाने बनाते हैं, अब ये एक अलग बेशर्मी शुरू

हो गयी है। जब से हमारी सरकार आयी है, इतनी बेशर्मी हो गयी है कि आप किसी आदमी को परेशान करें, उसको काम न करने दें और वो कहे कि जाओ जी, ये काम नहीं करने दे रहे हैं, अच्छा बहाना बना रहे हैं, अजीब बेशर्मी है। इस देश का प्रधानमंत्री तो अभी भी जवाहर लाल नेहरू को कोस रहा है कि साठ साल पहले वो प्रधानमंत्री था, जिसकी वजह से मैं आज काम नहीं कर पा रहा है। वो ठीक है, वो आदमी, हमारा प्रधान सेवक। हम कह रहे हैं कि ये लोग देखो, हमको परेशान कर रहे हैं, फाइल भेजते हैं, फाइल के ऊपर साइन नहीं करते, ओब्जेक्शन लगा देते हैं, ढेरों नाटक करते हैं, षडयंत्र करते हैं, ये कहते हैं साहब बहाना बना रहे हैं। ये बेशर्मी हिन्दुस्तान के अंदर इस तीन साल में आयी है कि आप किसी को परेशान करें, उसको प्रताड़ित करें, उसके ऊपर षडयंत्र करें और जब आप बोलें कि साहब, देखिये ये कर रहे हैं, ये तो बहाने बना रहे हैं, ठीक है। ये भी जनता देख रही है, कितना भी टीवी में चलाओगे, कितना भी अखबार में चलाओगे, जनता की एक सबकान्शस होती है। जनता सब समझती है तो कहा गया कि बहाना बनाया जा रहा है, हम लोग एनजीटी में गये, एनजीटी ने कहा कि आप बताइये चीफ सेक्रेटरी साहब, क्या हो रहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब हरियाणा के एनजीटी में आये और उन्होंने माना कि हाँ दिल्ली के अंदर जो हम पानी दे रहे हैं, उसके अंदर पॉल्यूशन ज्यादा है, हमारे जो एसटीपीज प्लांट और ईटीपीज प्लांट हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, हरियाणा में। काम नहीं कर रहे हैं या जान बूझ के खराब कर दिये हैं और इस कारण से हरियाणा की खटारा सरकार अमानिया छोड़ रही थी। ये षडयंत्र नहीं हैं तो क्या है? ये तो षडयंत्र है। उनको एनजीटी ने कहा कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुरंत ठीक हो गया, अमोनिया की मात्रा ठीक हो गयी। मगर लगा कि अब तो दिल्ली में फिर से पानी आ गया। गर्मियां शुरू हो रही हैं, कैसे परेशान करें दिल्ली वालों को, कैसे परेशान करें केजरीवाल की सरकार को, अब इन्होंने जो पानी... ये वजीराबाद में हमारे लिए छोड़ते थे, उसको कम

कर दिया। हमारा और हरियाणा सरकार का एग्रीमेंट है कि वजीराबाद का जो तालाब है, उसके अंदर एक लेबल मेंटेंन करके रखना है। अब वो लेबल है ही नहीं। हम वजीराबाद में से पानी उठा ही नहीं पा रहे हैं और इनसे पूछें कि क्या हो गया, कह रहे हैं, 'साहब, हम छोड़ रहे हैं।' पानी लेकिन गर्मी के कारण उड़ जा रहा है। ये कोई मजाक हो रहा है! इतने सालों से गर्मियाँ हो रही हैं, ऐसा तो नहीं कि इसी साल हैं। अभी तो गर्मियाँ शुरू भी नहीं हुई हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिये, राजनीति सब करते थे, मगर इस वक्त देश के अंदर राजनीति का स्तर इस कदर गिरा दिया गया है, मैं मान सकता हूँ कि किसी अफसर के साथ किसी की हाथापाई हो गयी हो, मगर आईएएस अधिकारियों से एक निवेदन है। आज तो पीटा नहीं था, आपने बोल दिया, 'मार दिया।' कल तो किसी ने सही में मारा तो आप कहोगे, तो नहीं मानेगा कोई आदमी। वो कहेगा, 'तुम तो झूठ बोल रहे थे पहले भी।' ये हो भी सकता है। किसी के साथ हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है। मगर जब सच होगा, तभी तो कहोगे। एक झूठी बात का बाल का बवाल बना लिया आपने, भेड़िया आया... भेड़िया आया... भेड़िया आया... अगर असली में आ गया तो क्या करोगे? ये तो शरीफ विधायक हैं सारे के सारे। ये शादियों में जाते हैं। इनके साथ दो–दो लोग होते हैं। कई बार अकेले ही विधायक पहुँच जाता है, टहलता हुआ शादियों में। लोग कहते हैं कि तुम तो विधायक जैसे लगते ही नहीं हो। क्यों नहीं लगते? ऐसा कोई न कि अनपढ़ हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ–साथ दस–दस आदमी चल ही नहीं रहे हैं। तुम्हारे साथ वो लठैत ही नहीं चल रहे हैं। तुम्हारे साथ मुहल्ले के गुण्डे नहीं चलते। तुम विधायक जैसे लगते ही नहीं हो। जब इन विधायकों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने मारपीट की। अगर जो असली गुण्डे हैं, जो जजों के कत्ल करा देते हैं। सीबीआई के जज के कत्ल करा देते हैं। जब वो इनको मारेंगे, तब किसके पास जाओगे? भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, जब भेड़िया असली में आ जाएगा तो फिर

क्या करोगे? और वो भेड़िया तो जज को खा गया। तुम अफसर तो चीज ही क्या हो! ये अफसर समझेंगे? आज नहीं समझे अध्यक्ष जी। ये अफसर कल इस बात को समझेंगे कि एक छोटी घटिया राजनीति के कारण हम लोगों ने इस पूरी की पूरी आईएएस एसोसिएशन को एक छोटी राजनीति के अन्दर फंसा दिया। इनसे सवाल इतिहास पूछेगा, आज नहीं, किसी दिन पूछेगा। इतिहास और कर्म, दोनों घूम के वापिस आते हैं। इनके लिए भी वापिस आएंगे। मैं वापिस उस टॉपिक पर आता हूँ अध्यक्ष जी, कि हरियाणा की जो सरकार है, खट्टर जी की सरकार। ये काम जो दिल्ली वालों के साथ कर रही है।

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेण्ड, सदन का समय सात बजे तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मैं आखिरी में यही कह रहा हूँ कि अभी हम हाईकोर्ट में भी गये थे। हाईकोर्ट से भी हमको अच्छा ऑर्डर मिला। मगर हाईकोर्ट ने जो इनको ऑर्डर दिया, वो इन्होंने मान लिया। दूसरी जगह से पानी अब रोक दिया और इस कारण गर्मियाँ दिल्ली के अन्दर बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी अध्यक्ष जी। ये बहुत बड़ा मामला है। इसके लिए लोगों के अन्दर लड़ाई–झगड़े होंगे, मारकाट होगी, दिल्ली में दंगे हो सकते हैं। हरेक को जरूरत है पानी की। अगर इस चीज को समय रहते नहीं रोका गया, तो ये मामला बहुत बढ़ सकता है अध्यक्ष जी। मैं चाहता हूँ, हाउस इस मामलें के अन्दर कोई डॉईरेक्शन दे और इसके ऊपर चिन्तन करे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री अखिलेशपति त्रिपाठी। भई नारायण जी, या तो कुर्सी पर जाओ, अपनी चेयर से बोलो। प्लीज, ये नियम को मत तोड़िए। देखिए, आप अपनी चेयर से बोलिए। ऐसे नियम को न तोड़ो भाई सदन के।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया आपने। आज फिर एक बार।

अध्यक्ष महोदयः संक्षेप में रखिए। बहुत संक्षेप में।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः बहुत संक्षेप में। पहले ही कह दिया। खैर। आज फिर दिल्ली में एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कभी एसीबी छीन करके दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देने का षडयंत्र रची। कभी डोर–स्टेप डिलीवरी पर हम चर्चा कर रहे थे अभी। उस पर कभी बीजेपी षडयंत्र करती हुई देखी जाती है। लेकिन इन सारे मुद्दों में कभी 20 विधायकों को डिस–क्वालीफाई कराने में इलेक्शन कमीशन को साथ लेकर के उनको लालच देकर के डिस–क्वालीफाई करा दिया जाता है। अब जब इन सारे षडयंत्र इनके फेल हो गये तो एक दिल्ली में नये तरीके का षडयंत्र बीजेपी लेकर के आयी है। वो षडयंत्र है दिल्ली में पानी हरियाणा से जो आता है, उसको रोक दिया जाए। अभी सौरभ भाई पूरा बता रहे थे डिटेल से कि किस तरीके से हरियाणा से प्रतिदिन 1996 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि दिल्ली के लिए यमुना रिवर के बेड में 674 क्यूसिक पानी पर डे जो है, इनको छोड़ना होता है। इस लेबल को बनाए रखना हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी दी गयी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके लिए कितना भी पानी छोड़ना पड़े, हरियाणा सरकार को उतना पानी देना पड़ेगा कि इतना लेबल मेन्टेन रहे। आज हालत ये है कि वजीराबाद पौण्ड में केवल 669 लेबल रह गया है जिसकी वजह से प्लान्ट से हम पानी उस प्लान्ट से हम पानी नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज दिल्ली में पानी की सप्लाई बन्द हो चुकी है। इसकी वजह से मेरा अपना खुद का विधान सभा क्षेत्र, मैं बताना चाहता हूँ मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र, जहाँ पर गुजराँवाला टाउन, एसबीआई कालोनी, राणाप्रताप बाग, राजपुरा गाँव, मॉडल टाउन, महेन्द्रू इन्क्लेव सारा बुरी तरीके से प्रभावित पड़ा है। रोज गन्दे पानी की समस्या आ रही है कि पानी नहीं आ रहा है और इसकी वजह से लोग मोटर चला रहे हैं तो गन्दा पानी आ रहा

है और इतना नहीं, ये तो मेरी विधान सभा है। बगल की विधान सभा राजेश भाई की है। वो भी यहाँ पर आ गये। इनके यहाँ तो इतना मामला बढ़ गया कि एक व्यक्ति की हत्या हो गयी पानी के चक्कर में। और इन भाजपा के लोगों ने घड़ियाली आँसू रोने का काम किया। वहाँ पर नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। अरे! तुम्हारी वजह से कत्ल हो रहा है। आज तुम्हारी हरियाणा की खट्टर सरकार बीजेपी की जो है, उसकी घटिया नीतियों की वजह से जो पानी रोकी गयी है। आज उसकी वजह से राजेश भाई की विधान सभा में आज हत्या हो गयी लोगों की। और वहाँ पर जाके घड़ियाली आँसू रोने से ये बाज नहीं आते। आज जनता उस बात को समझी और मैंने देखा वीडियों में कि जनता ने धक्के मारकर के बीजपी के लोगों को बाहर किया।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए। कन्क्लूड करिए। अखिलेश जी, प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः वजीरपुर विधान सभा में... दो लाईन और... ये समस्या पिछले 30 दिसम्बर से आ रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि उसके पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी ये नया जिन्न लेके आये हैं। जैसा पहले बता दिया सौरभ भाई ने कि एनजीटी के पास हम लोग गये थे। एनजीटी ने कहा कि भाई आप इतना दूषित पानी छोड़ रहे हैं, अमोनिया का लेबल बहुत बढ़ा है क्या कारण है? इनके चीफ सेक्रेटरी ने कहा, हाँ जी, कमी है। हम उसको ठीक करेंगे। अभी उस पर कोई इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ। उसको इम्प्लीमेन्ट कराने के लिए हाईकोर्ट गये। हाईकोर्ट ने फटकार लगाया। उसके बावजूद अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ और आज ये हालत है कि दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये सदन दिल्ली के लोगों का सबसे बड़ा मन्दिर है, सबसे बड़ा न्याय का सदन है। आज ये मुद्दा इसलिए आपके

सामने रखना जरूरी है कि आज दिल्ली की जनता इस सदन से न्याय माँग रही है। मुझे उम्मीद है कि ये सदन इस पर विचार करेगा।

अध्यक्ष महोदय, बस दो मुद्दे और रह गये हैं। ये पानी कहा से आता है। ये भी लोगों को पता चल जाए कि ताजेवाले में एक हथनी कुंड बैराज है, जहाँ से पर डे 252 क्यूसेक पानी छोड़ना बहुत जरूरी बताया गया। अभी हाईकोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल रोज ये आपको छोड़ना है, अब रोज छोड़ना है।

अध्यक्ष महोदयः भाई अब कन्क्लूड करिए अखिलेश जी, प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः ये कह रहे हैं कि मैंने तो रोज छोड़ दिया।

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी कन्क्लूड करिए। रिपीट कर रहे है बात को।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः हुआ क्या है, बताता हूँ। जब छोड़ दिया इन्होंने। कहते हैं जी, ये सारा का सारा पानी वहाँ से आ रहा है और इतनी गरमी पड़ रही है। अभी की गरमी के नाते वो पानी सारा सूख गया। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से बेशर्मों से की अभी गरमी नहीं है, तब बता रहे हो कि इतनी गरमी है कि रास्ते में सूख जा रहा है और जब गरमी पड़ेगा तो क्या होगा! तब तो एक बूँद पानी नहीं आएगा। तो हालत आज पूरी दिल्ली की जनता देख रही है कि बीजेपी किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को काम करने नहीं दे रही है। कितनी घटिया राजनीति पर आ गयी है कि आज दिल्ली के लोगों को बूँद–बूँद पानी से मोहताज करने के लिए आगे बढ़ रही है, आज।

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, अब कन्क्लूड करिए।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: इसके लिए मैं अपने एमएलए साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि हमें चलना चाहिए हरियाणा भवन। इनके आयुक्त के पास मिलकर के हम विपक्ष से भी कहेंगे अपने साथियों से। हो सकता है, इससे सहमत हों। हालाँकि सहमत नहीं रहते हैं बहुत सारे मुद्दों पर। सहमत होंगे। हमें चलना चाहिए दिल्ली के लोगों के लिए।

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, मैं अगला नाम बोल रहा हूँ। अखिलेश जी, मैं अब अगला नाम बोल रहा हूँ।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: चलेंगे क्या? कल 11.00 बजे तय है। हो सकता हैं हम चलेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: तो राजनीति से ऊपर आकर के आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार...

अध्यक्ष महोदय: श्री विशेष रवि जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: पानी छोड़ा जाए।

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, बैठिए आप प्लीज। विशेष रवि जी। बहुत शार्ट में विशेष जी, प्लीज।

श्री विशेष रवि: जी सर। बहुत–बहुत शुक्रिया, अध्यक्ष जी, हर नागरिक की दिल्ली के अंदर उसके दिन की शुरूआत पानी से होती है और जिस घर के अंदर सुबह–सुबह शौच जाने के लिए, नहाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए जिस घर में पानी नहीं होता है तो उस घर की पीड़ा समझाने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम रोजाना लोगों की भड़ास, लोगों का गुस्सा पिछले दो महीने से झेल रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड बहुत मेहनत

कर रहा है, काम कर रहा है, समस्या को ठीक करने के लिए। लगातार मैनेज कर रहा है कि हर विधान सभा को पानी मिल जाए, वो रेग्युलेट कर रहा है पानी को, लेकिन जब तक दिल्ली के हिस्से का जो पानी है, वो उसको नहीं मिलेगा, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। गर्म मौसम की अभी शुरूआत भी हम नहीं कहेंगे, अभी भी सुबह–शाम ठण्ड है। अभी गर्मी आई भी नहीं है और इस समय जब यह इतनी बड़ी समस्या पानी की बन रही है तो उस बात का अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो क्या होगा। जल बोर्ड के अधिकारियों से बात होती रहती है तो सब यह कहते हैं कि अमोनिया और पानी की आपूर्ति पहले भी होती थी लेकिन जैसे अब हो रही है; दो तीन साल से ऐसे कभी नहीं हुई। तो क्या कारण है कि इन दो तीन सालों से ऐसा हो रहा है? क्या कारण है कि दिल्ली में नई सरकार आने के बाद ही हरियाणा की सरकार पानी को लेकर राजनीति कर रही है। मेरी बहुत कम शब्दों में यह प्रार्थना है कि यह बहुत गम्भीर विषय है। सदन के सभी माननीय सदस्यों को इसको आज से ही गम्भीरता से लेना पड़ेगा। अगर आज से ही हमने इसको गम्भीरता से नहीं लिया और इस पर काम करना, प्रयास करना, परिश्रम करना, मिलना, जाना, ज्ञापन देना सुप्रीम कोर्ट में जहाँ भी जो भी करना है, अगर अभी से नहीं शुरू किया तो आने वाले समय के अंदर बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी। बस, इन्हीं शब्दों के साथ, आपका धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः बहुत सुंदर। नारायण दत्त जी।

श्री नारायण दत्त शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी, वाकई में बहुत गम्भीर मुद्दा है। सुबह पाँच बजे से लेकर और रात को 11 बजे तक पानी के लिए रोज मारा–मारी हमारी विधान सभा में होती है। इससे बड़ी क्या दुःखद घटना होगी कि पानी के लिए दिल्ली की एक विधान सभा में खून तक हो जाता है और

जहाँ तक मैं समझता हूँ, कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं। चलेगा, अगर कोई पार्टी राजनीति कर रही है, अगर अधिकारी उस राजनीति में शामिल होते हैं, तो फिर नहीं चलेगा जी। मैं अपनी विधान सभा की बात करता हूँ। मेरी विधान सभा में सुबह पाँच बजे से लाइन लग जाती है। मैं जल बोर्ड के अधिकारियों को लेकर... बल्कि मैं सब साथियों से बोलूँगा, एसी में बैठकर फाइलों पर ऑब्जेक्शन लगाने से दिल्ली और दिल्ली की जनता का भला नहीं होगा। आपको इन एमएलएज के साथ में उस जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जिस जनता के टैक्स से आपको सैलरी मिलती है। आपको पता चलेगा कि जनता जब एमएलए पर भड़ास निकालती है, एमएलए हाथ जोड़कर रह जाता है, कोई बात नहीं जी, आपने वोट नहीं दिया, आपने जिताया था। जब आप उनके टैक्स से तनख्वाह लेते हो, अपने घर में आराम से जाकर सो जाते हो। आपका मन कर रहा है, आपने फोन उठा लिया विधायक का। आपका मन करा, नहीं उठाया। मैं तो यह कह रहा हूँ सभी सदस्यों से, सभी माननीय विधायकों से कि हर 15 दिन में एक–एक विजिट सीईओ साहब की और जो ग्राउंड पर काम करते हैं, उनकी जितनी व्यवस्था काम करते हैं, ऊपर वालों की ऑब्जेक्शन लगाने की है। मैं पिछले 12 महीने से 6 करोड़ 58 लाख रुपये की लागत से... उद्घाटन किया था मनीश सिसोदिया जी ने और एक लाइन डलवाने के लिए अप्रूवल पर बार–बार ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदयः नारायण जी, कन्क्लूड करिये अब इसको। यह विषय यमुना के अमोनिया का है।

श्री नारायण दत्त शर्माः अमोनिया का है जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह आपकी विधान सभा का नहीं है।

श्री नारायण दत्त शर्माः लेकिन कहीं न कहीं हमारे अधिकारियों को भी इस पर काम करना पड़ेगा। हमको वहाँ की सरकार से, बीजेपी की सरकार से जितनी भी बात करनी है, सभी साथी मिलकर लगें और सभी...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब कन्क्लूड करिये।

श्री नारायण दत्त शर्माः सभी अधिकारी काम करें, सभी सरकार काम करें।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। नितिन त्यागी जी। राजेश जी, आपको दे रहा हूँ समय। लिखा हुआ है।

श्री नितिन त्यागीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या, जो कि अभी से शुरू हो गई है, अभी तो गर्मियाँ ठीक से आई भी नहीं है और अभी से रोज सुबह फोन खड़क जाता है कि आज पानी नहीं आया है या क्षेत्रों में पानी की पहले से किल्लत रहती है, वहाँ पर गंदा पानी आना शुरू हो गया है, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत कम हो गया है। यह बात जो अभी शर्मा जी कह रहे थे कि हमारे पास जिस तरह से लोग आकर और इसका विरोध करते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं और इतना हंगामा उठता है, मैं अधिकारियों को एक बात बताना चाहूँगा कि हम तो बेचारे हड़ताल भी नहीं कर पाते। ये तो बात–बात पर हड़ताल की बात कर लेते हैं। हम तो हड़ताल भी नहीं कर सकते। हम उस जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें उनके दुःख में उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, परेशानी में खड़ा रहना पड़ेगा। पर तनख्वाह तो ये अधिकारी भी उन्हीं के दिये हुए टैक्स के पैसे से लेते हैं। अगर कोई अधिकारी यह कहता है कि मैं इसको जवाबदेह नहीं हूँ, मैं उसको जवाबदेह हूँ तो यह कहना चाहूँगा

लोकतंत्र है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे एलजी हो, सब जनता को जवाबदेह हैं।

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, यह चर्चा जो है हरियाणा के पानी की है।

श्री नितिन त्यागीः मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। हम पानी की बात कर रहे हैं, मैं पानी के लिए...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं, हरियाणा से पानी का विषय है यह।

श्री नितिन त्यागीः सर, हरियाणा से अगर आज की तारीख में पानी नहीं मिलेगा। देखिये, ये बार–बार जो हालत होती जा रही है हमारे क्षेत्र की, बिना पानी के लोगों के अंदर जो बहुत बेचैनी हो गई है, वो सड़कों पर आ जाएगी कुछ दिनों में। यह जो बेचैनी सड़कों पर आएगी, यह शायद उस वक्त हरियाणा और दिल्ली में डिफ्रेंशियेट न कर पाए। आज अगर हरियाणा की सरकार, जो एक पार्टी की सरकार किसी अपने, ऐसा लग रहा है जैसे निजी कोई दुश्मनी निभा रही हो दिल्ली के साथ। यह दुश्मनी जनता के साथ आप निभा रहे हो, किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं निभा रहे, अगर हरियाणा से पानी छोड़कर दिल्ली में नहीं भेज रहे हो। आप अगर ऐसी राजनीति करना चाहते हो कि हरियाणा से जो दिल्ली में पानी आएगा, उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी, यह तो बहुत टाइम से देख रहे हैं। कपिल जी, जब जल बोर्ड देख रहे थे, उस टाइम पर भी यह परेशानी आई थी। उसके बाद में भी हमेशा यह परेशानी आती रही है कि बार–बार अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है, यह लापरवाही उनकी है, उन्हें माननी चाहिए और इसका कम्पनसेशन दिल्ली को देना चाहिए। आज की तारीख में बिना वजह पानी का स्तर गिरा देना और इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात करना कि आते–आते पानी इवेपोरेट हो जाता है, ऐसा कहीं होता है! और

अभी तो गर्मी भी ठीक से नहीं आई है अगर 10–15 डिग्री टेम्प्रेचर भी बढ़ेगा उस वक्त तो लगता है, हरियाणा ही सूखा पड़ जाएगा। हरियाणा के पानी के स्रोत आपने खत्म कर दिए हैं। गुड़गाँव के अंदर पूरा का पूरा पानी भर जाता है, पूरा का पूरा गुड़गाँव एक तालाब जैसा हो जाता है। जब बारिश होती है तब तो आपका पानी नहीं सूखता, दिल्ली में आते हुए, आपका पानी कैसे सूख जाता है? यह किस तरीके का बहाना है? यह पोलिटिकली इम्मेच्योरिटी है, इसका जवाब देना चाहिए उन लोगों को। और हम सब को, जनता को साथ में लेकर चलना चाहिए हरियाणा भवन जाना चाहिए, उनका घेराव करना चाहिए। पूछें तो सही उनसे, तुम आते हो दिल्ली में, डीटीसी में तुम्हारे कितने लोग नौकरी करते हैं हरियाणा के, दिल्ली पुलिस में कितने लोग नौकरी करते हैं हरियाणा के, यहाँ आकर पानी नहीं पीएंगे क्या? हरियाणा के बच्चे दिल्ली में पढ़ते नहीं क्या, हरियाणा के लोगों के इलाज नहीं होते क्या दिल्ली में? तो आप पानी कैसे रोक सकते हो दिल्ली वालों का, हरियाणा और दिल्ली में फर्क करोगे क्या? जनता में फर्क करोगे! हम सब हिंदुस्तान के नहीं हैं क्या? अलग–अलग देश हो गया क्या ये?

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये अब।

श्री नितिन त्यागीः इतना झगड़ा तो कर्नाटक और तमिलनाडु में नहीं हो रहा, जो इन्होंने शुरू कर दिया है यहाँ पर। यह घटिया राजनीति है।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये।

श्री नितिन त्यागीः इसके लिए हम लोगों को, सब को मिलकर जाना चाहिए। आवाज उठानी चाहिए और मीडिया के जो लोग बाहर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यह बात पूरी की पूरी जनता तक अपने माध्यम से पहुँचाये कि ये हरियाणा की राजनीति है जो दिल्ली में आज पानी कम हो रहा है। ये

बार–बार दिल्ली के जल बोर्ड पर उँगली उठाने की बजाय एक बार सारी की सारी जनता खट्टर साहब से पूछे कि ये पानी क्यों कम कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत खुशी की बात है कि आज सत्ता पक्ष के विधायक सदन के अंदर पानी की कमी को महसूस कर रहे हैं। हमने कितने बार कहा कि सर्दियों के दिनों में भी ऑड–इवन में पानी मिल रहा है। सर, आज यमुना में अमोनिया की बात हो रही है, दिल्ली को हरियाणा पानी नहीं दे रहा, उसकी बात हो रही है, हरियाणा सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं, बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, यह कहा जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि 47 परसेंट पानी पीने के लिए जो है, उसमें चोरी हो रही है। जो सरकार तीन साल के अंदर चोरी तक न रोक पाई हो, तो इस सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। जो सरकार...

... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधानः त्रिपाठी जी, जरा एक मिनट, चुप बैठ जाओ।

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, प्लीज।

श्री जगदीश प्रधानः सर, जो सरकार तीन साल में, बल्कि मैं कहूँ चार साल में पानी के स्रोत न ढूँढ पाई हो कि दिल्ली की जनता की प्यास हमको किस तरह से बुझानी है, उस पर कोई कंसल्टेंट नियुक्त न किया जा सका आज तक। मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ... आपके माध्यम से सरकार को कि वजीराबाद जो डेम है, जहाँ से पानी सप्लाई होता है। बरसात के दिनों में वजीराबाद से पल्ला की दूरी कम से कम 6–7–8 किलोमीटर की है। यदि सरकार चाहे और दिल्ली को पानी पिलाना चाहती है तो उसमें एक डैम बनाए

बड़ा और वहाँ पानी इकट्ठा करे। बरसात के दिनों में जब जमना बहती है तो मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली की प्यास बुझ जाएगी। तो मैं इसमें ज्यादा राजनीति कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपको कि आप इसको सरकार को निर्देश दें कि पानी के स्रोत खोदें मतलब तलाशें और दिल्ली की जनता को पानी से राहत दिलाएं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री राजेश गुप्ता जी। बहुत संक्षेप में राजेश जी, प्लीज।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इस विषय पर बोलना मेरे लिए शायद बहुत जरूरी था, बार बार मेरी विधानसभा का नाम आया। मैं पहले आप सभी को नवरात्रे की बधाई देना चाहता हूँ। ये बधाई मैं अध्यक्ष जी, यहाँ तो आपको दे सकता हूँ। दरसल ये बधाई मैं अपनी विधानसभा में दे ही नहीं पाया क्योंकि भारत में जो सरकार काम करती है; हम बहुत 85–90 परसेंट लोग जिस धर्म से बिलाँग करते हैं, इस देश के अंदर उनके लिए इन दिनों का बहुत बड़ा महत्व है। नये साल की शुरूआत होती है। हमने वट्सऐप्प पर सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं खासतौर से हमारे जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, वो बहुत बधाई दे रहे हैं, नये साल की, हम भी दे रहे हैं। बैशाखी आ रही है। नवरात्रे चल रहे हैं। व्रत है हम सबके घरों में। लेकिन बिना पानी के कैसे व्रत! बिन पानी सब सून! अध्यक्ष जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने मुझे जहाँ तक देखा होगा, बड़ा हँसता–मुस्कराता सा मैं जीव रहा हूँ लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे दुःखद दिन मैं अगर कोई दिन मैं गिनता हूँ तो वो दिन रहा, जब एक आदमी पानी की लड़ाई में वहाँ मारा गया। तकरीबन तीन महीने हो गये। मुझे लगता है कि अगर इन दिनों दोनों चीजों को आप कोरिलेट करके देखें कि तकरीबन जनवरी की शुरूआत से ही पानी बंद हुआ precise 30th of December से पानी के अंदर समस्या आनी शुरू हुई और

19 तारीख को हमें डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है। ये दोनों चीजें आपस में कुछ कोरिलेट सी मुझे बहुत लगी और जनता को भी लगी। वहाँ पर पानी की ऐसी हालत हो गई जो आज तक न कभी किसी ने सुनी न देखी और झुग्गियों का खासतौर के एरिया है, जहाँ पर न सिर्फ मैं बहुत अच्छे तरीके से जीता था, मेरे काउंसलर भी वहीं पर हमारी पार्टी से जीते हुए हैं और एकदम से जहाँ पर हमने दुनिया भर के शौचालय बनाये, गलियाँ बनाईं, झुग्गियों के लिए बहुत काम करे, वहाँ पानी रोक दिया। अब सारी की सारी अच्छी चीजें जो 18 घंटे की... तीन साल की मेहनत थी, उसको जीरो करने का एक बड़ा आसान सा तरीका ढूँढ़ा कि पानी रोक दो। लोग परेशान हो गये, लोग तड़प रहे हैं और तड़प यहाँ तक पहुँची कि जब पानी नहीं आ रहा था तो एक विधायक जो कर सकता था, एक पूर्व विधायक जो कर सकता था कि उसने वहाँ पर टैंकर की व्यवस्था करी जो जलबोर्ड के माध्यम से हमने करी। उन टैंकरों में एक लाइन लगी। कुछ बच्चों ने आपस में झगड़ा करा और उनके पिताजी बीच बचाव के लिए आए और बदकिस्मती से एक घूंसा उनके सिर पर लगा और उनकी हत्या हो गई, वो मारे गये और उसके बाद में जो खेल वहाँ पर एरिया में क्योंकि शायद लग रहा था कि चुनाव हो जाएंगे तो जो खेल वहाँ पर लगा एक पीपली लाइफ जो पिक्चर मैंने वहाँ देखी कि काँग्रेस भी वहाँ पहुंच गई... आज तक मैं गारंटी देता हूँ, भरे सदन में कह रहा हूँ, कोई पता कर ले कि काँग्रेस के दिल्ली के नेता वहाँ पहुँचे जो आज तक वहाँ नहीं गये थे। बीजेपी के लोग वहाँ पर पहुँचे जिनका कोई लेना देना वहाँ से नहीं था, वहाँ पर पहुंचे और पूरी 'पिपली लाइफ चलाई'। मंच लगाया दो तरीके की तो वहाँ पर नीचे पहले पॉलिथिन बिछाई गई, उसके बाद में कालीन लगाई गई, उसके बाद में कुर्सियां लगाई गई, बड़े बड़े माइक लगाये गये कि एक मौत हो गई है, 'आओ इसका तमाशा बनाया जाए कि दिल्ली सरकार की वजह से मौत हो गई है, पानी की वजह से मौत हो गई है।' पानी की वजह से मौत नहीं हुई। राजनीति है। दोनों बड़े

भाई सामने बैठे हुए हैं। हम सब राजनीति करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में, मैं तो बिलकुल नया हूँ, ये दोनों बहुत पुराने हैं। हम हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा कर रहे हैं। आप भी हरियाणा से आते है, मैं भी आता हूँ, विजेन्द्र भाई साहब भी आते हैं और सीएम साहब भी आते हैं। हरियाणा थोड़े ही पानी रोक रहा है। हरियाणा में एक सरकार है। क्या वो नहीं समझ रही; दिल्ली के अंदर हम जैसे 30—40 परसेंट लोग हरियाणा से ही आये हैं, उनका पानी रोक लेना, ये किस किस्म की राजनीति है, मेरी समझ में नहीं आता! वो अमोनिया दिखाई दे रहा है। आप मेरे साथ में अगर यमुना पर चलें जहाँ वो बैराज है, आपको अमोनिया वो जहर दिखाई देगा तैरता हुआ और इसको रोक नहीं रहे। एनजीटी में जो मैं उन सभी बातों में नहीं जा रहा, समय की मर्यादा है लेकिन मेरा कहना यही है कि इस किस्म की राजनीति एक आदमी मारा जाता है और पानी, हवा, सूर्य; अब हम इसके ऊपर भी राजनीति करेंगे कि हम रोक लें, लोग मरें, लोग तड़पें, लोग आम आदमी पार्टी को गाली दें, लोग केजरीवाल को गाली दें, लोग विधायक को गाली दें। ये किस किस्म की राजनीति है। इतना स्तर नीचे गिर जाएगा! मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ। मैं किसी पर कोई आज आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे साथ में आप चलें, आप स्पीकर हैं, दोनों मेरे भाई चलें, ये सामने बैठे हैं, जो इनके चार सदस्य हैं, सब चलें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। कल जाकर खट्टर साहब के यहाँ पर जाएं। हरियाणा सरकार के पास में जाएं। जिसके पास में भी चलना है, चलें और हाथ जोड़कर के ये प्रार्थना करें कि इस चीज के ऊपर राजनीति न करें। हम राजनीति करेंगे, हमें अपना टाइम हो जाएगा तब आपके पास में भी मौका होगा, जब राजनीति का समय आएगा। और जो वो दिवंगत आत्मा मरी है जिसके नाम पर चैक दिया गया है, जो आदमी मर गया है, उसके नाम पर इन्होंने चैक इश्यू कर दिया! जल्दबाजी है, फुटेज लेनी है लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जो भी करना चाहते हो, उसके लिए, करें, हमें भी करने दें, परन्तु इस पर राजनीति न करें।

जो आदमी मरा है, उसके लिए विधानसभा में दुःख व्यक्त तो है ही लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इसके ऊपर दिल्ली के पानी के ऊपर, दिल्ली के प्रदूषण की हवा के ऊपर... इस पर राजनीति न करें। हम सब मिलकर... कल मेरा अनुरोध है, अगर आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी बात आ जाए जो हमारे विपक्ष के साथी राजी हों। मेरा ख्याल जगदीश जी ने अभी बात कही, उनके यहाँ भी दिक्कत है, विजेन्द्र जी के यहाँ भी होगी। हम कल हरियाणा भवन की तरफ चलें और इसके ऊपर बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमनाथ भारती जी, नहीं। माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री कपिल मिश्राः अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए समय चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं अब... कपिल जी, प्लीज।

श्री कपिल मिश्राः सर ये मामला सीधा सीधा अमोनिया का है। मैं केवल बीस सेकेंड में रख दूँगा क्योंकि जलबोर्ड के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। जलबोर्ड ने ट्रायल किया था, अमोनिया के एक प्लांट का जो कि सक्सेसफुल हुआ था पिछले दोनों सालों में, और अमोनिया का संकट केवल चार या पाँच दिन चला था। इस साल वो प्लांट चले नहीं हैं और वो बंद हैं। वजीराबाद प्लांट के अंदर अगर अधिकारी महोदय सुन रहे हैं तो उस प्लांट को अगर ट्रायल प्रोजेक्ट जो कि सक्सेसफुल हुआ था, दुबारा किया जाए, तो अमोनिया की प्रोब्लम कम हो सकती है। दूसरा, इसमें एक पाइप लाइन आती है जो पानी को छोड़ देती है और सीधा वजीराबाद में बिना अमोनिया के पानी आता है। उसके पैरलल लाइन को अगर आप शुरू करेंगे जिसमें शायद कुछ जाम है, वहाँ पूरा पानी नहीं आ पा रहा है तो हमारे को और ज्यादा साफ करनी पड़ेगी बिना पानी करके अमोनिया के... ये तो मेरे सोल्यूशन हैं जो मैं सदन में

रखना चाहूँगा और लास्ट बात और केवल मैं इतनी कहना चाहता हूँ कि अगर हमने गर्मियों के... इस प्रकार की दिल्ली वर्सेज हरियाणा किया तो हमें पंजाब और हरियाणा की लड़ाई से कुछ सीखना होगा। हमारी विधानसभा भी प्रस्ताव पास करेगी, हरियाणा की भी करेगी और स्थिति ऐसी आ जाएगी कि चार–पाँच महीने में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और पूरी गर्मी सूखी हुई बीत जाएंगी तो कोई भी लड़ाई या स्थिति तनाव की कम से कम चार–पाँच महीने न करें वरना दिल्ली के लिए मुश्किल होगा।

अध्यक्ष महोदयः बैठिये, प्लीज बैठिये।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन)ः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा से जो पानी के अंदर अमोनिया आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री, वॉटर रिसोर्सेज नितिन गडगरी जी ने एक मीटिंग की थी। उसमें मैं भी गया था। सभी राज्यों की मीटिंग थी हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तो वहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया था और उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे कैसे अलाउ किया जा रहा है! भई कितनी इंडस्ट्री होंगी; सौ–दो सौ–तीन सौ? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसको बंद नहीं किया जा सकता, जिसका अमोनिया उसमें डालना अलाउ कर रखा है और वो बिना राजनीतिक संरक्षण के हो नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हजारों, लाखों इंडस्ट्रीज हैं जिनका पानी कहते हैं, अमोनिया नदी के अंदर गिर रहा है। तो केन्द्रीय मंत्री जी का भी यही विचार था कि उनको सख्ती से पेश आना चाहिए। उन्होंने प्रदूषण बोर्ड को भी कहा था कि भई, इसको तो सहन नहीं किया जा सकता। अगर पानी को ऐसे जहरीला कर दिया जाएगा जो पीने लायक ही नहीं बचेगा और कुछ लोगों की ये हो सकता है कि ये राजनीतिक संरक्षण हो या हो सकता है कि भई अधिकारियों से साँठगाँठ हो कि भई, जो फैक्ट्री चला रहे हैं... मुझे तो ऐसा बताया गया है कि पचास या सौ ही ऐसी हैं फैक्ट्रियाँ, जिनकी वजह

से सारी की सारी समस्या ये है। तो इस समस्या को राज्य सरकार अगर चाहे तो बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है।

दूसरा इश्यू ये आता है कि भई पानी... अक्सर हरियाणा कहता है, 'हम इतना पानी देंगे, इतना नहीं देंगे।' हरियाणा में तो पानी नहीं बनता। जो दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है, यमुना नदी के अंदर जो पानी आ रहा है, हरियाणा से बिलकुल भी उसके अंदर एक बूंद भी पानी ऐड नहीं होता। वो जो पानी आ रहा है, वो हिमालय से आ रहा है वो। तो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश रोक ले उसको, उत्तर प्रदेश रोक ले उसको, उत्तराखंड रोक ले। ज्यादातर जो पानी यमुना में आ रहा है, उत्तराखंड और हिमाचल के द्वारा ही है। तो हरियाणा तो एक रास्ता ही है बस। ये तो दूसरी तरह से ये हुआ कि नेशनल हाईवे जितने भी हरियाणा से निकलकर आते हैं, कल को कह दें कि पंजाब का कोई आदमी नहीं आने देंगे हम। हमारी मर्जी है, हमारे यहाँ से निकल रहा है और इसी देश के अंदर सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी जिसका 80 प्रतिशत से ज्यादा पानी पाकिस्तान को जाता है, उस पर तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता। अगर 80 प्रतिशत से ज्यादा पानी भी उनको जा सकता है और मैंने वहाँ पर भी कहा था, मंत्री जी से यही कहा था कि दिल्ली को कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी भी तरीके का जो भी एग्रीमेंट पहले से चल रहा है, हम उस पर एग्रीड हैं। हमने ये नहीं कहा कि हमें एक्स्ट्रा पानी दे दिया जाए। जो परसेंटेज फिक्स है, परसेंटेज के हिसाब से वो हमारे को तो उतना ही मिलना चाहिए परन्तु उसके अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस तरह की राजनीति को छोड़कर जो ये सोच रहे हैं कि भई हम राजनीति कर लेंगे। वो क्या हो रहा है कि हरियाणा में अभी इलैक्शन आने वाले हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि जी, हम दिखाएंगे कि देखो हमने दिल्ली का पानी रोक लिया। हमने दिल्ली में पानी नहीं जाने दिया और पानी के ऊपर

इलैक्शन लडेंगे फिर हम। जैसे पहले पंजाब और हरियाणा की लड़ाई हुई। अब हरियाणा और दिल्ली की लड़ाई दिखा देंगे। तो इस राजनीति को न करके जो पहले से वैल सैटल्ड लॉ है, वैल सैटल्ड डिस्ट्रीब्यशन है, पहली बात तो उस पर चलना चाहिए। जब दूसरे देशो के अंदर अपनी ट्रीटीज को मानते हैं। दूसरे देशों के साथ हम अपनी पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे हम। भई पाकिस्तान से ये था कि 80 प्रतिशत पानी दे दीजिएगा। अस्सी नहीं, उसको 90 परसेंट दे रहे हैं 95 परसेंट दे रहे हैं। वहाँ तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपने ही देश के अंदर जो सैटैल्ड है जिसके ऊपर झगड़ा है ही नहीं, झगड़ा होता तो हरियाणा कहे कि हम इसको नहीं मानते। तब बात अलग करें। वो कहते हैं, हम मानते तो हैं परन्तु मानते हैं, इसको लागू नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर दिक्कत नहीं करनी चाहिए। और अमोनिया जो फैक्ट्रियाँ जहाँ–जहाँ अमोनिया पैदा हो रहा है, उसको सख्ती से बंद कर देना चाहिए और परमानैन्टली बंद कर देना चाहिए ताकि अमोनिया की प्रॉब्लम बार–बार न आए, धन्यवाद।

(गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प (नियम–89)

अध्यक्ष महोदयः नियम 89 के अन्तर्गत श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम 89 में श्रमिक कल्याण निधि के बारे में मैने प्रस्ताव लगाया। मैं संक्षिप्त में प्रस्ताव की डिटेल आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। दिल्ली में डीबीओसीबीडब्लयूडब्ल्यू...

अध्यक्ष महोदयः नहीं, पहले ये संकल्प तो प्रस्तुत कर दीजिए एक बार।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह सदन संकल्प करता है कि सरकार को बिल्डिंग श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए प्रदत्त योजनाओं को लागू करने हेतु गम्भीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए। सदन यह

भी संकल्प करता है कि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। क्योंकि इस निधि के प्रावधानों से अवगत न होने के कारण अधिकांश मजदूर इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और इसमें एक लाईन जो इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है और जो गैर श्रमिक जो हैं बिल्डिंग के, वो जो इसका लाभ ले रहे हैं, उसको तुरन्त खारिज किया जाना चाहिए और उनसे वो तमाम पैसे वसूली किए जाने चाहिए।

इसमें अध्यक्ष जी, ये प्रस्ताव जो है, ये मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश कर रहा हूँ। जो बात मैने यहाँ कही है। ये जो दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कन्सट्रक्शन वर्कर वेल्फेयर बोर्ड है। वास्तविकता में देश के अंदर 2001 में एक कानून बना था कि जो लोग भवन निर्माण का कार्य करते हैं, उनके मजदूर अन–आर्गेनाइज्ड सैक्टर है, सबसे एक प्रकार से पिछड़ा हुआ ही नहीं, बहुत ही दरिद्र स्थिति में उनका जीवन यापन है। क्योंकि वो अपने घर में नहीं रह सकते। उनको, जहाँ बिल्डिंग बनती है, वहीं उनके बच्चे धूल मिट्टी में वहीं पलते हैं। तो उनके वेल्फेयर के लिए जहाँ दिल्ली के अंदर जितने भी भवन बनेंगे या जो भी भवन से कन्सट्रक्शन का हो, उस पर एक सैस लगाया गया जाए दो परसेंट का सेस। उससे उनकी वेल्फेयर स्कीम चलेगी और उनको सीधा लाभ पैसे के रूप में उनको दिया जाएगा। ये योजना है इस योजना के तहत दिल्ली के अंदर लगभग पौने छः लाख लोगों को पहले रजिस्टर्ड किया गया और उस पर सवाल खडे हुए। एक पत्र 27 सितम्बर का जो इस विभाग के अधिकारियों ने हस्ताक्षर करके लगभग 27 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किये ऑफिसर्स ने और इस पर लिखा है कि It is submitted that a quantum increase in number of unions in last two years and due to registration of construction workers at labour chowk and colony camp, large number of bogus registration of non construction workers has been noticed by the office of the Development Deptt. which has

been brought to the notice of the officers in the meeting and the hon'ble chairman and secretary from time to time. it has come to notice that non construction workers like housewives, domestic servants, rickshaw pullers, rahri walas, factory owners, shop's workers, shop owners.' यानी कि जो वास्तविकता में उसके लाभ के हकदार हैं, उसके अलावा लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं और वो पैसा वहाँ से निकाल रहे हैं। इसके बाद एक पत्र निकाला, एक सर्कुलर निकाला डिपार्टमेंट ने और उसमें ये माना कि हमारे यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है अध्यक्ष जी, क्योंकि वो जो रुपया है, वो सिर्फ बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स को ही दिया जा सकता है और अब तक डेढ़ सौ करोड से ज्यादा ये मैने प्रश्न भी लगाया था, उसका रिप्लाई भी मुझे मिला। इसमें ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ है। डेढ़ सौ करोड़ से ज्यादा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये सर्कूलर 10 तारीख का। It has been brought to the notice of the officer from the district that of late, it has been seen that in this process of non construction workers have started fraudulently tried to register themselves through the trade unions in order to avail various benefits of welfare schemes and on few occasions some of the unions are also encourging them to do so on vested interests.' उसके बाद डिपार्टमेंट ने कहा कि District Incharge may after examining such an application and on his satisfaction to file a complaint against the construction workers and unions.' उनके अगेंस्ट ये करा जाए। 'Police authorities to have an FIR for furnishing wrong information before the government officer in order to benefit illegally, fraudulently which they are non entitled from the …of the board. The district official of the Labour Deptt. is responsible for the careful observance and strict compliance of this order. उसके बाद जिसने ये एक्ट बनवाया था। National Campaign Committee…

अध्यक्ष महोदयः अब इसको कन्क्लूड कर लीजिए। बस।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक बड़ा विषय रख रहा हूँ अध्यक्ष जी, आपके सामने और...

अध्यक्ष महोदयः रखिए–रखिए। रोका नहीं, मैने समय दिया पूरा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट में कर लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बिल्कुल, बिल्कुल शॉर्ट में... इससे शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। जिससे ये Central legislation on construction labour जो बनवाया। उसके जो फाउंडर चेयरमैन हैं, वो जस्टिस वी.आर. कृष्णअय्यर हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी और वेटॅरन, सीनियर लोगों ने देश के इस लॉ को बनवाने में पूरा एक संघर्ष किया। उन्होंने चिट्ठी लिखी उसे, संस्था ने चिट्ठी लिखी, जिसने ये संघर्ष किया कि ऐसे–ऐसे कुछ फर्जी यूनियन्स रजिस्टर्ड हुई हैं और जो ये पैसे विदड्रॉ करवा रही हैं, ये बड़ी संख्या में हैं। इसके ऊपर भी डिपार्टमेंट ने 1/12 को चिट्ठी निकाली और इसमें लिखा कि It is about illegal registration, renewal of non construction workers as construction workers in various districts office of the board are availing incentives illegally. The copies enclosed herewith which is self explanatory.'

अब उसके बाद असली बात जो यहाँ आई, इस पत्र में 1/12 को जो डिपार्टमेंट ने लिखा कि In view of the above, it is directed to inform you that a thorough enquiry be conducted in this regard as per the provisions of the trade union act 1926 against all registered trade unions and construction workers union in your district and submit a report to the secretary cum commissioner alongwith a copy to the secretary Board immediately.' यानी कि इसकी इन्क्वायरी के लिए आदेश जारी हो गए और इसकी इन्क्वायरी करने के बाद उसके तमाम दस्तावेजों के साथ सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो हैं, वो डिपोर्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि ये सारा जो रजिस्ट्रेशन जो–जो गलत

हुआ है जो– जो किया है, उनके ये नाम हैं। सवाल ये है अध्यक्ष जी, न एक एफआईआर कराई किसी ने, ये सबने माना कि गलत हो रहा है, न कोई रिपोर्ट कहीं हमारी नॉलेज में आई इस तरह की कि रिपोर्ट कोई सब्मिट हुई है और इसके साथ–साथ इसका कोई स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर ही नही बनाया कि जो आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आया है, कैम्प किस तरह से लगा रहे हैं, कौन लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो कन्ट्रेक्शन वर्कर है। क्योंकि वो तो कोठियों में रह रहे हैं। अगर आप उनको ऐड्रेस विजिट करें तो आप देखेंगे कि वो तो पचास लाख एक करोड़ के मकान के मालिक हैं। जो एक करोड़ के मकान का मालिक है, जिसका अपने नाम से घर है, वो कैसे एक गरीब के पैसे को वहाँ से लेकर के जा रहा है? सवाल ये है कि न गवर्नमेंट इसमें इन्ट्रेस्टेड है कि कोई सिस्टम क्रिएट किया जाए, न गवर्नमेंट इसमें इन्ट्रेस्टेड है, कभी साइट पर कोई इन्सपैक्शन नहीं हुआ। किसी गलत रजिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई और लगभग 200–300 करोड़ रुपया... क्योंकि आपके पास फील्ड स्टॉफ ही नहीं है। अगर आपके पास जैन्युइन एप्लीकेशन आप कैसे गेस कर रहे हैं? इसका कोई तरीका नहीं है। तो ये जो पैसा 23 सौ करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका है, पहले भी डायवर्ट करने की कोशिश की। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया। आपने कहा हम स्कूल बना देंगे। हमने कहा आप कन्स्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते। आप इसको गरीब के घर पर पैसा पहुँचाने का काम करें। उसकी 14–15–20 स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स के तहत उनको ये जो स्कीम्स हैं, ये इस पत्र में ये जो सवाल का जवाब था जैसे ...

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, ये लम्बा हो जाएगा। इन 14 स्कीमों के ऊपर मालूम हैं। वो सारी स्कीमें मालूम हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इसमें छात्रवृति, विवाह लाभ, पेंशन, चिकित्सा, प्रसूति

लाभ इस तरह के... डायरेक्ट उससे मकान बनाने के लिए लोन। तो ये पैसा ये तमाम वो चीजें हैं। लेकिन गरीबों को जो बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन वर्कर हैं, उन तक ये पैसा नहीं पहुँच रहा है। ये मैं चाहता हूँ कि इस पूरे मामले की सीबीआई जाँच होनी चाहिए और सदन के समक्ष ये पूरा मामला मैंने रख दिया है। भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है। गरीब मजदूरों को लूटने का मामला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार ये जो तथ्य मैंने रखे हैं, इन तथ्यों के आधार पर, इस पूरे मामले की जाँच करके जो धन गरीबों तक जाना चाहिए, जो जेन्युइन उसका हकदार है, उस तक जाए अगर उसके अलावा वो जा रहा है, तो उसको रोकना चाहिए, वापस लेना चाहिए वरना मैं ये कहूंगा इस सरकार के कार्यकाल का ये सबसे बड़ा फ्रॉड, करप्शन का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन के सामने आएगा जिसमें हजारों लोग लूटकर के पैसा लेकर जा रहे हैं। कल को जिम्मेदारी सरकार की होगी, मंत्री जी की होगी, मुख्यमंत्री जी की होगी और इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। गरीबों का पैसा वापस लाइये, जेन्युइन लोगों तक पहुँचाइए और इसकी पूरे मामले की जाँच के आदेश दीजिए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अब माननीय मंत्री जी, उत्तर देंगे।

श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता–प्रतिपक्ष ने मजदूरों के प्रति अपनी संवदेना व्यक्त की, इसके लिए उनको धन्यवाद क्योंकि जिन मजदूरों की चिंता में अभी उन्होंने अपनी बात रखी है और जिन अधिकारियों के हवाले से रखी है, इस पूरे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का वैलफेयर का जो फण्ड है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसमें रजिस्ट्रेशन की फाइनल ऑथोरिटी वही अधिकारी हैं, जिनके बिहाफ पर वो अपनी बात रख रहे थे लेकिन उनकी चिंता जायज है। आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी चिंता के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे देश के अंदर अध्यक्ष महोदय,

कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वैल्फेयर फण्ड है। दिल्ली के अंदर भी है। हमारी सरकार बनने के बाद जो शेष फण्ड नहीं आते थे, उसके लिए क्लोज मॉनिटरिंग करके अलग–अलग विभागों से, अलग–अलग जो ऑथोरिटिज हैं उनके माध्यम से शेष फण्ड इकट्ठा करने के लिए क्लोज मॉनिटरिंग शुरू की गई।

देश के अंदर पहली बार हुआ है, दिल्ली में पहले भी सरकार रही हैं लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद जो दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, जिनके बेटे बेटियों की शादी के लिए पहले 10,000 रुपये मिलते थे, हमारी सरकार ने उसे 51,000 रुपये किया। अगर प्रसूति खर्च के लिए 10,000 मिलते थे, उसे हमने 30,000 रुपये किए। पेन्शन के लिए 1,000 मिलते थे, उसे हमने 3,000 रुपये किए। मकान के लिए 1,50,000 मिलते थे, हमने 3,00,000 रुपये किए। विकलांगता पेन्शन 1,000 मिलती थी, हमने उसे 3,000 किया। औजार लोन के लिए 10,000 मिलते थे, 20,000 हमने किया। औजारों के लिए अनुदान 1,000 मिलता था, हमने 5,000 किया। दाह संस्कार के लिए 5,000 मिलता था, हमने 10,000 रुपये किए। प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर उन्हें 50,000 मिलता था, हमने 1,00,000 रूपया किया। दुर्घटना होने पर 1,00,000 मिलता था, हमने 2,00,000 रूपया किया। पहले चिकित्सा के लिए 1,000 मिलता था, हमने 10,000 किया। पारिवारिक पेन्शन 500 रुपये मिलती थी, हमने 1,500 रूपया किया और उनके बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा फंड का हिस्सा उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए जाता था, पहले उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए 100 रुपये मिलते थे, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने 500 रुपये किया और हाई एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में जब 2,500 मिलते थे, उसको 10,000 रूपया किया। ये काम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग–अलग राज्यों में सेस के फण्ड से कंस्ट्रक्शन वर्कर के वैल्फेयर के लिए स्कीमें बनी हैं लेकिन दिल्ली

सरकार ने वैल्फेयर की जो स्कीम बनाई है, हिंदुस्तान के अंदर किसी राज्य में आज तक नहीं लागू हो पाई है।

रजिस्ट्रेशन के लिए अध्यक्ष महोदय, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनका जो डेफीनेशन है, एक्ट के तहत कि जो भी लोग भवन बनाने में, मरम्मत करने में अथवा गिराने में, सड़क, पुल, सुरंग, रेलवे, विमान पत्तनम, टॉवर्स, बिजली का उत्पादन–पारेशण और वितरण, नहर, जलाशय, खुदाई, बाढ़ नियंत्रण, जल प्रदाय, पाइप लाइन्स, रेलवे लाइन बिछाने–केवल बिछाने आदि कार्यों में बतौर राज मिस्त्री, बढ़ई, पॉलिशमैन, फिटर, बार–बाइंडर, बिल्डर्स, टाइल्स पत्थर लगाने वाला कारीगर, लोहार, कंकरीट मिक्सर, पम्प ऑपरेटर, ग्रेन ऑपरेटर, बेलदार, मजदूर, कुली, चौकीदार आदि पदों पर कार्यरत व्यक्ति इस 'कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर बोर्ड' का मैम्बर बन सकता है।

इसके लिए जो प्रोसस है, उसका जो प्रोसस बना, उसके लिए उसे अपना एक फॉर्म भरना पड़ता है। उसको इसके लिए 25 रुपये शुल्क देना पड़ता है, पाँच रुपये उसे स्थायी शुल्क देना पड़ता है। उसके लिए दिल्ली के अंदर पहले सरकार ने ये बनाया कि इसके लिए एक आथोराइजेशन लेटर हो, वो ठेकेदार दे सकता है। यहाँ पर जो नियम था कि वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर्स जो यूनियंस हैं, वो भी इसको आथोराइज कर सकती हैं और वो एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास आता है, डिपार्टमेंट में आने के बाद जो हमारे नॉमिनेटिड अधिकारी हैं, उसको वैरीफाई करने के बाद मुहर ठोकते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है।

इसको लेकर के अलग–अलग जगहों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी जगहों पर पैसा पड़ा हुआ है, उनको नहीं पहुँच रहा है, इसके लिए दिल्ली के अंदर स्पेशल अभियान भी चलाए गए और मैं आपको बताना चाहता हूँ अध्यक्ष

महोदय, कि दिल्ली के अंदर जो स्पेशल, ये अभियान चलाया गया, उसमें 2008 से 2018 तक 10 साल में जो रजिस्ट्रेशन हुए, उसके पिछले सरकार के दौरान, हमने स्पेशल ड्राइव चलाकर के इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को उससे ज्यादा हमने किया है।

रही बात जो विजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा है अलग–अलग जो जगहों से जो मजदूर आते हैं, मैं श्रम मंत्री हूँ, मेरे पास ही आते हैं, उनको ये बात, कई जगह से ये बात आती है कि इस तरह की चीजें होती हैं तो इसलिए सरकार जब हमारी बनी थी, उसके बाद इस तरह की जाँच के भी आदेश हुए थे। कई लोगों पर एफआईआर भी हुए और इसको प्रात्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने इसमें प्रचार की बातें, कई बार हमने इसके लिए कम्पेन भी चलाया, प्रचार भी किया।

रही बात जो विजेन्द्र जी ने रखी है कि इस तरह की कुछ यूनियन हैं जो दिल्ली कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए रजिस्ट्रेशन में जो उनका योगदान है, कर रही हैं और इस तरह के लोगों को कर रही हैं, मैं विजेन्द्र जी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा एप्लीकेशन आता है और मैं उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, जिनके बारे में वो पढ़ रहे थे, अगर कोई भी इस तरह का कम्पलेंट है, सरकार जाँच की बात छोड़ दीजिए, कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगी, चाहे वो यूनियन का व्यक्ति हो और चाहे अधिकारी हो और चाहे कोई भी व्यक्ति हो...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बट ये जो पैसा बंट रहा है और चला गया पैसा, उसको रोकिए ना आप। आपका जो कर्ज हो, आपने खुद माना कि एक अगर अधिकारी मुहर लगा दे, कोई नीचे का अधिकारी बिना जाँच करे मुहर लगा देगा,

आप उसे सस्पेंड करिए लेकिन इसमें पैसे का लेन–देन हो रहा है, करप्शन हो रही है, यही तो हम बता रहे हैं। आपने जो योजना बताई, सारी बात बताई...

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, भई माननीय मंत्री जी बोल रहे है, ...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हमारा तो कहना है कि ...

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको उत्तर तो पूरा करने दो। उनको उत्तर तो पूरा करने दो।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैटर समझ गए हैं ये। लेकिन वो जो, जो पैसा लीक हो रहा है...

अध्यक्ष महोदयः तो आप भी मैटर समझ रहे हैं, आप भी पूरा मैटर समझ रहे हैं...

श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय)ः मैंने आपसे साफ कहा है...

अध्यक्ष महोदयः अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई हुई तो बचाने एलजी आएंगे...

श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय)ः हम मजदूरों की भी जन सुनवाई करते हैं। हम आपसे भी कह रहे हैं, हम अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं और जिस राजनीति के तहत आपके पास ये सारा पर्चा आया है, उसको भी हम जानते हैं। मेरा केवल इतना कहना है सारी चीजें एक तरफ, अगर कहीं भी और किसी भी कीमत पे और किसी भी कोने से कम्पलेंट आता है, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई उनकी बात...

... (व्यवधान)

श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय): उसकी हम जाँच भी करेंगे और कार्रवाई भी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: विजेन्द्र जी, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करिए। मंत्री जी बोल रहे हैं, उनकी बात पूरी होने दीजिए। विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: सर, आपके ये, आपकी सरकार के एगेंस्ट...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: विजेन्द्र जी, मैं एक बात कह रहा हूँ उनको पूरा बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: धमकियाँ बहुत मिल रही हैं, मिलती रहेगी, बैठिए अब। अब उनको बोलने दीजिए, प्लीज। माननीय मंत्री जी को पूरा बोलने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: क्या बता रहे हैं ये, इसीलिए कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, बोल तो रहे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अभी वो उत्तर दे रहे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अरे भई, उत्तर दे रहे हैं, उनको बोलने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अभी डेढ़ सौ– दो सौ करोड़ ही निकला है। उसमें से 70 परसेंट पैसा गलत हाथों में जा चुका है। ये गलत हाथों में जा चुका है। आपकी भावनाओं से मैं पूरी तरह से... भावनाओं का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। सही आदमी तक पैसा जाए, उसके लिए आप एसओपी बनाइए, उसके लिए क्रॉस वैरीफिकेशन करिए, उसको चैक करिए लेकिन अगर भाई भतीजेवाद में पैसा बंट रहा है तो वो गरीब तक नहीं पहुँच रहा। तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी होगी और कहीं न कहीं सरकार की...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, सारा समय आप ही ले लेंगे क्या?

श्रम मंत्री (श्री गोपाल राय): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था, विजेन्द्र जी ने वो सुना नहीं। मैंने यही बात आपसे कही है कि अगर मजदूरों का कोई भी एक रूपया किसी गलत हाथ में जा रहा है, हम भी इस पर निगरानी कर रहे हैं, हम सारे सदन के सदस्यों से भी कह रहे हैं और नेता–प्रतिपक्ष से भी ये कहना चाहते हैं कि किसी के संज्ञान में अगर इस तरह की कोई भी बात आती है, आप लिखित रूप में, आप अभी विजेन्द्र जी ने एसओपी की बात कही, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमने हिंदुस्तान के सभी बोर्डस की हमने दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी कि उनके यहाँ जो भी बेस्ट प्रैक्टिसिज हैं, हम उसको दिल्ली में लागू करेंगे। हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके भी संज्ञान में अगर कोई एसओपी समझ में आती है, आप वो भी बोर्ड को दीजिए, हम उसको भी लागू करेंगे। किसी भी तरह का, कहीं से कोई भी सुझाव आता है, बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस दिल्ली सरकार करने को तैयार है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, चलिए, ठीक है। अब श्री विजेन्द्र गुप्ता जी का...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई जो सिस्टम है, उसी के तहत तो करूँगा। आपने अपनी बात रख दी ना, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। नहीं, अब बैठ जाइए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैंने प्रस्ताव दे दिया, क्या करेंगे उसका।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं रखूँ क्या सदन में? वो तो जो सदस्य चाहेंगे, वो करेंगे। अब श्री विजेन्द्र गुप्ता द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं वो हाँ, कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें;

सदस्यों के न कहने पर प्रस्ताव गिरा।

अब श्री जगदीश प्रधान जी नियम 89 के अंतर्गत अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री जगदीश प्रधानः माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन संकल्प करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पाँचवें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सदन पटल पर तुरंत रखी जाए और इसकी सिफारिशें अविलम्ब क्रियान्वित की जाएं। सदन यह भी संकल्प करता है कि राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिए चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उत्तर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम तथा दूसरे नगर निगमों को ये राशि तुरंत दी जाए।

अध्यक्ष महोदयः माननीय उप मुख्यमंत्री जी तो उपस्थित नहीं हैं, माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे इसका।

श्री सत्येन्द्र जैन (स्वास्थ्य मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसके दो पार्ट हैं। एक तो ये कहते हैं कि फिफ्थ

फाइनेंस कमिशन की रिपोर्ट जब भी आए, तुरंत इसको पटल पर रख दिया जाए। फिफ्थ फाइनेंस कमिशन की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है और उनको पता है। फाइनेंस कमिशन की रिपोर्ट कोई पहली बारी नहीं आई और ये कोई ऐसा नहीं है कि आते ही उसको पटल पर रखें। पहले सरकार उसका विचार करती है, निणर्य करती है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः फिर विजेन्द्र जी, आप! पिछली बार कोई ओर विषय था, अब कोई ओर विषय है। देखिए विजेन्द्र जी, माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए।

स्वास्थ्य मंत्रीः चलो ये तो माना इन्होंने जो लिखा है, इसका मतलब इनको पता है। ये कह रहे हैं कि छः महीने से आई हुई है।

... (व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्रीः चलो, जब भी आई तो आपने तो इसमें नहीं लिखा है, आई है। आप तो कह रहे हो जब भी आए इसको रखो, आते ही। तो इसका मतलब आपने शरारतपूर्ण ये लिखा है पहली बात, चलो इसको छोड़ देते हैं इसकी बात नहीं करते हैं। मैं आपको मोटी–मोटी दो–चार बातें बता देता हूँ। ये कहते हैं कि जी फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ईस्ट दिल्ली को, एमसीडी को, साउथ को और नोर्थ को, फोर्थ फाइनेंस कमीशन के हिसाब से पैसा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, उसी फोर्थ फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के अंदर इसी सदन के अंदर ये चर्चा हुई थी। मैं भी मौजूद था, सारे जितने सदस्यगण बैठे हैं, वो भी मौजूद थे। हमने कहा था कि इन टोटो मानने के लिए तैयार हैं। अब एक

रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर 10 रिकमंडेशन है, कहते हैं कि चार मान लो छः की तो बात भी मत करो। उसके अंदर ये कहा गया था कि केंद्र सरकार की कुछ ड्यूटियाँ बताई थी कि इन पर भी केंद्र सरकार काम करे। उसमें ये कहा था कि किसी भी राज्य के अंदर रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है लैण्ड, दिल्ली डेवलपमैंट अथोरिटी, दिल्ली के अंदर कई सौ एकड़, हजारों एकड़ लैण्ड के ऊपर बैठी हुई है, 25 हजार करोड़ रुपए की उन्होंने एफडी करा रखी है। अब ये कहते हैं कि एमसीडी को तो आप पैसा दे दो, डीडीए से मत माँगो, फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में ये था कि डीडीए दिल्ली सरकार को दे दिया जाए। आप दिल्ली सरकार को डीडीए दिलवा दो, फोथ फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट की, जो कह रहे हो, उससे डेढ़ गुणा देंगे, 50 परसेंट ज्यादा देंगे। आप डीडीए हमें दिलवाइएगा। उन्होंने कहा था... आपको एक चीज ओर बताता हूँ: केंद्र सरकार पूरे देश के अंदर जितनी भी म्युनिसिपल कोर्पोरेशंस हैं, सभी म्युनिसिपल कोर्पोरेशन में आबादी के हिसाब से 488 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उस कोर्पोरेशन के लिए पैसा देती है, हर कोर्पोरेशन देती है और वो पैसा कितना बनता है, थोड़ा–बहुत पैसा नहीं बनता, वो हजारों करोड़ में बनता है। दिल्ली को नहीं देते, कहते हैं कि जी, दिल्ली को नहीं देंगे। क्यों? कहते हैं कि ये यूनियन टेरिटेरी है। अच्छा जी, यूनियन टेरिटरी मान लो। कहते हैं कि हम राज्यों को देते हैं लेकिन दिल्ली को नहीं देंगे कि जो डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर कैसे देते हो? कहते हैं, वो तो हमारी हैं, उनको दे देते हैं। तो भई, 488 रुपए के हिसाब से 1.67 करोड़ जो 2011 की जनसंख्या है, अगर उसके हिसाब से भी लगाएं तो ये पैसा तो दिल्ली को देना चाहिए और मैं आपको वादा करता हूँ, जितना पैसा केंद्र सरकार देगी, साथ की साथ या तो डायरेक्टली एमसीडी को दे दे, नहीं तो, हमें जिस दिन देंगे, उसी दिन, अगला दिन नहीं होने देंगे, उसी दिन एमसीडी को दे देंगे सारा। दूसरा जब

इलैक्शन लड़ने गए थे... मुझे भी याद है इनके राज्य के अध्यक्ष, बहुत जोर–जोर से चिल्ला के कहते थे, 'भाई साहब, हमें वोट दे दो, हम केंद्र सरकार से पैसा लेके आएंगे डायरेक्ट... कि जी, डायरेक्ट हमारी सरकार है वहाँ पे, हम उससे सीधा पैसा लेके आएंगे।' जनता को समझ में आ गई ये बात। कहते हैं, 'बात तो ठीक है जी, कि भई, इतनी बड़ी सरकार है जिसका 20 लाख करोड़ का बजट है, कहते हैं, एमसीडी को क्या है? 10–15 हजार करोड़ रुपए दिलवा देंगे, एक बारी में सारी झंझट ही खत्म हो जाएंगे। अरे! हम भी तो वही कह रहे हैं, एक बारी 5–7– 10 हजार करोड़ रुपए दे दो, एमसीडी का झंझट खत्म हो जाएगा। दो तो सही, स्पेशल पैकेज लाकर दे दो। देखो मैंने 3–4, 4–5 साल का हिसाब लगाया है 2012–13 में हमनें जो फाईनेंस कमीशन के हिसाब से 2000 थर्ड फाईनेंस कमीशन के हिसाब से साढ़े दस परसेंट पैसा देना था हमें इसे, उसके अलावा हमनें 771 करोड़ रुपये 2012–13 में एक्सट्रा दिये और 1098 करोड़ का लोन दिया। 13–14 में 894 करोड़ रुपये ग्राँण्ट इन एड एक्सट्रा जो साढ़े 10 परसेंट के अलावा है और 549 करोड़ का लोन दिया। 2014–15 के अंदर 968 करोड़ रूपया ग्राँट इन एड एक्सट्रा दी। 144 करोड़ रूपया लोन दिया। 2015–16 के अंदर 750 करोड़ ग्रांट इन एड एक्सट्रा जो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से बनती है दी और 603 करोड़ का लोन दिया। 2016–17 के अंदर 795 करोड़ रूपया ग्रांट इन एड एक्सट्रा दी और 576 करोड़ रूपया लोन दिया। अच्छा! लोन का इंट्रेस्ट भी नहीं लिया। इसके बाद बताता हूँ। जब ये कहते हैं ना... एमसीडी की पता नहीं, क्यों वकालत करते हैं ज्यादा! एमसीडी के बहुत सारे काम हैं जो उनको करने चाहिए थे, वो कर नहीं पा रहे थे। एक एग्ज़ाम्पल के लिए सड़कें हैं, दिल्ली की जितनी भी बड़ी सड़कें हैं, हमारे से पूर्ववर्ती सरकार ने वो सारी की सारी सड़कें एमसीडी से ली, कहते हैं, 'इनसे होता नहीं है साल में... हर साल उनके उपर फलाईओवर बनाने बैठते

हैं। उनकी सड़कों की मरम्मत करनी पड़ती हैं, एलीवेटिड रोड बनानी पड़ती हैं। अगर ऐवरेज देखें जब से मतलब अगर पाँच साल का हिसाब भी लगायें तो कम से कम सात–आठ हजार करोड़, छः हजार करोड़ रुपये उसपे भी खर्च किया है। वो एमसीडी के उसमें था। ये कहते हैं कि ये हमारा काम है। हमने इनसे कहा था कि भई, जो–जो काम तुमसे नहीं हो रहे... जैसे कि इनसे कहते हैं कि अस्पताल है। पैसा दिल्ली सरकार देगी अस्पताल हम चलाएंगे जबकि इनके मैन्डेट में कहीं नहीं लिखा। एमसीडी के मैन्डेट में नहीं लिखा, एमसीडी का काम अस्पताल चलाना नहीं है, सिर्फ प्राईमरी हैल्थ सरकार चलाना है और मैंने तो यहाँ तक भी कहा था, अभी भी फिर से रिपीट करता हूँ कि भाई साहब, अगर आपने प्राईमरी हैल्थ ठीक से की होती तो हमें क्यों मौहल्ला क्लीनिक खोलने पड़ते! दिल्ली सरकार को क्यों इतनी सारी डिस्पेंसरियाँ खोलनी पड़ती! डिस्पेंसरियाँ तो पहले सरकारों ने खोली थीं। अगर इन्होंने ये काम कर लिये होते तो डब्लिंग क्यों करनी पड़ती! दिल्ली सरकार को सारे काम दोबारा करने पड़ रहे हैं क्योंकि ये अपना काम नहीं करते। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि भई, ये काम हमें दे दो, इनका खर्चा बच जायेगा। पूरा का पूरा हैल्थ का काम हमें दे दो। इनके साल के कार्पोरेशन के सात सौ, आठ सौ, नौ सौ करोड़ रुपये बच जायेंगे, हम कर लेंगे। क्योंकि हमारे को... बाकी काम कर रहे हैं, हम आराम से वो कर सकते हैं, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। अब पेन्शन जैसे थी ये कहते हैं, 'पैसा दे दो।।' मैंने अभी गिनवाये हैं, पेन्शन नहीं गिनवायी। पेन्शन की लायबिल्टी इनकी। कहते हैं, जी, हम तो दे नहीं पाये। जो पेन्शन की लायबिल्टी इन्होंने क्रिएट करी, वो पैसा अब हम दे रहे हैं। वो पैसा भी दिल्ली सरकार दे रही है और वो कोई एक आध करोड़ नहीं है, वो भी सैकड़ो करोड़ में आता है। वो भी सैंकड़ो करोड़ रुपया पेन्शन की लायबिल्टी हमने ले ली। अब इसी विधानसभा के सदस्य मुझे तो कई बार वो भी आता है कि है तो अच्छा नहीं है, पर कह देता हूँ जिस थाली में खाना, उसमें छेद करना। मतलब हद हो

गई। कभी केन्द्र सरकार को भी जाकर कह लो कि दिल्ली को कुछ दे दें। 325 करोड़ रुपये देते हैं 20 साल हो गए। आज तक कुछ नहीं दिया।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, इसमें क्या हो गया? नहीं, इसमें कहाँ क्या आ गया?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कल जो... क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी है? जिस थाली में खाते हैं, छेद करते हैं। क्या दिक्कत है उसमें? अरे! जहाँ रहते हो दिल्ली में, दिल्ली के वोटर वोट देते हैं, केन्द्र सरकार...। विजेन्द्र जी, परसों सिरसा जी ने क्या बोला था? परसों सिरसा जी ने मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या बोला था? जो सभी मेम्बर बोले थे। नहीं मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोला था? नहीं, 'थाली में छेद कर दो' आम कहावत है, 'थाली में छेद' आम कहावत है। कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः उनकी भावना ये है कि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से एमएलए चुने गए हैं, दिल्ली के वोटर हैं। चलिए।

... (व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय आज भी अभी भी ऐसा लगता है कि...

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी हो गया। माननीय मंत्री जी कम्प्लीट करिए, बस।

स्वास्थ्य मंत्रीः मैं दो बात और कहना चाहता हूँ, वाक आउट...

अध्यक्ष महोदयः आप विजेन्द्र जी, आप हर बात पर कोर्ट पहुँचते हैं, इस पर पहुँच जाओ। नहीं, इन्होंने, जगदीश जी, यहाँ जिस थाली में खाते हैं, छेद करते हैं। उनका भाव ये है, समझ लीजिए कि भई, जहाँ दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने सच्चाई बोल दी तो आपको परेशानी हो रही है।

स्वास्थ्य मंत्रीः पहले आप कांउसलर थे, अब एमएलए बन गए हो।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, माननीय मंत्री जी, बैठिए प्लीज। हो गया। नहीं, वो विजेन्द्र जी, जब भी फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट की आती है ना, केन्द्र सरकार से दिलवा दें, कुछ बात कर लें। इनसे हिम्मत ही नहीं होती! छोड़िए!

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कोई एक शब्द झूठ नहीं बोला है उन्होंने। एक—एक शब्द सच बोला है। माननीय मंत्री जी कन्क्लूड करिए, प्लीज। कन्क्लूड करिए। ऋतुराज जी बैठिए, झा साहब, बैठिए प्लीज। कन्क्लूड करने दें।

स्वास्थ्य मंत्रीः केन्द्र सरकार सभी राज्यों को...

अध्यक्ष महोदयः झा साहब, झा जी, हमारी बात भी समझ लीजिए। आप बोलिए जितना बोलना है, बोलिए। जैन साहब कन्क्लूड करिए।

स्वास्थ्य मंत्रीः ऐसा है, सभी केन्द्र सरकार... फाइनेंस कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों को जो पैसा मिलता है उसमें से...

अध्यक्ष महोदयः 325 करोड़ रुपये 15 साल से मिल रहा है, वो सुनाई नहीं दिया। ये यूनियन टेरिटरी है। वो तो फिफ्थ कमिशन की रिपोर्ट है, फिफ्थ कमिशन की रिपोर्ट है, जो देना है। आपको परेशानी हो गई; डीडीए दिल्ली को दे दी जाए, नहीं डीडीए दिल्ली को दे दी जाए, इससे परेशानी हो गई।

एक सेकेंड जैन साहब, विजेन्द्र जी, क्या फोर्थ पे कमिशन में लिखा नहीं है कि डीडीए दिल्ली को दे दी जाए? उस पर परेशानी होती है आपको। कमीशन

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये फाइनेंस कमिशन है ये सेन्ट्रल फाइनेंस कमिशन नहीं है। स्टेट फाइनेंस कमिशन है।

अध्यक्ष महोदयः स्टेट फाइनेंस कमिशन में लिखा है कि नहीं लिखा कि डीडीए दिल्ली को दे दी जाए? चलिए।

स्वास्थ्य मंत्रीः अच्छा, अध्यक्ष महोदय, हाँ, सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदयः आप क्यों परेशान हो रहे हो? बैठिए।

स्वास्थ्य मंत्रीः मुझे ऐसा लगता है विजेन्द्र जी...

अध्यक्ष महोदयः अब करिए, मंत्री जी, कन्क्लूड करिए, आप।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि विजेन्द्र जी, एक सेकेंड।

अध्यक्ष महोदयः भई, हर बात पर धमकियां देते हैं, हर बात पर धमकियां देते हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए। फिर आपने अब ये शब्द इस्तेमाल किया। ना, गुण्डा नहीं हूँ। विजेन्द्र जी, अब आपने ही शब्द इस्तेमाल... नहीं, अब आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया, गुण्डा नहीं हूँ। क्या आपकी तरह से गुण्डा नहीं हूँ। आपने कहा नहीं अभी कि आपकी तरह से मैं गुण्डा नहीं हूँ? आपने बोला आपकी तरह से मैं गुण्डा नहीं हूँ। आपने ये बिल्कुल, ये शब्द बोला है। आपको अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगता बिल्कुल भी। माननीय मंत्री जी, छोड़िए

अब। बैठिए। बोला, इन्होंने अभी बोला है, 'मैं आपकी तरह से गुण्डा नहीं हूँ।' गुण्डागर्दी खुद की हुई है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए। ऐसा ही काँग्रेस थी। केन्द्रीय सरकार... एक सेकेंड बैठिए झा साहब, बैठिए। केन्द्रीय सरकार ऐसे ही काँग्रेस की थी और ऐसी ही बीजेपी की आई है और दिल्ली की जनता का खून चूस रही है; इन्कम टैक्स के रूप में और दिल्ली की जनता को पैसा नहीं दे रही और इतनी बार कहने के बावजूद भी नहीं दे रही।

अब श्री जगदीश प्रधान जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने हैं;

जो इसके पक्ष में है, वो हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें;

सदस्यों के न कहने पर प्रस्ताव गिरा।

अब सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 26 मार्च, 2018... इतनी जल्दी नहीं है, 26 मार्च, 2018 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

29 तारीख की महावीर जयंती है। हालाँकि उस दिन भी दोहराऊँगा तो शाम को 4:30 बजे विधानसभा परिसर में महावीर जयंती रहेगी। सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

(सदन की कार्यवाही सोमवार 26 मार्च,2018 अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।